खण्ड-416, अंक-9
मंगलवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1917
(1 अगस्त, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 416 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ग
वाराणसी में श्रृंगार गौरी के जलाभिषेक कार्यक्रम से ज्ञानवापी मस्जिद को असुरक्षा उत्पन्न होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी) ...	1–3
प्रश्नोत्तर	3–77
वाराणसी में श्रृंगार गौरी के जलाभिषेक कार्यक्रम से ज्ञानवापी मस्जिद को असुरक्षा उत्पन्न होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	77–99
दक्षिणी वन प्रभाग गोण्डा के कई रेंजों में टांगिया मजदूरों की अत्यन्त दयनीय स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
सुल्तानपुर, गौरीगंज के अन्तर्गत फैली बीमारियों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99–100
जनपद लखनऊ के ग्रामगढ़ी संजरखां व कुण्डरा के मध्य स्थित नाले पर पुल बनवाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	100
भदोही जनपद में अतिरिक्त डिग्री कालिज खोले जाने एवं पालिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कालिज खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	100
बांदा जनपद की कर्वी तहसील में हैण्ड पम्पों के खराब होने से उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100–101
मुजफ्फरनगर के बघेरा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत काढ़ी खेड़ा पेयजल योजना को ओवर हैण्ड टैंक बनाकर काढ़ी खेड़ा दीन्ना के बीच में पाइप लाइन बिछाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यालय में एक वर्ग विशेष के साथ भेद-भाव पूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण रवैय्या अपनाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	101–102
जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत जिला योजना एवं अनुश्रवण आदि समितियों में जनप्रतिनिधियों के सुझाव की उपेक्षा करने तथा उन्हें बैठकों में आमंत्रित न करने विषयक औचित्य का प्रश्न	102–110
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 (पटल पर रखा गया)	111
उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र वर्ष 1995-96 (भाग प्रथम एवं द्वितीय) (पटल पर रखा गया)	111
उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	111–112

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	112–129
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनु० संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनु० संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग), अनु० संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत) ...	129–165
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान अनु० संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनु० संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	165–183
बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उ० प्र० संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1995 (पारित)	183–187
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	187–188
दिनांक 2 जून, 1995 को हुए राज्य अतिथि गृह (लखनऊ) काण्ड की निष्पक्ष जांच प्रभावित होने विषयक श्री रमेशकान्त लवानिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर संसदीय कार्य-मंत्री का वक्तव्य	188–190
मेरठ शहर के मोहल्ला मोहनपुरी में बालक वरुण गुप्ता का अपहरण करके उसकी हत्या किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य-मंत्री का वक्तव्य	190–192
उत्तरांचल के आठों जनपदों के राजकीय इण्टर कालिजों एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों प्रवक्ताओं के रिक्त पद होने विषयक श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	192–194
जनपद गोण्डा के मानकपुर व छपिया विकास खण्डों में भयंकर कालरा रोग फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा दी गई सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	194–195
"पूर्वांचल विकास निधि" योजना का धन केवल विद्यालयों के प्रस्ताव पर खर्च किये जाने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	195
सदन संचालन प्रक्रिया नियमावली से सम्बन्धित व्यवस्था का प्रश्न ...	196
"पूर्वांचल विकास निधि" योजना का धन केवल विधायकों के प्रस्ताव पर खर्च किये जाने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	196–201
जनपद गोण्डा के नवाबगंज शुगर फैक्ट्री के बन्द होने विषयक श्री रमापति शास्त्री द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (संबंधित सदस्य द्वारा चर्चा आरम्भ नहीं की गयी)	201
नत्थियां	202–206

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(बारहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ	ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
अखिलेश, श्री	महराजगंज	ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा	करन सिंह, श्री	मुरादाबाद
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली गढ़वाल
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर	चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा	जगराम सिंह,	कानपुर नगर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर	जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ	
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
इरशाद, श्री	आजमगढ़	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	तेजपाल सिंह पंवार, श्री	हरिद्वार
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर
धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
बनवारी सिंह, श्री	बदा;
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बशीर उद्दीन, श्री	हमीरपुर
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती
बेनी प्रसाद, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	फतेहपुर
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, कुंवर	प्रतापगढ़
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	चमोली गढ़वाल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश यादव, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम देव पटेल, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यू सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खा, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिव सागर लाल, डा०	उन्नाव
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
संत बख्श सिंह रावत, श्री	लखनऊ
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरी किशन, श्री	कानपुर देहात
हरीश कुमार गंगवार, श्री	बरेली
हरेन्द्र सिंह ज्ञानी	रामपुर
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री बी० आर० वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

वाराणसी में श्रृंगार गौरी के जलाभिषेक कार्यक्रम से ज्ञानवापी मस्जिद को असुरक्षा उत्पन्न होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

[नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर].

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हम लोगों ने नियम 311 में एक नोटिस दी है.....

(घोर व्यवधान)

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पहले हम लोगों की नोटिस को ले लें ।

[नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 का माननीय परिवहन मंत्री द्वारा उत्तर पढ़े जाने के मध्य, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री गजराज सिंह व कांग्रेस के अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये]

श्री जगदम्बिका पाल (फ्लोर से)–

मान्यवर, कल यह कहा गया था कि कोई जलाभिषेक नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जायें ।

श्री जगदम्बिका पाल (फ्लोर से)–

मान्यवर, भारत सरकार ने भी इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है, केन्द्र सरकार को भी बाध्य होकर लोक सभा में यह कहना पड़ा है कि हम ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा करेंगे, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों । केन्द्र सरकार इसमें विवश हो सकती है । इससे प्रदेश सरकार के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है । केन्द्र सरकार के गृह मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि विवश होकर केन्द्र सरकार कार्यवाही करेगी उसमें परिणाम कुछ भी हों ।

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय परिवहन मंत्री ने अपना उत्तर पढ़ना जारी रखा)

श्री नरेश अग्रवाल (फ्लोर से)–

मान्यवर, हमारी 311 पर सूचना है । मान्यवर, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रदेश में पूर्ण रूप से साम्प्रदायिकता फैलाना चाहती है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इसी मध्य सदन के फ्लोर पर खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे–''जो सरकार ज्ञानवापी मस्जिद की रक्षा नहीं कर सके–वह सरकार निकम्मी है'')

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जायें ।

श्री जगदम्बिका पाल (फ्लोर से)–

तमाम पुलिस के अधिकारी वहां तैनात थे तमाम कम्पनियां फोर्स की लगी हुई थीं ।

मान्यवर, हम लोग 311 नहीं देते लेकिन वहां जलाभिषेक हुआ है ।

श्री नरेश अग्रवाल (फ्लोर से)–

मान्यवर, आप सदन में इस पर चर्चा कराइये ।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी सूचना दी है, उसके संबंध में अपनी सीट से ही तो कहेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल (फ्लोर से)–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही रोककर, नियमों को निलम्बित कर, इस पर चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम आसरे वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जायें।

श्री नरेश अग्रवाल (फ्लोर से)–

मान्यवर, अगर इस तरह से विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल की साजिश कामयाब हो गयी तो देश/प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं रह जायेगी ।

(कांग्रेस के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे जिससे व्यवधान बना रहा)

श्री जगदम्बिका पाल (फ्लोर से)–

मान्यवर, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इसे आप चर्चा के रूप में स्वीकार कर लें ।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने असत्य बयान दिया है । कल ज्ञानवापी मन्दिर में जलाभिषेक हुआ और वहां पर लाठी चार्ज भी किया गया जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए हैं । कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने असत्य बयान देकर सदन को गुमराह किया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आप लोगों को सुन रहा हूं आप लोग कृपया अपने-अपने आसन में जायें ।

श्री जगदम्बिका पाल (फ्लोर से)–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो गये हैं और वह उत्तर देने के लिये तैयार हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग पहले अपने-अपने आसन में जायें ।

(कांग्रेस के सदस्य सदन के फ्लोर से वापस अपने आसन पर गये)

(कई अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने से उत्पन्न व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, बनारस में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । वहां पर कल लाठीचार्ज हुआ । कई लोग घायल हुए और वे अस्पतालों में पड़े हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अखबारों में फोटो भी छपा है । आप देख लें मैं, आपको अखबार दिखा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले प्रश्न प्रहर समाप्त हो जाने दीजिये । प्रश्न प्रहर हो जाने दें, प्रश्न प्रहर के तुरन्त बाद मैं इसे पहली सूचना के रूप में ले लूंगा ।

(कांग्रेस के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर पुनः आ गये)

श्री जगदम्बिका पाल (फ्लोर से)–

मान्यवर, इस तरह से सदन नहीं चलेगा । बनारस में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । आप इसे सुनें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 8 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 12 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये उठाये गये कदम की जानकारी

**1–श्री बदन सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए इन्हें रोकने के लिये सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री नन्द लाल पटेल)–

जी हां ।

अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1–केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों एवं उनसे प्रभावित व्यक्तियों को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली सहायता की स्थिति की समीक्षा करने का प्राविधान किया गया है।

जिला सड़क सुरक्षा समितियों की कतिपय बैठकों में दुर्घटनाओं को रोकने हेतु 40 वर्ष से अधिक आयु के चालकों का नेत्र/स्वास्थ्य परीक्षण कराने, नशे की हालत में वाहन चालकों के परीक्षण हेतु डाक्टर की नियुक्ति करने, खराब सड़कों को समयबद्ध तरीके से ठीक कराने व उन पर स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रासिंग बनाये जाने, अवैध कब्जों को हटाने, स्कूलों कालेजों में डिबेट/सेमिनार आयोजित कर छात्रों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों की जानकारी देने आदि का निर्णय लिया गया है तथा तीव्र गति से वाहन चलाने एवं ओवर लोडिंग की चेकिंग करने, वाहनों की यांत्रिक/फिटनेस की चेकिंग करने तथा विस्फोटक, ज्वलनशील एवं अन्य खतरनाक पदार्थों को ढोने वाले वाहनों की सघन चेकिंग करने आदि का निर्णय भी लिया गया है।

2–प्रत्येक वर्ष की भांति 2 जनवरी से 8 जनवरी, 1995 की अवधि में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कर 5620 वाहनों की चेकिंग की गयी व 2970 वाहनों का चालान किये गये। 1126 चालकों को चश्मों की संस्तुति की गयी। ट्रैफिक नियमों की जानकारी हेतु पम्फलेट वितरित किये गये तथा बैनर लगाये गये।

भारत सरकार द्वारा घोषित "सड़क सुरक्षा वर्ष–1995" के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु एक कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही किये जाने हेतु गृह, शिक्षा, नगर विकास, आवास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सूचना, परिवहन विभाग एवं निदेशक यातायात से अनुरोध किया गया है तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा परिवहन विभाग द्वारा की जा रही है।

3–यातायात (पुलिस) विभाग द्वारा 15 फरवरी से 31 मार्च, 1995 तक ट्रैफिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें 16017 मोटर वाहनों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिये चालान किया गया एवं अनधिकृत रूप से लाल/नीली बत्ती लगाने के आरोप में 316 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। 18463 दो पहिया आटो वाहन चालकों को हेल्मेट न पहनने तथा मोटर अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के आरोप में चालन किया गया तथा सड़कों के किनारे 2116 अस्थायी अनाधिकृत अतिक्रमण हटाये गये।

4–दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को निकालने एवं दुर्घटना में प्रभावित घायलों को अस्पताल पहुंचाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा दो क्रेन एवं एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम (41) के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

कतिपय कारागारों को बेचने के संबंध में लिये गये निर्णय की जानकारी

**2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या कतिपय कारागारों को बेचने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसी कारागारें कौन-कौन हैं ? उसे बेचने की प्रक्रिया क्या होगी ? क्या इसका भी आंकलन लगाया गया है कि एक कारागार बेचने से प्राप्त धन तथा नई कारागार बनवाने में होने वाले व्यय में क्या बचत होगी ? यदि नहीं, तो बिना इस आंकलन के बिक्री का निर्णय करने का कारण क्या है ?

कारागार, होमगार्ड तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अकबर अली)–

जी हां, जिला कारागार, आगरा, वाराणसी तथा बरेली को बेचे जाने का निर्णय लिया गया था । निर्णय का पुनर्विलोकन प्रस्तावित है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मुजफ्फरनगर रुड़की चुंगी, रुड़की रोड पर तेजाब का ट्रक पलटने से हुई दुर्घटना के संबंध में सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि माह मार्च, 1995 में मुजफ्फरनगर में तेजाब से लदी ट्रक पलटने से दर्जनों लोग कुचल कर मर गये तथा दर्जनों लोग अंधे हो गये ? यदि हां, तो उक्त हृदय विदारक घटना में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी हां । दिनांक 6-3-95 को रात्रि 9–15 बजे रुड़की चुंगी, रुड़की रोड मुजफ्फरनगर के पास तेजाब से लदी ट्रक पलट गयी थी जिसमें 23 व्यक्ति मर गये तथा 8 व्यक्ति घायल हुए । किसी व्यक्ति के अंधा होने की सूचना नहीं है ।

शासन द्वारा सभी मृतकों के परिवारजनों को 25-25 हजार रुपये तथा घायलों को 10–10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी है । संबंधित ट्रक के स्वामी ठाकुर बलजीत सिंह द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें जेल भेजा जा चुका है । ट्रक चालक सलीम अभी तक फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं ।

लखनऊ स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में घटित घटना के संबंध में जानकारी

*2–श्री राम कुमार शुक्ला, श्री रंगनाथ मिश्र तथा श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 2-6-1995 में लखनऊ के गेस्ट हाउस में एक विशेष दल के लोगों ने पुलिस तथा गुण्डों की सहायता से कई विधायकों को अपहरण किया, उन्हें मारा पीटा तथा दल बदल न करने पर जान से मारने की धमकी दी ? यदि हां, तो वह लोग कौन थे तथा क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

दिनांक 2-6-95 को स्टेट गेस्ट हाउस में घटित घटनाक्रम के संदर्भ में थाना हजरतगंज, जनपद लखऊ पर चार मुकदमें आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए पंजीकृत हुए । उपरोक्त चारों अभियोगों की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गई है । इसके अतिरिक्त उपरोक्त घटित घटनाओं की प्रशासनिक जांच श्री रमेश चन्द्र, अध्यक्ष, राजस्व परिषद् द्वारा पूर्ण कर ली गयी है तथा जांच रिपोर्ट शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है ।

स्थिति उपरोक्तानुसार है ।

स्थिति उपरोक्तानुसार है ।

स्थिति उपरोक्तानुसार है ।

*3–श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री प्रमोद तिवारी–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

[मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राज्य में नये उद्योग लगाये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं इनके संबंध में सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 93 से अब तक राज्य में नये उद्योग लगाये जाने हेतु कितने प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सुश्री मायावती–

नये उद्योग लगाये जाने हेतु दिसम्बर, 1993 से अब तक कुल 633 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 579 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनमें लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं है एवं 54 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके लिये लाइसेन्स लेना आवश्यक है ।

कुल प्राप्त 633 प्रस्तावों में से 10 प्रस्ताव क्रियान्वित हो चुके हैं जिनमें से 587.37 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश हुआ है एवं 8710 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है । 60 प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर प्रभावी कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है जिनमें 2467.96 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश प्रस्तावित है एवं 13143 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा । उद्योगों की स्थापना शीघ्र हो और उद्यमियों को कोई कठिनाई न हो इसके लिये शासन द्वारा शासन, मंडल एवं जिला स्तर पर समितियां गठित की गयी हैं जो उद्योगों की स्थापना के लिये निरन्तर अनुश्रवण का कार्य कर रही हैं ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमानों के संबंध में जानकारी

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन श्रम–3 की अधिसूचना संख्या–1335/36-3-8 (एम० डब्लू०)-89. लखनऊ, दिनांक 11-7-90 द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षित किये जाने की प्रक्रिया चालू है ? यदि हां, तो पुनरीक्षित वेतनमानों की घोषणा कर तक हो जायेगी ?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम लाल यादव)–

जी हां ।

पुनरीक्षित वेतनमानों के संबंध में अधिसूचना यथा समय निर्गत की जायेगी ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम शहबाज नगर में हुई आत्म हत्या की घटना के संबंध में प्राप्त जांच रिपोर्ट

*3–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के थाना सदर बाजार क्षेत्र के ग्राम शहबाज नगर के दो युवकों प्रेम प्रकाश व विजय प्रकाश ने 1994 के प्रारम्भ में आत्महत्या कर ली थी जिसकी जांच किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां । जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट वि०/रा०, शाहजहांपुर द्वारा की गयी थी । मृतकों के नाम प्रेम पाल व विजय हैं ।

जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला कि मृतक प्रेमपाल एवं विजय थाना सदर बाजार की पुलिस चौकी शहबाज नगर के पुलिस कर्मियों द्वारा किये गये उत्पीड़न से इतने भयभीत एवं आतंकित हो गये थे कि उन्हें आत्महत्या के अतिरिक्त कोई चारा नजर नहीं आया । इस पुलिस चौकी के मुख्य आरक्षी फेरू सिंह, आरक्षी रजनेश पाल सिंह एवं आरक्षी हर प्रसाद कटियार अनुसूचित जाति उत्पीड़न के दोषी प्रतीत होते हैं ।

उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीनों पुलिस कर्मियों के नाम थाना सदर बाजार पर मु० अ० सं०–338/94 पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी बहेड़ी, जनपद बरेली द्वारा पूरी कर ली गयी है । तीनों पुलिस कर्मियों ने अदालत से जमानत करा ली है । मुख्य आरक्षी फेरू सिंह व आरक्षी हर प्रसाद कटियार का स्थानान्तरण जनपद शाहजहांपुर से जनपद अल्मोड़ा किया जा चुका है । विवेचना में तीनों नामित कर्मचारियों को अनुसूचित जाति उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया है । अतः अनु० जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)6 तथा 3(2)7 के अधीन आरोप पत्र दिनांक 8-4-95 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रदेश में राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वर्ष 1994-95 में की गयी हड़ताल, सेवामुक्ति/निलम्बन एवं पुनः सेवा में लिये जाने आदि के संबंध में जानकारी

*4–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1994-95 में कब से कब तक राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों की हड़ताल रही है ? उक्त अवधि में कितने राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवामुक्त/निलम्बित किया गया है ? उनमें से कितने पुनः सेवा में ले लिये गये हैं और कितने अभी अवशेष हैं ? अवशेष कर्मचारियों/अधिकारियों को कब तक सेवा में पुनः ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

दिनांक 5 दिसम्बर, 1994 से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् उत्तर प्रदेश (श्री बी० एन० सिंह गुट) द्वारा एवं दिनांक 6 दिसम्बर, 1994 से उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ (अध्यक्ष, श्री लल्लन पांडेय) द्वारा हड़ताल की गयी थी । उक्त हड़ताल दिनांक 24 जनवरी, 1995 को बिना शर्त वापस ले ली गयी थी । राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान 1594 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गयीं तथा 5433 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था ।

शासनादेश संख्या–78/47-का–4-95-2 ई एम/94, दिनांक 27 जनवरी, 1995 द्वारा समस्त अस्थाई स्थाई कर्मचारियों का निलम्बन समाप्त कर दिया गया है तथा जिन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गयीं थीं, उन्हें पुनः सेवा में ले लिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर जनपद के औद्योगिक पिछड़ेपन एवं बेरोजगारी दूर करने के संबंध में किये गये उपायों के संबंध में जानकारी

*5–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के औद्योगिक पिछड़ेपन एवं बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मिर्जापुर जनपद के औद्योगिक विकास के लिये जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिये उत्साहित किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त पूर्वांचल के विकास के लिये गोरखपुर तथा सतहरिया (जौनपुर) में औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापित किये हैं । पूर्वांचल का भाग होने के कारण मिर्जापुर भी उससे लाभान्वित होगा ।

मिर्जापुर जिले में वृहद/मध्यम श्रेणी की तीन औद्योगिक इकाइयां पहले से लगी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ में अम्बेडकर पार्क स्थित अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने के संबंध में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के संबंध में की गयी कार्यवाही

*6–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13 सितम्बर, 94 को अम्बेडकर पार्क आजमगढ़ में स्थित डा० बी० आर० अम्बेडकर की मूर्ति कुछ शरारती तत्वों द्वारा तोड़ी गई है ? क्या श्री जनार्दन विद्यार्थी एडवोकेट ने इस संबंध में कोतवाली आजमगढ़ में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो प्रगति रिपोर्ट क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां।

थाना कोतवाली में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा अपराध सं० 766/94 अन्तर्गत धारा–295/427 भा० द० वि० की विवेचना कराई गई।

काफी छानबीन के बावजूद अभियुक्तों का पता नहीं चल सका। फलतः दिनांक 31-12-94 को अंतिम रिपोर्ट संख्या–141 द्वारा विवेचना समाप्त कर दी गयी।

वर्ष 1991 की जनगणना के छटनीशुदा कर्मचारियों को समूह 'ग' में रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने संबंधी जानकारी

*7–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 की जनगणना के छंटनीशुदा कर्मचारियों को "समूह ग" के रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सिद्धार्थनगर के शिवपति इण्टर कालेज शोहरतगढ़ के टीचर कालोनी में पड़ी डकैती के संबंध में जानकारी

*8–श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के शिवपति इण्टर कालेज शोहरतगढ़ के टीचर कालोनी के निवासी श्री राम दुलारे सहायक लिपिक के मकान पर दिनांक 31-12-94 की रात्रि को डकैती पड़ी थी ? क्या यह सही है कि श्री राम दुलारे के लड़के द्वारा शकूर नामक डकैत को पहचान कर पुलिस को बता दिया गया है ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

दर्ज करायी गई प्राथमिकी में इसी प्रकार के आरोप हैं।

जी नहीं। कथित व्यक्ति के विरुद्ध मात्र संदेह व्यक्त किया गया था।

संदेही व्यक्ति के विरुद्ध विवेचना में साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया गया।

*9–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[दिनांक 18-7-95 को अल्पसूचित तारा० प्र० सं०–1 द्वारा उत्तरित]

जनपद मिर्जापुर तहसील चुनार से गुल (कोल ब्रिकेट) बनाने हेतु इण्डस्ट्रीज इकाइयों को दिये गये लाइसेंस के संबंध में जानकारी

*10–श्री ओम प्रकाश सिंह (मिर्जापुर)–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि चुनार तहसील जिला मिर्जापुर में कोयला से गुल (कोल ब्रिकेट) बनाने हेतु किन-किन नामों से इण्डस्ट्रीज इकाइयों को लाइसेंस दिया गया ? इनमें से कौन-कौन कार्यरत हैं तथा जनवरी, 1994 से दिसम्बर, 1994 तक प्रत्येक को कितना कोयला आवंटित किया गया ? क्या

इनके द्वारा कोयला का उपयोग गुल बनाने के लिये ही किया जा रहा है ? क्या इसकी जांच समय-समय पर की जाती है ?

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

चुनार तहसील जिला मिर्जापुर में कोयले से गुल (कोल ब्रिकेट) बनाने की 12 औद्योगिक इकाइयां संलग्नक "एक" के अनुसार पंजीकृत हैं। उद्योग विभाग द्वारा लाइसेंस देने का कोई प्राविधान नहीं है। दिनांक 1-1-94 से 31-12-94 तक इकाइयों को सस्तुत कोयले की मात्रा एवं कार्यरत इकाइयों की सूचना संलग्नक "दो" पर अवलोकनीय है।

जी हां।

जी हां। उपभोग कोयले की जांच समय-समय पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मिर्जापुर के माध्यम से कराई जाती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 202–203 पर)

दस्यु सुन्दरी फूलन देवी के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मुकदमों को वापस लिये जाने का औचित्य

*11–श्री तीरथ राज–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दस्यु सुन्दरी फूलन देवी के विरुद्ध किन-किन धाराओं में कितने मुकदमें (दर्ज) विभिन्न न्यायालयों में लम्बित थे ? क्या सरकार द्वारा उक्त समस्त मुकदमों को वापस लेकर उसको वर्ष 1994 में रिहा कर दिया गया ? यदि हां, तो मुकदमें किस आधार पर वापस लिये गये ?

सुश्री मायावती–

दस्यु फूलन देवी के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक धाराओं में 56 मकदमें दर्ज थे। इनमें से 1 शिनाख्त के अभाव में वर्ष 1984 में समाप्त हो गया था। शेष 55 को, पूर्व आत्मसमर्पणकारी दस्युओं की भांति, वापस लिये जाने हेतु आदेश दिये गये। इनमें से 5 वापस हो गये हैं, 1 अन्य शिनाख्त के अभाव में समाप्त हो गया, 2 की वापसी न्यायालय से निरस्त हो गई है और शेष 47 की वापसी विचाराधीन न्यायालय है। फूलन देवी को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेरोल पर रिहा किया गया है।

आगरा, ताजमहल को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदूषण से बचाने के लिये कृत कार्यवाही की जानकारी

*12–श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ताजमहल को प्रदूषण पहुंचाने वाली आगरा महानगर की कितनी फैक्ट्रियां बन्द कर दी गयी थीं और उनमें से अब कितनी चालू हो गई हैं ? बन्द फैक्टरियों को चालू करने के लिये क्या शासन प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने के लिये कोई आर्थिक सहायता दे रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मानीनय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ताजमहल को प्रदूषण पहुंचाने वाली आगरा महानगर की 91 फैक्ट्रियां बन्द कर दी गयी थी जिनमें से अब 62 इकाइयां चालू हो गयी हैं।

जी नहीं ।

समय-समय पर उद्योगवार निर्धारित मानकों को प्राप्त करने हेतु वांछित प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने का दायित्व संबंधित उद्योगों पर है ।

फैजाबाद अयोध्या में पूर्व मुख्य मंत्री को बी० आई० पी० रूट के अतिरिक्त घनी बस्ती से होते हुए नगर का भ्रमण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

*13-श्री परशुराम यादव -

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गत 6 दिसम्बर, 1994 को अयोध्या-फैजाबाद नगर में पूर्व मुख्य मंत्री को कतिपय पुलिस अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित बी० आई० पी० रूट के अतिरिक्त घनी बस्ती से नगर का भ्रमण कराया गया था ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-1-95 मा० मुख्य मंत्री द्वारा गृह सचिव, उ० प्र० शासन को जांच तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

संदर्भगत भ्रमण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय राज्य मार्ग से आयोजित हुआ था । किसी अधिकारी द्वारा कोई अन्य मार्ग निर्धारित नहीं किया गया था ।

दिनांक रहित पत्र विधायक कोष्टक में दिनांक 11-1-95 को प्राप्त हुआ जिसकी जांच जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को सुपुर्द की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी सेवक के सेवाकाल में शतप्रतिशत विकलांग हो जाने पर मृतक आश्रित की भांति उसके आश्रित को सेवा में लिये जाने की मांग

*14–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सेवक के सेवाकाल में पैरा पलीजिया, दुर्घटना अथवा किसी अन्य घातक बीमारी से शत-प्रतिशत विकलांग (पूर्ण शारीरिक विकलांगता) हो जाने की स्थिति में मृतक आश्रित की भांति उनके आश्रित को सेवा में लिये जाने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके आश्रित को सेवा मे लिये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

सरकार इस बिन्दु के समस्त पहलुओं का परीक्षण कर रही है ।

परीक्षणोपरान्त यथाशीघ्र समुचित निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*15–श्री नन्द लाल पटेल–

[मंत्रि-परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

अतारांकित प्रश्न

1–श्री राम आसरे वर्मा–

[3सरे सोमवार में अता० प्र० सं० 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया में पशुपालन विभाग में रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण कतिपय समितियों का कार्य प्रभावित होने के संबंध में जानकारी

2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में पशुपालन विभाग में वर्ष 1985-86 से (हाईड फ्लेइंग एवं पशु शव उपयोग के अन्तर्गत) कितने पद रिक्त हैं और उन्हें भरे न जाने के कारण क्या हैं ? क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग से संचालित सहकारी समिति सराय भारती (रसड़ा) ताड़ी बड़ा गांव कुम्हैला, चिलकहर, रानीगंज, बांसडीह, चितबड़ागांव बेल्थरा रोड, रतनापुरा (रसड़ा) में कितने "मास्टर फ्लेयर" कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि कर्मचारी न होने से सभी समितियां असहाय पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

पशुधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–

जनपद बलिया में पशुपालन विभाग के अधीन हाइड फ्लेइंग एवं पशु शव उपयोग की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 की स्थिति के अनुसार एक चर्म निरीक्षक तथा 4 मास्टर फ्लेयर के पद स्वीकृत थे। बाद में जनपद मऊ का गठन हो जाने पर विकास खण्ड रतनपुरा संबंधी मास्टर फ्लेयर का एक पद जनपद मऊ स्थानान्तरित हो गया है । पदों का भरना और खाली होना चलता रहता है । वर्तमान में जनपद बलिया में एक मास्टर फ्लेयर कार्यरत है, शेष पदधारक सेवा निवृत्त हो चुके हैं । कतिपय बंद हुई योजनाओं/संस्थाओं के फालतू कर्मचारी एवं मृतक आश्रित के समायोजन की कार्यवाही क्रमित है ।

पशुपालन विभाग की ओर से जनपद बलिया में 6 हाइड फ्लेइंग एवं पशु शव उपयोग सहकारी समितियां यथा सरायभारती, चिलकहर, रानीगंज, बांसडीह, बेल्थरारोड तथा रतनपुरा थी जिनमें से रतनपुरा की समिति नवगठित जनपद मऊ में चली गई है । वर्तमान में जनपद बलिया में कार्यरत एक मास्टर फ्लेयर द्वारा उक्त पांचों समितियों की देख रेख की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर स्थित थाना अहरौरा में दर्ज अपराध के संबंध में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

3–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर थाना अहरौरा में दर्ज अपराध संख्या 77/94 में फर्जी नामजदगी के विरुद्ध श्री नईम निवासी अहरौरा खास डी० थाना अहरौरा द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित अक्टूबर, 1994 के प्रथम सप्ताह में दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रार्थना पत्र की जांच जिलाधिकारी, मिर्जापुर के माध्यम से करायी गयी । जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये । श्री नईम आदि के विरुद्ध दर्ज अभियोग में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है ।

उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम के अन्तर्गत चल रही कतिपय मिलों के घाटे में चलने के कारणों को दूर करने के प्रयासों की जानकारी

4–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० वस्त्र निगम के अन्तर्गत चल रही कताई मिलों में लगातार घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो इस घाटे के क्या कारण हैं ? क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो इन कारणों को दूर करने के क्या प्रयास हुए ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

कच्चे माल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होना तथा सूत की दरों में आनुपातिक वृद्धि न होना, ब्याज का अधिभार, समय-समय पर होने वाली हड़ताल के कारण उत्पादन में कमी, विगत वर्षों में बिजली की दरों में भारी वृद्धि, वर्किंग कैपिटल की कमी के कारण उचित समय पर सस्ती दरों पर उपलब्ध अच्छी गुणवत्ता के कपास का क्रय न कर पाना और बाजार में हैंक यार्न की मांग में काफी कमी होना आदि घाटे का मुख्य कारण हैं ।

जी नहीं । घाटे का कारण स्पष्ट है । राज्य वस्त्र निगम में घाटे को रोकने के लिये समय से कच्चे माल का क्रय करके अधिक से अधिक क्षमता पर मिलों को चलाने, प्रोडक्ट मिक्स में बाजार की मांग के अनुरूप विविधता, विपणन नेटवर्क को विस्तृत एवं अधिक वाणिज्यिक बनाने तथा तैयार माल का कम से कम स्टाक रखने आदि की कार्यवाही किये जाने के हर सम्भव प्रयास किये जाते रहें है ।

जनपद रायबरेली के महराजगंज कोतवाली में सरकारी जीप उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी

5–श्री राजाराम त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली जनपद के महराजगंज कोतवाली में सरकारी जीप नहीं है ? यदि हां, तो क्या कोतवाली को शीघ्र जीप दिलायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद रायबरेली के थाना महराजगंज को आवंटित जीप निष्प्रयोज्य हो गयी है । उसके स्थान पर नयी जीप क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है । वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ने जनपद में उपलब्ध जीपों में से एक जीप थाना महराजगंज से सम्बद्ध कर दिया है ।

16–श्री नन्द लाल पटेल–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बस्ती में अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ किये गये दुर्व्यवहार की जांच कराये जाने के संबंध में जानकारी

7–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थानाध्यक्ष रुधौली जनपद बस्ती की कुव्यवस्था के कारण दिनांक 19-3-95 को अल्पसंख्यक (मुस्लिम जाति) की महिलाओं के साथ तैनात पुलिस कर्मी एवं

संबंधित फोटोग्राफर द्वारा छेड़खानी की घटनास्वरूप उन महिलाओं को फोटो ग्राफिंग तथा मतदान से वंचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने पर विचार करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के थाना रुधौली में ग्राम प्रधान को गिरफ्तार करने संबंधी मामले की जांच कराये जाने की मांग

8–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 20 मार्च, 1995 को ग्राम प्रधान चोंगरी थाना रुधौली जिला बस्ती को रुधौली पुलिस द्वारा घर में घुस कर गिरफ्तार किया गया है ? क्या उक्त ग्राम प्रधान का कोई आपराधिक इतिहास रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त ग्राम प्रधान जो लगातर दो बार ग्राम प्रधान रहा तथा उस क्षेत्र के प्रतिष्ठापित व्यक्ति होने के बाद भी थानाध्यक्ष रुधौली जिला बस्ती द्वारा उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया और फर्जी मुकदमें में फंसाकर उनको ग्राम प्रधानी की उम्मीदवारी से वंचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित थानाध्यक्ष को तत्काल निलम्बित करके मामले की जांच कराने पर विचार करेगी ?

सुश्री मायावती–

मु० अ० सं०-45/95 अर्न्तगत धारा 147/332/323/504/427 भा० दं० वि० थाना रुधौली में वांछित अभियुक्त होने के कारण रमेश पुत्र सुदामा उपाध्याय ग्राम प्रधान चोंगरी को संदर्भित दिनांक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।.परन्तु यह सत्य नहीं है कि संदर्भगत व्यक्ति को अवैध रूप से फर्जी मुकदमें में फंसा कर गिरफ्तार किया गया । मामले की विवेचना से आरोप सिद्ध पाये गये । फलतः दिनांक 16-4-95 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर के निवासियों पर प्राणघातक हमला करने वाले अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग

9–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री को बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर–22. इन्दिरा नगर लखनऊ के निवासियों चौ० राजू बाल्मीकि आदि पर दिनांक 25-6-94 को श्री गनेश राम चौरसिया द्वारा प्राणघातक हमला किया गया ? यदि हां, तो क्या श्री गनेशराम चौरसिया के विरुद्ध थाना–गाजीपुर लखनऊ में मु० अ० सं० 403/ए/94 धारा–147/307/295 दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो क्या अपराधी को गिरफ्तार कर कठोर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं, बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि दि० 25-6-94 को श्री जगरूप सिंह कुशवाहा, निरीक्षक नगर निगम लखनऊ मय पुलिस बल के साथ सेक्टर 22 इन्दिरा नगर में अतिक्रमण हटाने गये तो राजू

बाल्मीकि एवं अन्य लोगों द्वारा पुलिस/पी० ए० सी० एवं नगर निगम के स्टाफ पर ईंट पत्थर फेंके जाने लगे । पुलिस कर्मियों एवं नगर निगम के कर्मचारियों को चोटें आने पर दिनांक 25-6-94 को हरिकेश पाण्डेय एवं अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा अप० सं० 403/94 धारा 147/332/355/336/427 भा० द० वि० थाना गाजीपुर, लखनऊ पर पंजीकृत कराया गया । जिसकी पेशबन्दी में उपर्युक्त वाद के प्रतिवादीगण द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध जिसमें श्री गनेश राय चौरसिया भी सम्मिलित थे, क्रासकेस मु० अ० सं० 403ए/94 पंजीकृत कराया गया ।

जी हां ।

विवेचना में अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया और न्यायालय को दिनांक 14-6-95 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

उपरोक्तानुसार ।

10–श्री छब्बू पटेल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सुरक्षा ड्यूटी में लगे शैडो/गनर के जनपद या प्रदेश के बाहर जाने आदि के संबंध में सरकार की नीति की जानकारी

11–श्री राजाराम त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जो शैडो/गनर सुरक्षा ड्यूटी में लगाये गये हैं उनको जनपद या प्रदेश के बाहर सुरक्षा हेतु जाने के लिये पुलिस अधीक्षक से परमीशन लेना पड़ता है ? क्या उन्हें यात्रा भत्ता 1500 रु० से अधिक व्यय हो जाने पर नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या इस संबंध में कोई आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो इस आदेश के तहत सुरक्षा व्यवस्था में जो असुविधा उत्पन्न हो रही है, इसे दूर करने के लिये दिये गये उक्त आदेश को निरस्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ तैनात शैडो/गनर को जनपद से बाहर जाते समय पुलिस अधीक्षक से अनुमति लिया जाना अनिवार्य नहीं है । अन्य महानुभावों के साथ तैनात शैडो/गनर को जनपद से बाहर जाते समय पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेनी पड़ती है ।

प्रदेश से बाहर जाने के लिये सभी शैडो/गनर को पुलिस अधीक्षक से नहीं बल्कि संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक से अनुमति लेनी पड़ती है ।

प्रतिबन्ध यह है कि प्रतिमाह रु० 1500 से अधिक का यात्रा भत्ता हो जाने की दशा में पुलिस उप महानिरीक्षक, सुरक्षा से अनुमति लेना आवश्यक है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद शाहजहांपुर, थाना रौजा ग्राम रहीमपुर में एक महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

12–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर के थाना रौजा के अन्तर्गत ग्राम रहीमपुर में माह मार्च, 1995 के दूसरे सप्ताह में श्रीमती जनकदेवी की हत्या कर दी गयी है ? क्या इस घटना की रिपोर्ट थानाध्यक्ष ने लिखने से मना कर दिया ? क्या सरकार को जानकारी है कि बाद में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से रिपोर्ट लिखी गयी परन्तु अभी तक इसमें अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? क्या रिपोर्ट न लिखने के लिये जांच कराकर कार्यवाही करेंगे तथा साथ ही क्या घटना के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

सुश्री मायावती–

जी हां । उक्त घटना दिनांक 10-3-95 को घटित हुई ।

दिनांक 10-3-95 को थानाध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट न लिखने की बात प्रकाश में नहीं आयी है ।

वादी की रिपोर्ट दिनांक 15-3-95 के तथ्यों की जानकारी करने के पश्चात् मु० अ० सं० 51/95 धारा 498ए, 304 बी, 506 भा० द० वि० व 3/4 दहेज अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना सहायक पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर द्वारा की गयी ।

दिनांक 10-3-95 को थानाध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट न लिखने की बात प्रकाश में नहीं आयी है ।

प्रश्नगत अभियोग में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 26-5-95 को नयायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

जनपद शाहजहांपुर थाना रौजा के अन्तर्गत अपराध संख्या 67/95 के पड़ताल की स्थिति की जानकारी

13–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अ० सं०–67/95 थाना रौजा, शाहजहांपुर धारा–380/457 आई० पी० सी० जिसकी तफ्तीश थाना आर० सी० मिशन शाहजहांपुर से हो रही है, की प्रगति क्या है? क्या इसमें नामजद अभियुक्तों से चोरी के संबंध में पड़ताल की गयी तथा चोरी गयी वस्तु बरामद की गयी ? इनमें जिन पर सन्देह व्यक्त किया गया है उन लोगों का पुराना अपराधिक इतिहास क्या रहा है ? क्या वे कई मुकदमों में नामजद हैं, वांछित हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सुश्री मायावती–

तालाशी तथा पूछताछ के बाद भी माल तथा मुल्जिमान का पता नहीं चला है ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी अभियुक्त नामजद नहीं है । विवेचना में भी कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया । चार लोगों पर सन्देह व्यक्त किया गया परन्तु चोरी गयी वस्तु बरामद नहीं हो सकी है ।

सन्देह व्यक्त किये गये लोगों में से केवल एक व्यक्ति महेश का अपराधिक इतिहास रहा है क्योंकि थाना रौजा में उसके विरुद्ध दो अपराध सं०–127/90 तथा 7/95 दर्ज हैं जिसमें क्रमशः दि० 12-7-90 तथा 14-1-95 को आरोप पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं ।

जनपद रायबरेली, बछरावां क्षेत्र में कतिपय विकास खण्डों के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय बनाये जाने की मांग

14-श्री राजा राम त्यागी–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के शिवगढ़ विकास खंड ओसाह व अदई तथा बछरावां विकास खण्ड के सहेगों और असहन एवं महराजगंज विकास खण्ड के अन्तर्गत हसनपुर तथा कोटवा मोहम्मदाबाद एवं दीसाखानापुर में पशु चिकित्सालय का अत्यधिक अभाव है ? क्या वहां पर पशु चिकित्सालय बनाने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक बन जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में वर्ष 1994-95 में हुई हत्यायें, लूटमार, दलित उत्पीड़न आदि की घटनाओं का विवरण

15-श्री राजाराम त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1995 के मध्य रायबरेली जनपद में सर्वाधिक हत्यायें, डकैती, चोरी, लूटमार रोड होल्डअप तथा दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं ? यदि हां, तो थानावार इनकी संख्या क्या है ? क्या यह भी सच है कि दिनांक 3 मार्च, 95 को सायं 7 व 8 बजे के मध्य महराजगंज कोतवाली के अन्तर्गत कोड रोड होल्डअप की घटना घटी और एक स्थानीय युवा व्यापारी प्रभात कुमार गुप्त को घायल कर लुटेरे उसकी नई टाटा 407 गाड़ी तथा 68,000 रु० नकदी लेकर चम्पत हो गये ? क्या इस संबंध में क्षेत्राधिकारी तथा स्थानीय कोतवाली के इन्सपेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी हां ।

लूटी गयी टाटा 407 गाड़ी बरामद कर ली गयी तथा घटना में सम्मिलित चार अभियुक्तों को जेल भेजा गया तथा एक अभियुक्त ने अपनी गिरफ्तारी न किये जाने के लिये मा० न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । चूंकि घटना के अनावरण की कार्यवाही तत्परता से की गयी अतः क्षेत्राधिकारी व इन्सपेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर नगर के पुलिस प्रशासन को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

16-श्री महेश बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-12-93 से लेकर 21-4-95 तक पुलिस प्रशासन, कानपुर नगर को प्रश्नकर्ता के कुल कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ? इन पत्रों में उल्लिखित कितनी समस्याओं का निस्तारण किया गया तथा कितनी समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही गतिमान है ? लम्बित

समस्याओं के विलम्ब से निराकरण के लिये कौन-कौन कर्मचारी उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सुश्री मायावती–

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में पुलिस प्रशासन, कानपुर नगर को प्रश्नकर्ता के कुल सात पत्र प्राप्त हुए हैं।

दिनांक 20-12-93 के पत्र में अंकित तथ्यों पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही वांछित नहीं थी जिसके कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। द्वितीय पत्र दिनांक 3-6-94 में पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर के विरुद्ध था, की जांच करायी गयी। जांच से आरोपी की पुष्टि नहीं हुई। तीसरे पत्र दिनांक 11-6-94 में अंकित तथ्यों पर कार्यवाही प्रचलित है। चौथे पत्र दिनांक फरवरी, 95 में प्रश्नगत घटना में मु० अ० सं० 4/95 धारा 302 भा० द० वि०, थाना जूही, कानपुर नगर पंजीकृत हुआ है, नामजद अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। पांचवें पत्र दिनांक 8-5-95 में प्रश्नगत घटना मु० अ० सं० 83/95 धारा 147/323/504/394/427/354 भा० द० वि० थाना कर्नलगंज में पंजीकृत हुआ। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–59/95 दिनांक 20-5 95 को प्रेषित किया गया है, छठे पत्र दिनांक 12-3-95 में कार्यवाही प्रचलित है। सातवें पत्र दिनांक 15-3-95 में प्रश्नगत घटना में मु० अ० सं० 15/95 धारा 323/504 भा० द० वि० व 3(1) एस० सी०/एस० टी ऐक्ट पंजीकृत हुआ। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। प्रकरण में आरोप पत्र संख्या–9 दिनांक 10-5-95 को न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। अतः विलम्ब के लिये कोई कर्मचारी उत्तरदायी नहीं जिससे किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

उ० प्र० वस्त्र निगम के अन्तर्गत चल रही कताई मिलों के मजदूरों को वेतन आदि का भुगतान

17–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० वस्त्र निगम के अन्तर्गत चल रही कानपुर यू० पी० मिलों में कार्यरत मजदूरों के संबंध मे वर्ष 1989 में देहरादून त्रिपक्षी वार्ता के आधार पर हुआ समझौता क्या था तथा उसकी अवधि क्या थी ? क्या अवधि समाप्त हो गयी है ? यदि हां, तो अब तक त्रिपक्षी वार्ता न बुलाये जाने के क्या कारण हैं ? समझौते की तिथि समाप्त हो जाने के बाद महंगाई भत्ता एवं वेतन आदि का भुगतान किस आधार पर हो रहा है ?

श्री श्याम लाल यादव–

उ०प्र० वस्त्र निगम के अन्तर्गत मिलों में कार्यरत मजदूरों के बारे में त्रिदलीय सम्मेलन वर्ष 1989 में देहरादून में नहीं हुआ बल्कि 29 नवम्बर, 1988 को देहरादून में तत्कालीन श्रम मंत्री की अध्यक्षता में द्विपक्षीय सम्मेलन आहूत किया गया था। उक्त सम्मेलन में श्रमिकों तथा सेवायोजकों के मध्य कोई सर्वसम्मत समझौता नहीं हो सका था वरन् दोनों पक्षों द्वारा आम सहमति व्यक्त की गयी थी कि मा० श्रम मंत्री उ० प्र० जो निर्णय देंगे, वह दोनों पक्षों को मान्य होगा। उक्त सहमति के आधार पर दिनांक 9-12-1988 को तत्कालीन श्रम मंत्री द्वारा पंचनिर्णय दिया गया, जिसके आधार पर अधिसूचना संख्या 1714(एच० आई०)/36-2-289-(एस० एम०)/88, दिनांक 17 नवम्बर, 1988 द्वारा उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, उ० प्र० राज्य कताई मिल कम्पनी संख्या–1 व 2 के अधीन राज्य कताई मिलों में

नियोजित कर्मचारों, जिसमें लिपिक वर्ग भी सम्मिलित है, को 1 दिसम्बर, 1988 से रुपया 45/- प्रतिमाह की मजदूरी वृद्धि तथा महंगाई भत्ते की मात्रानुपाती दरें पुनरीक्षित की गयी । उक्त अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1988 से 3 वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी थी ।

अधिसूचना दिनांक 17-12-88 की प्रभावी अवधि समाप्त होने के बाद अधिसूचना दिनांक 31-5-93 द्वारा उसकी अवधि 3 वर्षों के लिये और बढ़ायी गयी ।

वस्त्र निगम के अधीन संचालित कई मिलों में श्रमिकों के तथा प्रबन्धकों के मध्य आपसी सहमति द्वारा प्रोडक्शन नार्म तथा वेतन वृद्धि पर समझौते हुए हैं, जिनके आधार पर वर्तमान में वेतन दिया जा रहा है । इन मिलों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण इन रुग्ण मिलों के पुनर्गठन के संबंध में प्रकरण बी० आई० एफ० आर० को सन्दर्भित है । उपरोक्त स्थिति में वेतन वृद्धि हेतु त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

जनपद रायबरेली के बछरावां क्षेत्र में उद्योग लगवाये जाने की मांग

18–श्री राजाराम त्यागी–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में स्वतंत्रता के 47 वर्षों के बाद भी आज तक एक भी उद्योग धन्धे न होने के कारण वहां भुखमरी की समस्या बढ़ रही है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के विकास के लिये व बेरोजगारी दूर करने के लिये क्या वर्तमान सरकार बछरावां क्षेत्र में कोई उद्योग लगवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में कोई सार्वजनिक उद्योग स्थापित नहीं है परन्तु बछरावां में ग्रामीण औद्योगिक आस्थान, शिवगढ़ में मिनी औद्योगिक आस्थान तथा महराजगंज में औद्योगिक आस्थान स्थापित हैं । बछरावां औद्योगिक आस्थान में प्लास्टिक पाइप/जनरल इंजीनियरिंग/विद्युत निर्माण सामग्री तथा जूता निर्माण की निर्यातक इकाइयां स्थापित हैं । इसके अतिरिक्त महराजगंज के औद्योगिक आस्थान में प्रकल्प कोट्स तथा के० वी० केमिकल्स नामक इकाइयां भी स्थापित हैं तथा पूरे विधान सभा क्षेत्र में स्थानीय वाह्य जनपदों के उद्यमियों द्वारा कई लघु लघुत्तर इकाइयां स्थापित की गयी हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति के थानाध्यक्षों की तैनाती के प्रतिशत की जानकारी

19–श्री रामकरन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति के थानाध्यक्षों को तैनाती की सीमा प्रतिशत क्या निर्धारित की गयी है ? क्या वर्तमान समय में अनुसूचित जाति के थानाध्यक्षों की नियुक्ति 21 प्रतिशत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक लागू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अनुसूचित जाति के थानाध्यक्षों की 20 प्रतिशत सीमा निर्धारित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20–श्री राम करन आर्य–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

गाजियाबाद में जिलाधिकारी प्रोटोकाल की नियुक्ति पर सरकार द्वारा विचार किये जाने के संबंध में जानकारी

21–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद में वी० आई० पी० ड्यूटी में व्यस्त होने पर जिलाधिकारी की अनुपलब्धता को देखते हुए क्या गाजियाबाद में जिलाधिकारी प्रोटोकाल की नियुक्ति पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले में वर्ष 94-95 के चोरी, डकैती, हत्या अफीम, स्मैक आदि की घटनाओं का विवरण

22–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में वर्ष 1994 से 1995 के 30 अप्रैल तक चोरी, डकैती, हत्या, अफीम, स्मैक तथा दलित उत्पीड़न की कितनी घटनाएं घटित हुईं ? इनका प्रत्येक थानावार विवरण क्या है ?

सुश्री मायावती–

अपेक्षित विवरण अनुलग्नक–1 पर संलग्न, प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 204 पर)

बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ तहसील में फायर ब्रिगेड की स्थापना का प्रस्ताव

23–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ पर अग्नि शमन केन्द्र (फायर ब्रिगेड) की स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बाराबंकी के तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ में अग्निशमन केन्द्र (फायर ब्रिगेड) की स्थापना का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त पाया गया है कि प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों एवं अन्य स्थानों की तुलनात्मक आवश्यकताओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त स्थान पर वर्तमान में फायर स्टेशन स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है ।

24–श्री राम अचल राजभर–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

25–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

इलाहाबाद के थाना कर्नलगंज में वर्ष 94-95 में घटित आपराधिक घटनाएं एवं थाना कर्नलगंज को विभक्त करने की मांग

26-डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर में किस थाने में दिनांक 1 जनवरी, 1994 से 30 अप्रैल, 1995 तक सबसे अधिक अपराधिक घटनायें हुई ? क्या कर्नलगंज थाने को विभक्त करने का कारण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन कब तक निर्णय ले लेगा ?

सुश्री मायावती-

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में इलाहाबाद शहर के थाना कर्नलगंज में सबसे अधिक अपराधिक घटनाएं हुई ।

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

27-श्री लाल मणि प्रसाद-

[तीसरे सोम में अता० प्र० सं०-104 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ स्थित दारुलशफा में कालिका लेन, के चतुर्थ श्रेणी आवासों में बल्ब, तार आदि बदलने का उत्तरदायित्व एवं इस सम्बन्ध में निर्गत आदेश के सम्बन्ध में जानकारी

28-श्री लाल मणि प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालिका लेन, दारुलशफा, लखनऊ स्थित चतुर्थ श्रेणी आवासों में लगे बल्ब, ट्यूबलाइट तथा तार आदि बदले जाने की जिम्मेदारी दारुलशफा लखनऊ स्थित अवर अभियन्ता (विद्युत) अनुरक्षण खण्ड-1 (विद्युत) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की है या किसी अन्य विभाग की ? क्या इस संबंध में कोई आदेश राज्य सम्पत्ति विभाग से निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो आदेश क्या है ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

बल्ब तथा ट्यूबलाइट बदले जाने की जिम्मेदारी आवास में रह रहे अध्यासियों की है तथा तार आदि बदलने को अनुरक्षण खण्ड-1 (विद्युत) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की है ।

जी हां । अध्यासियों की आवासों की समस्याओं के नियमानुसार समाधान कराये जाने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1 (विद्युत) लोक निर्माण विभाग की है ।

वित्तीय संसाधनों में कमी के कारण अध्यासियों की सभी समस्याओं को निस्तारित कराया जाना सम्भव नहीं हो पाता है ।

लखनऊ, दारुलशफा स्थित मोटर गैराजों के संबंध में कार चालकों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

29–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास दारुलशफा, लखनऊ स्थित मोटर गैराजों के संबंध में कार चालकों का हस्ताक्षरयुक्त शिकायती-पत्र दिनांक 13 मार्च, 1995 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों का समाधान हो जाने के उपरान्त ही ठेकेदारों को भुगतान कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित दारुलशफा के समूह 'घ' के कर्मचारियों की हस्तान्तरित नीति की जानकारी

30–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दारुलशफा स्थित ए, बी, सी ब्लाकों में सफाई कर्मचारी, फर्राश, माली तथा बेलदारों आदि की ब्लाकवार संख्या क्या है और कौन-कौन से कर्मचारी एक ही स्थान पर पांच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या इनके स्थानान्तरण की कोई नीति अपनाई गयी है ? यदि नहीं, तो स्थानान्तरण नीति कब तक बना ली जायेगी ? क्या यह भी सत्य है कि दारुलशफा में कार्यरत कर्मचारियों में माली से फर्राश, चैकीदार तथा फर्राश से माली का कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । विवरण संलग्न है । †

प्रश्नगत कर्मचारी समूह 'घ' के अल्पवेतन भोगी कर्मचारी होने के फलस्वरूप इनके स्थानान्तरण की कोई नीति न तो बनायी गयी है और न ही अपनाई गयी है । बल्कि जनहित एवं प्रशासनिक हित में इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण राज्य सम्पत्ति विभाग की अधीनस्थ इकाइयों में यथावश्यक किया जाता है ।

जी हां, कार्य हित में दारुलशफा में कार्यरत कर्मचारियों से कभी-कभी माली से फर्राश, चौकीदार तथा फर्राश से माली का कार्य लिया जाता है ।

---

† छापा नहीं गया ।

लोक सेवा आयोग द्वारा डा० वी० एन० सिंह का साक्षात्कार लिए जाने के संबंध में जानकारी

31–श्री तुलसीदास राय चन्दानी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उ० प्र० द्वारा पूर्व में विज्ञप्ति राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्राचार्य पद हेतु विज्ञापन की तिथि डा० वी० एन० सिंह प्राध्यापक राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ सभी शर्तों को पूरा करते थे ? यदि नहीं, तो क्या आयोग द्वारा माह अप्रैल, 1995 में अकेले डा० सिंह का प्राचार्य पद हेतु लिया गया साक्षात्कार निरस्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल हेतु प्राचार्य के विज्ञापित किये गये पदों के लिए अनिवार्य अर्हता संख्या–2 के अन्तर्गत किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेज या अस्पताल में 5 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव सहित 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक है । डा० वी० एन० सिंह के संबंध में अनिवार्य अर्हता स्पष्ट न होने के कारण, अन्य अभ्यर्थियों की भांति उन्हें औपबन्धिक रूप से साक्षात्कार हेतु प्रवेश दिया गया था ।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के जिला कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाये जाने की मांग

32–श्री जगरनाथ चौधरी तथा डा० मसूद अहमद–

क्य मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ० प्र० के जिला कार्यालयों पर तैनात कर्मचारियों की सेवा नियमावलियां/सेवा सम्वर्ग अब तक नहीं बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सूचना जन सम्पर्क विभाग के जिलों में तैनात सूचना कर्मियों की सेवा नियमावलियां चालू वर्ष में बनाने का निर्देश दे रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

संबंधित कर्मचारियों की सेवा नियमावलियां बनाये जाने की प्रक्रिया में है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर जनपद के थाना कुड़वार, ग्राम अगई में हुई अग्निकाण्ड की जानकारी

33–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 29, 30 अप्रैल, 1995 को ग्राम अगई थाना–कुड़वार, जिला–सुल्तानपुर में हुई अग्निकाण्ड की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कुड़वार में श्री भगवान पाल, शेषमणि आदि व्यक्तियों द्वारा घटना के तत्काल बाद दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो घटना का सम्पूर्ण विवरण क्या है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

दिनांक 28-4-95 को श्री भगवान दास पुत्र शम्भू नाथ, राजमणि पुत्र राम बहादुर मिश्र, ग्राम अगई थाना कुड़वार द्वारा आकस्मिक तौर पर ग्राम अगई में आग लगने के संबंध में सूचना दी गयी थी ।

इस सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष कुड़वार द्वारा फायर सर्विस सुल्तानपुर से फायर बिग्रेड बुलाकर आग बुझायी गयी ।

आग लगने की जो सूचना थाने पर की गयी उससे स्पष्ट है कि आग आकस्मिक रूप से ही लगी थी और इस आग के संबंध में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गयी और न कोई अभियोग इस संबंध में किसी के द्वारा किसी विरुद्ध पंजीकृत कराया गया ।

अतः किसी भी व्यक्ति को इस अग्निकाण्ड के लिए दोषी नहीं माना जा सकता है । ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

34–श्री सत्येन्द्र सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लखनऊ नगर निगम के चार विधान सभा क्षेत्रों में हुई हत्यायें, चोरी, डकैती, बलात्कार आदि घटनाओं का विवरण एवं उनके संबंध में किये गये उपायों की जानकारी

35–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में 4 विधान सभा क्षेत्र पूर्व, पश्चिम, मध्य में वर्ष 1994-95 में कुल कितनी हत्यायें, बलात्कार, डकैती, राहजनी, चोरी, हत्या की कोशिश, छेड़खानी, चेन खींचने की घटनायें हुई हैं ? क्या सरकार ने बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु कोई उपाय किये हैं ?

सुश्री मायावती–

लखनऊ नगर निगम के पूर्व पश्चिम मध्य एवं कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में कुल 1482 घटनायें हुई ।

जिसका विवरण निम्नवत् है :–

हत्या–87

बलात्कार–11

डकैती–2

राहजनी–105

चोरी–1082

हत्या की कोशिश–92

छेड़खानी–97

चैन खींचने की घटना–6

जी हां । समस्त थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों को अपराधों पर नियंत्रण पाने, गश्त करने, निरोधात्मक कार्यवाही करने एवं अपराधियों पर कड़ी नजर रखने हेतु मासिक बैठकों में निर्देशित किया गया है ।

36–श्री राम कुमार शुक्ल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद लखनऊ थाना मड़ियाव ग्राम पल्टन के निवासी श्री राजेश कुमार पाल की हत्या एवं उनके पिता को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में जानकारी

37–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि श्री राजेश कुमार पाल जो ग्राम पल्टन मड़ियाव, जनपद लखनऊ का निवासी था, की हत्या अहिबरपुर पाल हाउस थाना अलीगंज के सामने दिनांक 24-4-95 को हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या इनके पिता गया प्रसाद पाल को आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई संस्तुति प्राप्त न होने के कारण आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की गयी ।

फैजाबाद जनपद के कोतवाली व थाना कैण्ट क्षेत्र में अप्रैल, 1994 तक हत्या लूट आगजनी के पंजीकृत मामले एवं इनकी विवेचना के संबंध में जानकारी

38–श्री परशुराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र फैजाबाद तथा कैण्ट क्षेत्र फैजाबाद में दिनांक 1-1-95 से लेकर 5-4-95 तक हत्या-लूट और आगजनी की कितनी घटनायें पंजीकृत हुई हैं ? क्या इन थानों में पंजीकृत कराये गये इस अवधि के मामलों की विवेचना पूरी कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सन्दर्भगत अवधि में निर्दिष्ट क्षेत्र की अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :–

थाना	हत्या	लूट	आगजनी
कोतवाली नगर	4	4	2
कैण्ट	1	–	–

लूट का केवल एक मामला, कार्यवाही शिनाख्त न होने के कारण लम्बित है । शेष दस मामलों में विवेचना पूर्ण कर ली गयी है ।

लखनऊ नाका हिण्डोला के कान्सटेबिल के विरुद्ध दिये गये तीन विधायकों के पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

39–श्री राधे श्याम तथा श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० को दिनांक 20-3-95 को तीन विधायकों का हस्ताक्षरित पत्र नाका हिण्डोला, लखनऊ के कान्सटेबिल के विरुद्ध जांच करने तथा स्थानान्तरण के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त कान्सटेबिल का स्थानान्तरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

विधायकगण सर्वश्री शराफत यार खां एवं लाल मणि प्रसाद ने लिखित दिया है कि उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी, हो सकता है कि गलतफहमी में किसी ने उनके हस्ताक्षर करा लिए हो । फिर भी मामले में जांच करायी गयी । जांच में लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये ।

ओ० सी० आर० के ए ब्लाक के कक्ष संख्या 106 में चोरी एवं इसके संबंध में प्राप्त पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

40–श्री ओम प्रकाश सिंह (मिर्जापुर)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 28 अक्टूबर, 1994 को ओ० सी० आर० ए ब्लाक के कक्ष सख्या 106 में दिन में ताला तोड़कर सामान चोरी किया गया ? यदि हां, तो व्यवस्था कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते ऐसा कैसे हुआ ? इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या प्रश्नकर्ता का 2 नवम्बर, 1994 का एक पत्र विभागीय सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां । घटना की रिपोर्ट हुसैनगंज थाने में (मुकदमा अपराध संख्या 439/94 धारा 454/380 आई० पी० सी०) दर्ज करायी गयी । विवेचना में माल मुल्जिम का कोई पता नहीं चल पाया है तथा पुलिस द्वारा मुकदमें में दिनांक 25-11-94 एफ० आई० आर० लगा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, प्रश्नगत शिकायती-पत्र के आधार पर ओ० सी० आर० में तैनात कर्मचारियों का स्थनान्तरण/ड्यूटी परिवर्तन की कार्यवाही की गयी है ।

हज यात्रियों के लिए लागू बीमा योजना को अन्य तीर्थ यात्रियों के लिए भी लागू करने की मांग

41–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अब हज यात्रियों के लिए मृत्यु दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ? क्या सरकार इसी प्रकार की बीमा योजना अन्य उपासना पद्धतियों के तीर्थ यात्रियों के लिए भी लागू करेगी ? यदि हां, तो किस-किस यात्रा के लिए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

शासन द्वारा हज यात्रियों के लिए मृत्यु दुर्घटना बीमा योजना लागू नहीं की गयी है । अतः इसकी रूपरेखा स्पष्ट करने का प्रश्न नहीं उठता । अन्य उपासना पद्धतियों के तीर्थ यात्रियों के लिए ऐसी कोई बीमा योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

दिसम्बर, 1994 तक टाडा के अन्तर्गत निरुद्ध अभियुक्तों की संख्या एवं विवरण

42–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह दिसम्बर, 1994 के अन्त तक प्रदेश में टाडा के अन्तर्गत कुल कितने अभियुक्त थे तथा दिनांक 31 मार्च, 1995 तक उनमें से कितने व्यक्तियों के ऊपर टाडा का आरोप वापस ले लिया गया है ? जो व्यक्ति शेष हैं उनके विरुद्ध आरोप वापस न लेने का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत अवधि में 1,192 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये थे, जिनमें से 1,094 के ऊपर टाडा हटाया गया और 45 को न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता एवं दोषमुक्त किया गया । शेष 53 में से 7 के विरुद्ध जम्मू-कश्मीर उग्रवादी संगठन से सम्बद्ध होने के आरोप हैं । अतः टाडा नहीं हटाया गया । जबकि 46 के बारे में, टाडा अभियोग वापसी व आरोप-पत्र दाखिल न किये जाने के संबंध में सामान्य निर्देश दिनांक 12-5-95 को भेजे जा चुके हैं ।

प्रदेश गांवों में जलाशयों/तालाबों में मछली पालन की योजना तथा देवरिया, बुलन्दशहर, आजमगढ़ जनपदों में उक्त योजना की स्थिति के संबंध में जानकारी

43–श्री वासुदेव सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांवों के विकास के लिए गांवों में जलाशयों/तालाबों में मछली पालन की अब तक की क्या योजनायें हैं ? क्या यह सही है कि देवरिया/बुलन्दशहर, आजमगढ़ जनपद के ग्रामों में अभी तक मछली पालन को बढ़ावा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ग्रामों के तालाबों जलाशयों आदि में मछली पालन की योजना बनायेंगे ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार से ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

गांवों में जलाशयों/तालाबों में मछली पालन की विशेष योजना मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से मैदानी जनपदों में चलायी जा रही है । इसके अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को 10 वर्षीय पट्टे दिलवाना, उनका प्रशिक्षण, तालाबों का सुधार एवं निवेशों हेतु ऋण व अनुदान की व्यवस्था करना एवं मत्स्य बीज का वितरण अभिकरण द्वारा किया जाता है ।

जी नहीं । जनपद देवरिया, बुलन्दशहर व आजमगढ़ में क्रमशः 2898.578 एवं 203 तालाबों के 10 वर्षीय पट्टे दिये गये हैं व उनके सुधार हेतु क्रमशः 690.2,1116.0 तथा 904.5 हेक्टेयर जलक्षेत्र तालाबों का सुधार बैंक से ऋण स्वीकृत कराकर पूर्ण किया गया है । इन जनपदों में क्रमशः 1390,1771 व 1420 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण एवं गत वर्ष क्रमशः 125.08 लाख 82.07 लाख व 81.34 लाख मत्स्य बीज का वितरण कराया गया । इन जनपदों में 6 मिनी हैचरी निर्माण की योजनायें हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़, तहसील फूलपुर, मार्टीनगंज ब्लाक की महिलाओं का कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

44–श्री वासुदेव सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने व ग्रामीण महिलाओं के विकास व स्वरोजगार के लिए कोई ठोस कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या आजमगढ़ जनपद की फूलपुर तहसील मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम कोहरौली की महिलाओं द्वारा सामूहिक हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र माह अक्टूबर, 1994 खण्ड विकास अधिकारी मार्टीनगंज को एवं मुख्य मंत्री को तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 29-11-94 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित महिलाओं का सामूहिक हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र माह अक्टूबर, 1994 तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 29-11-94 मुख्य मंत्री विधायक कोष्ठक में उनकी रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है ।

जिलाधिकारी आजमगढ़ के अनुसार ग्राम सभा कोहरौली विकास खण्ड मार्टीनगंज की महिलाओं का प्रार्थना-पत्र माह अक्टूबर, 94. निःशुल्क चर्खे की मांग तथा प्रशिक्षण हेतु विकास खण्ड कार्यालय मार्टीनगंज में प्राप्त हुआ था । वर्तमान वित्तीय वर्ष में उनका नाम प्रशिक्षण हेतु चयनित कर लिया गया है तथा नियमानुसार उनको प्रशिक्षण दिलाया जायेगा ।

लखनऊ के कैन्ट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 1994-95 में दर्ज अपराधों की जानकारी

45–श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैंट विधान सभा क्षेत्र, जनपद लखनऊ में वर्ष 1994-95 में कुल दर्ज अपराधों की संख्या कितनी है ? क्या यह संख्या वर्ष 1993-94 की अपेक्षा बढ़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में कुल दर्ज अपराधों की संख्या–2535 है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अन्य राज्यों की तरह प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को उनकी आबादी के अनुसार कोटा निर्धारित करने की मांग

46–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी हरियाणा और पंजाब राज्यों की तरह से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटा से सफाई कर्मचारियों के लिए उनकी आबादी के अनुसार कोटा निर्धारित करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

आरक्षण पिछड़ेपन के आधार पर अनुमन्य है । कर्मचारियों की किसी श्रेणी विशेष या समूह विशेष को अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था करना संभव नहीं है ।

मेरठ जनपद के सरधना क्षेत्र भमोरी ग्राम के निर्माणाधीन शहीद स्मारक व शहीद सरोवर के अधूरे काम को पूर्ण किये जाने की मांग

47–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरधना क्षेत्र जनपद मेरठ के ऐतिहासिक गांव भमोरी में निर्माणाधीन शहीद स्मारक व शहीद सरोवर के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अकबर अली–

जनपद मेरठ के गांव भमोरी में शहीद स्मारक के निर्माण हेतु शासन द्वारा रु० 2.5 लाख स्वीकृत किये जा चुके हैं । जिलाधिकारी, मेरठ को यह निर्देशित किया जा चुका है कि वे स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शहीद स्मारक का कार्य पूर्ण करायें ।

सूचना विभाग के सूचना अधिकारियों का स्थानान्तरण

48–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग में दिनांक 1 मार्च, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक कुल कितने जिला सूचना अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया ? उनमें से कितनों का स्थानान्तरण स्थगित या रद्द किया गया ? इसका क्या कारण रहा है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन दिनांक 1 मार्च, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक की अवधि में निम्नांकित जिला सूचना अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया था :–

1–सर्वश्री बी० एन० अग्रवाल, पीलीभीत से पिथौरागढ़

2–कन्धई लाल चौधरी, बांदा से फिरोजाबाद

3–सर्वेश कुमार दुबे, बुलन्दशहर से पौड़ी गढ़वाल

4–आनन्द प्रताप सिंह, फतेहपुर से इलाहाबाद

5–यशोवर्धन तिवारी, एटा से रायबरेली

6–सुधीर रंजन श्रीवास्तव, हरदोई से उन्नाव

7–प्रमोद कुमार सिंह, सोनभद्र से चमोली

8–मुरलीधर सिंह, वाराणसी से जौनपुर

9–राज गोविन्द ओझा, फैजाबाद से लखीमपुर

उपर्युक्त अधिकारियों में से श्री बी० एन० अग्रवाल तथा श्री प्रमोद कुमार सिंह के स्थानान्तरण आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए श्री बी० एन० अग्रवाल का स्थानान्तरण कानपुर तथा श्री प्रमोद कुमार सिंह का स्थनान्तरण बांदा किया गया था ।

केवल एक जिला सूचना अधिकारी, श्री मुरलीधर सिंह का वाराणसी से जौनपुर का स्थानान्तरण निरस्त किया गया । उपरोक्त संशोधन अथवा निरस्तीकरण जनहित में किये गये ।

49–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

50–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

विगत कुम्भ मेले में सूचना विभाग द्वारा व्यय किये धन का आडिट कराये जाने की मांग

51–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत अर्ध कुम्भ मेला में सूचना विभाग द्वारा कुल कितना धन व्यय किया गया ? क्या मुख्य मंत्री जी व्यय किये गये धन का स्पेशल आडिट करवाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में अर्ध कुम्भ मेला, 1995 के अवसर पर कुल रुपये 46.20.774.05 पैसे व्यय किये गये ।

अर्ध कुम्भ मेले से संबंधित लेखे का आन्तरिक परीक्षण विभागीय आडिट सेल द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वयं आडिट किया जाता है । सम्प्रति प्रथम दृष्टया कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है अतः इस स्टेज पर विशेष आडिट की जरूरत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

52–श्री बदन सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

गाजियाबाद थाना कविनगर में बहादुर पुत्र जंगी के विरुद्ध दर्ज मुकदमें का विवरण

53–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बहादुर पुत्र जंगी निवासी झुग्गी कैम्प राजनगर आ०डी०सी० हापुड़ रोड फाटक गाजियाबाद के विरुद्ध थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद में कोई अपराध दर्ज है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या पूर्व में भी गाजियाबाद जनपद में इसके विरुद्ध कोई केस दर्ज है ? यदि हां, तो उनके विवरण क्या हैं ?

सुश्री मायावती–

थाना कविनगर पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–142/95 धारा 396 भा०दं०वि० में बहादुर पुत्र जंगी वांछित चल रहा है । उसका नाम विवेचना से प्रकाश में आया है । वह वर्तमान समय में फरार है । इसके अतिरिक्त उक्त बहादुर गाजियाबाद जनपद के किसी थाने से वांछित नहीं है और न ही इसके विरुद्ध पूर्व में कोई अभियोग पंजीकृत है ।

गाजियाबाद निकट हापुड़ फाटक, झुग्गी राजनगर के निवासियों का पत्र में अंकित विवरण एवं इसके संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

54–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि रामेश्वर पुत्र राम औतार कलाबाज पुत्र दरबारी, सिया पुत्र हुसैनी नि० झुग्गी राजनगर (आर० डी० सी०) निकट हापुड़ फाटक गाजियाबाद का एक पत्र दिनांकित 8-12-94 जो अपनी सुरक्षा के संबंध में था और जो जिलाधीश को सम्बोधित है तथा उसकी प्रति मुख्य मंत्री, उ० प्र०, गृह मंत्री, उ० प्र०, एस० पी०, गाजियाबाद थाना इंचार्ज कमिश्नर गाजियाबाद व दैनिक प्रलंकर कविनगर गाजियाबाद को सम्बेधित है, दिनांक 9-12-93 को जिलाधिकारी गाजियाबाद के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रमुख बातें क्या हैं ? उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रार्थी ने अपने पत्र में कुछ लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए इनसे रक्षा की मांग की थी ।

इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी और पप्पू पुत्र जंगी को धारा 25/4 शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था जो अभी मेरठ जेल में हैं । चूंकि आवेदकगण एवं विपक्षीगण जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, को विकास प्राधिकरण द्वारा दो-तीन माह पूर्व झुग्गी झोपड़ी हटा दिये जाने के कारण अन्यत्र चले गये हैं । अतः इनकी सुरक्षा की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है ।

55–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

[3सरे सोमवार में अता० प्र० सं०–136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा के जिलाधिकारी के अधीन संचालित खनिज विभाग की रायल्टी की चोरी रोकने के लिए किये गये उपाय एवं पास प्रपत्र जारी किये जाने के संबंध में जानकारी

56–श्री गया चरण दिनकर–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, बांदा के अधीन संचालित खनिज विभाग की रायल्टी की चोरी की रोकथाम हेतु गत वित्तीय वर्ष 1994-95 में कितने चेक पोस्ट स्थापित किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्या खनिज रायल्टी की चोरी की रोकथाम का कोई नवीन उपाय या विधि सम्पन्न की गयी थी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या खनन कार्यालय में कार्यरत एक मात्र खनिज लिपिक के द्वारा जारी प्रपत्र एम०एम०–11 में तत्समय कार्यरत जिलाधिकारी के हस्ताक्षर उसकी मुहर सहित अथवा जिलाधिकारी के द्वारा अधिकृत किसी विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर पृष्ठ भाग में होते हैं ? यदि हां, तो खनिज कार्यालय में वर्तमान जिलाधिकारी श्री मामराज सिंह हस्ताक्षर युक्त मोहर सहित जारी पास प्रपत्र बुकों की संख्या कितनी है ? दिनांक 3 फरवरी, 1995 में छापे के दौरान विभिन्न बालू-मौरंग खण्डों से पकड़ी गयी पास प्रपत्र बुकों में क्या वर्तमान जिलाधिकारी के हस्ताक्षर बने हुए थे ? यदि नहीं, तो उक्त अनियमितताओं में लिप्त खनिज विभाग बांदा के दोषी अधिकारी एवं खनिज लिपिक के विरुद्ध अब तक कौन सी वैधानिक प्रशासनिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की गयी और कब ?

सुश्री मायावती–

कोई नहीं ।

रायल्टी की चोरी की रोकथाम हेतु वित्तीय वर्ष 94-95 में दो खनिज माहरिरों की ड्यूटी लगायी गयी थी । इसके अतिरिक्त वन विभाग के बैंरियरो पर भी खनिज निकासी एवं प्रेषण पत्रों की जांच की व्यवस्था की गयी थी ।

जी हां । प्रभारी अधिकारी खनिज/नायब तहसीलदार खनिज एम०एम०–11 पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर हस्ताक्षर बनाते हैं उसके पश्चात् कार्यालय की जिलाधिकारी की हस्ताक्षरित मोहर प्रत्येक पृष्ठ पर लगायी जाती है ।

(332 I)

कोई छापे की कार्यवाही नहीं हुई है अतः दण्डात्मक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

रायबरेली जनपद के महराजगंज थाना के ग्राम पूरे विलास मजरे जमुरावां में सुखई की पत्नी की हत्या से संबंधित घटना का ब्यौरा

57–श्री राजाराम त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पूरे विलास मजरे जमुरावां थाना महराजगंज जनपद रायबरेली में दिनांक 13-4-95 को श्री सुखई की युवा पत्नी की हत्या कर दी गयी है ? क्या दिनांक 15-4-95 को थाना महराजगंज, जनपद रायबरेली में मृतक के पति द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार घटना से संबंधित नामजद रिपोर्ट हुए व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक की कृत कार्यवाही का पूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

एक अन्य व्यक्ति श्री देवी बख्श सिंह द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर उक्त थाने पर पंजीकृत मु०अ०सं०–41/95 धारा 302 भा०दं०वि० बनाम अज्ञात की विवेचना के दौरान घटना से संबंधित अभियुक्त सालिगराम प्रकाश में आया, जिससे बरामद मृतका की एक हसुली के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । इस अभियुक्त ने घटना का रहस्योद्घाटन किया । अतः बरामद हुए हसुली के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 394/411 भा०दं०वि० की बढ़ोत्तरी की गयी । अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सूचना विभाग द्वारा 1994-95 में प्रदेश में तथा बाहर होटल किराये पर लेने पर हुए व्यय की जानकारी

58–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक उत्तर प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर कितना धन होटलों को किराया लेने पर व्यय किया गया ? इसमें कौन-कौन से लोग रुके ?

सुश्री मायावती–

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक उत्तर प्रदेश में रु० 19,759.00 तथा प्रदेश के बाहर रु० 56,690.00 होटलों को किराये पर लेने में व्यय किये गये । मुख्यतः मा० मुख्य मंत्री जी तथा अन्य मा० मंत्रीगणों से सम्पर्क हेतु बाहर से आने वाले विशिष्ट पत्रकार तथा मा० मुख्य मंत्री जी के प्रदेश के बाहर के कार्यक्रमों की कवरेज हेतु जाने वाले पत्रकार आदि रुके ।

59–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

60–63–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

फैजाबाद कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत स्टेशन रोड पर स्थित ब्रेडले डैमलर पापुलेशन क्लीनिक के विरुद्ध शिकायती-पत्र के संबंध में की गयी कार्यवाही की जानकारी

64–श्री परशुराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की थाना कोतवाली फैजाबाद क्षेत्रान्तर्गत स्टेशन रोड पर चल रहे "ब्रेडले डैमलर पापुलेशन क्लीनिक" के द्वारा अनचाहे गर्भ समापन तथा इसी प्रयोजन की दवाइयां बेचे जाने आदि के मामले में भारतीय दण्ड विधान की धाराओं की परिधि में आने

वाले कृत्यों का हवाला देते हुए, प्रश्नकर्ता ने कोई शिकायती-पत्र दिनांक 17-11-94 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र का विवरण क्या है तथा इन मामलों पर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । परन्तु संदर्भित पत्र दिनांकित 19-11-94 है ।

शिकायतें निम्नवत् हैं :–

(1) क्लीनिक में कोई महिला चिकित्साधिकारी नहीं है ।

(2) बिक्री की जाने वाली गर्भ निरोधक दवाओं के निर्माण का कोई लाइसेन्स नहीं है ।

(3) यह दवायें हानिकारक हैं इसका कोई प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है ।

(4) दवाओं के आयुर्वेदिक फार्मूले पर आधारित होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी से कोई पंजीकरण नहीं कराया गया है ।

(5) क्लीनिक में आने वाली लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है ।

क्षेत्राधिकारी, नगर फैजाबाद तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद से जांच करायी गयी है । जांच से आरोप अप्रमाणित पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा बेरोजगारों को बैंक द्वारा ऋण दिलाने के संबंध में उठाये गये कदमों की जानकारी

65–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा चयनित बेरोजगारों को बैंक द्वारा ऋण दिलाने में आनाकानी की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाने जा रही है कि चयनित बेरोजगारों को तत्काल ऋण की सुविधा दी जाय ?

श्री राम लखन वर्मा–

प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र में गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को बैंकों द्वारा सर्वेक्षण के उपरान्त भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा गाइड लाइन के अनुरूप वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया जाता है ।

बैंकों द्वारा उनको प्रेषित प्रार्थना-पत्रों में कतिपय आवेदन-पत्रों पर विभिन्न आपत्तियां लगाकर जिला उद्योग केन्द्र को वापस कर दिये जाते हैं जिसका समाधान जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय प्रधान मंत्री रोजगार योजना समिति, जिसमें जिले के लीड बैंक का अधिकारी भी सदस्य होता है, में प्रस्तुत करके निस्तारण कराया जाता है ।

मण्डल स्तर पर भी मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों में भी विचार-विमर्श कर योजनाओं में आने वाली कठिनाइयों तथा बाधाओं का निराकरण किया जाता है ।

राज्य स्तर पर भी निदेशक, संस्थागत वित्त तथा सचिव, संस्थागत वित्त के स्तर समीक्षा की जाती है जिससे अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सके ।

प्रदेश में अपहरण, लूट एवं डकैती की बढ़ती हुई घटनाओं को कम करने हेतु उठाये गये कदमों की जानकारी

66–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अपहरण, हत्या, लूट एवं डकैती की घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण हैं ? क्या सरकार अपहरण, हत्यायें, लूट, डकैती की घटनाओं को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या होगी ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश में दिनांक 1-1-95 से 15-7-95 तक की अवधि में पिछले वर्षों की तुलना में डकैती की घटनाओं में 17.43 प्रतिशत, लूट की घटनाओं में 11.37 प्रतिशत तथा अपहरण की घटनाओं में 12.06 प्रतिशत की कमी आयी है । केवल हत्या की घटनाओं में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो असामान्य नहीं कही जा सकती है ।

दिनांक 7-6-95 से सम्पूर्ण प्रदेश में सक्रिय एवं कुख्यात अपराधियों/फिरौती के लिए अपहरण करने वाले/ डकैतों/ लुटेरों/पैसा लेकर हत्या करने वाले/रोड होल्ड-अप करने वाले, माफिया तथा गुण्डा तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है । जिसकी समीक्षा उच्च अधिकारियों द्वारा नियिमत रूप से की जा रही है । इस अभियान के आशाजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं ।

दिनांक 1-8-95 से पुनः एक माह के लिए सक्रिय एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है ।

जमीन संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा भूमि एवं सम्पत्ति संबंधी विवादों को चिन्हित कर उनका निराकरण करने/प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

महिलाओं का उत्पीड़न एवं बलात्कार की घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोकने के संबंध में किये गये उपायों की जानकारी

67–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिलाओं का उत्पीड़न एवं बलात्कार की घटनाओं में हो रही वृद्धि के क्या कारण हैं ? क्या सरकार महिलाओं के उत्पीड़न एवं बलात्कार को रोकने के लिए कोई ठोस योजना बनाने जा रही है ?

सुश्री मायावती–

महिला उत्पीड़न एवं बलात्कार की घटनाओं में आंशिक वृद्धि का कारण महिलाओं का ऐसे अपराधों के प्रति जागरूक होना प्रदेश में स्थापित महिला थानों पर अपराधों का पंजीकरण कराया जाना है ।

वर्तमान में इस संबंध में कोई अन्य योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

फैजाबाद जनपद की तहसील बीकापुर में फायर स्टेशन स्थापित करने के संबंध में प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

68–श्री परशुराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की तहसील बीकापुर मुख्यालय पर क्षेत्रीय व्यावहारिक अपरिहार्य आवश्यकताओं का ब्यौरा देते हुए फायर स्टेशन बनाकर फायर ब्रिगेड संबंधित सामानों व उपकरणों सहित स्थापित किये जाने के विषय में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 18-1-95 उनको मिला है ? यदि हां, तो इस तहसील मुख्यालय पर फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने के विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

तहसील मुख्यालय बीकापुर, जनपद फैजाबाद में फायर स्टेशन स्थापित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-1-95 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है किन्तु उपर्युक्त स्थान पर फायर स्टेशन स्थापित करने विषयक प्रश्नकर्ता के अन्य पत्र दिनांक 27-12-94, 9-2-95 एवं 3-5-95 प्राप्त हुए हैं । मामले में सम्यक् विचारोपरान्त पाया गया है कि प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों एवं अन्य स्थानों की तुलनात्मक आवश्यकताओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त स्थान पर फायर स्टेशन स्थापित किया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है ।

69–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[3सरे सोमवार में अता० प्र० सं०–75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मऊ जनपद में बालू खनन कार्य बन्द होने के कारण हुई राजस्व हानि

70–श्री अक्षयवर भारती–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ में बालू खनन का कार्य बन्द होने के कारण सरकारी राजस्व की लाखों रुपये की क्षति हो रही है ? क्या यह सही है कि जनपद मऊ तहसील सदर के मल्लाहों के पक्ष में बालू खनन स्वीकृत हुआ तथा निर्धारित धनराशि भी जमा कर दी गयी है ? यदि हां, तो दिनांक 1-11-94 से अब तक किन कारणों से खनन कार्य बाधित है ? राजस्व की हानि के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

दिनांक 5-12-94 को जिलाधिकारी मऊ ने 10 मल्लाहों के पक्ष में बालू खनन पट्टा स्वीकृत किया था और उन्होंने रु० 6,30,000 लीज एमाउन्ट भी जमा कर दी थी ।

जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 5-12-94 को मण्डलायुक्त, आजमगढ़ ने आदेश दिनांक 17-2-95 द्वारा निरस्त कर दिया परन्तु शासन ने जिलाधिकारी मऊ के आदेश को ही उचित ठहराया तथा दिनांक 23-3-95 को जिलाधिकारी के आदेशानुसार बालू खनन करने के आदेश निर्गत कर दिये । वर्तमान समय

में यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश के परिपेक्ष्य में उ० प्र० उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 के अध्याय–6 के नियम–53 (क) के अधीन खनन अनुज्ञा प्रणाली द्वारा परिहार स्वीकृत करने के शासकीय आदेश दिनांक 7-6-95 निर्गत किये गये हैं। कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ० प्र० मत्स्य जीवी सहकारी संघ के अध्यक्ष के दौरे, कार्यालय रखरखाव आदि पर हुए व्यय तथा विश्व बैंक से मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के उत्थान के लिए प्राप्त धन के विवरण की जानकारी

71–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मत्स्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ के अध्यक्ष के दौरे, कार्यालय के रख-रखाव आदि पर दिनांक 1 फरवरी, 1995 से 31 मार्च, 1995 तक कुल कितना धन व्यय किया गया ? उक्त अवधि में कितने कि०मी० इन्होंने जीप से संघ के किस हित में दौरा किया ? क्या एक करोड़ दस लाख रुपये विश्व बैंक से मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के उत्थान के लिए प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस धन के उपयोग की क्या नीति बनायी गयी है ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

उ० प्र० मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि०, लखनऊ के अध्यक्ष के दौरे एवं कार्यालय के रखरखाव (वेतन, यात्रा, भत्ता, वाहन उपस्कर, सामग्री क्रय, भवन किराया, विद्युत, टेलीफोन, स्टेशनरी तथा अन्य विविध व्यय सहित) पर दिनांक 1 फरवरी, 1995 से 31 मार्च, 1995 तक क्रमशः रुपये 11.721.34 एवं 1.08.851.72 रुपया व्यय किया गया।

उक्त अवधि में अध्यक्ष द्वारा संघ से संबंधित कार्यों के हित में 8408 कि०मी० जीप से दौरा किया गया।

जी हां। मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के शक्तिकरण की योजना के अन्तर्गत चयनित 15 जनपदों के जनपद स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ तथा 135 प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को क्रियाशील बनाये रखने हेतु रु० 1.10.60.000 प्राप्त हुआ है।

उक्त धनराशि चयनित प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को नाव, जाल, इन्सुलेटेड बाक्स क्रय, कार्यालय स्थापना एवं प्रबन्धकीय व्यय तथा मार्जिन मनी एवं कार्यशील पूंजी के रूप में प्रति समिति रु० 1.00 लाख तथा जनपद स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ को वाहन क्रय विक्रय केन्द्र की स्थापना, जाल इन्सुलेटेड बाक्स क्रय, कार्यालय स्थापना एवं प्रबन्धकीय व्यय, मार्जिन मनी एवं कार्यशील पूंजी के रूप में प्रति जनपदीय संघ को रु० 7.00 लाख उपलब्ध कराये जाने की नीति बनायी गयी है। इस प्रकार प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी के मछुआ समुदाय को जीविकोपार्जन का साधन सुलभ कराया जाता है।

सिटी मजिस्ट्रेट बदायूं को असमाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण आदि से सम्बन्धित प्रेषित पत्र एवं की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

72–श्री भगेलू राम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-12-94 को सिटी मजिस्ट्रेट बदायूं को सम्बोधित एवं पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली, जिलाधिकारी बदायूं एवं पुलिस अधीक्षक बदायूं को पृष्ठांकित अवर अभियन्ता आवास विकास परिषद् बदायूं के विरुद्ध कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण एवं धमकी से सम्बन्धित कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक, थाना सिविल लाइन द्वारा की गई थी जिसमें पाया गया कि अवर अभियन्ता एवं विपक्षी श्री भगवत किशोर शर्मा के मध्य भूखण्ड के डिमारकेशन एवं निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कहा सुनी हो गयी थी । अब दोनों पक्षों के मध्य फिलहाल कोई विवाद नहीं है और शान्ति भंग होने का कोई अंदेशा नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73–श्री बच्ची सिंह रावत–

[तीसरे बुध में अता० प्र० सं०–178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरदोई शहर कोतवाली के थानाध्यक्ष को दिये गये शिकायती-पत्र के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

74–श्री महबूब अली तथा श्री राम पाल सिंह सैनी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अजीत कुमार सैनी द्वारा दिनांक 14-3-95 को थानाध्यक्ष कोतवाली शहर हरदोई को श्री विशेश्वर दयाल मिश्रा निवासी सराय थोक पूर्वी हरदोई के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने हेतु दिया था ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई गई जांच से आरोप सत्य नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर तिलहर के पशुचिकित्सा अधिकारी को आवंटित आवास पर अनाधिकृत रूप से कब्जा के संबंध में दर्ज कराये गये बाद के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

75–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि डा० एम० पी० सिंह गंगवार पशु चिकित्साधिकारी तिलहर जनपद शाहजहांपुर माह अक्टूबर, 1991 से जून, 1993 तक पशु चिकित्सालय जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर पर कार्यरत रहे ? क्या उन्हें आवंटित राजकीय आवास स्थानीय अनधिकृत लोगों को दे रखा

था व स्वयं अपने घर बरेली यदाकदा मात्र कागजी औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु आते थे ? क्या उक्त आवास पर अनधिकृत रूप से कब्जा होने की वर्तमान पशु चिकित्साधिकारी द्वारा स्थानीय थाना जैतीपुर में अपराध संख्या 209/94 धारा 448 आई०पी०सी० के अन्तर्गत वाद दिनांक 12-11-94 को पंजीकृत कराया गया ? क्या उसकी सूचना विभागीय उच्चाधिकारियों को दी गई ? यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं के प्रति शासन दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

वाद दर्ज कराने वाले डा० के०वी० यादव पशु चिकित्साधिकारी, जैतीपुर (शाहजहांपुर) द्वारा इसकी सूचना मुख्य पशु चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर एवं उप निदेशक, पशुपालन विभाग, बरेली को दी गयी ।

भवन पर अनधिकृत रूप से कब्जे के बारे में दायर एफ०आई०आर० पर प्रभारी थाना जैतीपुर (शाहजहांपुर) ने दिनांक 29-12-94 को अन्तिम रिपोर्ट लगा दी है । प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान में पशु चिकित्सालय, जैतीपुर (शाहजहांपुर) के भवन पर किसी का कब्जा नहीं है ।

शाहजहांपुर जनपद, तिलहर के पशु चिकित्साधिकारी के विरुद्ध प्रश्नगत मामले में न्यायालय के आदेशानुसार कृत कार्यवाही की जानकारी

176–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फूलचन्द्र निवासी ग्राम–भुडेली पोस्ट तिलहर थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर की भैंस को आटे में जहर देकर मारने सम्बन्धी स्थानीय थाना तिलहर में दिनांक 12-10-94 धारा 429 आई०पी०सी० में दर्ज करायी गयी थी ? क्या स्थानीय न्यायालय द्वारा डा० महेन्द्र सिंह गंगवार पशुचिकित्साधिकारी तिलहर, जनपद शाहजहांपुर को शव विच्छेदन में साक्ष्यों का विलोपन करने का अपराधी मानते हुये थानाध्यक्ष तिलहर को लिखा गया था ? यदि हां, तो उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

मुंसिफ मजिस्ट्रेट तिलहर (शाहजहांपुर) के आदेश दिनांक 31-10-94 से विदित होता है कि प्रश्नगत मामले में दायर प्रायमिकी पर न्यायालय द्वारा डा० महेन्द्र पाल सिंह गंगवार, पशु चिकित्साधिकारी, तिलहर के विरुद्ध कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष तिलहर को लिखा गया था ।

डा० गंगवार द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय शाहजहांपुर में रिवीजन दायर किया गया है।

जनपद शाहजहांपुर, तिलहर के पशु चिकित्सालय में कार्यरत डा० एम० वी० सिंह द्वारा कतिपय अनियमितता किये जाने के संबंध में की गयी शिकायत

77–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु चिकित्सालय तिलहर, जनपद शहजहांपुर में कार्यरत डा० एम० वी० सिंह गंगवार ने अपने संरक्षण में एक व्यक्ति लाल बहादुर पुत्र श्री रामसहाय निवासी मोहल्ला मौजमपुर तिलहर शाहजहांपुर को अनधिकृत रूप से चिकित्सालय में रख कर निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु चिकित्सा बन्ध्याकरण व क्षेत्र में भी टीका, इलाज की कार्यवाही कराकर धन अर्जित कर रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त डाक्टर के विरुद्ध विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहारनपुर जनपद के कस्बा देवबन्द में स्थित उपकारागार के संबंध में जानकारी

78–डा० मामचन्द्र लाम्बा–

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर के कस्बा देवबन्द में एक उप कारागार का भवन निर्मित है जिसका उद्घाटन तत्कालीन कारागार मंत्री ने किया था ? क्या यह भी सत्य है कि उसका विधिवत् प्रयोग नहीं हो रहा है, जबकि उसमें कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन के लाखों रुपयों का भुगतान प्रतिमाह किया जाता है ? क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अकबर अली–

जी हां ।

उप कारागार देवबन्द में दिनांक 24-7-94 से बन्दियों को निरुद्ध किया जा रहा है और उसका विधिवत इस्तेमाल हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर जनपद के तिलहर के पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पशुओं का वध कराये जाने की शिकायत

79–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० एम० पी० सिंह गंगवार पशु चिकित्साधिकारी तिलहर जिला–शाहजहांपुर ने शासनादेश व जिलाधिकारी शाहजहांपुर की विज्ञप्ति जो दैनिक जागरण समाचार पत्र में दिनांक 12-4-95 को प्रकाशित करायी गयी थी, के विरुद्ध अभय दिवस महावीर जयन्ती पर्व दिनांक 13-4-95 को पशुओं का वध वधशाला पर करवाया जिसे जनप्रतिनिधियों ने

प्रशासन को भी अवगत कराया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के प्रति शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

जिलाधिकारी शाहजहांपुर से प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 13-4-95 अभय दिवस को डा० एम० पी० सिंह गंगवार पशु चिकित्साधिकारी तिलहर (शाहजहांपुर) द्वारा वधशाला पर कोई पशु वध नहीं कराया गया।

प्रश्न नही उठता।

डा० महेन्द्र पाल सिंह पशु चिकित्साधिकारी तिलहर के विरुद्ध न्यायालय के आदेश के संबंध में कृत - कार्यवाही

80–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा तिलहर जिला शाहजहांपुर में माह सितम्बर, 1994 में 78 गोवंशी पशुओं का वध का अपराधिक वाद संख्या 363/94, 5/8 गोवध दिनांक 10-9-94 थाना तिलहर में पंजीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि स्थानीय न्यायालय द्वारा डा० महेन्द्रपाल सिंह गंगवार पशु चिकित्साधिकारी तिलहर को साक्ष्यों को विलुप्त करने का दोषी पाते हुये निदेशक, पशुपालन विभाग को लिखा गया था ? क्या इस सम्बन्ध में दोषी डाक्टर के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

जी हां।

जी हां।

विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

81–श्री महेश चन्द्र–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

82–श्री महेश चन्द्र–

[3सरे बुधवार में अता० प्र० सं०–159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रायबरेली जनपद में अपराधों का पंजीकरण न होने तथा जनप्रतिनिधियों को ऐसी घटनाओं की सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की मांग

83–श्री राजा राम त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली जनपद में भारी संख्या में अपराधों का पंजीकरण नहीं हो रहा है ? क्या अपराधों की वास्तविकता छिपाकर पंजीकृत किया जा रहा है ? क्या इनमें से बछरावां,

शिवगढ़ थाने में ऐसी घटनायें सर्वाधिक हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि जन प्रतिनिधियों द्वारा ऐसी घटनाओं की सूचना अनुश्रवणार्थ मांगने पर उपलब्ध करायी जाय और उत्तर न मिलने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये ? क्या क्राइम की होने वाली मासिक बैठकों में विधायकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

सूचना मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी ।

ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता विधायक को गनर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही

84–श्री राजा राम त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के सभी माननीय विधान सभा सदस्यों को गनर दिये गये हैं ? किन्तु प्रश्नकर्ता को अभी गनर नहीं दिया गया है जबकि प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री तथा प्रमुख सचिव (गृह) तथा पुलिस अधीक्षक, रायबरेली से कई बार लिखित रूप से सुरक्षा की मांग की जा चुकी है ? क्या सरकार प्रश्नकर्ता को गनर शीघ्र देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नकर्ता विधायक जी को छोड़कर जनपद के सभी विधान सभा सदस्यों को गनर स्वीकृत हैं ।

शासनादेश दिनांक 8 जून, 1995 के अनुरूप माननीय विधायक को सुरक्षा हेतु एक अंगरक्षक स्वीकृत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर जनपद के तिलहर के पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अनियमित रूप से मकान किराया भत्ता लिये जाने की शिकायत

85–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि पशु चिकित्साधिकारी तिलहर शाहजहांपुर ने अपना मुख्यालय बरेली स्थित अपने आवास पर बना रखा है व विभाग से मकान किराया भत्ता भी ले रहे हैं ? क्या इन्हें आवंटित राजकीय आवास इन्होंने किराये पर उठा रखा है ? यदि हां, तो इस गम्भीर अनियमितता के प्रति शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

डा० एम० पी० सिंह गंगवार दिनांक 23-6-93 से पशु चिकित्साधिकारी तिलहर (शाहजहांपुर) के पद पर कार्यरत हैं । डा० गंगवार के बच्चे बरेली में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । पशु चिकित्सा अधिकारी

तिलहर हेतु बने सरकारी आवास को पूर्व पशु चिकित्सा अधिकारी डा० के० वी० यादव द्वारा खाली नहीं किये जाने के कारण डा० गंगवार को उपलब्ध नहीं हो सका । राजकीय आवास उपलब्ध न होने के कारण मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा डा० के० वी० यादव को तिलहर का आवास खाली करने एवं अभी सरकारी आवास खाली न करने की अवधि का नियमानुसार आवास किराया राजकीय कोष में जमा करने के निर्देश भेजे गये हैं ।

जनपद प्रतापगढ़, थाना अन्तू ग्राम मजरे मालुद्दीनपुर के निवासी श्री अमरनाथ के घर पर चोरी के सम्बन्ध में एफ० आई० आर० दर्ज न करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

86–श्री हरेन्द्र सिंह मलिक –

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री अमरनाथ पुत्र झगरूराम (अनुसूचित जाति) निवासी ग्राम उपाध्यायपुर मजरे कमालुद्दीन थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ ने दिनांक 25-12-94 को कोई प्रार्थना-पत्र थाना अन्तू पर दिनांक 24-12-94 को रात्रि में उनके घर पर हुई चोरी के मामले की जांच कराये जाने के विषय में दिया था जिस पर कोई एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की गयी ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र संख्या–919/वि०स०/स०आ०स०/95 दिनांक 21 फरवरी, 95 पर मा० मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार अन्य जनपद के अधिकारी द्वारा मामले की जांच की गयी तत्पश्चात् दिनांक 01-5-95 को थाना अन्तू, जिला प्रतापगढ़ में एफ०आई०आर० अपराध संख्या–119/95, धारा 457, 380 दर्ज हुयी है ? क्या यह भी सही है कि अमरनाथ पुत्र झगरू ने कोई प्रार्थना पत्र जिले पर भी एफ०आई०आर० न दर्ज किए जाने के बारे में दिया था जिसकी जांच सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी फिर भी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं करायी गयी ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति की प्रार्थना पर एफ०आई०आर० दर्ज न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इसमें दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिले के जिन अधिकारियों द्वारा जांच के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की उनके विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । प्रश्न में उल्लिखित कथित चोरी की घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करने अथवा जांच कराने हेतु थाना अन्तू पर किसी का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 919/वि०स०/सा०आ०स०/95 नहीं, बल्कि पत्र संख्या 818/वि०स०/सा०आ०स० दिनांक 31-2-95 पर दिये गये आदेश के संदर्भ में क्षेत्राधिकारी, सोरांव, इलाहाबाद द्वारा मामले की जांच करके दिनांक 1-5-95 को थाना अन्तू पर मु०अ० सं० 119/95 धारा 457/380 भा०द०वि० दर्ज कराया गया ।

जी हां । यह ज्ञात होने पर कि संदर्भित मामले में ही डी०आई०जी०, इलाहाबाद द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद को दिये गये आदेश पर क्षेत्राधिकारी सोरांव द्वारा जांच की जा रही है इसलिए जनपद के क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच नहीं की गयी । क्षेत्राधिकारी, सोरांव द्वारा जांचोपरान्त अभियोग दर्ज

कराया गया उनकी जांच से जनपद प्रतापगढ़ के किसी पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया। इसलिये उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

मामले में जांच क्षेत्राधिकारी, सोरांव, इलाहाबाद द्वारा की गयी है न कि जनपद के अधिकारियों द्वारा। इसलिए जनपद के अधिकारियों के विरुद्ध किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं प्रतीत होता।

पशु चिकित्सालय तिलहर का निदेशालय पशुपालन के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाये गये पशु चिकित्साधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण न देने की शिकायत

87–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० एम०पी० सिंह गंगवार पशु चिकित्साधिकारी, तिलहर जनपद शाहजहांपुर का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 12-2-95 को निदेशक पशुधन विभाग लखनऊ के प्रोजेक्ट आफिसर डिजीज कन्ट्रोल (सक्षम प्राधिकारी) द्वारा किये जाने पर डा० एम० पी० सिंह गंगवार विगत कई दिनों से बिना किसी पूर्व अवकाश व सूचना के अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित पाये गये ? क्या समक्ष अधिकारी द्वारा उपस्थिति पंजिका में टिप्पणी आदेश अंकित करते हुये तत्काल स्पष्टीकरण निदेशक पशुधन विभाग लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था ? क्या डा० गंगवार ने आदेशों की अवहेलना करते हुये अपनी अनुपस्थिति दिवसों का वेतन आहरित कर लिया तथा स्पष्टीकरण भी प्रेषित नहीं किया है ? यदि हां, तो इस अनियमितता एवं निर्देशों के उल्लंघन के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

दिनांक 12-2-95 को डा० ए० के० श्रीवास्तव कोआर्डिनेटिंग अधिकारी राष्ट्रीय महत्ता/रोग नियंत्रण निदेशालय पशुपालन द्वारा पशु चिकित्सालय का राष्ट्रीय महत्ता अन्तर्गत रोगों के विधिवत् नियंत्रण संबंधी योजन के सबंध में निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय डा० एम०पी० सिंह गंगवार पशु चिकित्साधिकारी उपलब्ध नहीं थे और उनके अवकाश आदि की सूचना/प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं था। पशु चिकित्साधिकारी की अलमारी में रिकार्ड बन्द रहने के कारण निरीक्षण में कठिनाई हुई। अतः निरीक्षण अधिकारी ने निरीक्षण टिप्पणी में इसका उल्लेख किया था।

जी हां।

डा० गंगवार ने स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 16-2-95 द्वारा निदेशक को भेजा है। अनुपस्थिति के संबंध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर से प्राप्त सूचना अनुसार दिनांक 12-2-95 को डा० एम० पी० सिंह गंगवार पशु चिकित्साधिकारी साप्ता[illegible] अवकाश (रविवार) का उपभोग कर रहे थे।

88–श्री महेश चन्द्र–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

पशुवध करके बाहर ले जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

89–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30 अगस्त, 1994 जो मथुरा नगर स्थित पशु बधशाला में क्षमता से अधिक पशु बध कर बाहर ले जाने के सम्बन्ध में है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

प्राप्त होना नहीं पाया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गायों एवं मांस की बिक्री बन्द करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

90–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30 अगस्त, 1994 जो गोवर्धन पशु हाट से गायों एवं गोवंश की बिक्री को बन्द करने के सम्बन्ध में है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

प्राप्त होना नहीं पाया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक अभियन्ता एसोसियेशन लो० नि० वि० के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

91–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, हजरतगंज, लखनऊ, उ०प्र० पुलिस के पत्र सख्या जांच एस०टी०ओ० एच०बी० 98/92, दिनांक 27 जुलाई, 1992 द्वारा सहायक अभियन्ता एसोसियेशन लो० नि० वि० के शिकायती पत्र दि० 20-5-92 के विरुद्ध ठेकेदार राधेश्याम त्रिपाठी के साक्ष्य प्रस्तुत करने को आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि श्री राधेश्याम त्रिपाठी के 43 पृष्ठों में साक्ष्य व बयान से संतुष्ट होकर उप निरीक्षक श्री प्रेमशंकर शर्मा की रिपोर्ट से सहमत होकर क्षेत्राधिकारी हजरतगंज श्री आर०बी० सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से सहायक अभियन्ता संघ की शिकायत दिनांक 20-5-1992 सीन फाइल करने की सस्तुति की थी ? यदि हा, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा श्री राधेश्याम त्रिपाठी के रजि० पत्रों दिनाक 3-5-1994, 5-5-1994, 2-6-94 व पत्र दिनांक 2-7-1994 द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्रमाणित प्रति उपलब्ध न कराये जाने के लिये कौन-कौन कर्मचारी दोषी हैं ?

सुश्री मायावती–

सहायक अभियन्ता एसोसियेशन का प्रश्नगत शिकायती-पत्र सामान्य प्रकृति का होने के कारण उस पर कार्यवाही वांछनीय न होने के कारण नियमानुसार 2 वर्ष बाद समयावधि समाप्त होने के उपरान्त नष्ट किये जा चुके हैं ।

स्थिति उपरोक्तानुसार है ।

श्री राधेश्याम त्रिपाठी का उक्त पत्र अभिलेखों के आधार पर आना नही पाया गया ।

मथुरा नगर के विभिन्न मोहल्लों से विभिन्न जातियों के लोगों द्वारा किये जा रहे पलायन रोकने के सम्बन्ध में जानकारी

92–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगर के मोहल्ला मनोहर पुरा, भीटया, गैट डीगगेट, सुभाष नगर एवं शरणार्थी कालोनी के अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं शरणार्थी वर्ग के लोग वहां से पलायन कर रहे हैं? यदि हां, तो सरकार पलायन रोकने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। पलायन की कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा के मोहल्ला मनोहरपुरा में पुलिस चौकी कायम करने के सम्बंध में प्रश्न कर्ता के पत्र पर कृत-कार्यवाही

93–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2–9–94, जो मोहल्ला मनोहरपुरा थाना कोतवाली, जनपद मथुरा में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में है, शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जनपद मथुरा में थाना कोतवाली के अन्तर्गत मोहल्ला–मनोहरपुरा में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने का प्रस्ताव उ० प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्राप्त किया गया, जो परीक्षणाधीन है।

94–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

(दिनांक 18-7-95 को अता० प्र० सं०–109 द्वारा उत्तरित)

जनपद खीरी थाना ईसानगर में पंचायत चुनाव अधिकारी द्वारा दर्ज कराये गये अभियोग पर कृत कार्यवाही के विवरण की जानकारी

95–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना ईसानगर जिला खीरी लखीमपुर में अंकित अपराध संख्या 54/95 धारा 171एफ/395 भा०द० संहिता जो पंचायत चुनाव के एक पीठासीन अधिकारी श्री महेश प्रसाद अंकित कराया है, पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ? नामजद अभियुक्त कौन-कौन हैं?

सुश्री मायावती–

जी हां । विवेचना के दौरान अभियुक्तगण, कमलेश, विजय कुमार शर्मा, सतीश कुमार शर्मा, गुन्नू, राजेश कुमार शर्मा, संतोष कुमार शर्मा, शमशेर बहादुर, बग्घू और श्री कृष्ण शर्मा निवासी परसिया थाना

ईसानगर खीरी की नामजदगी गलत पायी गयी तथा अभियुक्त राधा कृष्ण, पैकरमा, राजाराम निवासीगण खमरिया खुर्द व सिया राम निवासीगण खमरिया खुर्द व सिया राम निवासी समैसा थाना ईसानगर के नाम प्रकाश में आये । तदुपरान्त उक्त अभियोग धारा 171एफ/394 भा० द० वि० में परिवर्तित किया गया । अभियुक्त राजाराम व पैकरमा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । विधिक राय के उपरान्त उक्त अभियोग धारा 132(3), 135(2)/136(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिवर्तित किया गया । राधा कृष्ण व सिया राम ने न्यायालय में दि० 17-6-95 को आत्म समर्पण किया । उक्त चारों अभियुक्त वर्तमान में जमानत पर है ।

जनपद आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत अपराधों का विवरण

96–श्री बदन सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में अपराध वृद्धि अधिक हुई है ? यदि हां, तो तत्कालीन थाना इंचार्जों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उक्त थाने में अपराध वृद्धि होने पर भी थानाध्यक्ष वर्ष 1994 में पुरस्कृत भी किया गया है ? यदि हां, तो पुरस्कृत करने का क्या औचित्य है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । प्राप्त सूचनानुसार थाना फतेहपुर सीकरी में माह जनवरी से जून की अवधि में वर्ष 1993 में 86, वर्ष 1994 में 58 तथा वर्ष 1995 में 60 अपराधिक मामले दर्ज हुए थे ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पुरस्कार योग्य कार्य को देखते हुए उक्त थाने के थानाध्यक्षों को वर्ष 1994 में पुरस्कृत किया गया ।

आगरा के कमलानगर स्थित कालोनी के जैन मन्दिर की कथित मूर्ति चोरी का मामला

97–श्री बदन सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि आगरा शहर के थाना न्यू आगरा में स्थित कमला नगर कालोनी के जैन मन्दिर से अति प्राचीन एवं बहुमूल्य कीमत की मूर्तियां दिनांक 4/5 सितम्बर, 1994 को चोरी गई थीं और मुकदमा सं० 368/94 दिनांक 5 सितम्बर, 1994 को थाना न्यू आगरा में मामले को दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो इस मुकदमें में अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

चोरी गई मूर्तियों को बरामद करके अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक–1–12–94 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की मांग

98–श्री जगरनाथ चौधरी

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर,94 से जनवरी, 1995 तक राज्य कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल की थी? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अवगत हैं कि विभिन्न विभागों में कार्यरत कुछ कर्मचारी इस हड़ताल में एक दिन भी सम्मिलित नहीं हुए थे? क्या

सरकार इस अवधि में एक दिन भी हड़ताल पर न जाने वाले कुछ लायक कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगी ? यदि हां, तो वह प्रोत्साहन क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्रता सेनानियों के 'वास्तविक आश्रित' शब्द के तहत आने वालों व्यक्तियों की जानकारी

99–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के "वास्तविक आश्रित" की परिभाषा के तहत वह व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो स्वयं उ० प्र० का निवासी हैं किन्तु जिनके पिता/दादा किसी अन्य प्रदेश के निवासी थे तथा जिन्होंने अन्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कारावास का दण्ड पाया था ?

श्री अकबर अली–

जी नहीं।

इलाहाबाद शिवकुटी की निवासिनी के अपहरण संबंधी धरना के संबंध में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के संबंध में कृत कार्यवाही

100–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवकुटी इलाहाबाद की निवासिनी नाबालिग 13 वर्षीय छात्रा कु० अरुणिमा चौधरी को दिनांक 2-12-93 को अपहरण कर लिया गया था ? क्या इस घटना की प्रथम रिपोर्ट दर्ज कराने, पुलिस एवं जिलाधिकारियो को अवगत कराने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? क्या पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उपरोक्त घटना के संबंध में कोई टास्क फोर्स गठित किया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 11-12-93 को दी गयी वादी श्री रामयज्ञ चौधरी की सूचना पर कु० अरुणिमा चौधरी के दिनांक 2-12-93 की शाम से गायब होने के संबंध में थाना कर्नलगंज इलाहाबाद पर मु० अ० सं० 1743/93 धारा 364 भा० द० वि० के अन्तर्गत दर्ज हुआ। स्थानीय पुलिस ने तत्काल विवेचना प्रारम्भ कर अपहृता के बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किया तथा तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इसके लिए एक टास्क फोर्स भी गठित किया गया, किन्तु अभी

तक कु० अरुणिमा चौधरी का पता नहीं लग पाया है । उसके तलाश हेतु फोटो गुमशुदा केन्द्र, दरियागंज, कोतवाली नई दिल्ली को भी भेजा जा चुका है । अभियोग की विवेचना जारी है ।

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के दूसरे मंगलवार के अता० प्र० सं० 78 के संबंध में अग्रेतर जानकारी

101–श्री नन्द लाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित अता० प्र० संख्या–78 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित मामले में जो मुकदमा कायम किया गया था, क्या उसका निर्णय हो चुका है ? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । सम्प्रति न्यायालय में विचाराधीन है । संबंधित अपराध का घटनास्थल थाना- अमेठी, सुल्तानपुर पाया गया था । अतः थाना अमेठी में दिनांक 16-4-94 को इसे मु० अ० सं०–136/94 धारा 498 ए/494 भा० द० वि० व 3/4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज कराया गया जिसमें दिनांक 2-11-94 को आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक यूनानी औषधियां पशु चिकित्सालयों/केन्द्रों हेतु क्रय किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

102–श्री अखिलेश–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग द्वारा आयुर्वेदिक यूनानी औषधियां पशु चिकित्सालयों/केन्द्रों हेतु क्रय की जा रही हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या उन दवाओं का क्रय वर्तमान समय में बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ? क्या पशुपालन निदेशालय ने विभागीय क्रय करने के साथ-साथ खुले बाजार में इन औषधियों की बिक्री पर भी प्रतिबन्ध लगाने हेतु शासन को कोई संस्तुति की है ? यदि नहीं, तो विभागीय क्रय न करने का क्या कारण है ? क्या केन्द्रीय औषधि नियंत्रण कानून के अन्तर्गत पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों की संस्तुतियों पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय द्वारा दिये गये लाइसेंस त्रुटिपूर्ण थे ? यदि नहीं, तो मनुष्यों हेतु क्रय की जा रही दवाओं पर प्रतिबन्ध न लगाकर पशुओं हेतु क्रय की जाने वाली दवाओं पर लगाये गये प्रतिबन्ध का औचित्य क्या है ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

वर्तमान में पशुपालन विभाग द्वारा आयुर्वेदिक/यूनानी औषधियां क्रय नहीं की जा रही हैं ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । सम्प्रति विभाग में आयुर्वेदिक/यूनानी औषधियों की आवश्यकता नहीं है ।

जी नहीं ।

आयुर्वेदिक/यूनानी औषधियों के क्रय पर विभाग द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

आयुर्वेदिक दवाओं के तत्कालीन निदेशक द्वारा क्रय किये जाने की संस्तुति पर वर्तमान कार्यवाहक निदेशक द्वारा रोक लगा दिये जाने के संबंध में जानकारी

103–श्री अखिलेश–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि सेवानिवृत्त तत्कालीन पशुपालन विभाग के निदेशक डा० राजेन्द्र सिंह यादव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन दिनांक 14-10-94 को किया गया था, जिसमें प्रदेश के जनपदों से दवाओं की मांग आने पर उक्त आयुर्वेदिक दवाओं को क्रय करने की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्तमान कार्यवाहक निदेशक द्वारा उक्त दवाओं के क्रय पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हां, तो वर्तमान में दवाओं के क्रय पर प्रतिबन्ध लगाने का औचित्य क्या है ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

जी नहीं ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी थाना के अन्तर्गत अपहृत बालक के अभियुक्त के विरुद्ध कृत कार्यवाही

104–श्री बदन सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम दूरा के जीतू उर्फ जितेन्द्र कुमार (आयु साढ़े छः वर्ष) पुत्र महेश चन्द्र का अपहरण 19/20 अक्टूबर, 1994 रात्रि के साढ़े नौ बजे हो गया था ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अभी तक अपहरणकर्ताओं को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त अपहृत बालक अपने घर वापस आ गया है ? यदि हां, तो इस बालक से जानकारी करने पर पुलिस ने अब तक अपहरण करने वालों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की ?

सुश्री मायावती–

जी हां । अपहृत बच्चे की आयु लगभग 9 वर्ष बतलायी गयी है ।

पुलिस विवेचना में तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये गये । जिनमें से एक अभियुक्त दरवी की गिरफ्तारी दि० 15-2-95 को हो चुकी है । शेष दो फरार हैं ।

जी हां । दि० 7-11-94 को अपने घर लौटा था ।

अपहृत बालक ने अपने बयान में पांच लोगों का नाम लिया । जिनमें से उल्लिखित एक की गिरफ्तारी दि० 15-2-95 को हो चुकी है । शेष चार के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए । विवेचना के दौरान प्रकाश में आये दो अभियुक्तगण दम्मो उर्फ दामोदर व [illegible] पुत्रगण आले सिंह फरार चल रहे हैं। उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही प्रभावी रूप से की गई है ।

105–श्री बदन सिंह–

[5वे बुधवार में अता० प्र० सं०–68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

106–श्री बदन सिंह–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

गाजियाबाद जनपद की गढ़मुक्तेश्वर तहसील को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किये जाने की मांग

107–श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

क्या सरकार गढ़मुक्तेश्वर तहसील जनपद गाजियाबाद को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

तहसीलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने की नीति कभी नहीं रही । जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने की नीति भी अब नहीं है ।

108–श्री अजय कुमार पोइया–

[उसरे सोमवार में अता० प्र० सं०–137 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद जनपद के थाना इनायतनगर के राजकुमार उपाध्याय की हत्या में नामजद दरोगा व सिपाही के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

109–श्री त्रिपाल सिंह धामा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11-5-95 को राजकुमार उपाध्याय की हत्या थाना इनायत नगर, जनपद फैजाबाद में दिन दहाड़े हुई है ? क्या मृतक के भाई राम राज्य ने दिनांक 15-5-1995 को पूर्व विधायक बृज भूषणमणि त्रिपाठी के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक फैजाबाद से मिलकर लिखित शिकायत किया है कि उसके भाई की हत्या में सिपाही लाल जी व दरोगा राम पाल यादव का हाथ है ? यदि हां, तो अब तक दोषी दरोगा व सिपाही के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

संदर्भगत प्रार्थना-पत्र में पुलिस उप निरीक्षक रामपाल सिंह तथा आरक्षी लालजी यादव के विरुद्ध आरोप लगाए गये हैं । जांच क्षेत्राधिकारी, मिल्कीपुर द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद जनपद के विधान सभा व विधान परिषद् सदस्यों को दिये गये शैडो/गनर तथा इनको यात्रा व्यय का भुगतान का विवरण प्रस्तुत करने की मांग

110–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु तैनात शैडो/गनर के यात्रा व्यय के संबंध में दिनांक 29-11-94 को निर्गत शासनादेश सं० 3579 ए/छः–पु०–1-94 का अनुपालन

इलाहाबाद जनपद में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इलाहाबाद जनपद में विधान सभा व विधान परिषद् सदस्यों को कितने शैडो/गनर अलग-अलग दिये गये हैं ? क्या इलाहाबाद के सभी नियुक्त शैडो/गनर को अक्टूबर, 1994 से अप्रैल, 1995 तक के यात्रा व्यय का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सूची संलग्न ।

जी हां ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 205–206 पर)

शाहजहांपुर के थाना रौजा क्षेत्रान्तर्गत एक मोटर साइकिल एवं रुपये छीने जाने की घटना के संबंध में कृत कार्यवाही

111–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के थाना रौजा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट अप्रैल, 1995 के प्रथम सप्ताह में रघुराज की यू० पी०–27/ए 3545 राजदूत मोटर साइकिल तथा 10235 रुपया छीन लिये गये थे ? यदि हां, तो इस मामले में पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

मोटर साइकिल तथा रु० 10,135 छीनने की घटना के संबंध में थाना रौजा पर दिनांक 7-4-95 को मु० अ० सं० 64/95 धारा 394 भा० द० वि० बनाम तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात सूरत शिनाख्त पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना जारी है । काफी प्रयास के बाद भी अभी तक माल तथा मुल्जिमान का पता नहीं चल पाया है । प्रयास जारी है ।

शाहजहांपुर कोतवाली थाना क्षेत्रान्तर्गत अनिल कुमार हत्या काण्ड के संबंध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी

112–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में दिनांक 22-12-94 को कोतवाली थाना क्षेत्र में अनिल कुमार हत्या काण्ड की तफतीश वर्तमान में हो रही है ? क्या इस हत्या काण्ड में शामिल अभियुक्तों व रुपयों का सुराग मिला ? यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रयास किये गये ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां । इस संबंध में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा रु० 32,000 की बरामदगी भी की जा चुकी है । दूसरे अभियुक्त का सुराग न मिलने के कारण उसके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की जा चुकी है ।

अभियोग की विवेचना प्रचलित है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूटे गये माल की बरामदगी के प्रयास जारी है ।

शाहजहांपुर सदर बाजार थाना में अपराध संख्या 148/95 तथा 177/95 में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

113–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अ० सं० 148/95 धारा 307 आई० पी० सी० थाना सदर बाजार शाहजहांपुर तथा अपराध संख्या 177/95 धारा 307 थाना सदर बाजार शाहजहांपुर में अभियुक्तों के नाम खुलासा हो जाने के बाद भी उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अपराध संख्या–148/95 धारा 307 भा० द० वि० की विवेचना करायी गई जिसमें नामजदगी गलत पायी गई । अभियोग की विवेचना अभी प्रचलित है ।

मु० अ० सं०–177/95 धारा 307 भा० द० वि० की विवेचना कराई गई जिसमें दो अभियुक्त प्रकाश में आये । इनमें से एक को दिनांक 5-6-1995 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और दूसरा दिनांक 8-6-1995 को न्यायालय में हाजिर हुआ । दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना पूर्ण करके दिनांक 12-6-1995 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद में अकबरपुर कताई मिल में मजदूरों को लाक आउट की अवधि का वेतन दिये जाने एवं कारपोरेशन की सभी मिल बेचे जाने की योजना के संबंध में जानकारी

114–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद की अकबरपुर राज्य कताई मिल को अवैधानिक लाक आउट लगाकर बन्द करने के कारण उक्त मिल के श्रमिकों व कर्मचारियों का कुल कितना वेतन देय हो गया है ? उनके भुगतान के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि गत 20-3-95 को वी० एफ०-आई० आर० बोर्ड में प्रबन्धतंत्र ने कारपोरेशन की कम्पनी की सभी मिलों को बेचने की योजना बनायी है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

सुश्री मायावती–

यू० पी० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की अकबरपुर इकाई में श्रमिकों द्वारा की गयी अवैधानिक हड़ताल के कारण उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्राविधान 6 टी के अन्तर्गत घोषित तालाबन्दी वैधानिक है अतः लाक आउट अवधि का वेतन देय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद अकबरपुर कताई मिल पर लाक आउट के बाद आया व्यय वहां से हटाई गई मशीनों, चोरी गयी मशीनों की लागत आदि के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी

115–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की अकबरपुर कताई मिल के लाक आउट के बाद उस पर अब तक कितना व्यय आया है तथा तब से अब तक कितनी मशीनें वहां से हटाई गयीं ? कितनी मशीनों की चोरियां हुईं और चोरी गई मशीनों की लागत क्या है ? उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जिला फैजाबाद की अकबरपुर कताई मिल के लाक-आउट के बाद उस पर दिनांक 11-6-90 से मार्च, 1995 तक रु० 354.83 लाख व्यय आया है । अब तक कुल विभिन्न विभागों की 60 मशीनें अकबरपुर इकाई से इस कम्पनी की अन्य इकाईयों में स्थानान्तरित की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरदार सरूप सिंह पुत्र फौजा सिंह के जलाये गये ट्रक संबंधी मामले की जांच एवं मुआवजा दिये जाने की मांग

116–श्री राजीव कुमार–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 84 दंगों के दौरान सरदार सरूप सिंह पुत्र फौजा सिंह निवासी काशीपुर नैनीताल का एक ट्रक नं० यू० पी० डी० 3754 दिनांक 1-11-84 को ललितपुर में जला दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना की जांच जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर द्वारा कराई गई थी और जांच के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर द्वारा सरदार सरूप सिंह को आर्थिक सहायता दिये जाने की संस्तुति की थी ? क्या सरदार सरूप सिंह को शासन स्तर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो कब और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी हां ।

जी हां । उक्त संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल को भेजी गयी थी ।

जी नहीं । सुसंगत शासनादेश दि० 22-6-84 के अन्तर्गत उसे केवल रु० 2,000 की आर्थिक सहायता जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा दि० 6-8-85 को प्रदान की गयी है ।

प्रार्थी द्वारा क्षति के संबंध में अपना क्लेम बीमा कम्पनी को प्रस्तुतीकरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि (दि० 31-7-85) के भीतर प्रस्तुत न करने के कारण शासन स्तर पर उसे अग्रेतर सहायता प्रदान करने का कोई अवसर नहीं बना ।

उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम के पात्र अधिकारियों को वाहन भत्ता दिये जाने का विवरण

117–श्री राजीव कुमार–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम के मुख्यालय एवं उसकी विभिन्न स्पिनिंग मिलों में कार्यरत सभी अधिकारियों को वाहन भत्ता नियमानुसार मिल रहा है ? कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनको उक्त वाहन भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा है ? क्या ऐसे वंचित सभी अधिकारियों को वाहन भत्ता देने के आदेश किये जा रहे हैं ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम के मुख्यालय एवं उसकी विभिन्न स्पिनिंग मिलों में सभी पात्र अधिकारियों कों जो निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आते हैं, नियमानुसार वाहन भत्ता मिल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री वरिष्ठ सहायक, श्रम निदेशालय, कानपुर को एरियर भुगतान के संबंध में दिये गये पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

118–श्री मित्रसेन यादव–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री, वरिष्ठ सहायक, श्रम निदेशालय, जी० टी० रोड कानपुर माह जनवरी, 1991 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्ष 1952 से माह मई, 1962 तक (जब वे चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थे) लगभग 5 वर्ष का जी० पी० एफ० एरियर का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां,तो क्यों ? क्या एरियर भुगतान के संबंध में कर्मचारी के प्रार्थना पत्र दिनांक 12-11-91, 3-12-92, 13-1-93, 17-6-93, 31-8-93, 3-9-93, 24-12-93 व 30-12-93 कार्यालय को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा जी० पी० एफ० एरियर का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री श्यामलाल यादव–

जी हां ।

इस अवधि में उनके वेतन से भविष्य निधि खाते में की गई कटौती को तृतीय श्रेणी के पद पर प्रोन्नत होने के कारण खाता संख्या–एल० सी० IV/88 में स्थानान्तरित कर दी गयी थी, जिसमें जमा धनराशि का भुगतान उन्हें सेवानिवृत्त के पश्चात् नियमानुसार किया जा चुका है ।

श्री अग्निहोत्री के प्रार्थना पत्र दिनांक 12-11-92, 1-12-92, 13-1-93 व 15-4-93 प्राप्त हुये। चूंकि भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि का भुगतान सेवानिवृत्त के पश्चात् उन्हें किया जा चुका है, इसलिये इन प्रार्थना-पत्रों पर कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रभारी निदेशक, उद्योग द्वारा मुद्रण ओवरसियर के पदों पर की गई प्रोन्नति के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी

119–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान प्रभारी निदेशक द्वारा अभी हाल ही में मुद्रण ओवरसियर के पद पर प्रोन्नतियां की गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ? क्या यह भी सच है कि उनमें से ऐसे भी अभ्यर्थी को प्रोन्नत किया गया है जिनकी वार्षिक प्रवृष्टियां प्रतिकूल तथा उन्हें आरोपित भी किया जा चुका है तथा वे अन्य पात्र अभ्यर्थियों से कनिष्ठ भी हैं ? यदि हां, तो वरिष्ठ अभ्यर्थी की उपेक्षा क्यों की गई ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

सितम्बर, 1993 में मुद्रण ओवरसियर के 6 पदों पर प्रोन्नतियां की गई हैं।

जी हां, परन्तु वे अन्य पात्र अभ्यर्थियों से कनिष्ठ नही हैं।

किसी वरिष्ठ अभ्यर्थी की उपेक्षा नहीं की गई।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत मानदेय के भुगतान विलम्ब से किये जाने की शिकायत

120–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994-95 में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के किस-किस संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन द्वारा मानदेय स्वीकृत किया गया है ? क्या उक्त स्वीकृत मानदेय का भुगतान शासन की स्वीकृति के अनुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब से भुगतान किये जाने का दोषी कौन है ? क्या उसके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

सुश्री मायावती–

वित्तीय वर्ष 1994-95 में शासन द्वारा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के समूह ''ख'' ''ग'' तथा ''घ'' के अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय स्वीकृत किया गया है।

मानदेय के लिए स्वीकृत धनराशि का वितरण उक्त समूह के अधिकारियों/कर्मचारियों को किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रभारी निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री को प्राप्त वित्तीय अधिकार

121–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री को क्रय हेतु कितनी सीमा तक वित्तीय अधिकार प्राप्त है ? वित्तीय वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में प्रतिनिहित वित्तीय सीमाओं का उनके द्वारा कितने मामलों में उल्लंघन किया गया है ? क्या उन्हें इसके लिए दोषी ठहराते हुए आरोप-पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और कितने मामलों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

शासनादेश सं० 2619पीएस/18-8-110(53)पीएस/80 दिनांक 26-10-83 एवं शासनादेश सं० 2573पीएस/10-7-76(एसपी)/86 दिनांक 8-1-92 द्वारा प्रदत्त सीमा तक क्रय संबंधी अधिकार निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री को प्राप्त है ।

प्रतिनिहित वित्तीय अधिकारों की सीमा का संदर्भित वर्षों में उल्लंघन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रभारी निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री के विरुद्ध श्री जवाहर सिंह यादव, विधायक द्वारा दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

122–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में कागज क्रय के सम्बन्ध में प्रभारी निदेशक द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री जवाहर सिंह यादव विधायक का पत्र दिनांक 14-3-95 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा थाना कोतवाली क्षेत्र में गौवंश के ट्रक पकड़े जाने सम्बन्धी मामले की जानकारी

123–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि 10 मई, 1995 को चार ट्रकों में मथुरा थाना कोतवाली क्षेत्र में से होकर गौवंश ले जाया जा रहा था जिसे पुलिस ने पकड़ कर पंचायत गौशाला वृन्दावन की सुपुर्दगी में दे दिया था ? यदि हां, तो क्या मुल्जिमान का चालान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

दिनांक 10-5-95 को थाना कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत नेशनल हाइवे पर मा० प्रश्नकर्ता सदस्य व बजरंग दल के 15-20 कार्यकर्ताओं द्वारा 47 गायों व 42 बच्चों से लदी चार ट्रकों को रोका गया था न कि पुलिस द्वारा झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी गायों के मालिकों द्वारा थाना कोतवाली पर मु०अ०सं०-272/95 धारा 395 भा०द०वि० 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मारपीट लूट का जुर्म-दर्ज कराया गया था जिसकी विवेचना की जा रही है। चूंकि उपरोक्त गायों के मालिकों के पास गायों को खिलाने पिलाने हेतु व्यवस्था नहीं थी अतः विवेचना के दौरान इन पशुओं को पंचायती गौशाला, वृन्दावन की सुपुर्दगी में दिनांक 11-5-95 को दिया गया था। विश्व हिन्दू परिषद की ओर से दिनांक 30-5-95 को, चतुर्थ ए० सी० जे० एम० मथुरा के आदेशानुसार, गायों के स्वामियों के विरुद्ध मु०अ०सं-272ए/95 धारा 5ए/6 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा 307 भा०द०वि० का अभियोग दर्ज कराया गया जिसकी विवेचना में किसी जुर्म का होना नहीं पाया गया। फलस्वरूप दिनांक 4-6-95 को अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई है।

124–श्री घनश्याम शुक्ल–

[उत्तर सोमवार में अता० प्र० सं० 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय मुद्रणालयों को निजी क्षेत्र में दिये जाने के सम्बन्ध मे लिये गये निर्णय की जानकारी

125–श्री कृष्ण कुमार नवमान

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के कतिपय राजकीय मुद्रणालयों के निजीकरण की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन मुद्रणालयों की और क्यों ? इनमें कार्यरत कर्मचारियों के विषय में सरकार की योजना क्या है ?

सुश्री मायावती–

शासन का मुद्रण संबंधी कार्य यथा सम्भव निजी मुद्रणालयों से कराये जाने संबंधी उ० प्र० शासन द्वारा गठित व्यय बचत आयोग की संस्तुति के परिपेक्ष्य में दो राजकीय मुद्रणालयों को निजी क्षेत्र में दिये जाने के प्रस्ताव पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मुजफ्फरनगर काण्ड के सम्बन्ध में सी० बी० आई० की संस्तुतियों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण

126–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सी० बी० आई० ने मुजफ्फरनगर काण्ड 2 अक्टूबर, 94 की घटना में कितने अधिकारियों को दोषी ठहराया है ? सरकार ने इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सी० बी० आई० से चार प्रकरणों में संस्तुतियां प्राप्त हुई। दो प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गयी जिसमें दो उप निरीक्षक तथा छः आरक्षी अन्तर्ग्रस्त थे। इसी प्रकार दो प्रकरणों में अभियोजन की संस्तुति की गयी थी। उनमें भी दो उप निरीक्षक तथा छः आरक्षी अन्तर्ग्रस्त थे।

विभागीय कार्यवाही करने हेतु आदेश दिनांक 10-7-95 को तथा अभियोजन स्वीकृति के आदेश दिनांक 14-7-95 को निर्गत कर दिये गए हैं ?

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० में जी० आई० एण्ड टी० आई० संस्थाओं में टेक्निकल हाई स्कूल की कक्षायें बन्द किये जाने की कार्यवाही

127–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० में चौदह जी० आई० एण्ड टी० आई० की हालत खराब हैं ? यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं में टेक्निकल हाईस्कूल बन्द किये जा रहे हैं ? क्या सरकार इन संस्थाओं को अन्यत्र शिफ्ट करने पर विचार कर रही है ? क्या इन संस्थाओं को उन स्थानों में शिफ्ट करेगी जहां पर इनकी उपयोगिता है तथा जहां पर छात्र/छात्राएं प्रवेश लेने के इच्छुक हों ?

श्री श्याम लाल यादव–

जी नहीं ।

जी हां ।

इन संस्थाओं में शैक्षिक पाठ्यक्रम (नान-एन-सी०वी०टी०) की टेक्निकल हाई स्कूल की कक्षायें वर्ष 1992 से समाप्त की जा चुकी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता है ।

प्रदेश के कारागारों के चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मेसिस्टों की प्रोन्नति का मामला

128–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न कारागारों में कार्यरत चिकित्सालयों के फार्मेसिस्टों के वर्तमान में प्रोन्नति के अवसर क्या हैं ? क्या यह सही है कि कारागार विभाग में कार्यरत फार्मेसिस्टों के प्रोन्नति अवसर नगण्य हैं ? यदि हां, तो क्या माह अक्टूबर, 1994 में शासन द्वारा चीफ फार्मेसिस्ट के पद सृजित करने हेतु कारागार महानिरीक्षक से आख्या मांगी गयी थी जो शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो चीफ फार्मेसिस्ट के पदों को अब तक सृजित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अकबर अली–

विभिन्न कारागारों के चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मेसिस्टों के वर्तमान में प्रोन्नति के अवसर नहीं हैं ।

जी हां ।

जी हां ।

पदों के सृजन के औचित्य पर विचार किया जा रहा है ।

यदि पदों के सृजन का औचित्य पाया जायेगा तो स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

ललितपुर के ग्राम कालापहाड़ में वीरेन्द्र सिंह बुन्देला को खनन हेतु दिये गये पट्टे पर नियमों के विरुद्ध खनन के सम्बन्ध में कार्यवाही

129–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के ग्राम कालापहाड़ तहसील ललितपुर में वीरेन्द्र सिंह बुन्देला को आराजी सं० 140/19 में 9-70 का नीलामी पट्टा हाई मेन्सनल ग्रेनाइट स्टोन खनन हेतु माह मार्च, 1991 में दिया गया था ? क्या नीलामी लीज क्षेत्र जो खनन हेतु दिया गया था क्या उसी क्षेत्र से राजघाट-ललितपुर राजमार्ग की 4 एकड़ सड़क को भी खनन हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में पट्टा धारक द्वारा नियमों के विरुद्ध खनन किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने कोई शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री जी को दिनांक 14-1-94 को दिया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उस क्षेत्र में राजघाट-ललितपुर राजमार्ग का केवल 1.90 एकड़ क्षेत्र सड़क में आता है ।

पट्टाधारक नियमों के विरुद्ध खनन करते हुये नहीं पाया गया ।

जी हां ।

शिकायती-पत्र पर क्षेत्रीय जांच कराई गई । जांचोपरान्त नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी मण्डल में गुटका मिलों (जर्दायुक्त) में से मान्यता प्राप्त मिलों की संख्या

130–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी मण्डल में वर्तमान समय में कितने प्रकार के गुटका मिलें (जर्दायुक्त) चल रहे हैं ? किन-किन गुटका मालिकों को नियमानुसार विभागीय मान्यता प्राप्त हैं ?

श्री राम लखन वर्मा–

झांसी मण्डल के जनपद झांसी में कुल 10 गुटका मिलें (जर्दायुक्त) चल रहे हैं जिसमें से चार गुटका मिलें अभी उत्पादनरत नहीं हैं। उक्त सभी इकाइयां सेंट्रल इक्साइज विभाग से लाइसेंस प्राप्त किये हैं । मण्डल के जनपद ललितपुर में मात्र एक इकाई मेसर्स मोहन केमिकल्स, 204 नदीपुरा, ललितपुर सेन्ट्रल इक्साइज विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर चल रही है । मण्डल के जनपद बांदा में दो गुटका मिलों द्वारा उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है । जनपद हमीरपुर में तीन गुटका मिलें सेंट्रल इक्साइज विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर चल रही हैं । जनपद जालौन स्थान उरई में कुल 37 गुटका मिलें हैं जो सेंट्रल

इक्साइज विभाग से लाइसेंस प्राप्त किये हैं जिसमें से 31 मिलें बन्द हैं तथा छः गुटका मिलें उत्पादनरत हैं।

इन गुटका मिलों (जर्दायुक्त) का उद्योग विभाग से पंजीकरण नहीं हुआ है और न ही मान्यता प्रदान की गई है।

वाराणसी जनपद थाना फूलपुर ग्राम देवराई के निवासी गुलाब को थाने में बन्द किये जाने का मामला

131–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामकरन पटेल भू० पू० विधायक मंगारी थाना फूलपुर वाराणसी ने दिनांक 28-5-95 को एस० एस० पी० वाराणसी को टेलीग्राम दिया है कि गोविन्द सिंह एस० ओ० थाना फूलपुर वाराणसी ने गुलाब पुत्र शिवधनी ग्राम देवराई थाना फूलपुर वाराणसी को दिनांक 25-5-95 से थाने की हवालात में बन्द कर मारपीट रहे हैं ? क्या यह सही है कि टेलीग्राम देने के बाद भी दिनांक 29-5-95 तक बन्द रक्खा गया ? यदि हां, तो क्या सी० जी० एम० वाराणसी से थाने में इतने दिन रखने का कोई आदेश लिया था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार एस० ओ० तथा अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां। तार प्राप्त हुआ।

हत्या के आरोप में नामजद अभियुक्त गुलाब पुत्र शिवधनी को थाना फूलपुर की पुलिस ने दिनांक 28-5-95 को गिरफ्तार करके दिनांक 29-5-95 को न्यायालय भेज दिया। चूंकि अभियुक्त गुलाब की गिरफ्तारी दिनांक 25-5-95 को नहीं बल्कि दिनांक 28-5-95 को की गयी इसलिए थाने में रखने हेतु सी० जे० एम० वाराणसी से आदेश प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही एस० ओ० तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध किसी कार्यवाही करने का औचित्य प्रतीत होता है।

132–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उद्योग विभाग के विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृत के सम्बन्ध में सचिव, उ० प्र० शासन उद्योग को सम्बोधित आयुक्त एवं निदेशक उद्योग कानपुर के पत्र पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में

133–श्री मयंकर सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उ० प्र० (अनुभाग–3) कानपुर का सचिव, उ० प्र० शासन उद्योग अनुभाग (एक), लखनऊ को सम्बोधित पत्र सं०–3002/3/दिनांक कानपुर 8-9-93 जो समता समिति, उ० प्र०–(1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उद्योग निदेशालय, उ० प्र० के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उसके अधीन कार्यालयों के विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि आयुक्त एवं निदेशक

के उक्त पत्र के तारतम्य में सचिव उद्योग अनुभाग (एक) ने पत्रावली संख्या-592/(आर०)/88/बी०सी०/दिनांक 10-1-94 वित्त एवं वेतन आयोग अनुभाग-एक को प्रेषित की है ? यदि हां, तो क्या प्रमोशनल असिस्टेंट जिसका वास्तविक पद नाम सांख्यकीय सहायक है, का भी वेतनमान रु० 1400-2600 के स्थान पर रु० 1600-2660 के वेतनमान संशोधित करने सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त शासनादेश अविलम्ब निर्गत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामलखन वर्मा-

जी हां ।

सम्यक विचारोपरान्त शोध सहायक का वेतनमान संशोधित कर रु० 1640-2900 करने, प्रमोशनल असिस्टेन्ट और बजट एवं नियोजन सहायक का वेतनमान संशोधित कर रु० 1600-2660 करने के प्रस्ताव पर सहमति हेतु पत्रावली वित्त विभाग को संदर्भित की गई थी । वित्त विभाग द्वारा मामले में कतिपय सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया था । पत्रावली पुनः वित्त विभाग को दो बार संदर्भित की गई परन्तु वित्त विभाग द्वारा शोध सहायक तथा बजट एवं नियोजन सहायक के बारे में अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्रावली विभाग को वापस कर दी गई । वांछित सूचना उद्योग निदेशालय से मांगी गई । उद्योग निदेशालय से सूचना प्राप्त होने पर पत्रावली वित्त विभाग को सन्दर्भित की जाती कि इस बीच ही मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार 1400-2600 के सहायक प्रबंधक (जि० उ० के०) संवर्ग के पदों के साथ सेवा नियमावली 1992 में उल्लिखित उक्त शोध सहायक के पद के वेतनमान को उद्योग निदेशालय द्वारा 1600-2660 पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया । उक्त सम्बन्ध में निदेशालय से कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति दि० 30-6-95 के पत्र द्वारा स्पष्ट कराई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रोमोशनल असिस्टेन्ट का पद सांख्यकीय संवर्ग का पद होने की पुष्टि नहीं होती है । पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं भर्ती की विधि भी सांख्यकीय संवर्ग में संख्या सहायक/फील्ड इन्वेस्टीगेटर/क्षेत्रीय निरीक्षक/सांख्यकीय निरीक्षक पद के अनुरूप नहीं है । अतः प्रोमोशनल असिस्टेन्ट पद का वेतनमान रु० 1400-2600 को सांख्यकीय संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में लिये गये निर्णयानुसार संशोधित कर रु० 1600-2660 किये जाने का वित्त विभाग द्वारा औचित्य नहीं पाया गया है । मामले में निदेशक से पुनः सूचना मांगी गई है और प्रकरण पुनः वित्त विभाग को संदर्भित किया जायेगा ।

जी नहीं ।

मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वेतनमान 1400–2600 के सहायक प्रबन्धक (जि० उ० के०) संवर्ग के पदों के साथ सेवा नियमावली–1992 में उल्लिखित उक्त प्रोमोशनल असिस्टेन्ट के पद के वेतनमान को उद्योग निदेशालय द्वारा 1600–2660 पुनरीक्षित/संशोधित करने का प्रस्ताव भेजा गया है जिसके सम्बन्ध में दिनांक 30-6-95 के पत्र से स्थिति स्पष्ट कराई गई है। उद्योग निदेशालय से सूचना प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर कोई विलम्ब नहीं हुआ है और न ही कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कर्वी एवं मऊ तहसीलों में आग लगने की घटनायें

134–श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 2 सालों में कर्वी एवं मऊ तहसील में आग लगने की कितनी घटनायें हुयी हैं तथा उसमें कितना-कितना नुकसान हुआ है ? इन तहसीलों से फायर ब्रिगेड स्टेशन कितनी दूरी पर है ? क्या दूरी को देखते हुये कर्वी उप जिला मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील कर्वी एवं मऊ में विगत 2 सालों में आग लगने की कुल 394 घटनायें प्रकाश में आई हैं जिसमें क्रमशः रु० 1,38,92, 370.00 एवं रु० 12,96,321/- की अनुमानित क्षति हुई है। तहसील मुख्यालय कर्वी से फायर स्टेशन की दूरी लगभग 75 कि० मी० तथा तहसील मुख्यालय मऊ से फायर स्टेशन की दूरी लगभग 123 कि० मी० है। प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों एवं अन्य स्थानों की तुलनात्मक आवश्यकताओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षणोपरान्त पाया गया है कि तहसील मुख्यालय कर्वी में वर्तमान में फायर स्टेशन स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

लखनऊ में सीतापुर रोड योजना के सेक्टर डी में राज्य सम्पत्ति विभाग के तृतीय श्रेणी के आवंटित आवास एवं आरक्षित श्रेणी के अध्यासियों की संख्या की जानकारी

135–श्री रामपाल सिंह रैनी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की सीतापुर रोड योजना सेक्टर डी, लखनऊ में तृतीय श्रेणी की कालोनी के जिन अध्यासियों को भवन आवंटित किया है उनमें कुल कितने-कितने आवास हैं ? उनमें आरक्षित श्रेणी के कौन-कौन अध्यासी हैं ? क्या मंत्री जी समस्त अध्यासियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती–

सीतापुर रोड योजना सेक्टर डी, स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की तृतीय श्रेणी की कालोनी में श्रेणी–3 के 90 आवास तथा श्रेणी–2 के 72 आवास है।

आरक्षित श्रेणी के अध्यासियों को संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

सूची संलग्न है । †

राज्य सम्पत्ति विभाग की महानगर तथा बादशाहनगर कालोनी में क्वार्टर की संख्या एवं इनमें अनु० जाति/पिछड़ी जाति के कोटे की स्थिति की जानकारी

136–श्री रामपाल सिंह सैनी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग की महानगर सचिवालय कालोनी (बी० टाइप) बादशाह नगर कालोनी (न्यू ब्लाक) बी० टाइप में कितने क्वार्टर हैं ? उनमें कौन-कौन अध्यासी किस तिथि से रह रहे हैं ? क्या उक्त आवंटन में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी आवास आवंटन में कोटा पूर्ण करने का निर्देश देंगे ? यदि नहीं,तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

राज्य सम्पत्ति विभाग की महानगर सचिवालय कालोनी (बी० टाइप) में कुल 94 आवास तथा बादशाहनगर कालोनी (न्यू ब्लाक) बी० टाइप में कुल 56 आवास हैं ।

विवरण संलग्न है । †

महानगर सचिवालय कालोनी (बी० टाइप) में पिछड़ी जाति तथा बदशाहनगर कालोनी (न्यू ब्लाक) बी० टाइप में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है । प्रत्येक कालोनी में आवासों के आवंटन के लिए अलग-अलग आरक्षण का कोटा पूरा किया जाना नियमान्तर्गत आवश्यक नहीं है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त सरकारी आवासों में आरक्षण कोटा पूर्ण करने का प्रयास रहता है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में आवास आवंटित किये जाने की नीति की जानकारी

137–श्री रामपाल सिंह सैनी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति का आवास आवंटन हेतु 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है ? यदि हां, तो राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन कार्यरत कितने अधिकारी/कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें सरकारी आवास आवंटित किया गया है ? क्या यह सही है कि इसी कारण प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को भवन आवंटित नहीं हो पाता है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली 1980 के अनुसार आवासों के आवंटन हेतु 10 वर्ष की सेवा आवश्यक नहीं है ।

---

† छापी नहीं गयी ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटन हेतु उपलब्ध भवनों की मांग के विपरीत अधिक कमी के कारण प्रतीक्षा सूची के आधार पर भवन आवंटन में कठिनाई रहती है तथा विशेष परिस्थितियों में गुणावगुण के आधार पर नियमों को शिथिल करते हुए आवंटन हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय स्थित लोक निर्माण सचिव शाखा में कार्यरत विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण नीति का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

138–श्री धामूराम भास्कर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय स्थित लोक निर्माण सचिव शाखा में कितने ऐसे अवर वर्ग/प्रवर वर्ग सहायक/संदर्भदाता/अनुभाग अधिकारी विगत 3 वर्ष से 17 वर्षों तक एक ही अनुभाग तथा 7 वर्षों से 23 वर्षों तक शाखा में कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1 व 5 द्वारा जारी क्रमशः कार्यालय ज्ञाप संख्या–2441/बीस–ई–1–91, दिनांक 7-5-91 व यथा संशोधित का० ज्ञाप सं०–3394/20–ई–1–92, दिनांक 25-6-92 तथा कार्यालय ज्ञाप सं०–3560/बीस–ई–5–41/94, दिनांक 14-7-94, 3938/बीस–ई–5–3/94, दिनांक 05 अगस्त, 94, एवं 4686/बीस–ई–5–41/94 दिनांक 19 सितम्बर, 91 में निहित स्थानान्तरण नीति का लोक निर्माण सचिव शाखा में अनुपालन न करने हेतु कौन अधिकारी दोषी है ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये लम्बे समय से एक ही अनुभाग/शाखा में कार्यरत अवर वर्ग/प्रवर वर्ग सहायक/सन्दर्भदाता/अनुभाग अधिकारी को शाखा से बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

15 प्रवर वर्ग सहायक, 15 अवर वर्ग सहायक, 8 संदर्भदाता, एक अनुभाग अधिकारी विगत 3 वर्षों से 17 वर्षों तक एक ही अनुभाग में तथा 5 प्रवर वर्ग सहायक, 9 अवर वर्ग सहायक, 5 संदर्भदाता एवं एक अनुभाग अधिकारी 7 वर्ष से 23 वर्षों तक शाखा में कार्यरत हैं।

कार्यालय ज्ञाप सं०–2441/20–ई–1–91, दिनांक 7-5-91 एवं कार्यालय ज्ञाप सं०–3394/20–ई–1–92, दिनांक 25-6-92 सचिवालय सेवा के विभिन्न पदधारकों के संबंध में स्थानान्तरण नीति निर्धारित करने से सम्बन्धित है और इनमें किसी कर्मी का स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया गया है। कार्यालय ज्ञाप सं०–3560/20–ई–5–41/94, दिनांक 14-7-94 एवं 3938/बीस–ई–5–3/94, दिनांक 5-8-94, में जारी लोक निर्माण सचिव शाखा से सम्बनिधत स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन किया जा चुका है। प्रश्न में अंकित कार्यालय ज्ञाप सं०–4686/बीस–ई–5–41/94, दिनांक 19-9-94 की निधि त्रुटिपूर्ण है जो

वास्तव में 15-9-94 है और लोक निर्माण सचिव शाखा में इसका अनुपालन किया जा चुका है। अतः इस संबंध में कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

लोक निर्माण सचिव शाखा में 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि से कार्यरत 02 प्रवर वर्ग सहायक, 06 अवर वर्ग सहायक तथा 05 संदर्भदाता के स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिये गये हैं।

जिला वाराणसी के थाना फूलपुर गांव देवराई के निवासी श्री शिवधनी द्वारा अपने पुत्र गुलाब की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

139–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवधनी गांव देवराई थाना फूलपुर जिला-वाराणसी ने दिनांक 28-5-95 को मुख्य मंत्री, डी० जी०पी०, उ० प्र०, एस० एस० पी० वाराणसी को टेलीग्राम दिया कि उनके लड़के गुलाब को एस० ओ० गोविन्द सिंह थाना फूलपुर जिला वाराणसी दिनांक 25-5-95 को पकड़ कर ले गये और हवालात में बन्द कर मार रहे हैं और यातना दे रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में एस० एस० पी० वाराणसी को दिनांक 29-5-95 को एक प्रार्थना-पत्र भी प्रश्नकर्ता के साथ एस० एस० पी० से मिल कर दिया गया है। क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि दिनांक 25-5-95 से 29-5-95 तक हवालात में क्यों बन्द किया गया ? क्या पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का श्री शिवधनी ग्राम देवराई थाना फूलपुर वाराणसी का टेलीग्राम दिनांक 28-5-95 केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को प्राप्त हुआ है।

जी हां।

थाना फूलपुर वाराणसी में दर्ज हत्या के अपराध में नामित अभियुक्त गुलाब पटेल को स्थानीय पुलिस ने दिनांक 28-5-95 को सांय गिरफ्तार करके दिनांक 29-5-95 को न्यायालय भेजा गया।

उक्त गुलाब पटेल को दिनांक 25-5-95 से हवालात में बन्द नहीं रखा गया। इसलिए मामले में जांच करने अथवा किसी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रुदौली के प्राइमरी पाठशाला पूरे कलहंस ग्राम भर्रा में मतदान के समय हुए गोलीकाण्ड का विवरण की जानकारी

140–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड रुदौली के पोलिंग स्टेशन प्राइमरी पाठशाला पूरेकलहंस ग्राम भर्रा में दि० 18-4-95 को प्रातः 9 बजे मतदान के दौरान मतदान स्थल पर गोलीकाण्ड की घटना हुई है ? क्या गोलीकाण्ड के उपरान्त जोनल/क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट एवं कुछ ग्रामीणों की उपस्थिति में पुलिस बल द्वारा तलाशी के दौरान अवैध कट्टे, भारी मात्रा में जीवित कारतूस, हथगोले तथा कई बन्दूक, फरसे व लाठियां बरामद की गयी थीं ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? अपराधियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाहियां की गयी हैं ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पंचायत चुनावों में लाइसेन्सी असलहा जमा कराने के जिलाधिकारियों को दिये गये आदेश के बावजूद जनपद बाराबंकी थाना रुदौली में एक व्यक्ति का असलहा जमा न कराये जाने की शिकायत की जानकारी

141–श्री तेजभान सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह अप्रैल, 1995 में सम्पन्न हुए ग्राम पंचायत के चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरण में कराने हेतु लाइसेन्सी असलहों को जमा कराने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिये गये थे ? यदि हां, तो माता बदल सिंह पुत्र स्व० श्री हनोमान सिंह ग्राम भर्रा मौजा बरगवां थाना रुदौली जनपद बाराबंकी की लाइसेन्सी बन्दूक न जमा कराने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी के आदेश के उपरान्त भी थानाध्यक्ष रुदौली ने उक्त लाइसेन्सी बन्दूक जमा नहीं कराई है ? क्या उक्त बन्दूक का सहारा लेते हुए उनके लड़के श्री तेज बहादुर ने पोलिंग स्टेशन पर श्री हरि शंकर के ऊपर कट्टे से गोली चलायी है ? यदि हां, तो उसके लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सम्बन्धित लाइसेन्सी के वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, लखनऊ में सेवारत तथा थाना क्षेत्र रुदौली, बाराबंकी के बाहर होने के कारण उसका शस्त्र थाने में जमा नहीं कराया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड व थाना रुदौली के पोलिंग स्टेशन प्राइमरी पाठशाला पूरे कलहंस ग्राम भर्रा में घटित गोली काण्ड की जानकारी

142–श्री तेजभान सिंह–

क्या सरकार को जानकरी है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड व थाना रुदौली के पोलिंग स्टेशन प्राइमरी पाठशाला पूरे कलहंस ग्राम भर्रा में दिनांक 18-4-95 को घटित गोलीकाण्ड की

घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना रुदौली की पुलिस ने अंकित नहीं की है ? क्या उसकी सूचना श्री रामधीरज निवासी ग्राम बरावां थाना व जनपद बाराबंकी ने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को उसी दिन तार द्वारा सूचना देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने, घायल व्यक्ति श्री हरिशंकर की डाक्टरी कराने तथा दोषी व्यक्ति/अपराधी की डाक्टरी कराने की मांग की है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

संदर्भगत गोलीकांड की कोई सूचना स्थानीय थाने पर प्राप्त न होने से प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखी गयी ।

जी हां ।

जांच क्रमित है ।

वाराणसी जनपद में व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित शिक्षार्थियों की संख्या की जानकारी

143–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से पिछले तीन साल में कुल कितने शिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं ? उसमें से कितने व्यवसायरत हो गये हैं ? क्या सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिये कोई विशेष योजना लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब से लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम लाल यादव–

वाराणसी जनपद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पिछले तीन सालों में कुल 2332 शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षार्थियों द्वारा व्यवसायरत होने की सूचना नहीं दी जाती है, अतः इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

उक्त शिक्षार्थियों के लिये कोई विशेष योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

शासन के विभिन्न विभागों द्वारा स्वतः रोजगार परक योजनायें पूर्व से ही क्रियान्वित की जा रही हैं, जैसे जवाहर रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना आदि ।

जनपद गोंडा में वर्ष 1994-95 में हुई हत्यायें, राहजनी, डकैती तथा बलात्कार की घटनाओं का विवरण

144–श्री तुलसीदास राय चन्दानी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 1994-95 में 1 अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक कितनी हत्यायें हुई हैं, कितनी राहजनी की घटनायें हुई हैं, कितनी डकैतियां पड़ी हैं तथा कितने बलात्कार की घटनायें घटित हुई हैं ?

सुश्री मायावती–

अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

अपराधों का प्रकार	अपराधों की संख्या
हत्या (दहेज हत्या सम्मिलित करते हुए)	150

गहजनी	73
डकैतीं	32
बलात्कार	31

देवरिया जनपद के थाना चौकियों में जीप/वायरलेस/टेलीफोन आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

145–श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के समस्त थानों/चौकियों में जीप/वायरलेस/टेलीफोन की सुविधा प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ? क्या देवरिया कोतवाली को उड़नदस्ते हेतु अपराधों की रोकथाम के लिये अतिरिक्त वाहन प्रदान करेंगे ?

सुश्री मायावती–

जनपद देवरिया में कुल 18 थाने तथा 2 पुलिस चौकियां स्वीकृत हैं । प्रत्येक थाने में एक-एक जीप, एक-एक वायरलेस सेट तथा थाना प्रभारी हेतु एक-एक मोबाइल सेट तथा 7 थानों पर टेलीफोन उपलब्ध कराये गये हैं ? शेष थानों पर टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । कोतवाली देवरिया के लिये उड़नदस्ता स्वीकृत नहीं है । अतः अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख सचिव (गृह) को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ सन्तोष गुप्ता का प्राप्त पत्र तथा उस पर कार्यवाही की जानकारी

146–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-6-95 प्रमुख सचिव (गृह) को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ सन्तोष गुप्ता का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच कार्यवाही की गयी ? उसका क्या निष्कर्ष है ? उसमें किस आफीसर्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जांच आदेशित की जा चुकी है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा अभी किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

शाहजहांपुर के थाना रौजा में थानाध्यक्ष श्री प्रकाश नरायन के कार्यकाल में हुई घटनाओं का विवरण एवं उनके द्वारा कृत अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

147–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के थाना रौजा में थानाध्यक्ष प्रकाश नरायन के कार्यकाल में कितनी हत्याएं, कितनी लूट, कितनी चोरियां व डकैतियां पड़ी क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनसे पूर्व के थानाध्यक्षों के मुकाबले इनके कार्यकाल में अपराध बढ़ने की कोई उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गृह मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि इनके कार्यकाल में कितनी चोरी व कितनी लूट, हत्या व डकैती की घटनायें ऐसी हुई हैं जिनमें अभियुक्तों का पता नहीं

चल पाया ? क्या इसमें थानाध्यक्ष प्रकाश नारायन की लापरवाही रही ? यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही करेंगे ?

सुश्री मायावती–

श्री प्रकाश नारायन यादव दिनांक 7-12-93 से 30-6-95 तक थानाध्यक्ष रौजा के पद पर नियुक्त रहे । इस अवधि में हत्या के 30, डकैती का एक, लूट के 8 एवं चोरी के 37 अभियोग थाना रौजा, शाहजहांपुर पर पंजीकृत हुए ।

जी नहीं । क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है । सम्बन्धित थानाध्यक्ष स्थानान्तरित भी हो चुका है ।

उक्त कार्यकाल में थाना रौजा पर पंजीकृत अभियोगों में से हत्या के 4, लूट के 7 एवं चोरी के 22 अभियोग वर्क आउट नहीं हुए ।

थानाध्यक्ष के विरुद्ध जांच की जा रही है ।

148–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के थाना रौजा के थानाध्यक्ष प्रकाश नारायन के विरुद्ध कोई जिला स्तर पर विभाग द्वारा उनकी शिकायतों की जांच उनके डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में उनके द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में बैठायी गयी ? यदि हां, तो उनमें क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ? उसकी प्रगति क्या है ?

सुश्री मायावती–

अनियमितताओं एवं शिकायतों के बारह मामलों में जांच करायी गयी हैं जिनमें से नौ में विभागीय कार्यवाही प्रचलित है तथा शेष तीन में जांच लम्बित है ।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष, रौजा के विरुद्ध निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं :––

1–अभियोग अनावरण न करने, एक वर्ष से अधिक समय लगाने पर भी बन्दूक बरामद न करने,

2–पहले रिपोर्ट न लिखने, बाद में अल्पीकरण करके अभियोग पंजीकृत करने,

3–जूते पहनकर मस्जिद में घुसना,

4–पहले रिपोर्ट न लिखने और पुलिस अधीक्षक के आदेश पर रिपोर्ट लिखने,

5–हत्या की घटना की जांच में वांछित दिलचस्पी न लेना,

6–विवेचना में लापरवाही,

7–गिरफ्तारी व बन्दूक बरामदगी में लापरवाही,

8–बयान लेने में हीला हवाली करना,

9–बार-बार निदेशन के बावजूद भी विवेचना पूरी करने में प्रगति न करना ।

विभागीय कार्यवाही प्रचलित है ।

हरिद्वार जनपद में एक व्यक्ति के अपहरण के विरोध में धरना दे रहे नागरिकों पर गोली चलाये जाने की घटना की जांच सी० बी० आई० द्वारा कराये जाने की मांग

149–श्री आचार्य जगदीश मुनि–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरिद्वार के अजय मित्तल नामक व्यक्ति के अपहरण के संदंध में स्थानीय नागरिकों द्वारा धरना दिया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त धरना दे रहे व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलायी गयी जिससे अजय गुप्ता नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और अनेक व्यक्ति घायल हुए ? क्या उक्त गोली काण्ड की जांच सी० बी० आई० द्वारा कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

उक्त अजय मित्तल के अपहरण के प्रति विरोध प्रकट करने हेतु कस्बा लक्सर के व्यापारी वर्ग, कांग्रेसी व आर०- एस० एस० कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक 22-4-95 को रेलवे स्टेशन के पूर्वी रेलवे क्रासिंग फाटक पर 3 ट्रक लगाकर रेल मार्ग अवरुद्ध किया गया और लगभग 250–300 व्यक्ति धरने पर बैठे जिनसे धरना समाप्त करने का काफी अनुरोध किया गया किन्तु जवाब में धरना देने वालों ने पुलिस तथा एस० डी० एम० पर पथराव तथा जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया जिसके कारण पुलिस द्वारा 15 राउंड फायर किये गये जिसके परिणामस्वरूप अजय गुप्ता की मृत्यु हुई तथा जी० आर० पी०, आर० पी० एफ०, होमगार्ड, स्थानीय पुलिस के 14 तथा जनता के 2 व्यक्ति घायल हुए।

सी० बी० आई० जांच का औचित्य नहीं पाया गया अपितु सम्पूर्ण घटना की जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्र में पशु चिकित्सकों के लिये सृजित तथा रिक्त पदों का विवरण

150–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या पशुधन विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में कुल कितने पशु चिकित्सकों के पद सृजित हैं ? कुल कितने कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? उन रिक्त पदों को सरकार कब तक भर लेगी ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

पर्वतीय क्षेत्र में पशु चिकित्साधिकारी के 318 पद सृजित हैं।

169 पशु चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं, 149 पद रिक्त हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कार्यवाही क्रमित है, शीघ्र चयन परिणाम प्राप्त हो जाने की आशा है।

अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक, पशुपालन (पर्वतीय) के खाली पदों को भरे जाने की मांग

151–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या पशुधन विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अपर निदेशक पशुपालन (पर्वतीय) का पद कब से खाली चला आ रहा है और आज तक नियुक्ति न होने के क्या कारण हैं ? क्या मुख्य मंत्री को

यह भी जानकारी है कि संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) गोपेश्वर का पद भी विगत चार वर्षों से रिक्त है ? क्या उक्त दोनों अधिकारियों की सरकार नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

अपर निदेशक, पशुपालन (उत्तराखण्ड) का पद नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण दिनांक 27 जनवरी, 1994 से रिक्त है ।

जी नहीं, प्रश्नगत पद दिनांक 1 अक्टूबर, 1992 से रिक्त है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अनुमन्य धनराशि, विगत तीन वर्ष में किया गया व्यय तथा इसमें हुई अनियमितता की जांच की मांग

152–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कितनी धनराशि अतिकाल के लिये अनुमन्य है तथा वित्तीय वर्ष 1992-93 व 1993-94 तथा 1994-95 में कुल कितना भुगतान अतिकाल भत्ता के रूप में किया गया है ? अनुमन्य अतिकाल भत्ता-सीमा से अधिक दिये जाने के लिये क्या शासकीय स्वीकृति प्राप्त की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता के लिये प्रभारी निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये 2 प्रतिशत धनराशि अतिकाल के रूप में भुगतान हेतु अनुमन्य है । वित्तीय वर्ष 1992-93 में रु० 75,43,020, वर्ष 1993-94 में रु० 1,82,74,571 तथा वर्ष 1994-95 में रुपये 1,38,41,788 का भुगतान अतिकाल भत्ता के रूप में किया गया ।

अत्यावश्यक एवं समयबद्ध मुद्रण के निर्देश सहित प्राप्त शासकीय कार्यों के सम्पादन, आधुनिकीकरण योजना के परिपेक्ष्य में रिक्त पदों को न भरे जाने के फलस्वरूप कार्मिकों की कमी एवं अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निर्धारित सीमा से अधिक अतिकाल कराया गया । शासकीय हित में कार्य कराये जाने के कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं है ।

श्री ए० सी० मिश्रा, प्रबन्धक, दुग्ध संघ, शाहजहांपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

153–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपा बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 3-1-95 या इसके आसपास श्री ए० सी० मिश्रा, प्रबन्धक, दुग्ध संघ, शाहजहांपुर के द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच के संबंध में मुख्य मंत्री को दिया था, प्राप्त हुआ है ? क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री जी ने सचिव,

दुग्ध विकास को उल्लिखित शिकायत की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री अवध पाल सिंह यादव)–

श्री ए० सी० मिश्रा, प्रबन्धक, दुग्ध संघ, शाहजहांपुर के विरुद्ध मा० प्रश्नकर्ता सदस्य के शिकायती-पत्र दिनांकित 22-12-94, 28-12-94, 10.3-95 तथा 16-3-95 प्राप्त हुए थे । उक्त शिकायती-पत्रों में उल्लिखित आरोपों की जांच करायी जा रही है । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

लखनऊ जनपद के पुलिस निरीक्षकों का स्थानान्तरण एवं निलम्बन के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी

154–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद में पुलिस विभाग के माह जून, 1995 में किन-किन पुलिस निरीक्षकों का स्थानान्तरण लखनऊ जनपद के अन्दर और लखनऊ से बाहर किया गया है तथा किन-किन पुलिस निरीक्षकों को निलम्बित किया गया है ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचनानुसार सर्वश्री श्याम बहादुर सिंह बघेल, शेषनाथ शुक्ला, आर० के० सिंह, आर० सी० मौर्य, टी०वी० सिंह, के० डी० चौधरी एवं नान्हू राम का स्थानान्तरण लखनऊ के अन्दर किया गया ।

सर्वश्री रामाधार यादव एवं अभय सिंह को लखनऊ के बाहर स्थानान्तरित किया गया ।

सर्वश्री अतर सिंह एवं मारकण्डे सिंह को निलम्बित किया गया ।

सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री हृदय नारायण दीक्षित, सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

155–डा० रमेश पोखरियाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हृदय नारायण दीक्षित, सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, विधान सभा का पत्र संख्या 1597/सा०उ०स०/95, दिनांक 24-5-1995 जो सेवायोजन कार्यालय में व्याप्त अराजकता के संबंध में था, पुलिस अधीक्षक (नगर) लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा दोषी लोगों को दण्डित कर सामान्य माहौल बनाने की दिशा में क्या प्रयास किये गये हैं ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सहायक सेवायोजन अधिकारी, श्रीमती प्रतिभा त्रिपाठी के प्रार्थना-पत्र को तहरीर मानते हुए थाना नाका, लखनऊ पर मुकदमा अपराध संख्या–288/95 धारा 506 भा० द० वि० अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है ।

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ के लिये क्रय किये गये कूलरों का उपयोग कार्यालय में न किये जाने की शिकायत

156–डा० रमेश पोखरियाल–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय कक्षों के लिये क्रय किये गये कूलरों का उपयोग कतिपय अधिकारियों के आवासों पर हो रहा है ? यदि हां, तो

इन कूलरों का उपयोग कार्यालय कक्षों में सुनिश्चित कराते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम लाल यादव–

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय कक्षों के लिये क्रय किये गये कूलरों का प्रयोग उक्त कार्यालय में हो रहा है । इनका उपयोग अधिकारियों के आवासों पर नहीं हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व राज्य मंत्री, समाज कल्याण द्वारा प्रश्नगत मामले की जांच सी० बी० सी० आई० डी० से कराने की मांग

157–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व राज्य मंत्री समाज कल्याण का पत्र संख्या–131/रा०मा०/स०का०/भा०/94, दिनांक 9-6-94 को धारा 458, 380 तथा 307 आई०पी०सी० के अन्तर्गत दर्ज किये गये मुकदमे की सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त प्रश्नगत पत्र में अपराध सं०–265, दिनांक 6-9-94 की सी० बी० सी० आई० डी० की जांच कराये जाने की मांग की गयी है । शासन द्वारा वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया । तदनुसार क्षेत्राधिकारी इगलास द्वारा की गयी जांच के अनुसार पुलिस विवेचना में श्री गिरिराज किशोर के विरुद्ध भा० द० वि० की धारा 307/120 बी का जुर्म होना पाया गया जिसका आरोप-पत्र दिनांक 24-11-94 प्रेषित किया जा चुका है ।

वित्त विभाग (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) के सहायक के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र

158–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के वित्त विभाग (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग) में कार्यरत श्री सुरेन्द्र नाथ अवर वर्ग/प्रवर वर्ग सहायक के पद पर लगभग 14 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत होने एवं गम्भीर अनियमितताओं/भ्रष्टाचार/दुराचार की शिकायतें प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6-4-95 एवं 16-5-95 द्वारा प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण कहीं अन्यत्र शाखा में करेगी ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत शिकायती-पत्र श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, प्रवर वर्ग सहायक के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं किन्तु इस नाम का कोई प्रवर वर्ग सहायक/अवर वर्ग सहायक संस्थागत वित्त सचिव शाखा के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग में कार्यरत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के आई० टी० आई स्कूलों, इनमें कार्यरत प्रधानाचार्यों एवं इनके रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

159–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने आई० टी० आई स्कूल हैं ? इनमें कितने प्रधानाचार्य कार्यरत हैं ? कितने स्थान प्रधानाचार्यों के रिक्त पड़े हैं ? इन रिक्त पदों की भर्ती सरकार क्यों नहीं कर रही है ? जनपद टिहरी गढ़वाल के आई० टी० आई देव प्रयाग, रौठधार, मुनिकीरेति चिरबटिया में अनुदेशकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं ? सरकार इन पदों में भर्ती क्यों नहीं कर रही है ?

श्री श्याम लाल यादव–

प्रदेश में शाखा आई० टी० आई सहित कुल 227 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०) हैं । वर्तमान में स्वीकृत 170 पदों के सापेक्ष श्रेणी–1 के 7 तथा श्रेणी–2 के 94 कुल 101 प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य कार्यरत हैं । प्रधानाचार्यों के 69 स्थान (श्रेणी–1के 14 तथा श्रेणी–2 के 55) रिक्त हैं । श्रेणी–1 के 14 रिक्त पदों को श्रेणी–2 के प्रधानाचार्यों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है । श्रेणी–2 के प्रधानाचार्यों की वरिष्ठता सूची मा० लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के अनुसार संशोधित करने के बाद पदोन्नति की कार्यवाही की जानी है । श्रेणी–2 के 55 रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग एवं कार्यदेशकों से प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है । आयोग से भरे जाने वाले पदों का अधियाचन सीधी भर्ती के पदों पर तदर्थ रूप से कार्यरत अधिकारियों के संबंध में निर्णयोपरान्त भेजा जायेगा तथा प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवप्रयाग में 6, रौड़धार में 6, मुनिकीरेति में 1 तथा चिरबटिया में 7 अनुदेशक के पद रिक्त हैं । अनुदेशक के रिक्त पदों को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाना है, जिसका अधियाचन अधीनस्थ चयन आयोग को भेजा जा चुका है। चयनित अभ्यर्थियों के आयोग से उपलब्ध होने पर रिक्त पदों पर तैनाती की कार्यवाही की जायेगी ?

160–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला बिजनौर के थाना नहटौर ग्राम धनपुरा के निवासी श्री सोनू पुत्र श्री राम स्वरूप के विरुद्ध दर्ज मुकदमे के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

161–डा० रमेश पोखरियाल–

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सोनू पुत्र श्री राम स्वरूप निवासी ग्राम धनपुरा, थाना नहटौर, जिला बिजनौर के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363/366 के तहत अपराध संख्या 28/92 में मुकदमा दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां । उक्त मुकदमा थाना कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल पर दिनांक 23-1-92 को दर्ज किया गया था विवेचना के मध्य दिनांक 5-2-92 को थाना कोटद्वार पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू को अपहृत लड़की लक्ष्मी सहित बन्दी बनाया गया । विवेचनोपरान्त अभियुक्त सोनू के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–25, दिनांक 15-2-92 व अभियुक्त धर्मदेव के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र संख्या–25-ए दिनांक 19-12-92 को प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

लखनऊ के नवीन श्रमिक बस्ती ऐशबाग स्थित गृह सं० 15/3 का आवंटन गलत ढंग से निरस्त किये जाने की शिकायत

162–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवीन श्रमिक बस्ती ऐशबाग लखनऊ स्थित गृह संख्या 15/3 के आवंटन को गलत ढंग से निरस्त करने के विरुद्ध श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव का पत्र दिनांक 1-11-94 व 15-2-95 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या गलत ढंग से आवंटन निरस्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम लाल यादव–

प्रश्नगत पत्र दिनांक 1-11-94 प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु इसी विषय से संबंधित पत्र दिनांक 10-11-94 एवं 15-2-95 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत मामले की जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

गाजियाबाद के हिण्डन पार क्षेत्र में बीमा निगम चिकित्सालय में नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

163–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद के हिन्डन पार क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा के अभाव को देखते हुए राज्य कर्मचारी बीमा निगम के चिकित्सालय में नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम लाल यादव–

जी नहीं।

चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत केवल बीमांकित व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्यों को ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है अतः आम नागरिकों को उक्त चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बीमांकित व्यक्ति एवं उनके सेवायोजक कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान देते हैं जिसके एवज में उन्हें चिकित्सा सुविधा आदि अनुमन्य है। अतएव बीमांकित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों को कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय से चिकित्सा उपचार की सुविधा देने का प्रश्न नहीं उठता।

164–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[5 वें बुधवार में अता० प्र० सं० 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने की मांग

165–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी एवं अर्द्धसरकारी सेवाओं में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के बजाये सभी लोगों के लिये आर्थिक आधार

पर निर्णय लेने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार कब तक गरीबी के आधार पर गरीबों को आरक्षण दे पायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर इलाहाबाद आदि स्थानों के निर्यात किये गये कालीन से प्राप्त आय का कुछ हिस्सा प्रदेश सरकार को विकास हेतु देने की मांग

166–श्री ऊदल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी तथा इलाहाबाद एवं प्रदेश के अन्य स्थानों से कालीन का निर्यात जो विदेशों में किया जाता है और करोड़ों की विदेशी मुद्रा भारत सरकार को प्राप्त होती है क्या उसमें से कुछ हिस्सा भारत सरकार प्रदेश सरकार को उन क्षेत्रों में विकसित कार्य के लिये देती है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसमें से कुछ हिस्सा प्राप्त करने का प्रयास करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

वाराणसी में श्रृंगार गौरी के जलाभिषेक के कार्यक्रम से ज्ञानवापी मस्जिद के असुरक्षा उत्पन्न होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अभी आपके समक्ष नियम–311 में एक विषय प्रस्तुत किया गया है, पहले उस पर चर्चा करा लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, कल माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने सदन में [x x x] बयान दिया है, कल ज्ञानवापी मस्जिद में जलाभिषेक हुआ है और उसमें सैकड़ों लोग घायल हुए हैं । यह औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको, इसके महत्व को देखते हुए विशेष उल्लेख के तहत ले रहा हूं । माननीय तिवारी जी, संक्षेप में अपनी बात कहें और कोई ऐसी बात न कहें जिससे सदन अव्यवस्थित हो ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, इन्होंने जो सूचना 60 लोगों के मारे जाने की दी है, वह असत्य है, यह मेरी चुनौती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी साहब, सूचना में मारे जाने का शब्द नहीं है, घायल शब्द है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, प्रेस को जो रिलीज किया है, उसमें मारे जाने का शब्द है।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद–164 के खण्ड–2 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जिसके अनुसार मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मान्यवर, कल नियम–300 के अन्तर्गत एक औचित्य का प्रश्न उठा था, नियम–56 के अन्तर्गत भी उठा था, जिस पर सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने नियम–164 (2) के अन्तर्गत सदन को कुछ सूचनायें दी थी। मान्यवर, साधारणतः जो कोई सम्मानित मंत्री विधान सभा को सूचित करता है, तो हम यह मानकर चलते हैं कि वह उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कल जो कुछ हुआ, वह उत्तर प्रदेश सरकार की सत्य से परे बात कहने का कीर्तिमान बना। इन्होंने या तो सदन को जानबूझकर गुमराह किया या तो इस सरकार को इसके अधिकारी गम्भीरता से नहीं लेते हैं। इस सरकार के स्थायित्व को लेकर जो उंगलियां उठ रही हैं, उसके कारण अधिकारीगण मंत्रियों को सही सूचना प्रेषित नहीं करते। मैं श्री हृदय नारायण दीक्षित जी के प्रति अविश्वास नहीं व्यक्त करता परन्तु माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के प्रति अविश्वास व्यक्त करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने सदन को जो सूचना दी, पूरी तरह गलत थी, दुर्भावना से प्रेरित थी, गलत तथ्यों पर आधारित और सदन को गुमराह करने वाली थी। मान्यवर, कल हमने नियम–56 के अन्तर्गत जो सूचना दी थी, जिसकी प्रतिलिपि भी हमारे पास है, उसमें हमने पूछा था कि क्या कल कोई जलाभिषेक हुआ, क्या श्रृंगार गौरी पर जलाभिषेक हुआ ? अब इस संदर्भ में मैं आपके समक्ष विधान सभा की कल हुई कार्यवाही के पृष्ठ संख्या–98 को प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसमें माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी ने कहा है "हम काल्पनिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि वहां पर न तो कोई साम्प्रदायिक दंगा होने जा रहा है और न कोई तनाव है। "न कोई तनाव है" मैं इस पर जोर देता हूं। जो सूचना मिली है, आज 31 जुलाई को श्रृंगार गौरी पर कोई जलाभिषेक नहीं किया गया है। आगे मंत्री जी ने कहा, जो सूचना हमारे पास आयी है "उन्होंने कोई जलाभिषेक नहीं किया और न ही परिक्रमा की"। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां पर कोई खास बात ही नहीं हुई। ऊपर से हमको एक सलाह दे डाली कि अनावश्यक रूप से किसी चीज को उठाने से कहीं कुछ हो सकता है कोई दूरी हो जाय। अभी तक वहां कोई ऐसी चीज नहीं है। इसलिये जो सलाह उन्होंने हमको दी थी, वह सलाह हम उन्हें सादर लौटाते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हमारे बारे में आपने कह दिया कि हमने गलत सूचना दी और काल्पनिक है तो आपकी मशीनरी ने आपको जो गलत सूचना दी है, यदि आपने उसे गम्भीरता से नहीं लिया तो आप बैठे रह जायेंगे और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा हादसा होगा कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह जायेगी और कानून व्यवस्था मिट जायेगी । आप स्पष्ट रूप से बतायें कि कैसी आपकी यह सरकार है जिसने आपको इतने गम्भीर मुद्दे पर गुमराह किया है या फिर आपने जानबूझकर जो सूचनायें आयी थी, उन्हें नजरन्दाज कर, आपने सदन को गुमराह किया है ? या तो आपकी सरकार के अधिकारियों ने गलत सूचना दी या फिर आपने सदन को गलत सूचना देकर सदन को गुमराह किया है । दोनों में से कोई एक तो सत्य से परे है। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी आप इस प्रकरण की न्यायिक जांच कराइये या फिर कम से कम बोर्ड आफ रेवेन्यू से इसकी जांच करायें और सुनिश्चित कराइये कि कौन इसके लिये दोषी हैं ? किसने सदन को गुमराह किया है ? अगर सरकार ने गुमराह किया है तो नैतिकता के आधार पर एक पल भी इन्हें सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है और महामहिम राज्यपाल जी को अपना इस्तीफा सौंपकर इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिये । अगर गुमराह अधिकारियों ने किया है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये । समाचार-पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता है लेकिन जो बुलेटिन्स, जो यू० एन० आई० व पी० टी० आई० की बुलेटिन्स आयी हैं और जो वहां से लौटकर आये हैं, उन्होंने मुझे बताया भी है, उसके अनुसार विश्व हिन्दू परिषद् के श्री सिंघल जी ने स्पष्ट रूप से प्रेस कांफ्रेंस में इस बात की घोषणा की है कि वहां पर जलाभिषेक हुआ है और जो वहां पर लाठी-चार्ज हुआ है, उसे स्वीकार किया है । बी० एस० पी० व बी० जे० पी० में क्या मिली-जुली सांठ-गांठ है ? जो लाठी चार्ज हुआ है,उसे उन्होंने जायज ठहराया है । लाठीचार्ज हुआ है, पथराव हुआ है और विस्फोट भी हुआ है । यह सरकार कितनी गूंगी व बहरी है कि बम विस्फोट को भी कहती है कि कुछ नहीं हुआ है । लाठी चार्ज से 60-70 लोग घायल हुए हैं पथराव से लोग घायल हुए हैं । क्या सरकार 6 दिसम्बर की घटना की तरह से होने देगी ? 6 दिसम्बर को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी कहते रहे कि सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कहा और विधान सभा में आश्वासन दिया । मान्यवर, मैं यह प्रसंगवश कह रहा हूं ।

(रोके जाने पर)

* श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, इनको पूरा कहने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

जो विषय यहां पर है उस पर ही बोलें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैंने सिर्फ यह कहा सिर्फ सरकार को सचेत किया मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार ने ज्ञानवापी में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी उन्होंने जानबूझकर सदन को गुमराह किया चाहे अधिकारियों ने किया हो या यहां सरकार ने किया हो, अगर अधिकारियों ने गलत सूचना दी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है तो इसकी जुडिशियल जांच या बोर्ड आफ रेवेन्यू से करायें सरकार तत्काल गलत सूचना के लिये खेद व्यक्त करें गलत सूचना के कारण सम्पूर्ण सदन से क्षमा याचना करें। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए इस पर विचार करें और यह सुनिश्चित कर लें यदि भविष्य में ऐसी व्यवस्था की जाय कि इस प्रकार की गलत सूचना यहां न आ पायें। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि जो एक बड़ा दल 177 की संख्या का है वह 60 संख्या वाले दल को समर्थन देकर उसकी कमजोरी से फायदा वसूल रहा है अगर इनकी नीयत साफ है तो 89-91 और 93 में जब चुनकर आये और 93 में सरकार नहीं चला पायें तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं जिससे कि सरकार कानून और व्यवस्था कायम करने में असफल हो जाये और यह सरकार चली जाय यह सीधा मेरा आरोप है। 1993-94 में विवादित स्थल का एक-एक ईंट गिर जाने के बाद अब यह सरकार नहीं बना पाये तो [xxx] इसलिये ऐसा माहौल बना रहे हैं।

हमने सबक सीखा है सरकार से जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं यह सरकार चाहे रहे न रहे केन्द्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि प्रदेश सरकार रक्षा नहीं कर पायेगी तो केन्द्र सरकार पूजा स्थल विधेयक को लागू करेगी। हम इसके लिये केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बचन देते हैं कि प्रदेश सरकार दृढ़ता पूर्वक इस मामले में कदम उठाये किसी भी प्रकार से उसकी सुरक्षा की जाय और जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी कल मैंने और श्री राम आसरे वर्मा जी ने ज्ञान व्यापी मस्जिद की सुरक्षा के संबंध में और वहां पर होने वाले जलाभिषेक के संबंध में एक मुद्दा उठाया था उसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो जबाव दिया उसे प्रमोद तिवारी जी ने कार्यवाही से पढ़कर बता दिया। माननीय मंत्री जी ने जानबूझकर तथ्यों को छिपाकर सदन को गुमराह किया। एक ऐसे विषय पर जो प्रदेश और देश की एकता, अखण्डता और अस्मिता से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, बनारस में विश्व हिन्दू परिषद् के द्वारा जलाभिषेक की घोषणा बहुत पहले हुई थी उसका कार्यक्रम बन चुका था। मैं पूछना चाहता हूं जब आपकी सरकार कटिबद्ध है कि मस्जिद को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा तो जिस व्यक्ति ने कानून और संविधान को चुनौती देकर सरेआम ऐलान किया उस [xxx] को सरकार ने पहले ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया जो व्यक्ति देश के साम्प्रदायिक सौहार्द को, देश के भाई-चारे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो और सरेआम चुनौती दे रहा हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। उस व्यक्ति को सरकार को दृढ़तापूर्वक गिरफ्तार करना चाहिये था। कल की घटना एक बहुत बड़ी गम्भीर घटना है इसको वास्तविक रूप में अयोध्या से जोड़ा जाये मैं मानता हूं कि जिस तरह से वहां ताला खोलने की घटना हुई उसकी समतुल्य यह बनारस की कल की घटना घटी है।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां पर कोई जलाभिषेक नहीं हुआ है, सब शान्तपूर्वक है और कोई [x x x] घटना नहीं हुई है, लेकिन बाकायदा प्रशासन के साथ मिल कर जलाभिषेक कराया गया। जो ऐसी भीड़ में होता है कि कुछ दूर से ही जल फेंका जाता है तो वही यहां भी हुआ है और सिंघल साहब ने यह कहा है कि प्रशासन ने जितना किया है उतना तो करना आवश्यक ही था। प्रशासन ने जो किया वह आवश्यक था। जो लाठीचार्ज किया, उसका भी वह समर्थन कर रहे हैं। आज प्रदेश में यदि पिछले टाइम को झांकें तो वहां वही हालात बनते जा रहे हैं। दिल्ली में आज उसी मानकिसता के लोग शासन चला रहे हैं, और जो 6 दिसम्बर की घटना हुई थी वही आज दिल्ली में मौजूद हैं। साथ ही जो उस समय प्रदेश की सरकार चला रहे थे उन्हीं के इशारे पर, रिमोट कन्ट्रोल पर यह सरकार चला रहे हैं। मान्यवर, [× × ×] अब वही पृष्ठभूमि फिर बनती जा रही है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि हम अपने इन कृत्यों से देश में भाईचारे और साम्प्रदायिक सौहार्द को खराब करते चले जा रहे हैं और हिन्दू मुस्लिम एकता के बीच की खाई को बढ़ाते जा रहे हैं। हम इस प्रदेश में ऐसी घटना के द्वारा देश को अन्धेरी गली में ढकेलते चले जा रहे हैं । उसके बाद की हालत को बताने में मुझे डर लगता है, इसके बाद हिन्दुस्तान को किस हालत में देखना पड़ेगा।

मान्यवर, बनारस में कल की जो घटना हुई है, उसके लिये मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि वह इसकी उच्च स्तरीय जांच करायें। आपने जो सदन में वक्तव्य दिया है, उस संबंध में क्या आपको जानकारी असत्य दी गई या आपने जानबूझकर सदन को गुमराह किया है। यदि आपको [xxx] जानकारी दी गई है तो ऐसे प्रशासन, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को आप अपनी सरकार के न मानकर [xxx] वह ऐसी सूचना दे रहे हैं और दी है, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री सदन में आयें और वह स्पष्ट करें कि उनकी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में क्या नीति है ? यह दल अयोध्या के साथ काशी और मथुरा को भी शामिल करते हैं, जिनके दम पर यह सरकार चला रही है तो मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करें कि बनारस की मस्जिद के बारे में सरकार की क्या नीति है, तथा वह इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेंगी या नहीं करायेगी और क्या वह भविष्य मे उसकी सुरक्षा की पूरी गारेन्टी लेती हैं ? दिल्ली की संसद में जो सुरक्षा की बात कही गई थी, श्री कल्याण सिंह जी ने नेशनल इन्टीग्रेशन कमेटी की बैठक में जो सुरक्षा की गारन्टी ली थी, तो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति ने देश के अल्पसंख्यक वर्ग को पूरा भरोसा दिलाया था बाबरी मस्जिद को आंच नहीं आने दी जायेगी और इसके बावजूद भी वहां घटना घट गई। मान्यवर, उन्हीं के लोग उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली में काबिज हैं। मैं चाहूंगा माननीय दीक्षित जी आप मुख्य मंत्री जी को बुलायें और उनसे कहें कि सरकार दूसरे नम्बर पर है और देश का भाई चारा, देश की अखण्डता पहले नम्बर पर है। ज्ञान वापी मस्जिद की सुरक्षा करते हुए यदि आपकी सरकार भी जाती है तो हमें कोई परवाह नहीं है। मैं आपसे ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा की गारन्टी दिये जाने और जो कल हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच की घोषणा किये जाने की मांग करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हम लोगों ने कल ही इस सदन में यह शंका व्यक्त की थी कि विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में जलाभिषेक किया

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जा रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस सदन को आश्वास्त किया और उनके आश्वस्त करने से यह सदन भी और हम सब लोग आश्वास्त हो गये कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री, सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि सरकार का पक्ष रख रहे हैं कि वहां पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई तनाव की स्थिति नहीं है, कोई घटना नहीं हुई लेकिन आज पूरे प्रदेश और देश और दुनिया को मालूम चला है कि वहां पर जो जलाभिषेक का कार्यक्रम था, श्रृंगार गौरी की पूजा और अर्चना की गई। यह सारे कार्यक्रम सम्पादित किये गये और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन मूक दर्शक की तरह सहयोग करता रहा।

मान्यवर, यह जलाभिषेक का कार्यक्रम एक माह पूर्व घोषित था। इस कार्यक्रम को सम्पादित न होने देने की सरकार की घोषणा हो रही थी कि उस परिसर की सुरक्षा की जायेगी और इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होगा वाराणसी के पुलिस और जिलाधिकारी का ही वक्तव्य नहीं है वहां के डी० जी० सुरक्षा और डी० जी० इन्टेलीजेंस ने उस परिसर का दौरा किया और पूरे देश और प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया कि जो पर्याप्त सुरक्षा बल है, उसकी वहां व्यवस्था की गई है। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के सारे उपाय किये गये हैं, वहां सारे इन्तजामात इतने पुख्ता हैं कि विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल द्वारा घोषित जलाभिषेक कार्यक्रम को सम्पन्न नहीं होने देंगे। 30 जुलाई को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वाराणसी का कहना कि 30 कम्पनियां अर्द्धसैनिक बल की वहां है। मान्यवर, एक छोटी सी जगह में जहां पर पतली सी गली है, एक ही आदमी जा सकता है, सुरक्षा के लिये 30 कम्पनी अर्द्धसैनिक बल उपलब्ध कराया जाय। इतने सब सुरक्षा उपायों को ध्वस्त करते हुए विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां गये और विश्व हिन्दू परिषद् के महामंत्री और बजरंग दल के लोगों के नेतृत्व में पंडित कमलदास वेदान्ती ने पूजा अर्चना कराई। सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर तक लोग गये और घोषणा सरकार कर रही थी कि हम इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे, वहां सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। इतना ही नहीं संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में कहा कि वहां सारी स्थिति सामान्य है। स्थिति यह थी कि वहां वाराणसी में प्रातः आठ बजे से ही विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के जो लोग जगह-जगह से आये थे हजारों की तादात में जिस तरह के नारे लगा रहे थे, उद्घोष कर रहे थे कि कल वहां पर कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गयी थी। कानून व्यवस्था पंगु हो गई थी। "एक धक्का और दो, ज्ञानवापी तोड़ दो"। इस तरह के नारे लगातार लगाये जा रहे थे। मान्यवर, आप जांच करवा लें और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहें [illegible] बतायें कि कल वहां पर इस तरह के नारे लगाये जा रहे थे कि नहीं "एक धक्का और दो, ज्ञानवापी को तोड़ दो" काशी में क्या बोलेगा-बम बोलेगा, बम बोलेगा, इस तरह के नारे लगाये जा रहे हैं। काशी के एक इलाके में बम विस्फोट भी हुआ।

"दुष्टों का संहार करो, मंदिर का निर्माण करो।" नारे लगाते हुए वह टाउन हाल से ज्ञानवापी मस्जिद तक पहुंच गये। तीन-तीन किलोमीटर की दूरी पर ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ जी का मंदिर है। इस तरह से साम्प्रदायिक नारे लगा रहे थे तो इन नेताओं को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। इन लोगों को ज्ञानवापी परिसर में जाने दिया गया। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इनको जाने दिया ताकि वह 32 लोगों के महामंत्री के नेतृत्व में श्रृंगार गौरी का दर्शन करें। इसको संसदीय कार्य मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी कहें कि यह जिलाधिकारी का वक्तव्य नहीं है। जिलाधिकारी विश्व हिन्दू परिषद् के महामंत्री को वी० आई० पी० कैडर में लेकर श्रृंगार गौरी के दर्शन कराने ले गये और जलाभिषेक कराया। उनके दर्शन का क्या औचित्य है ? कोई राजनीतिक पार्टी अगर कोई प्रदर्शन करती है तो हजरतगंज से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। जबकि इस विधान सभा के लिये हमारा अधिकार है, पूर्व घोषित कार्यक्रम के बाद किसी दल का नेतृत्व किया जा रहा हो तो गिरफ्तारियां होती हैं। बेगम हजरत महल पार्क, सप्रू मार्ग और हजरतगंज में गिरफ्तारियां होती हैं और वह लोग इस तरह के नारे लगा रहे थे तो उन्हें श्रृंगार गौरी के दर्शन और पूजा करने के लिये जाने दिया गया। इस तरह की परिस्थितियां हुई तो साफ जाहिर है कि मुख्य मंत्री जी स्पष्ट रूप से कहें कि जिला प्रशासन को

सारी व्यवस्था कमजोर थी या इनके दबाव इनके सहयोग में जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ वह इस बात को कहें। इसी तरह से अर्ध सैनिक बल अयोध्या में लगाया गया था वहां भी इस तरह की स्थिति हुई उसको सभी जानते हैं। सारी व्यवस्थाओं के बावजूद आज इसकी पुनरावृत्ति हो गयी। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर दिया गया। कल हजारों-हजार लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत दे दी गई। वहां का पूरा इलाका सरचार्ज हो गया इसके बाद ऐसी स्थिति बनी। लगातार आन्दोलन का स्वरूप दिया गया। एकात्मक यात्राएं होती हैं। कहा गया है कि 22 हजार यात्रायें शुरू करेंगे। इसका क्या मतलब है इसकी मंशा यही है कि लोक सभा में लक्ष्य को हासिल करना। सत्ता के लिये इसे धार्मिकता का आवरण दिया गया। धार्मिकता का आवरण देकर वहां जलाभिषेक की कार्यवाही की जा रही है। काशी मथुरा की बात की जा रही है यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री ऊदल--

यह विषय बहुत ही गम्भीर और संवेदनशील विषय है। मैं चाहता हूं कि जनरल डिस्कशन बजट के ऊपर हो रहा था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जब बहस पर जनरल डिस्कशन का आखिरी दिन था तब मैंने इस प्रश्न को भी इस माननीय सदन में कहा था और सरकार को आगाह किया था कि भविष्य में यह मामला गम्भीर हो जायेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने इस पर गौर नहीं किया "नक्कार खाने में तूती की आवाज" यह मैंने कहा था। दूसरे सोमवार जो बीत गया उसमें भी कुछ लोगों ने बहुत बड़ा प्रयास किया कुछ मारपीट भी हुई, पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये पिछले दूसरे सोमवार को इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैंने जब कहा कि वहां से अशोक सिंघल के नेतृत्व में बहुत बड़ा हुजूम वाराणसी में इकट्ठा हुआ है। टाउन हाल के मैदान में और दो-तीन जगह तीन तरफ से यह यात्राएं निकाली जा रही हैं। जलाभिषेक के लिये विश्वनाथ मंदिर में लोग जलाभिषेक के लिये जा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह ज्ञानवापी मस्जिद के किनारे जहां श्रृंगार गौरी कहते हैं यह कोई मंदिर नहीं है। न वहां कोई मूर्ति है उस दीवार में यह ताखा है जिसमें खुराफात मचाने के लिये सिन्दूर लगा दिया गया है जैसे पेड़ों में सिन्दूर लगा दिया जाता है। इस तरह से उसको श्रृंगार गौरी का नाम दे दिया गया है। उस श्रृंगार गौरी जलाभिषेक के नाम पर बहुत बड़ा हुजूम अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में वहां गया। यह उनकी घोषणा पहले से थी, अगर सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन की निष्क्रियता का सबूत है।

प्रशासन निष्क्रिय हो गया है। उसने उस घोषणा के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वहां लाठीचार्ज हुआ और काफी लोगों को चोटें आईं। आज आप अखबारों में देखेंगे तो पढ़ेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज हुआ। अशोक सिंघल जी कहते हैं प्रशासन ने जितना किया उतना करना ही था। अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं हुजूम पैदा कर दिया व मारपीट कर दी तो नेतागण जिम्मेदारी लेते वक्त कहते हैं कि यह हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं और मैं बहुत ही मजबूती के साथ इस बात को कहना चाहता हूं। परसों दो-तीन दिन पहले बाल ठाकरे जी का बयान आया है शिवसेना के जो प्रमुख हैं। उनके बयान पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर ले उन्होंने कहा है। काशी मथुरा हम लेकर रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा है हजारों मस्जिदें जो बनी हैं, वह हमारे यहां के मंदिरों को तोड़कर बनायी गयी हैं। इसलिये उनको भी हम बाद में लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही होता है कि इस देश में जो साम्प्रदायिक एकता है, जो भाईचारा है वह खत्म होकर रहेगा। देश धू-धू करके जलेगा। मैं कल्याण सिंह जी से भी कहना चाहता हूं आप पूरे देश पर राज करने का सपना संजोए हुए हैं। पिछली बार आपने कहा था, आपके दल ने कहा था। अबकी पांच प्रदेश उसके बाद पूरा देश। अब आपको पूरा देश दिखायी दे रहा है क्योंकि आप पूरे देश की बात करते हैं। जब देश धू-धू करके जलेगा, देश की एकता और अखण्डता खतरे में पड़ जाएगी, देश साम्प्रदायिकता की आग में जलेगा, भाई चारा खत्म हो जाएगा। तो आप राज किसके ऊपर करेंगे? मैं आपके ऊपर बहुत कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं। लेकिन विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। देश पहले है जिसकी आप हमेशा बात करते हैं उसके बाद देश की एकता और अखण्डता।

कल भी मैंने कहा था कि हमारा देश बहु जातीय, बहु धर्मीय और बहुभाषा भाषी देश है । इसकी एकता सर्वोपरि है । कोई काम हमको आपको या किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे देश की एकता या अखण्डता और साम्प्रदायिक एकता को खतरा पहुंचे और देश धू-धू करके जले । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कल आपने मेरी बात पर कहा था कि यह कपोल कल्पित बातें कह रहे हैं, मनगढंत बातें कह रहे हैं तो श्रीमन्, आप जानते हैं कि मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूं लेकिन जिन लोगों ने आपको गलत रिपोर्ट दिया है उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें । आप कहते हैं कि हम जांच कराना चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप किससे जांच करायें। मेरी राय आप मान लें तो ठीक है । आगे कोई घटना अयोध्या की तरह न घटे इसलिये आप आई० जी० (कार्मिक) श्री चमन लाल भाई जी उर्मिल जिनको वहां के चप्पे-चप्पे का ज्ञान है उनको भेज कर वाराणसी की पूरी जांच कराइये और भविष्य के बारे में उनसे कोई रूपरेखा तैयार करने के लिये कहें। यदि सरकार यह काम करेगी तो मैं समझता हूं कि देश की एकता और अखंडता, देश की साम्प्रदायिक एकता कायम रहेगी । इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ।

श्री राम स्वरूप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी,

एक सदस्य–

अधिष्ठाता नहीं अध्यक्ष जी ।

* श्री राम स्वरूप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं । माननीय अध्यक्ष जी आज जो चर्चा हो रही है, वह विषय बड़ा भयंकर और गम्भीर है । जिस पर आज यहां चर्चा हो रही है उस विषय पर कल आपके समक्ष हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने इन बातों को काल्पनिक कहा था और कल वहां पर जो घटनाएं हुई हैं उनको अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया है । इस विषय पर मैं ज्यादा न कहकर इतना कहना चाहूंगा और चेतावनी देना चाहता हूं, मेरा खुला आरोप [× × ×] वहां पर इस तरह की भीड़ इकट्ठी हुई, दंगा हुआ और लाठीचार्ज हुआ और बम विस्फोट हुआ, यह सब इस बात का प्रतीक है कि यह सोची समझी साजिश, स्कीम के मातहत और षड़यंत्र के मातहत कल की घटना घटी है । इसमें सरकार दोषी है । ऐसी सरकार को एक घंटे नहीं रहना चाहिए । यह सरकार खुद त्याग पत्र नहीं देगी लेकिन मेरी मांग है कि सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए तभी इस प्रदेश में अमन रहने की संभावना हो सकती है ।

(श्री कल्याण सिंह के खड़े होने पर मेजों की थपथपाहट)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे कहने का अवसर दिया । श्रीमन्, इस माननीय सदन में प्रश्न किये जाते हैं और सरकार उनका उत्तर देती है । उत्तर भी प्राप्त

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सूचना के आधार पर होते हैं। अपेक्षा की जाती है कि सरकार सही सूचना दे और सही आधार पर प्रश्न का उत्तर दे परन्तु अगर किसी विषय पर कोई गलत सूचना आ गयी तो सरकार को इसे सही करने का अधिकार है और जिसने गलत सूचना दी है उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार सरकार को है। बात केवल इतनी है कल जो कुछ प्रश्न आया, सूचना सही या गलत थी, संसदीय कार्य मंत्री जी उसके बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमन्, यहां पर बार-बार यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी रिमोट कन्ट्रोल से सरकार चला रही है। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा का रिमोट कन्ट्रोल से सरकार चलाने का न इरादा है और न चला रही है।

सरकार बसपा की है और भाजपा की नहीं, सरकार सुश्री मायावती की है। हां, लोकतंत्र की रक्षा के लिये और गुण्डाराज मिटाने के लिये हमने अपना समर्थन उनको दिया है। हम किसी प्रकार भी इस शासन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं और हम करते भी नहीं है। सरकार में बैठे लोग सक्षम हैं और योग्य हैं और शासन तंत्र को चला रहे हैं। हम उनकी योग्यता पर क्यों सन्देह करें हमने बसपा को बिना शर्त समर्थन दिया है और मायावती का उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बन जाना पहले दिन से ही कांग्रेस को रास नहीं आया और जनता दल को रास नहीं आया और कम्युनिस्ट पार्टी को रास नहीं आया। मुलायम सिंह को रास आ नहीं सकता, वह नहीं हैं इसलिये उनके बारे में क्या कहें। इसलिये हर एक कोई न कोई बिन्दु निकालकर अगर कहे कि भाजपा और बसपा में मतभेद पैदा होजाय कोई तनाव पैदा हो जाए तो मैं अपने मित्रों से बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी यह नापाक कोशिश कामयाब नहीं होगी। भाजपा और बसपा के बीच में किसी तरह का कोई तनाव नहीं है कोई मतभेद नहीं है और कोई गलतफहमी नहीं है, हम दिल से बोल रहे हैं। उसी पर हम आ रहे हैं। तो श्रीमन्, जो जलाभिषेक का कार्यक्रम है वह धार्मिक और सदैव से होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। जो केवल छद्म पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, वे ही ऐसा सवाल उठाते हैं और करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं और इसी कारण इनकी संख्या घटते-घटते शून्य हो गयी। अब शून्य तक पहुंच रही है, कांग्रेस शून्य से कुछ थोड़ा आगे बची है।

इसलिये तथाकथित विकृत सेकुलरिज्म के नाम पर देश की राष्ट्रीयता के साथ खिलवाड़ न करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। मान्यवर, जब कभी कोई प्रश्न आता है तो 6 दिसम्बर की घटना को दोहराया जाता है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री कल्याण सिंह ने सदन में कहा था, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् में कहा था, उच्चतम न्यायालय में कहा था कि ढांचे की सुरक्षा की जायेगी। मैंने कहा था, मैंने तीनों जगह कहा था। यह सच है और यह भी सच है कि ढांचे की सुरक्षा नहीं की जा सकी। गांव का प्रधान तो अपनी प्रधानी नहीं छोड़ा करता हमने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी छोड़ दी त्याग-पत्र दे दिया। आप कहते हैं कि सजा हो गयी तो मैं कहता हूं सजा भी हो गयी एक दिन की और जुर्माना भी हो गया 2 हजार रुपये का। 6 दिसम्बर, 1992 को यह हमारा आदेश था, जितनी बड़ी वहां पर संख्या इकट्ठा हो गयी थी, जो रिपोर्ट आयी थी, तो मैंने कहा था कि गोली न चले। इतनी बड़ी लाखों की संख्या पर गोली चलाई गयी होती तो हजारों लोग मर जाते और ढांचा भी न बचता। जो परिस्थिति वहां पर पैदा हो गयी थी उसमें हमने निर्णय लिया था कि हम लोगों की जान नहीं लेंगे, ढांचे की सुरक्षा का हमने वहां पर प्रबन्ध किया था, लेकिन उसके बाद भी ढांचा सुरक्षित नहीं रह सका। इसकी जिम्मेदारी हमने अपने

ऊपर ओढ़ी, हमारे किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी का कोई दोष नहीं है, सजा होनी है तो हमको हो और किसी को नहीं।

स्थानीय अधिकारियों ने अपने विवेक से जो कुछ किया वह ठीक किया। हम श्रीमती इन्दिरा गांधी नहीं हैं कि आपातकाल की सारी ज्यादतियों की जिम्मेदारी को वहां के अधिकारी पर मढ़ दिया। न हम मुलायम सिंह हैं कि 13 सितम्बर को सारी बातें कराई, न्यायालय पर हमला कराया था और उसमे सस्पेंड किये गये थे अधिकारी लोग, हम उनमें नहीं हैं। हम वह राजनीतिक कार्यकर्ता हैं कि अगर कोई बात हुई तो उसके जो परिणाम हैं उसको भोगने के लिये तैयार रहते हैं। हमने एक दिन की सजा काटी है और दो हजार रुपया जुर्माना दिया है। श्रीमन्, राम जन्म भूमि व राम मंदिर के प्रति भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 6 दिसम्बर को एक ऐतिहासिक घटना हो गयी और 400 साल पुराना गुलामी का ढांचा गिर गया और अब दुनिया की कोई ताकत राम के अधूरे मंदिर को बनाने और उसको पूरा करने से रोक नहीं सकती।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

जो विषयवस्तु है, उसी पर बोलें।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैंने बड़ी शांति के साथ सबकी बातें सुनी हैं, आलोचना सुनी है अब मुझे उस पर बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं उस विषय पर बोल रहा हूं जिस पर मेरी आलोचना की गयी है या तो ये आलोचना करना बन्द करें, यही बात कल भी कही गयी थी कि कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्य मंत्री बैठे हैं इन्होंने सजा काटी है। श्रीमन्, एक दिन की सजा की क्या बात है मैं रामजन्म भूमि के लिये पूरे जीवन भर की सजा भोगने को तैयार हूं और दो हजार रुपये के जुर्माने की जगह सारी सम्पत्ति को देने को तैयार हूं। यह बार-बार मस्जिद मस्जिद कर रहे हैं। श्रीमन्, जब ढांचा गिरा था तो प्रधान मंत्री ने मस्जिद मस्जिद कहकर सारे देश में उसकी बदनामी कराई और ढांचे की गरिमा को गिरा दिया।

(व्यवधान)

श्रीमन्, उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, लखनऊ ने 6 दिसम्बर से पहले जजमेन्ट दे दिया होता तो परिस्थितियां दूसरी होती। इसलिये बार-बार यह बात उठाना उचित नहीं है। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप विषयवस्तु पर बोलें।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, जब ताला खोला गया था तो मंदिर का खोला गया था या मस्जिद का खोला गया था, ताला किसने खुलवाया। जब देखें श्रीमन्, एक ही चीज उठायी जाती है इसलिये इस नाते से मैंने उत्तर दिया है सरकार को भाजपा का पूरा समर्थन है, सरकार अच्छी तरह से चल रही है, सरकार मजबूती से चल रही है और मैं चाहता हूं कि यह पूरी मजबूती से चले, भाजपा का समर्थन इस सरकार के साथ है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं अपनी बात को माननीय कल्याण सिंह जी ने जो कहा उसी से शुरुआत करता हूं। माननीय कल्याण सिंह जी ने इन्दिरा जी स्वर्गीय प्रधान मंत्री से अपनी तुलना करी तो मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन्दिरा जी और उनके परिवार ने अपने देश में आतंकवाद और साम्प्रदायिकता से लड़ते हुए अपनी जान दी। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में किसी नेता ने इस देश में इस प्रदेश में साम्प्रदायिकता की आग को बुझाने के लिये आज तक जान नहीं दी।

(घोर व्यवधान)

यह सही है कि आतंकवाद के नाम पर किसी ने जान नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश में आतंकवाद को पैदा कर रही है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी केन्द्र में सरकार आपकी रही है और आतंकवाद भा०ज०पा ने पैदा कर दिया?

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सब बातें इस बात की गवाह हैं कि साम्प्रदायिकता और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली इस देश में यह पार्टी है। जहां तक माननीय कल्याण सिंह जी ने सरकार को अपने रिमोट पर चलाने की बात कही, ठीक ही आपने कहा है। हमें तो कहने की जरूरत नहीं है। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रिमोट पर यह सरकार चल रही है। पूरा देश पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है। हमारे लिये यह कहा गया कि हमने पूर्व सरकार को समर्थन देकर इसकी कीमत चुकायी है। कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी चाहे आप जितना ना कहते जा रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि पहले दिन से जब से प्रदेश में दलित मुख्य मंत्री बनीं, कांग्रेस के लोगों को यह रास नहीं आ रहा है। मान्यवर, प्रधान मंत्री नहीं चाहते तो इस प्रदेश की दलित मुख्य मंत्री सुश्री मायावती नहीं होती।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। हमने माननीय कल्याण सिंह जी की तल्ख से तल्ख बात सुनी, अगर यह सच्चाई का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सच्चाई है कि अगर कांग्रेस नहीं चाहती, हमने तो इन्हें भागते देखा है, इस विधान सभा में यह बैठ नहीं पाते थे

(घोर व्यवधान)

अगर हम वह सरकार बर्खास्त न करते, यह रनबांकुरे इस दरवाजे से निकल-निकल कर भागते थे, दारुलशफा और रायल होटल तक सांस नहीं आती थी, आवाज नहीं निकलती थी, जब तक मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव रहे ।

(श्री प्रमोद तिवारी के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद जी नहीं, मैं नरेश अग्रवाल जी को सुन रहा हूं ।

* श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, यह 47 से 27 हुए अब 7 भी नहीं आ पायेंगे ।

यह तंदूर कांड के अभ्यस्त हैं । इनकी तो मजबूरी थी इसके अलावा यह कुछ कर भी नहीं सकते थे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जितनी भी बातें मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कह रहा हूं । इन्दिरा जी के बारे में यहां पर कहा गया । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी बाजपेयी जी ने इन्हीं इन्दिरा जी को दुर्गा मां कहा था आज उन्हीं इन्दिरा जी के खिलाफ यह कह रहे हैं । तो यह अपने नेता अटल बिहारी जी के खिलाफ कह रहे हैं, अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ कह रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, उल्टा सीधा कहकर किसी तरह से इनका भाषण अखबार में छप जाये यह चाहते हैं । इनको तो छपास का रोग लग गया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

सुश्री मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने विषय तक ही सीमित रहें । विषय से भटकें नहीं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

ठीक है मान्यवर, मैं विषय पर ही बोलूंगा । श्रीमन्, आज वैचारिक मतभेद दोनों दलों भारतीय जनता पार्टी व बसपा के बीच में हो गये हैं । आज भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या, काशी और मथुरा के बारे में क्या नीति है बसपा के सुप्रीमो की क्या नीति है ? [× × ×]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, माननीय कांशी राम जी संसद के आदरणीय सदस्य हैं और यह परम्परा रही है कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है और जवाब देने के लिये यहां पर उपस्थित नहीं है उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती । मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये । माननीय नरेश अग्रवाल जी ने शौचालय शब्द का प्रयोग किया है । हो सकता है कि उन्हें यह शब्द अच्छा लगता हो लेकिन इस सदन में इस तरह का प्रयोग न किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं विचार कर लूंगा और जो भी असंसदीय होगा उसे कार्यवाही से निकलवा दूंगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, कल्याण सिंह जी की गांधी जी के बारे में क्या नीति है ?

श्री अध्यक्ष–

यह विषय नहीं है । अब आप बैठ जाइये । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे दल पर चार्ज लगाया गया । मान्यवर, अगर केन्द्र की सरकार नहीं चाहती तो आज मायावती जी मुख्य मंत्री न होतीं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, दोहरी नीति न अपनायें । इस तरह से सदन नहीं चलेगा । एक दल के नेता के ऊपर आरोप लगाया गया है तो उसका जवाब भी सुनना होगा । अगर आप उसे रिकार्ड से निकलवा दें तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें । माननीय अग्रवाल जी शुरुआत में 6 दिसम्बर का नाम प्रमोद तिवारी जी ने लिया था और उसकी सफाई कल्याण सिंह जी ने दी । फिर ये गांधी जी बीच में कहां से आ गये ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह दोहरी नीति नहीं चलेगी । इन्होंने इन्दिरा जी का नाम लिया । मान्यवर, दो तरह की नीति सदन में नहीं चलेगी ।

मैं कल की घटना के संबंध में कहना चाहता हूं। कल उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी और उत्तर प्रदेश विधान सभा में गलत उत्तर दिया गया और भारत की संसद में कुछ और बयान दिया गया। दोपहर 12.00 बजे यू० एन० आई० ने कुछ और न्यूज फ्लैश किया, इससे यह प्रतीत हुआ कि यह सरकार किसी दल के रिमोट पर इस सदन में सही बयान नहीं दे रही है और यह सरकार सचमुच साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। कल ढाई बजे जो उत्तर यहां दिया गया, वह सही उत्तर आना चाहिए था। माननीय मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी की जिम्मेदारी है, वह आज इस सदन में आये और घोषणा करें कि काशी, मथुरा और अयोध्या के संबंध में सरकार की क्या नीति है? क्योंकि कल 31 तारीख को मथुरा में इस तरह की घोषणा हुई है। एक तरफ बाबरी मस्जिद वालों की तरफ से स्पष्ट घोषणा हुई है कि वह नमाज अदा करेगें और दूसरी तरफ विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा वहां हवन करने की घोषणा हुई है। कल संसद में भी सदस्यों ने इस बात पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है और कहा गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार साम्प्रदायिकता को बढ़ावे तो क्या 356 का उपयोग फिर किया जायेगा?

मान्यवर, यह 5 राज्यों की बात कर रहे थे, 3 तो चले ही गये, आज राष्ट्रीय एजेन्डा सबकी निंगाह में है, लेकिन साम्प्रदायिकता को बढ़ाने नहीं दिया जायेगा, अगर यह कमजोर सरकार, कठपुतली सरकार साम्प्रदायिकता को रोकने में सफल नहीं हुई तो गौरव होगा, यह कहने में कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को कानून व्यवस्था का अधिकार प्राप्त हो या न हो, कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने नहीं देगी और 356 लागू करना पड़ा तो गौरव के साथ लागू करेगी, लेकिन साम्प्रदायिकता को किसी सूरत में बढ़ने नहीं देगी। मेरा निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री जी को बुलाइये और सही स्थिति का बयान कीजिये और इस बात का विश्वास दिलाइये कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहेगी।

श्री राम आसरे वर्मा

कल इस सदन में ज्ञानवापी मस्जिद सिलसिले में जो आशंकायें व्यक्त की गई थी, वह सही साबित हुई है और सरकार ने सत्य से परे बयान देकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है और यह सरकार आज जनता की अदालत के कटघरे में खड़ी हुई है। कल जब ज्ञानवापी के बारे शंका व्यक्त की गई थी कि 31 जुलाई को वहां पर जलाभिषेक के नाम पर मस्जिद को ढहाने का षडयंत्र किया जा रहा है और इस प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने का सामान जुटाया जा रहा है, सरकार ने बहुत हल्के तौर पर इसको लिया था और जिस तरह से हल्के तौर पर लिया था, उसका जिक्र कई माननीय सदस्यों ने आज यहां किया है. मुझे कष्ट हो रहा है कि एक तरफ जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का प्रकरण शुरू हुआ है और जो खेल कांग्रेस और भाजपा के बीच में दिखाई दे रहा है. [× × ×]

मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अगर कल उत्तर प्रदेश जला था तो लकड़ियां इकट्ठा करने का काम किया था कांग्रेस ने, [× × ×] मुलायम सिंह यादव ने

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

नोट :– [× × ×]. यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तीनों के मिली जुली साजिश का नतीजा था कि प्रदेश धू-धू करके जल गया था, अनेक लोग इस दुनिया से विदा हो गये थे, करोड़ों की सम्पत्ति स्वाहा हो गयी थी और मान्यवर, देश-विदेश में उत्तर प्रदेश की जो बदनामी हुई थी, उस बदनामी का दाग अभी हम धो भी नहीं पाये हैं कि ज्ञानवापी शुरू हो गयी, कल जलाभिषेक भी हुआ। श्रृंगार गौरी के नाम पर मस्जिद पर नारे लगाये जायें, मस्जिद को ढहाने का प्रयास किया जाये, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को फिर से साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने का यह सामान जुटा रहे हैं। अगर सरकार ने इसको गम्भीरता से न लिया तो कल कटघरे में खड़े थे, आज जब इस सदन के अन्दर मुद्दा उठा तो इस मुद्दे की तरफ ध्यान न जाये दूसरी बातें शुरू हो गयी । माननीय कल्याण सिंह जी ने 6 दिसम्बर की सफाई देनी शुरू कर दी। मान्यवर, 6 दिसम्बर 1992 को प्रदेश की साम्प्रादायिकता की आग में जलाने का सिलसिला शुरू हुआ था। मैं कल्याण सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर, 92 को .....

श्री अध्यक्ष

6 दिसम्बर का नाम माननीय वर्मा जी न लें। विषय वस्तु पर ही बोलें।

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, अगर यह कल्याण सिंह जी 6 दिसम्बर के बारे में पूछना चाहते है तो उसका उत्तर देना पड़ेगा।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, ज्ञानवापी में भी वही सिलसिला शुरू हो गया है, जो सिलसिला प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में जलाने को लिए 6 दिसम्बर 92 को शुरू हुआ था, जब चबूतरा निर्माण की अनुमति माननीय कल्याण सिंह जी ने ली और कार सेवक इकट्ठा हो गये।

श्री अध्यक्ष

माननीय वर्मा जी, 6 दिसम्बर का आज कोई विषय वस्तु नहीं है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। आज की विषय वस्तु है कल के जलाभिषेक का, वाराणसी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी का उस पर अपनी बात करें। 6 दिसम्बर का नाम न लें।

श्री राम आसरे वर्मा

मान्यवर, अगर इजाजत नहीं है तो मैं उस 6 दिसम्बर का जिक्र नहीं करूंगा जिस 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद ढहायी गयी थी। मैं जिक्र कर रहा हूं उसके पहले के 6 दिसम्बर का। मान्यवर, माना कि 6 दिसम्बर काला दिन था जिसको लोग याद रखेंगे लेकिन 6 दिसम्बर को कलेण्डर से नहीं निकाला जा सकता है। मान्यवर, कांग्रेस और भा० जा० पा० इस प्रदेश को मिल जुल कर जला चुके हैं। कल पालियामेंट के अन्दर भी इस पर चिंता व्यक्त की गयी। आज ज्ञानवापी की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है और जो आशंका व्यक्त की जा रही है, वह सही साबित हो रही है। प्रदेश में साम्प्रदायिकता का माहौल बनने का जो सिलसिला शुरू हो गया है उसके परिणाम बड़े घातक होंगे और अगर प्रदेश जलेगा, तो न हम बचेंगे और न ये लोग बचेंगे, जो जलाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने कल सदन को गुमराह करके प्रदेश को धोखा देने का काम किया है। मैं चाहूंगा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि एक तरफ यह जवाब दे रही थी कि जलाभिषेक नहीं हो रहा है, उस समय जलाभिषेक हो रहा था, परिक्रमा

हो रही थी और शासन और प्रशासन के लोग अशोक सिंघल और उनके साथ जो भी सिरफिरे, विश्व हिन्दू परिषद् के सिरफिरे थे, मैं उनको सिरफिरा ही कहूंगा, भा० जा० पा० के लोग उनके कुकर्मों का जिम्मा लेना चाहते है । तो कहें कि उनके कुकर्मों का हम जिम्मा लेते हैं। उन सिर-फिरे लोगों को प्रशासन ने सांठ-गांठ करके जलाभिषेक कराया और परिक्रमा भी करायी और यहां पर भेज दिया कि जलाभिषेक नहीं हुआ। वहां पर लाठी चार्ज हुआ और 50-60 लोग घायल भी हुए। उस भीड़ को इकट्ठा होने का मौका प्रशासन ने दिया और सांठ-गांठ के तहत दिया। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार श्री नरसिम्हा राव जी ने कारसेवक के लिए ट्रेन फ्री कर दी थी। आज ठीक उसी तरह का सिलसिला शुरू हो गया है। आज भयानक परिणाम की आशंका से मुकरा नहीं जा सकता है। इसलिए सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि सरकार [× ×] बोल रही है या वहां पर होने वाली घटनायें झूठी हैं। हम संसदीय कार्यमंत्री जी के बारे मे कहना चाहते हैं कि कल उन्होंने जो बयान दिया था और सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया था कम से कम आज अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा सरकार करे। कल जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने [× ×] बोला है, अब वह अधिकृत नहीं रह जाते हैं कि इस गम्भीर मुद्दे पर कि वे अधिकृत रूप से कोई बात यहां पर कह सकें । इसलिये मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस गम्भीर मुद्दे पर, शंकायें प्रबल हैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलवायें और उनसे ज्ञानवापी की सुरक्षा के बारे में जो घटनाक्रम घटित हुए हैं, उसके बारे में वह यहां पर आकर अपना स्पष्टीकरण दें और हम सरकार से चाहेंगें कि वह स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि ज्ञानवापी की सुरक्षा की जायेगी और उत्तर प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग मे झोंकने से बचाया जायेगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन् कल विपक्ष के तमाम विद्वान माननीय सदस्यों ने वाराणसी के मामले को इस आदरणीय सदन में उठाया था और इस पर मैंने जो उत्तर दिया था, उस उत्तर को लेकर आज सभी हमारे विद्वान साथी काफी उत्तेजित है परन्तु कृपा करके उन्होंने अपने विचार उत्तेजना में व्यक्त नहीं किये है। सबसे पहले तो मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह बताना चाहता हूं कि सरकार किसी भी तथ्य को, किसी भी घटना को किसी भी प्रकार से छिपाना नहीं चाहती है। कल श्रीमन् जब मै यहां पर बोल रहा था, सदन की कार्यवाही में समय भी लिखा जाता है, उस समय श्रीमन् लगभग दो बजकर 50 मिनट पर यहां पर मैंने बात शुरू की थी और उस समय तक हममारे पास जो भी सूचनायें संबंधित विभागों से प्राप्त हुई थी उनमें यह बताया गया था कि वहां पर कोई न तो अशान्ति है और नही कोई कार्यक्रम हुआ है। श्रीमन् कोई भी मंत्रिगण, जब भी कोई बयान यहां पर देते हैं तो उनकी वह निजी जानकारी नहीं हुआ करती है, कई सम्मानित विधायकगण यहां पर बैठे हुए हैं, जो मंत्री भी रहे है और ये नियमों के ज्ञाता भी हैं। कल मैंने जो बयान दिया है, आपकी अनुज्ञा से बताना चाहता हूं कि इसमें अगर कहीं कोई विरोधाभास प्रतीत हो और उन्हें यह लगता है कि सरकार कुछ छिपा रही है तो हम सबसे बुजुर्ग सदस्य माननीय श्री ऊदल जी के सुझाव को मानते हुए अपनी बात कहूंगा। कहीं कोई शंका न रह जाये और कहीं कोई उत्तेजना न रह जाये, घोषणा करता हूं कि जिन अधिकारी, आई० जी० का नाम श्री ऊदल जी ने लिया है, उन्हीं से पूरे मामले की जांच सरकार करवा लेगी।

श्री नरेश अग्रवाल

जुडिशियल जांच करायें।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

अधिकारी की निष्पक्षता के लिये जुडिशियल जांच करायें एक अधिकारी की दूसरी अधिकारी जांच कैसे करेगा?

श्री हृदयनाराण दीक्षित

कुछ चीजें अभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपने वक्तव्य के दौरान कही। सरकार की जिम्मेदारी बनती है जब कोई विपक्ष का विद्वान साथी मामला उठाये उसका जवाब दे। यहां पर बात आई कि कांग्रेस नहीं चाहती, प्रधान मंत्री जी नहीं चाहते तो यह सरकार नहीं बनती। तो कोई सरकार प्रधान मंत्री के चाहने से बनती या बिगड़ती नहीं है। माननीय प्रमोद तिवारी जी को बताना चाहता हूं, मैं प्रधान मंत्री जी का आदर करता हूं। लेकिन संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकारें कैसे बनती है? सरकार बनाने की शक्ति प्रदेश और देश की जनता में निहित है यह संविधान में दिया हुआ है। देश का प्रधान मंत्री या प्रदेश के मुख्य मंत्री को यह अधिकार नहीं है और आप यद्यपि इस आदरणीय सदन की सबसे बड़ी जगह पर बैठे है यह अधिकार आप को भी नहीं है। तो सुश्री मायावती पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने कोई बड़ी कृपा नहीं की। मैं उनका आदर करता हूं, वह बड़े अध्येता है, बड़ी संजीदगी से बोलते हैं। लेकिन जो मामला सदन में उठाया गया है (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित

मैं उसी को कहने जा रहा हूं (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मुख्य मंत्री इसे मानती है। (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित

भारतीय संविधान के उपबन्धों के अनुरूप प्रधान मंत्री जी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। जब सरकार बनी तो उसे बनाने के लिये संविधान में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से उतनी संख्या बहुजन समाजपार्टी के पास विधायकों की नहीं उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार गुण्डागर्दी करने वालों को, माफिया गिरोहों को बढ़ावा मिल रहा था उससे लोग त्रस्त थे और प्रतिभाओं का तिरस्कार करने की कार्यवाही चल रही थी। एक ऐसा माहौल पूर्ववर्ती सरकार के अगुवा ने बनाया था उसको समाप्त करने के लिये मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया और जहां पर संविधान के मतों के अनुसार आवश्यकता थी कांग्रेस ने भी मदद की। लेकिन सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया, मैं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं सब की कृपा रही। चूंकि जैसा आपकी जगह, हालांकि उसे उठाना ठीक नहीं होगा, मैं जिक्र करना चाहता हूं, जो तत्कालीन अध्यक्ष जी थे, वह गिनती में भी कुछ गड़बड़ी कर देते थे और ऐसे विषय पर श्रद्धांजलि का विषय हो और सुजलाम सुफलाम गाया जा रहा हो, उसमें उठ कर भाग जाते थे। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने संविधान का पालन किया और उनके संविधान का पालन करने के कारण सुश्री मायावती सत्ता में आयीं। इसलिये हम प्रधान मंत्री जी के भी आभारी हैं।

दो तीन बिन्दु ऐसे हैं यहां कहा गया, मैंने कुछ कह दिया कि वहां कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जो सूचना आयी थी मैंने बतायी, यहां पर कहा गया कि फिर वहां भीड़ कैसे गयी, कैसे लाठी चार्ज हुआ।

तो उसके बारे में जो सूचना आज आयी है और जो कल आयी उसमें कोई विभेद है तो माननीय ऊदल जी ने जो बताया है, उसी के अनुसार जांच किये जाने की घोषणा हम पहले कर चुके हैं। मेरे पास सूचना आयी है, श्रृंगार गौरी पर श्रीमन् जलाभिषेक का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। यह बात सही है कि लगभग 3 हजार लोगों ने माननीय सांसद श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित और विश्व हिन्दू परिषद् के अन्तर्राष्ट्रीय महामंत्री, श्री अशोक सिंहल के साथ में काशी के विश्वनाथ मंदिर में अपना दर्शन पूजन किया और यह लोग पूजा करके चले गये। किन्तु इसी समय देनियाबाग थाना चौक से समता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विरोध स्वरूप एकत्र हुए और वे जुलूस के रूप में ज्ञानवापी मस्जिद की ओर बढ़ना चाहते थे। ऐसी विषम परिस्थिति में शांति भंग की आशंका को दृष्टिगत रखकर उन्हें ऐसा करने से मना किया गया और रोका गया। इसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी कार्यक्रम के विरोध में आये और इन जमा लोगों में कोई झगड़ा फसाद न हो, इसलिये पुलिस को साधारण लाठीचार्ज करना पड़ा। वहां पर इन लोगों को साधारण उपचार हुआ कुल 85 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 53 लोगों ने कबीरचौरा अस्पताल में मेडिकल कराया, उन्हें मामूली खरोंच तथा दर्द की शिकायत पायी गयी। अब किसी प्रकार से यह कहना कि मैंने किसी प्रकार का इस आदरणीय सदन में.....

श्री प्रमोद तिवारी–

वहां पर भारी लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ और लोगों की गिरफ्तारियां हुई, इस बारे में आपकी क्या जानकारी है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

यह तो कल का उत्तर पढ़ रहे हैं, कल जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने पढ़ा था। किस आधार पर वह कह रहे हैं कि श्रृंगार गौरी..... (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं ..... (व्यवधान) हमारी पूरी बात आ जाये पहले.....

(श्री राम आसरे वर्मा, श्री किरन पाल सिंह व श्री प्रमोद तिवारी आदि कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान हो गया)

श्री ऊदल–

जहां जलाभिषेक हुआ, वहां मारपीट भी हुई, इसे यह छिपा रहे हैं, इसलिये मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री ऊदल सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम आसरे वर्मा–

सरकार ने ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा के लिये गारेन्टी देने की कोई घोषणा नहीं की है और उसकी असुरक्षा की आशंका है, इसलिये मैं अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

प्रमोद तिवारी जी ने यह प्रश्न किया है, आज क्या स्थिति है, मैं निवेदन कर रहा हूं ...

(श्री राम स्वरूप सिंह, सदस्य मार्क० कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हुए एकदम से सदन के फ्लोर पर आ गये, और वहीं से बोलने लगे)

श्री राम स्वरूप सिंह–

यह सरकार देश में खूनी जंग कराना चाहती है । यह साधारण घटना नहीं है, भयंकर घटना है । पहले कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर 6 दिसम्बर की घटना की है, ये लोग आज फिर वही करने जा रहे हैं । इसलिये इस सरकार को बरखास्त होना चाहिये, राष्ट्रपति शासन यहां लागू होना चाहिये नहीं तो देश में आग लग जाएगी और साम्प्रदायिकता की आग में हम सब जल जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप बुजुर्ग सदस्य हैं, आपकी सूचना भी नहीं थी, फिर भी आपको सुना गया । हमने किसी अधिकारी को बचाने का प्रयास नहीं किया है । एक बात जो ऊदल जी ने कही कि आई० जी० से जांच करा दें ..... (व्यवधान) राम स्वरूप जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सीट पर चले, वहां से कुछ कहना चाहते हैं तो कहें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

यह सरकार ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा के लिये कटिबद्ध और सतर्क है । वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

नहीं, वहां पर कमलदास वेदान्ती ने बाकायदा पूजा अर्चना कराई है और बजरंग दल के 32 लोगों को भी उस परिसर में रखा और वहां के जिलाधिकारी ने उन लोगों को पूजा अर्चना करवाई ।आप कह रहे हैं कि वहां पर जलाभिषेक नहीं हुआ तो किस तरह से लोग वहां उस परिसर तक पहुंच गये और वहां पर लाठी चार्ज हुआ, स्थिति तनावपूर्ण हो गयी ?

श्री अध्यक्ष–

यह सब बातें तो कह चुके हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, वहां की घटना की न्यायिक जांच करवायें । प्रदेश की मुख्यमंत्री जी को यहां सदन में बुलायें और वह सरकार की नीति और नीयत बतायें ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जिस अधिकारी से कहेंगे, हम जांच कराने के लिये तैयार हैं । हमारी सरकार पारदर्शी है ।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी, ऐसा है कि राम स्वरूप जी कोई स्पष्टीकरण चाह रहे हैं ?

श्री राम स्वरूप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जो बहुत ही भयंकर है । शान्ति और अमन को खतरा पैदा हो गया है । कल 31 तारीख को वाराणसी में जलाभिषेक किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह चीजें तो आप कह चुके हैं। आप स्पष्टीकरण क्या चाहते हैं ?

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, ज्ञानवापी मस्जिद को खतरा पैदा हो गया है। ऐसी सरकार को तुरन्त बर्खास्त कर देना चाहिये और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिये। तब ही शान्ति और अमन हो सकता है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय ऊदल जी ने आई० जी० से जांच के लिये कहा था और किसी से जांच चाहते हों तो बता दें ? तिवारी जी का सुझाव रहा है कि राजस्व परिषद् से जांच कराई जाय।

* श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

कहिये, क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब एक बार सभी माननीय सदस्य बोल चुके तो उन सारी बातों को जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री दे रहे हैं तो बार-बार यह लोग अव्यवस्था क्यों फैला रहे हैं ? जब माननीय मंत्री जी का जवाब आ जाय तब कुछ कहना हो तो कहें। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

अभी माननीय मंत्री जी ने पढ़कर सुना दिया। मैं आज माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज सरकार क्या कह रही है इन तीन बिन्दुओं पर कि कल वहां पथराव हुआ कि नहीं, लाठी चार्ज हुआ कि नहीं और बम विस्फोट हुआ कि नहीं ? आज 2 बजकर 10 मिनट पर मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं कहना चहता। मेरे पास एक चित्र है।

(एक अखबार दिखाया गया)

श्री अध्यक्ष–

पेपर का संज्ञान तो नहीं लिया जा सकता।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं पेपर का संज्ञान नहीं ले रहा हूं। मैं तो केवल तीन बिन्दुओं पर जानकारी चाहता हूं कि कल वहां पथराव हुआ कि नहीं, लाठी चार्ज हुआ कि नहीं और बम विस्फोट हुआ कि नहीं ? मेरा निश्चित आरोप है और मेरी निश्चित जानकारी है कि जिन लोगों ने मुझे आकर बताया उन्होंने वहां का दौरा किया और यह घटना सही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मैंने अपने विचार व्यक्त करते समय साफ साफ बता दिया था कि पुलिस ने बल प्रयोग किया है। बम विस्फोट के संबंध में इस समय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी, समता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद् के कई लोग थे। आपस में एक दूसरे के विरोध में वहां श्रीमन् हुआ हो सकता है कोई कांग्रेस का भी हो मुझे जानकारी नहीं है। कई संगठन के लोग वहां थे, एक आध ईंट पत्थर वहां चला हो मैं इससे इनकार नहीं करता। आज की स्थिति बता दी है। सरकार किसी मामले को छिपाना नहीं चाहती है।

श्री अध्यक्ष–

बम विस्फोट हुआ कि नहीं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

लाठी चार्ज, पथराव, बम विस्फोट हुआ कि नहीं ? आज दो बजने में दस मिनट पर मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

लाठी चार्ज हुआ यह स्वीकार किया है।

श्री प्रमोद तिवारी–

लाठी चार्ज के लिये खेद व्यक्त कर दिया गया। माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री रहे हैं सूचनाओं का क्रम क्या है, जिले से सूचना आती है। जिन्होंने सूचना नहीं दी उसमें क्या किया जायेगा ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरी बात सुन लें मान्यवर, जिले से सूचना आती है उसके बाद विभाग से सूचना आती है विभाग से सूचना आने के बाद विभाग के सचिव जो होंगे वह सूचना कहां देंगे ? कल की सूचना में गृह विभाग तक के अधिकारी शामिल हैं उसमें आई० जी० स्तर के आदमी से निष्पक्ष होकर कैसे जांच करायेंगे जो इनकी सूचना आई होगी वह सचिवालय के कर्मचारी अधिकारी होंगे सचिवालय के ज्वाइन्ट सेक्रेट्री, सेक्रेट्री होंगे जो आई० जी० से बड़े होंगे वह ? उनकी जांच कैसे करेंगे ? सरकार ने खेद व्यक्त कर दिया दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करा लेंगे। दोषी लोगों के लिये जुडीशियल या अर्धन्यायिक जांच करायेंगे ? मेरा कहना तो यह है कि आप सदन के सदस्यों की एक समिति बना दें वह इसकी जांच कर ले ?

श्री ऊदल–

एक तो अधिकारियों द्वारा गलत सूचना देने की बात है। एक घटना जो कल हुई जहां तक उसको संबंध में मैंने उस घटना की जांच की बात कही अधिकारियों के बारे में हमने नहीं कहा। जो जांच की घोषणा की, होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

जांच के दो बिन्दु बनते हैं। पहला बिन्दु तो यह है कि वहां की जिन घटनाओं की चर्चा हुई जिन माननीय सदस्यों ने वहां की चर्चा की है, जैसे तिवारी जी ने बम विस्फोट और पथराव के बारे में कहा और कहा, वहां कौन-कौन दोषी हैं। यहां कुछ सूचनायें आई जैसे लाठी चार्ज की सूचना कल नहीं थी। इन दोनों बिन्दुओं की जांच करने को कहा। ऊदल जी का सुझाव आया, तिवारी जी का सुझाव आया। इन्होंने कहा राजस्व परिषद् से जांच कराई जाय। अगर विपक्ष के सदस्य चाहते हैं राजस्व परिषद के वरिष्ठ सदस्य से, तो मैं उसकी जांच करा दूंगा। इसमें ऊदल जी सहमत हों तो ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी--

इनको कोई गम्भीरता से लेता नहीं है। मा० संसदीय कार्य मंत्री उस पार्टी के सदस्य भी नहीं हैं। इन्होंने कल भी सदन को गुमराह किया। इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी--

विश्व हिन्दू परिषद् के नेता [x x x] प्रेस कान्फ्रेंस में कह रहे हैं कि वहां पर पथराव और लाठी चार्ज हुआ। [x x x]

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मैंने पहले भी कहा कि जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है। उन्होंने क्या कहा ऐसी बातों से यहां पर सदन का औचित्य के प्रश्न पर कोई मतलब नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी--

आप जुडिशियल जांच करायें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

आप पहले कह रहे थे कि राजस्व परिषद् से जांच हो, अब कह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो। आप अपनी बात बार-बार बदल रहे हैं। सरकार किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है। सरकार मस्जिद की रक्षा करने के लिये प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है। सरकार बिल्कुल पारदर्शी है।

श्री अध्यक्ष--

सभी माननीय सदस्यों को और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद में इस प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी--

चूंकि सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा नहीं की है। यह सरकार कठपुतली सरकार है यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है मैं सरकार की इस नीति के विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री प्रमोद तिवारी व कांग्रेस के अन्य सदन त्यागकर चले गये।)

नोट :--[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 1 अगस्त, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई ।

दक्षिणी वन प्रभाग गोण्डा के कई रेंजों में बसे टागियों मजदूरों की अत्यन्त दयनीय स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम बिशुन आजाद–

आज देश आजाद हुए 48 साल पूरे हो रहे हैं परन्तु प्रदेश में टागियां मजदूर खाना बदोश की जिन्दगी बिता रहे हैं इसी प्रपिपेक्ष्य में आपका ध्यान दक्षिणी वन प्रभाग गोण्डा के टिकरी रेंज, रेहरा रेंज, उतरौला रेंज और सादुलानगर रेंज आदि में बसे टागियों मजदूरों की स्थिति अत्यन्त दयनीय पूर्ण हैं । सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ इन लोगों को नहीं मिलता है इनके बच्चों के शिक्षा के लिये, स्वास्थ्य के लिये कोई व्यवस्था नहीं है इनका भविष्य अन्धकारमय हो चुका है, वन कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा इनका शोषण किया जाता है । आज तक इनका स्थायी वतन नहीं है । टांगिया मजदूरों एवं परिवार जो जंगल में पेड़ लगाने प्लाटों पर झोपड़ी बना कर रहते हैं और खाना बदोश की तरह 5 वर्ष बाद पेड़ लगाने के लिये नये प्लाटों पर जाना पड़ता है । मतदाता सूची में कास्तकारों का नाम तो आता है परन्तु चिकित्सा, शिक्षा, राशन कार्ड जैसे सामान्य सुविधाओं का अभाव लगातार जारी है, इनके सामाजिक जीवन पर भी सीधा असर पड़ता है और शादी विवाह में भी अड़चने आती है । टांगिया मजदूर अधिकतर दलित एवं पिछड़े तबके के लोग है । अतः आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं कि टांगिया मजदूरों का पंजीकरण करके इन्हें वन विभाग जंगल की भूमि पर स्थायी रूप से बसाये जाने एवं ग्राम सभा का नाम दिये जाने और खेती करने योग्य भूमि देने की मांग करता हूं ।

सुल्तानपुर, गौरीगंज क्षेत्रान्तर्गत फैली बीमारियों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री तेजभान सिंह–

महोदय, जनपद–सुल्तानपुर में विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज में इस समय भयंकर बीमारियां फैली हुयी है । भीषण बीमारी के कारण आदमी व जानवर मर रहे हैं, चिकित्सा आदि की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है । इसी क्षेत्र के शाहगढ़ ब्लाक में आंत्रशोध, कालरा से गरथोलिया में 5 तथा शाहगढ़, पूरेबगांव, एकसारा, राजापुर, कोहार आदि गांवों में 10-12 लोग मर चुके हैं, सैकड़ों इन बीमारियों से पीड़ित है । इसी तरह से जामों ब्लाक के नीमी अतरौली आदि में कालरा का भीषण प्रकोप है । सूचना के बाद भी किसी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा नहीं दी जा रही है । जनमानस में त्राहि-त्राहि मची हुई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, सैकड़ों लोगों का जीवन खतरे में है, अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद लखनऊ के ग्राम गढ़ी सज्जर खां व कुण्डरा के मध्य स्थित नाले पर पुल बनवाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुन्दर लाल लोधी–

महोदय, जनपद लखनऊ प्रदेश की राजधानी है यहां से मात्र 30 किलोमीटर दूर पर मलिहाबाद में गढ़ी सज्जर खां तक पक्की रोड है परन्तु आगे के 30 ग्रामों के हजारों निवासियों हेतु कोई आवागमन नहीं है जिससे वहां की जनता नारकीय जीवन व्यतीत कर रही है। सौभाग्य से मेरा निवास भी ग्राम कुण्डरा है जहां मेरा भी सम्पूर्ण परिवार रहता है। क्षेत्र की जनता को आवागमन होने के कारण शिक्षा, दवा, एवं व्यापार आदि से वंचित रहना पड़ता है। यही नहीं यह भी उल्लेखनीय है कि क्षेत्र की समस्त जनता दलित, अनुसूचित एवं पिछड़ों की है। मात्र एक पुल के कारण क्षेत्र की जनता में असंतोष व्याप्त है। कृपया इस लोक महत्व के प्रश्न पर कार्यवाही कर पुल बनवाने के निर्देश देने की कृपा करें।

भदोही जनपद में अतिरिक्त डिग्री कालेज खोले जाने एवं पालीटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रंगनाथ मिश्र–

महोदय, भदोही जनपद की जनसंख्या इस समय 18 लाख की है किन्तु शिक्षण संस्थाओं की कमी के कारण यह जनपद शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा जा रहा है इस जिले में जहां मात्र 12 इण्टर कालेज है वही डिग्री कालेज मात्र जिला मुख्यालय पर है तथा तकनीकी विद्यालय तो एक भी नहीं है ऐसी स्थिति में इस जिले के अधिकांश छात्रों को दूसरे जनपद के विद्यालयों में प्रवेश लेने को मजबूर करते हैं किन्तु वहां भी प्रवेश से इस जनपद के विद्यार्थियों को सौतेला व्यवहार झेलना पड़ता है क्योंकि वहां पर पहले अपने विद्यालय तथा अपने जिले के विद्यार्थियों को प्राथमिकता देते हैं। बालिका इण्टर कालेज और डिग्री कालेज इस जनपद में है ही नहीं एक सरकारी कन्या हाई स्कूल औराई के महराजगंज में खोलने की स्वीकृत 1992 में हुई थी तो धनाभाव के कारण आज तक एक भी कमरा नहीं बन सका अध्यापक पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है। जबकि इस जनपद में कम से पांच डिग्री कालेज तथा एक स्नातक महिला डिग्री कालेज के साथ पालिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कालेज होना चाहिये तथा वाराणसी जनपद के सेवापुरी विकास खण्ड में भी एक डिग्री कालेज तथा एक इंजीनियरिंग कालेज जनहित में आवश्यक है। अतः मा० अध्यक्ष जी से आग्रह है इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।

बांदा जनपद की कर्वी तहसील में हैण्डपम्पों के खराब होने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के बांदा जिले में कर्वी तहसील सबसे पिछड़ी एवं पठारी इलाका है। वहां पर पेयजल का गम्भीर संकट हमेशा से रहा है। समय-समय पर विभिन्न योजनाओं से हैण्डपम्प बनाये गये हैं जिसमें से सैकड़ों हैण्डपम्प खराब पड़े हैं हर ब्लाक में मरम्मत का कार्य नहीं हो पाता है इनके पास

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केवल एक गाड़ी है अस्तु उसी पर जाते हैं फलतः प्रतिदिन 2 या 4 हैण्डपम्प ही सुधार कर पाते हैं। इसी माह सैकड़ों हैण्डपम्प बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं। जिन्हें रिवोट होना चाहिये लेकिन उन्हें रिवोट नहीं कराया गया है। नये हैण्डपम्प बहुत ही कम मात्रा में लग रहे हैं जो लग रहे हैं वह मनमानी जगहों पर बिना जनप्रतिनिधियों के लग रहे हैं फलस्वरूप एक घर के सामने हैण्डपम्प बन गये हैं एवं सैकड़ों घनी बस्तियों इस सुविधा से वंचित है। हैण्डपम्पों के खराब होने से गम्भीर पेयजल संकट व्याप्त है। बैगग नदी गांवों का पानी लाकर पीते हैं। अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मुज्जफरनगर के बघरा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत कादी खेड़ा पेयजल योजना को ओवर हैड टैंक बनाकर कादी खेड़ा पन्ना के बीच में पाईप लाइन बिछाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह–

महोदय, आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बघरा जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पीन्ना, कादी खेड़ा, जागाहेड़ी, पीन्ना में एक ग्रामीण पेयजल योजना कादीखेड़ा के नाम से स्वीकृत हुयी थी स्वीकृत के 8 साल के पश्चात् भी आज तक यह योजना चालू नहीं हो पायी है इसके साथ ही ट्यूबवेल निष्क्रिय पड़े हैं। गांव में लाइन बिछायी जा चुकी है। ट्यूबवेल ऊर्जीकृत भी हो चुके हैं परन्तु फिर भी अब तक संबंधित गांव को पानी की सप्लाई नहीं हो पायी है। ट्यूबवेल बोरिंग के स्थान से पीन्ना गांव तक जो मोटी पाइप लाइन बिछनी थी नहीं बिछी है। पेयजल की गम्भीर समस्या है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर तत्काल इस योजना को ओवर हेड टैंक बनाकर कादीखेड़ा–पीन्ना के बीच में पाइप लाइन बिछवाना चालू किया जाए।

प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम में एक वर्ग विशेष के साथ भेदभावपूर्ण एवं पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने के सम्बंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुरलीधर–

मान्यवर, ससम्मान अवगत कराना है कि सम्पूर्ण प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य निर्बल वर्ग के बल पर पूर्ण किया जाता है परिवार नियोजन कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है। भारत की बढ़ती हुई निरन्तर जनसंख्या में नियंत्रण का सरल एवं उपयुक्त उपाय है। उत्तर प्रदेश में भी अन्य प्रान्तों की भांति प्रत्येक जनपद में प्रश्नगत योजना का संचालन सरकारी कर्मचारी/अधिकारी तन्मयता से कर रहे हैं। प्रत्येक प्रदेशवासी का नैतिक कर्तव्य है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने में वह अपना योगदान देवें प्रत्येक जनपद का लक्ष्य विभागवार तय किया जाता है एवं लक्ष्य को पूरा करने के लिये सम्बन्धित विभाग परिवार नियोजन के कार्यक्रम के महत्व एवं उद्देश्य की वास्तविकता, जनता के मध्य न रखकर लालच देकर पूर्ण करने का प्रयास प्रारम्भ हो जाता है। नौकरी भू आवंटन, रोजगार, आवासीय व्यवस्था आदि सुलभ कराने की पात्रताएं एवं शर्तें निश्चित हैं किन्तु जमीन ऋण नौकरी एवं आवासीय व्यवस्था सुलभ कराने का लालच देकर अर्थविहीन, अशिक्षित एवं साधन विहीन लोगों की नसबन्दी करा दी जाती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

लक्ष्य को पूरा करने हेतु वृद्ध, विधुर/विधवा, काल्पनिक, व्यक्तियों की नसबन्दी कर दी जाती है तथा दिया गया आश्वासन भी पूरा नहीं किया जाता परिणामतः राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य एवं महत्व लालच में जुड़ जाने एवं विश्वसघात होने के कारण राष्ट्रीय कार्यक्रम की हत्या हो रही है तथा जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है ।

प्रदेश की अनुसूचित जन जाति एवं निर्बल वर्ग की जनसंख्या में कभी योजनाओं का नाम लेकर साजिशन किया जा रहा है । परिवार नियोजन अपनाने के लिये केवल इस प्रदेश का अशिक्षित भूमिहीन एवं अनु० जा० जन जाति एवं निर्बल वर्ग की व्यक्ति सस्ते दर पर मिल जाता है । परिणामतः सरकारी योजनाओं से लाभान्वित व्यक्ति अधिकांशतः अपात्र होते हैं । प्रश्नगत कार्यक्रम पूंजीपति, शिक्षित एवं रोजगार युक्त व्यक्ति ही अपना रहे हैं । जनसंख्या वृद्धि भविष्य के लिये गम्भीर संकट का संकेत है । फिर भी प्रचार प्रसार करके परिवार नियोजन के महत्व एवं उद्देश्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न नहीं की जाती है । अनु० जाति/जनजाति एवं निर्बल वर्ग के व्यक्ति बच्चे पैदा करके यदि प्रदेश व देश की जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं तो क्या गैर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग चूहे पैदा करते हैं ? प्रत्येक नागरिक जो बच्चे पैदा करता है वह जनसंख्या में वृद्धि कर रहा है इससे प्रतीत हो रहा है कि इससे राष्ट्रीय कार्यक्रम की हत्या एवं साधन विहीन निरीह लोगों के साथ भेदभावपूर्ण ज्यादती की जा रही है यह गम्भीर अन्याय और बदले की भावना से ग्रसित कुचेष्टा है । अतः उपरोक्त संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम को दुष्प्रभावित करके असफल करने एवं लालच से जोड़कर वर्ग विशेष के साथ पक्षपात पूर्ण अमानवीय कुकृत्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी व राष्ट्र द्रोह का अभियोग पंजीकृत कराये जाने की मांग करता हूं ताकि मानवीयता एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम की महत्ता बरकरार रहे ।

श्री अध्यक्ष–

शेष समस्त सूचनाएं अस्वीकृत की गयी है ।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत जिला योजना एवं अनुश्रवण आदि विभिन्न समितियों में जनप्रतिनिधियों के सुझाव की उपेक्षा करने तथा उन्हें बैठकों में आमंत्रित न किये जाने विषय औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत जो भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वह उसकी परिधि को भी नहीं टच करती हैं, परन्तु 2-1 सूचनायें माननीय सदस्यों से सम्बन्धित हैं, तो उस पर सुन लेता हूं । पहली सूचना श्री राम सरन वर्मा जी की है ।

श्री राम सरन वर्मा–

मान्यवर, जनपद पीलीभीत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति, सड़क परिवहन समिति, ग्राम्य विकास अभिकरण समिति, जिला शिक्षा सलाहकार समिति, सिंचाई सलाहकार समिति, विद्युत सलाहकार समिति जो गठित है उनमें अधिकांशतः जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया जाता है और उनके सुझावों तथा प्रस्तावों की उपेक्षा की जाती है । इसमें जनपद पीलीभीत का विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है कि इस प्रकार की समितियों की बैठकें हो जाती हैं और उनमें सदस्यगणों को आमंत्रित नहीं किया जाता है ।

(माननीय मंत्रियों के आसनों के पास विधायकों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्रीगण और सदस्यों से अनुरोध है कि सदन की गरिमा को ध्यान में रखें।

श्री राम सरन वर्मा–

मान्यवर, अभी 13 जुलाई को सड़क एवं परिवहन समिति की बैठक हुई जिसमें जनपद पीलीभीत के किसी भी विधायक को आमंत्रित नहीं किया गया इसी तरह वर्ष 1994-95 की जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति में विधायकों के जो प्रस्ताव थे, उनको अनदेखा किया गया शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक ही नहीं की गयी और जो शासन स्तर से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुए हैं उनमें वहां की शिक्षा समिति ने मनमानी पूर्ण कार्य करके अपने-अपने क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कर ली है। इस प्रकार से जनपद स्तर पर जितनी भी समितियां हैं उनमें जनप्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा की जाती है।

मान्यवर, जिस प्रकार से विकास के कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सांसद विकास योजना संचालित है और उसके द्वारा उनको बहुत से कार्य विकास के करने के अवसर प्राप्त होते हैं लेकिन जनपद स्तर पर केवल जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति के माध्यम से ही विधायकों को विकास के कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं। उनको भी उन्हें उपेक्षित किया जाता है और जो अनपेक्षित व्यक्ति हैं उसमें उनका हस्तक्षेप होता रहता है जिस कारण मैं समझता हूं कि इस जनपद पीलीभीत में न केवल जनप्रतिनिधियों के सम्मान की अवमानना हो रही है बल्कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश और इस सदन की अवमानना हो रही है। मान्यवर, मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं कि जो प्रोटोकाल संहिता है उसकी भी खुली अवमानना की जाती है। मान्यवर, प्रोटोकाल संहिता के तहत जब कोई जनप्रतिनिधि कहीं पहुंचता है तो उसको यथोचित सम्मान दिया जाना चाहिए और उसके वहां से वापस होने पर भी उसे सम्मान मिलना चाहिए लेकिन इसकी निरन्तर उपेक्षा होती है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, विधायकों से जुड़ी हुई बात है इसलिये एक मिनट मुझे भी दे दें।

श्री राम सरन वर्मा–

मान्यवर, विधायकों को सुरक्षार्थ जो लाइसेंस दिये जाते हैं उन पर तरह-तरह की आपत्तियां लगाकर लोकतंत्र का उपहास किया जा रहा है जबकि जनपद में ऐसे लोगों को लाइसेंस ही नहीं दिये गये हैं बल्कि शस्त्रों के क्रय-विक्रय के लाइसेन्स दिये गये हैं जो अपराधी हिस्ट्रीशीटर और माफिया हैं। इसी जनपद के बीसलपुर में राम किशोर पुत्र श्री राम की पत्नी के नाम से शस्त्र क्रय-विक्रय का लाइसेन्स दिया गया है जबकि कई अपराध उनके विरुद्ध दर्ज हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक विषय लिये हुए हैं उसी की ग्राह्यता पर बोलें।

श्री राम सरन वर्मा–

मान्यवर, दिनांक 15 मई, 1994 को मेरे ही समक्ष तहसील बीसलपुर में राजस्व कर्मचारियों के दस्ते ने गेहूं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया । उनमें अनियमितता पायी गयी जिनकी प्राथमिकी पंजीकृत किये जाने की तहरीर दी गयी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम सरन वर्मा जी कुछ बातें अन्य माननीय विधायकों के कहने के लिये छोड़ दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सभी बातें आप ही कह दें एक साथ, हम लोगों के लिये भी कुछ रहने दें ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन वर्मा–

मान्यवर, 16-5-94 को पुलिस का सिपाही धनीराम जाता है, जो कि सुपुर्दगी दिया गेहूं सुपुर्दगार से रिलीज कराके अपने घर पर ले जाता है । मान्यवर, दिनांक 29-11-94 को अपराध सं० 212 पर जो एफ० आई आर० पंजीकृत होती है उसमें सक्रिय रूप से कोई कार्यवाही नहीं होती है । मान्यवर, जब हम लोगों से जुड़े मामलों की सूचना पंजीकृत नहीं होती है या विलम्ब से होती है तो उससे न केवल विधायकों का अपमान होता है वरन् पूरे सदन का भी अपमान होता है । विधायकों की तथा इस सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिये यथोचित कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक ही साथ सारी बातें कह दी हैं, सारी बातें तो उनके पास हैं लेकिन एक बात जो है वह महत्वपूर्ण है जिलों में डी० आर० डी० ए० में जो भी धनराशि जाती हैं उस धनराशि के आवंटन में विधायकों के अलावा सांसदों तक को उसमें शामिल किया जाता है । मान्यवर, सांसदों की सांसद विकास निधि अलग है उसका एक करोड़ रु० उनको अलग मिलता है उसके बाद डी० आर० डी० ए० में भी हिस्सा लगता है इससे विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है । इस शासन से मैं यह अपेक्षा करता था कि जिस तरह से सांसद विकास निधि अलग से बनी है उसी तरह से विधायकों के सिलसिले में भी उनको एक निर्णय लेना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए सदन में । जब तक विधायकों के सिलसिले में कोई इस तरह की घोषणा नहीं कर दी जाती यह व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए जो डी० आर० डी० ए० में धनराशि आती है उसके आवंटन में सांसदों को अलग रखा जाय क्योंकि उनके नाम से विकास निधि अलग से बनी है इसमें सरकार की ओर से कोई समुचित व्यवस्था की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यगण से मेरा अनुरोध है कि नियम 300 में यह नहीं आता है, फिर भी इसके महत्व को समझते हुए, आप लोगों के अधिकारों से सम्बन्धित है, इसलिये मैं इस विषय पर सुन रहा हूं । कदाचित आप लोगों की भी यही चाहते है कि इस पर शासन की तरफ से कोई निर्देश हो शासन

इस पर कोई कार्यवाही करे । इसलिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कुछ कार्यवाही करायें ।कहने से कुछ हो जाय तो आज मैं इस पर सभी सदस्यों को सुन लूं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

इस पर सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

यदि सुनने से आप लोगों की संतुष्टि हो जाय तो बात अलग है । मेरी चाहत है इस पर कुछ कार्यवाही की जाय ।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

कुछ आपको अधिकार मिले । मात्र कहने से बात अगर बनने वाली हो तो मैं सुन लेता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, माननीय राम सरन वर्मा जी ने डी० आर०डी० ए० और जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति व ऐसी सभी समितियों के बारे में, जो जिले में कार्य कर रही हैं और जिनमें माननीय विधायक हिस्सा लेते हैं, के बारे में प्रश्न उठाया और माननीय राम आसरे वर्मा जी ने भी कुछ बातें कहीं । मैं पहले माननीय राम सरन वर्मा जी के प्रश्न का उत्तर दूंगा । मान्यवर, माननीय राम सरन वर्मा जी ने कहा कि विधायकों का पर्याप्त सम्मान नहीं होता है और जो प्रोटोकाल के निर्देश जारी किये गये हैं उनकी अवहेलना होती है । श्रीमन्, शासन की तरफ से और खास तौर से संसदीय कार्य अनुभाग की ओर से कई बार ऐसे निर्देश जारी हुए हैं और जब यह सदन शुरू हुआ था तो उस समय भी हमारी ओर से यह निर्देश जारी किये गये थे कि सभी अधिकारीगण इस सदन के और दूसरे सदन के सभी माननीय सदस्यों, माननीय सांसदों का ठीक ढंग से सम्मान करें और अगर वह ठीक से कोई कार्य नहीं कर पा रहे हों, हमारे पास कई बार ऐसे काम आते हैं जिसके लिये हमें अधिकारियों के पास रोज जाना पड़ता है, तो वे विनम्रतापूर्व उसे इनकार कर दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपकी पीठ से कई बार निर्देश शासन को दिये जा चुके हैं । लेकिन आज जो काम जनप्रतिनिधियों का है उसे ये अधिकारी कर रहे हैं । आज हो यह रहा है कि कमिश्नर शिलान्यास कर रहा है, बी० डी० ओ० शिलान्यास कर रहा है उसकी पत्नी शिलान्यस कर रही है और जनप्रतिनिधियों को उसमें बुलाया तक नहीं जाता है । शासन के आदेशों की अवहेलना की जा रही है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उन्हें दण्डित करने की घोषणा करेंगे ?

(शोर होने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

हम अधिकारियों को क्या शिष्टाचार सिखायेंगे, आप संसदीय कार्य मंत्री को नहीं बोलने देते हैं । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले मेरी पूरी बात हो जाने दें ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, प्रत्येक जनपदों में आप स्वयं जानते होंगे कि 18 से 20 करोड़ रुपया डी० आर० डी० ए० का जमा होता है और कुछ जगहों पर साल भर या फिर 6 महीने तक वह पैसा पड़ा रहता है और खर्च नहीं होता है जिलाधिकारी उस पैसे का क्या कर रहे रहा है और क्या नहीं कर रहा है इसकी जानकारी भी डी० आर० डी० ए० की बैठक में नहीं दी जाती है। मान्यवर, अधिकारी मनमाने ढंग से बैठकें आयोजित कर रहे हैं। बार-बार उनको निर्देश जाते हैं कि जब विधान सभा आहूत हो उस समय बैठक न रखी जाये लेकिन वे बैठकें करते हैं।

यहां से घोषणा होने के बावजूद कि कोई भी अधिकारी शिलान्यास नहीं करेगा, उद्घाटन नहीं करेगा, बिना जन प्रतिनिधि की जानकारी के, यह सारी बातें हो रही हैं और सारी बातों के रहते हुये उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यह घोषणा करेंगे कि जो डी० आर० डी० ए० खाते में पैसा जमा होता है, उसका इन्ट्रस्ट जो काफी होता है, वह पैसा क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, टेंडर में भी पैसे का दुरुपयोग होता है, आज योजनाओं का तमाम पैसा अधिकारी अपने व्यक्तिगत खर्चों में कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण लगाया जाय और इन्ट्रस्ट के पैसे को भी विकास कार्यों में खर्च किया जाय, यह मैं कहना चाहता हूं।

*श्री जयपाल सिंह–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी इस तरह के काम करते हैं, उन अधिकारियों के कारनामों की जांच कराई जाय और दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय। हर जगह जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है। कोई अधिकारी किसी जन प्रतिनिधि के क्षेत्र में जाता है तो उसकी सूचना तक नहीं दी जाती है, इसी प्रकार मंत्रीगण भी जब क्षेत्र में जाते हैं तो उसकी भी सूचना जन प्रतिनिधि को नहीं दी जाती है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, संसदीय कार्य विभाग से और आपकी पीठ से, जिला प्रशासन और सचिव स्तर पर सभी जगह निर्देश दिये गये हैं उसके अलावा हम लोगों को भी एक पुस्तिका मिली हुई है, जिसमें सारी बातें दी हुई हैं लेकिन व्यवहार में यह हो रहा है कि अधिकारीगण उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जिस समय नारायण दत्त तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय हमारे जनपद बहराइच में एक जिलाधिकारी ने जाकर एक सड़क का शिलान्यास किया और उसका नाम पंकज मार्ग रख दिया। उस समय यह प्रकरण इस सदन में उठा था और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने उस अधिकारी को बुलाया और उससे पूछा तो उसने अपने बचाव में कहा कि यह मार्ग पंकज बाबा के नाम से बना था, इसका संबंध मुझसे नहीं है। इसी तरह डी० आर० आर० डी० का पैसा अधिकारीगण अपनी मर्जी से खर्च करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि डी० आर० डी० ए० का पैसा जन प्रतिनिधियों की राय से खर्च किया जाय और उनकी राय लेकर ही क्षेत्र में कार्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराया जाय । आजकल हो यह रहा है कि अधिकारीगण स्वयं ही तय कर लेते हैं कि यह कार्य कराया जाय यह न कराया जाय । हम लोगों से क्षेत्र में राय नहीं ली जाती, इस तरह की अनेकों घटनायें हैं, इस मामले पर पूरा सदन एकमत है, मैं इस पर आपसे कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं ।

(राम लोटन सिंह व अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आज महत्वपूर्ण विभागों के बजट हैं और आप लोग केवल बोलकर ही सन्तुष्ट हो जाना चाहते हैं, कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं । मैंने खड़े होकर अनुरोध किया था और मेरी चाहत है कि कार्यवाही हो, मैंने यहां तक कहा कि आप लोग संसदीय कार्यमंत्री जी से कुछ करवाइये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस विषय पर 7-8 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और आपने पहले अनुमति श्री राम सरन वर्मा और राम आसरे वर्मा जी को दी । अग्रिम पंक्ति के नेताओं ने बार-बार टोका और मेरी बात पूरी नहीं हो पायी और कहीं ऐसी खोट तो नहीं है जिसकी वजह से सम्मान बाहर न मिलता हो । जब हम अपने साथी को धैर्यपूर्वक नहीं सुनते हैं और बीच में ही टोक देते हैं ।

श्री किरनपाल सिंह–

यह तो आप गलत कह रहे हैं ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

आप मुझको पूरा सुन लीजिए उसके बाद आप अपनी बात रखिये, यह शिष्टाचार नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी, आप कुछ कहते हैं तो सुनने का भी धैर्य होना चाहिए । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के बोलने के बाद आप अपनी बात कहते या कोई स्पष्टीकरण मांगते ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जब आप बोल रहे होते हैं तो मैं नहीं खड़ा होता हूं और न इधर का कोई माननीय सदस्य टोका-टाकी करता है । हम सम्मान करते हैं और आपकी बात पूरी धैर्य से सुनते हैं और उससे सीखते हैं । आपके भाषण का 99.99 प्रतिशत हिस्सा सीखने वाला होता है । उस प्वाइंट एक प्रतिशत के बारे में कह रहा हूं । जब मैं बोलने खड़ा होता हूं तो बीच में बोल देते हैं और आपसे प्रेरणा पाकर पीछे के लोग खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि पीछे वाले टोक नहीं सकते, क्या आगे वालों के लिए इस प्रकार का कोई लाइसेंस है ? जैसे आप बोलेंगे तो पीछे वाले भी आप और हमसे प्रेरित होंगे । इसलिए बीच में टोकना अच्छी बात नहीं है । तर्क करना है तो उसके बाद आपके पास समय है । तर्क-वितर्क से ही अच्छी बात निकलती है । जो विषय उठाया गया था, जिला योजना और अनुश्रवण समिति और जिला ग्राम्य विकास समिति और कई समितियां हैं जो जिला स्तर की है उसमें जनप्रतिनिधियों के स्थान की बात उठायी है । माननीय राम सरन वर्मा जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा था कि साधन सहकारी समिति खरगूपुर के

अन्तर्गत वहां एक एफ० आई० आर० दर्ज हुई थी कि 5 रुपये प्रति बोरी की दर से वह सुविधा शुल्क मांगते हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई ।

एफ० आई० आर० के बाद में उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई । माननीय विधायक जी की शिकायत है कि बाद में उस माल को पुलिस वाले उठा ले गये । मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन दो सिपाहियों पर उन्होंने आरोप लगाया है, उन सिपाहियों की गलती कहां तक है, इसकी हम वहां के पुलिस अधीक्षक से जांच करवा लेंगे । अब उन्होंने समितियों में जन प्रतिनिधियों के स्थान की बात उठायी है, जब मैं भी उधर बैठता था तो काफी बोलता था, श्री वर्मा जी ने कहा कि माननीय सांसद सदस्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से धन आवंटित होता है, उसी प्रकार इन समितियों में भी धन आवंटित होता है, जिला योजनाओं में और अनुश्रवण समितियों में । माननीय श्री वर्मा जी को इस बात की ठीक से जानकारी है कि नहीं है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का धन विधायकों को आवंटित नहीं होता है, धन जिले को आवंटित होता है । चूंकि जिले की समितियों में विधायकगण होते हैं, इसलिए उस धन का वह बेहतर तरह से सदुपयोग कर सकें, स्थान की भगौलिक परिस्थितियों व उसके पिछड़ेपन को देखते हुए उस धन का सही सदुपयोग कर सकें, जिले के अधिकारी भी वहां पर होते हैं और जन प्रतिनिधि भी होते हैं । कई बार इस प्रकार का प्रश्न इस आदरणीय सदन में उठाया गया कि माननीय सांसदों की तर्ज पर यहां भी माननीय विधायकगण को भी धन आवंटित किया जाय । इसका जवाब भी कई बार इस आदरणीय सदन में आ चुका है कि माननीय सांसदों की तर्ज पर यहां पर माननीय विधायकों को धन आवंटित करने की पक्षधर नहीं है । जहां तक माननीय सांसदों के बैठक में न रहने का प्रश्न है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना में केन्द्र सरकार का धन आता है, उसके मानक होते हैं, एम० डब्लू० एस०, जिसमें 10 लाख कुंओं की योजना का निर्माण है, केन्द्र सरकार से इसमें पैसा आता है, मानक उनके होते हैं, फिर भी माननीय विधायकों की यह राय है हम इस बात का ठीक से परीक्षण करवा लेंगे कि किन समितियों से माननीय सांसदों को पृथक रखा जा सकता है और किनमें नहीं ।

श्री ऊदल–

जो प्रस्ताव हमसे मांगे जाते हैं, उनमें जो धन लगता है, वह भी माननीय सांसदों के हिस्से में लग जाता है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इस संबंध में मैं कह देना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो धन है, उसमें किसी भी प्रकार से उनका हिस्सा नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसे आग्रह्य करता हूं । फिर भी जितनी जिला समितियां हैं, जिनमें माननीय विधायकगण हैं....

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, शिलान्यास की बात छूट गई थी । शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि शिलान्यास अधिकारी न करें । फिर भी कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, माननीय श्री वर्मा जी ने पहले भी सवाल उठाया था ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, कई बार इस प्रकार के मामले में सदन में आ चुके हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, श्री आजाद जी हमारे प्रखर विद्वान माननीय सदस्य हैं कि वह बिना माइक के ही अपनी बात को यहां पर रखने में सक्षम हैं ।

मैं उनका सम्मान करते हुये बता रहा हूं, यहां से आदेश जाते हैं, कानून बना हुआ है उसका पालन कहीं नहीं होता है आप कहें, आपके मंत्रिगण सबसे कनिष्ठ हैं । यह पहला मंत्रिमण्डल है जिसके मंत्रिगण सभी सदस्यों को बड़ा मानते हैं । अगर कोई अधिकारी आदेशों की अवहेलना कर रहा है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी । कहीं कहीं ऐसा भी होता है लोग निजी जमीन पर निजी कार्यक्रम का उद्घाटन करवाने के लिये किसी अधिकारी को ले आते हैं, वह इसमें नहीं आता है । एक मामला मेरे सामने आया एक प्रतिष्ठित अखबार का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया मैं स्वयं उसमें उपस्थित था, आदरणीय वर्मा जी ने यह मामला उठाया था, यह पहले का मामला है, उनका बड़ा स्नेह है, जब मैं विधायक था उस समय एक पत्र के मालिक ने जिलाधिकारी को उद्घाटन के लिये बुलाया । तो माननीय वर्मा जी ने मामला उठाया जब विधायक उपस्थित हैं तो जिलाधिकारी ने कैसे किया ? जो पत्रकार ने किसी अधिकारी को बुलाया और अपने ढंग से मुझे भी बुलाया तो इसमें वह बात कहीं आती है । आजकल बहुत से लोग डा० अम्बेडकर की मूर्तियां अपनी जमीन पर लगा रहे हैं तो उसमें विधायक को न बुलाकर जिलाधिकारी को बुलाता है तो उसमें छूट होगी । वह अपनी निजी संपत्ति पर निजी तरीके से बुलाते हैं, जो सरकारी आयोजन नहीं है उसमें माननीय विधायकगण उद्घाटन नहीं करेंगे ।

(श्री राम विशुन आजाद तथा सुन्दरलाल दीक्षित के खड़े होने पर लगातार बोलते रहने से व्यवधान बना रहा)

* श्री राजकुमार शिवहरे–

जिलाधिकारी शिलान्यास न करें, विधायक जो जनप्रतिनिधि है वह उद्घाटन करेंगे ऐसा शासनादेश भेज दें । (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य सुने नहीं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यही कहा ।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

इस पर सदन में कई बार व्यवस्था हो चुकी है अधिकारी कोई उद्घाटन नहीं करेंगे लेकिन फिर भी जो करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? जिला योजनायें चल रही हैं उनमें जिलाधिकारी जाते हैं उद्घाटन करते हैं । (व्यवधान) यहां आदेश हैं कि सत्र के दौरान जिले की योजनाओं के संबंध में कोई बैठक नहीं होगी । मेरे यहां परसों शनिवार को डी० ए० सी० की मीटिंग बुलाई गयी ।

श्री अध्यक्ष–

शनिवार को सत्र नहीं होता है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

शनिवार को कोई बैठक बुलाई गयी है तो मैं उसे निरस्त करूंगा मैं यह घोषणा करता हूं कि सत्र के दौरान बैठक न बुलाई जांय । कहीं बुलाई गयी है तो निरस्त करता हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस पर जो है मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री और अनेक सदस्यों को सुनने के बाद यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आता है, अग्राह्य करता हूं फिर भी जितनी भी जिला स्तरीय समितियां हैं, जिनमें माननीय विधायकगण सदस्य होते हैं, उन समितियों की जब भी बैठक हो उसमें माननीय विधायकों का आमंत्रित करना और उनके सुझावों को महत्व देना चाहिए इसलिए मैं सरकार को निर्देशित करता हूं कि वह ऐसी कोई भी समिति, जिसमें माननीय विधायकगण सदस्य हैं, उनको महत्व देने और आमंत्रित करने के लिये सुनिश्चित करें । दूसरा जो माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है और माननीय सदस्यों ने कहा भी है कि कहीं-कहीं पर सरकारी भवन का उद्घाटन अधिकारी करते हैं । इस संबंध में मैं सरकार को निर्देशित करता हूं कि इस संबंध में वह सुनिश्चित कराये कि सरकारी अधिकारीगण इस तरह के सरकारी कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास का कार्य न करें । यह कार्य अधिकारियों द्वारा न किया जाय । इस सूचना को मैं अस्वीकार करता हूं और नियम 300 के अन्तर्गत शेष जो सूचनाएं आई हैं उन सभी सूचनाओं को अस्वीकृत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र वर्ष 1995-96 (भाग प्रथम एवं द्वितीय)†

संसदीय कार्य एवं पंचायतीराज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र वर्ष 1995-96 (भाग प्रथम एवं द्वितीय) को इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, 1948 की धारा–61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 †

संसदीय कार्य एवं पंचायतीराज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 को इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, 1948 की धारा–69 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष–

आप कल दे दीजियेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 1995 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 31 जुलाई, 1995 को वापस प्राप्त हो गया है।

(श्री राम विशुन आजाद और श्री सुन्दर लाल दीक्षित के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[x x x]

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, दीक्षित जी जो कह रहे हैं, वह लिखा न जाय।

---

† छापा नहीं गया।

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दीक्षित जी जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 1-8-95 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गइ । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री राम विशुन आजाद, श्री अखिलेश सिंह, श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री घनश्याम शुक्ल व श्री चन्द्र किशोर की है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं चाहूंगा कि चूंकि इस पर बहुत सारे लोग अपने-अपने विचार रखना चाह रहे हैं, इसलिए हर दल से एक-एक सदस्य ही अपने विचार रखे !

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[x x x]

(व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं पंचायतीराज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

इस तरह से जो दीक्षित जी बोल रहे हैं, मान्यवर, उसको लिखा न जाए ।

श्री अध्यक्ष–

दीक्षित जी जो बिना अनुमति के बोल रहे हैं, उसको लिखा नहीं जाय ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

आप पहले दीक्षित जी को सुन लें, वह अपनी बात कहना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जब बजट होगा तो आपको पूरा समय अपनी बात कहने के लिए मिलेगा, आप बैठ जायं । "व्यवधान" नहीं, दीक्षित जी, मेरी अनुमति नहीं है । मैंने तो कई आगे की मद ले ली है और अब कार्य स्थगन की सूचनाएं मैं ले रहा हूं ।

नोट : [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

दीक्षित जी की सूचना को आपने बजट में परिवर्तित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

गन्ना पर चर्चा चलेगी तो उस समय आप अपने पूरे विचार रख दीजियेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

दीक्षित जी को आप कायदे से सुन लें, इनकी बहुत गंभीर बात है।

(श्री नरेश अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कल नियम 56 में आप दे दीजियेगा, तो मैं विचार कर लूंगा। मेरी यह चाहत है कि हर दल से एक-एक-सदस्य बोले, क्या नरेश अग्रवाल जी आप अपने दल से बोल रहे हैं।

श्री शिवप्रताप शुक्ल–

सूचना में सबसे पहले मेरा नाम है, अतः पहले मुझे मौका दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों को मिल जाएगा। श्री शिवप्रताप शुक्ल जी पहले बोलना चाहते हैं तो इन्हीं को आप पहले मौका दे दें। यह संक्षेप में बोल लें।

* श्री शिवप्रताप शुक्ल–

मैं बहुत संक्षेप में ही रख रहा हूं, मैं नरेश अग्रवाल थोड़े हूं। मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश और उसके साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय गंभीर रूप से विद्युत कटौती हो रही है। परिणाम यह है कि बिजली नहीं मिल पा रही है। गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, महराजगंज, पडरौना, और सिद्धार्थनगर आदि इन सारे जिलों में आज स्थिति यह है कि दिन-दिन भर बिजली नहीं रह रही है। कभी-कभी एक-दो घंटा के लिए आ जाती है, तो अलग बात है। दिन में तो किसी तरह से कट जाता है, लेकिन रात में बिजली के अभाव में यह स्थिति हो रही है कि लोग बहुत व्याकुल रहते हैं। मारे मच्छरों के उनके रात-रात काटने से परेशान होकर यह सो नहीं पा रहे हैं।

गोरखपुर के बगल में बस्ती है दो दिन से वहां बिजली नहीं है। गोरखपुर में बिजली नहीं है। अधिकारियों से वार्ता की जाए बिजली क्यों नहीं आ रही है तो जवाब नहीं देते हैं। एक अधिकारी ने मजाक में कहा, वह मैं सदन में कह देना चाहता हूं कि उन्होंने मजाक में कहा कि बिहार में ग्रिड फेल हो गया है इसलिए गोरखपुर और पूर्वांचल में बिजली नहीं आ रही है। कुल मिलाकर चार-पांच घंटे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आ पा रही है। वहा बिजली की [redacted]ति यह है कि धान तो धान ज्वार बाजरा भी सूखता नजर आ रहा है। नहरों में पानी नहीं है परिणाम यह है कि पानी न देने के नाते फसल सूख रही है। इसके साथ-साथ लोगों को जीना मुहाल हो गया है यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना है। मैं इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के सामने रख रहा हूं। हम चाहते हैं कि एन० टी० पी० सी० से बिजली को खरीदें।

(व्यवधान)

यह लोग बार-बार बीच में खड़े हो जाते हैं। एन० टी० पी० सी० से बिजली खरीदकर प्रदेश की जनता को बिजली दी जाए। प्रदेश की जनता को बिजली दी जाए। प्रदेश की जनता को इस बात का अधिकार बनता है कि उत्तर प्रदेश के जितने खेत खलिहान हैं उनके लिए बिजली की आवश्यकता है सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता है तो वह निश्चित रूप से उसका अधिकार है। लोगों के जन-जीवन की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। बिजली महत्वपूर्ण समस्या का निदान करें। यह मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं। श्री नरेश अग्रवाल जी के बराबर में श्रीमती प्रमोद तिवारी बैठे हैं घर जाने के बाद इनसे पूछे क्या हुआ ? कल मैं माल एवेन्यू की तरफ से आ रहा था वहां स्त्रियां चिल्ला रही थीं [x x x] वहां चिल्लाते हो और यहां बिजली नहीं दे रहे हैं।

(हंसी)

श्री नरेश अग्रवाल–

प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने घोषणा करी .....

श्री घनश्याम शुक्ला–

श्रीमन्, सूचना में मेरे भी दस्तखत हैं।

श्री अध्यक्ष–

दस्तखत हैं तो क्या एक साथ बोलेंगे ? या तो आप तय कर लें जितने हस्ताक्षर हैं उतनों को ही बुलयाया जाए।

श्री नरेश अग्रवाल–

प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल में 16 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। प्रदेश की मुख्यमंत्री देखें प्रदेश के किसान का जनाक्रोश है। उत्तर प्रदेश राजस्व विद्युत परिषद् की जो स्थिति है राज्य विद्युत परिषद् की विद्युत उत्पादन क्षमता 42 सौ मेगावाट है और आज विद्युत की मांग 6 हजार मेगावाट है। रिहन्द हाइड्रो प्रोजेक्ट है वहां जल का स्तर 845 है जबकि 840 मिनिमम है इस पर रिहन्द प्रोजेक्ट को बन्द कर दिया जाता है। प्रदेश सरकार कोयले का भुगतान नहीं कर रही है। कोलरीज ने कोयला देना बन्द कर दिया है। टोटल उत्तर प्रदेश में इस समय विद्युत का

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्पादन 1400 मेगावाट हो रहा है । इसमें हाइड्रो व थर्मल दोनों शामिल हैं । जबकि प्रदेश में 6000 मेगावाट की मांग हैं। यह सरकार 16 घण्टे विद्युत देने का दावा करती है। विद्युत वितरण के सम्बन्ध में प्रदेश को सात हिस्सों में बाटा गया है। उनकी कैटेगरी कर दी गई है। मान्यवर, जब हम विधायकगण चुनकर आते हैं उस समय तो कैटेगरी नहीं होती है आज पूरे प्रदेश में दयनीय स्थिति पैदा हो गयी है। अपराधी सक्रिय हो गए है। यह प्रश्न गम्भीर भी है लोकमहत्व का भी है इसलिए इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस बिजली वाले विषय पर जो जनजीवन से जुड़ा हुआ है, उस पर मुझे बोलने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रदेश में सूखा है और उसके बाद बिजली की तरफ लोगों को त्रास है। चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे पीने के पानी का मामला हो या रात को सोने का मामला हो अथवा शहरों में जलापूर्ति का मामला हो सभी चीजें बिजली से जुड़ी हुई हैं। इतनी तो मुझे जानकारी नहीं है कि 1400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो गया है। इस समय जो कोयला आ रहा है वह निम्न श्रेणी का विद्युत बोर्ड को मिल रहा है। जल विद्युत बहुत कम बन रही है। उसके बावजूद मेनेजमेंट की व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। विद्युत बोर्ड सही काम कर रहा है कि नहीं। पिछले दिनों बुलन्दशहर में भी तीन दिनों तक बिजली नहीं आयी। मालूम हुआ कि कन्ट्रोल से बिजली नहीं आयी या ग्रिड फेल रहा। रात्रि को 12.00 बजे मैंने विद्युत बोर्ड के चेयरमैन को टेलीफोन किया हमारे यहां तीन दिन तक लगातार सेट डाउन रहे । जबकि यह नियम है कि सेट डाउन लेने के लिए विद्युत विभाग के बड़े अधिकारियों को जानकारी होनी चाहिए फोन से पता चला कि चेयरमैन को इसकी जानकारी नहीं है। मैं मांग करूंगा कि जो लोग सरकार को इस तरह से बदनाम करने के लिए जनता को कष्ट दे रहे हैं उनकी जांच कराई जाए। क्योंकि हरदुआगंज जो अलीगढ़ में पड़ता है वहां पर इंजीनियर सेट डाउन लेने के बाद सो गया उसने खबर नहीं ली। मैंने जब विद्युत बोर्ड के अधिकारियों से बातचीत की कि हमारे यहां बिजली की सप्लाई अत्यंत खराब है तो मालूम हुआ कि ज्यादातर बिजली कोयले से बनती है। लेकिन आजकल जो भी थर्मल पावर उत्तर प्रदेश में हैं, उनकी सफाई का काम क्यों चल रहा है? मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब पूरे प्रदेश में सूखे से त्राहि–त्राहि मची हुई है तो इस समय सफाई का काम क्यों चल रहा है? बिजली अगर 16 घण्टे नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 10 घण्टे बिजली तो मिलनी ही चाहिए । बिजली की आवश्यकता को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा बिजली जनरेट की जाए मान्यवर, अगर मशीनों की सफाई ही करनी थी तो 2 महीनें के बाद की जा सकती थी आज इमरजेंसी के वक्त में मशीनों की सफाई अधिकारी कर रहे हैं जिससे जनता को बिजली नहीं मिल पा रही है। विद्युत परिषद् के चेयरमैन नये बने हैं वह कहते हैं कि किसी खास वजह से अध्यक्ष बना हूं। पुराने अध्यक्ष ईमानदार थे। नये अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं तो किसी खास वजह से बना हूं मेरा स्पष्ट आरोप है कि वह इस सरकार को बदनाम कर रहे हैं और जिस समय बिजली की जरूरत है उस समय मशीनों की सफाई की जा रही हैं। बिना जानकारी शटडाउन लिये जा रहें हैं और इंजीनियर शटडाउन लेकर घर जाकर सो रहे हैं। आप जानकारी करें कि यह क्या साजिश की जा रही है। इसलिए इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि सरकार को आप वक्तव्य के लिये निर्देशित करने का कष्ट करें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं। इस पर और समय व्यतीत न करके मैं इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन तो लें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, बिजली की बहुत बुरी स्थिति है मुझे भी समय दे दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं केवल 2 मिनट लूंगा।

मान्यवर, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में विद्युत और सिंचाई की कोई प्राथमिकता मानी है, यदि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में 16 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली देने की प्रतिबद्धता और वचनबद्धता दोहरायी है तो 16 घंटे बिजली क्यों नहीं दी जा रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2–3 घंटे बिजली मिल रही है। शनिवार को दस्ती मुख्यालय पर रात में था वहां पूरी रात बिजली नहीं आयी और रविवार को दोपहर में बिजली आयी। जब प्लांट लोट फैक्टर 65 है तो फिर बिजली 16 घंटे क्यों नहीं दे पा रहे हैं ? मेरा कहना है कि प्लांट लोड फैक्टर इस समय 43 पर पहुंच गया है तो फिर 16 घंटे बिजली कैसे दी जा सकती है? नये चेयरमैन से उम्मीद थी कि बिजली की स्थिति को सुधारेंगे लेकिन आज बिजली की व्यवस्था चरमरा गयी है। संसदीय कार्य मंत्री जी बतायें कि जिन जिला मुख्यालयों पर बिजली की कटौती नहीं होती थी वहां पर क्यों की जा रही है? इस समय राज्य विद्युत परिषद तबादलों में लगा हुआ है। 12 सौ अभियंताओं का तबादला कर दिया गया है। दूसरे विभागों में अभी स्थानान्तरण नहीं हुये हैं केवल राज्य विद्युत परिषद में तबादला करने के सिवाय और कोई काम नहीं हो रहा है। प्रदेश की जनता को बिजली मिल रही है या नहीं इसको देखने की किसी को फुरसत नहीं है। पूरा प्रदेश अंधकार में डूबा है और सरकार प्रदेश को 16 घंटे बिजली की आपूर्ति देने के जो बात कर रही है उसका पालन करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर, अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो कैसे काम चलेगा, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें और सरकार को निर्देश दें।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपका ध्यान गोंडा जनपद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार द्वारा जो घोषणायें की जाती है, कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण 16 घन्टे के बजाय 4 घन्टे भी बिजली नहीं मिल पाती है और प्रदेश सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। पानी के लिये और बिजली की आपूर्ति किसी तरह से सुनिश्चित करायी जाये। मान्यवर, बिजली बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना

चाहता हूं। जबसे इनकी नियुक्ति इस पद पर हुई है, तब से भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इंदिरा नगर में तैनात अधिशासी अभियन्ता जिन्होंने 58 लाख रुपये का घोटाला पकड़ा था जिनका नाम आर० एन० पाण्डेय है, उसकी एक महीने के अन्दर रिपोर्ट शासन को भेजी, उनको वहां से हटा दिया गया और वहां पर एक के० एन० पान्डे जिन्होंने 20 लाख का गबन किया था, उनको पुनः वहां पर पोस्ट कर दिया गया है। लखनऊ का चेयरमैन बना दिया गया है। एक नवीन है, जो लखनऊ के चीफ इन्जीनियर है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चला, और वह सस्पेंड हुए, लेकिन उनको लेखू में मुख्य अभियन्ता बना दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों की जांच की जाये, अन्यथा जो वर्तमान सरकार है, वह बदनाम होगी और उसकी छाप हमारे ऊपर पड़ेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार उस तथ्यों की जांच कराये और जो अधिकारी दोषी पाये जायें उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये और नये और ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त किया जाये। बिजली आपूर्ति के मामले में गांवों की स्थिति बहुत बदतर है। प्रदेश सूखे की कगार पर है और जो विद्युत बोर्ड के चेयरमैन हैं वह ट्रान्सफर और पोस्टिंग में लगे हुये हैं। आज उन्होंने 12-13 सौ अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया है, वह बिजली आपूर्ति की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वह ब्रीफ केस लेकर शासन का चक्कर लगा रहे हैं। मान्यवर, आप व्यवस्था दें और गांवों को बिजली दिलाने की व्यवस्था करें

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

जितने माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, यदि उन्हीं को सुना जाना है, तो मैं इसी का अनुपालन करूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

आपने कहा कि गम्भीर प्रकरण है, तो आप सुन लें।

(व्यवधान) (श्री घनश्याम शुक्ल के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

केवल 3 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप बोल चुके हैं। अब जो कुछ बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा।

* श्री चन्द्र किशोर--

मान्यवर, आपने मुझे इस गम्भीर मसले पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, वैसे तो विद्युत का संकट पूरे उत्तर प्रदेश में है और यह प्रदेश बहुत ही संकट से गुजर रहा है। मेरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में महराजगंज, पडरौना, गोरखपुर, देवरिया में कटौती काफी अधिक की जा रही है वहां पर न तो फसलों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो रही है और नहीं विद्युत मिल पा रही है। जिसके कारण फसल सूखने की स्थिति में पहुंच गयी है। सरकार की तरफ से जो विद्युत आपूर्ति का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

निर्देश दिया गया है उसको अधिकारी ताक पर रखकर बिजली नहीं दे रहा है चूंकि हमारा जनपद महराजगंज बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उसमें मैक्सिमम बिजली की कटौती की जा रही है । मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जब से यह चेयरमैन माथुर आये हैं तब से विद्युत की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी है । यह सुनने में आया है कि इनका लड़का भी ठेकेदारी करता है । शासन स्तर से जो स्थानान्तरण निरस्त किये जा रहे हैं उसको भी यह नहीं मान रहे हैं और अपने स्तर से ही स्थानान्तरण कर रहे हैं और उसको रोक रहे हैं ।

* श्री राम विशुन आजाद--

मान्यवर, विद्युत आपूर्ति पूरे प्रदेश में चरमरा गयी है । जब बसपा की सरकार बनी थी तो 16 घन्टे विद्युत देने की बात सरकार ने की थी लेकिन आज 16 घन्टे के बजाय 6 घन्टे भी विद्युत नहीं मिल पा रही है । पता नहीं क्यों जब किसानों का महत्वपूर्ण समय आता है चाहे मड़ाई का काम हो, चाहे गेहूं की बुआई का या धान की रोपाई का समय हो तब सब अधिकारी की साजिश से विद्युत आपूर्ति खत्म कर दी जाती है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । यह कहा जाता है कि उत्पादन अधिक हो तो जब विद्युत आपूर्ति ही नहीं होगी तो उत्पादन कैसे होगा ? आज पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में है । धान की फसल पानी न मिलने से चौपट होती जा रही है और इधर विद्युत विभाग के अधिकारी एयरकन्डीशन में बैठे हैं और लालबत्ती नीली बत्ती में घूमते हैं । उनको नहीं मालूम हैं कि किसानों की गाढ़ी कमाई से ही वह घूम रहे हैं । मान्यवर, विद्युत आपूर्ति न होने से किसानों की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गयी है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे वहां का किसान काफी परेशान है । इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों को कम से कम 16 घन्टे बिजली दे । मान्यवर, जिस तरह से उद्योगपतियों के हाथों यह सरकार बिकी हुई है ।

(व्यवधान)

(श्री प्रमोद तिवारी को पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें मैंने प्रमोद तिवारी जी को बुला लिया है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह सरकार 16 घन्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुझे दो बाते ही कहनी हैं । यह नितान्त अव्यवहारिक घोषणा है 16 घन्टे वाली । कदाचित् मुख्य मंत्री जी भूल गयी थी इस सरकार ने जब घोषणा की थी तो उसे यह अंदाजा नहीं था कि दिन में 24 घन्टे होते हैं ।

(श्री शिवदानी एवं कुछ और माननीय सदस्यों के बीच में एक साथ बोलने से व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद तिवारी जी को मैंने बुलाया है इसके अतिरिक्त जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे, लिखा नहीं जायेगा। मा० शिवदानी जी आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं इसलिए लिखा नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

श्री प्रमोद तिवारी–

16 घन्टे की विद्युत आपूर्ति की घोषणा जब मुख्य मंत्री जी ने की तो सम्भवतः यह तथ्य संज्ञान में नहीं लिया कि दिन में मात्र 24 घन्टे होते हैं और उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि जिससे 2 शिफ्टों में बिजली देनी पड़ती है। 12 घन्टे से ज्यादा बिजली दे नहीं सकते। 12 घन्टे इसलिये नहीं दे सकते कि इन 24 घन्टों में 4 घन्टे ऐसे होते हैं जिन्हें पीक आवर्स कहा जाता है और वह होते हैं शाम को 6 बजे से 10 बजे तक का समय यदि यह 4 घन्टे निकाल दिये जायें तो कुल मिलाकर 20 घन्टे बचते हैं जिसमें विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। हम सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति कर सकते हैं तो 10 घन्टे से अधिक नहीं कर सकते हैं 10 घन्टे भी तभी कर सकते हैं जब प्लान्ट लोड फैक्टर 61-62 परसेंट के आस-पास हो और लाइन लास की आदर्श स्थिति 5 से 7 प्रतिशत के बीच हो, यह तब होगी। आज स्थिति जो है प्लान्ट लोड फैक्टर 65 परसेंट के बजाय 42–42 परसेंट पर है लाइन लास जिसे कम होना चाहिये 5 से बढ़कर 30-31 प्रतिशत तक पहुंच गया है 27–28 प्रतिशत तो यह स्वयं स्वीकार करते हैं। पूरी स्थिति को देखें जो बिजली इम्पोर्ट करते हैं नेशनल ग्रिड से बिजली ले रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश अपना हिस्सा नहीं ले रहा है, बिहार नहीं ले रहा है, तो जो बचत है, उसके अनुसार 3 घन्टे से ज्यादा बिजली नहीं दी जा सकती है। एनुअल रिपेयर न ओबरा में हुई न आनपारा में हुई है और न हरदुआगंज में की गयी है। जो नया बिजली घर होता है उसका प्लान्ट लोड फैक्टर ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में कोई सर्वाधिक बिजली दे सकता है तो वह आनपारा डी० दे सकता था 500 मेगावाट का है। आप से पहले की सरकार ने अक्लमन्दी के साथ काम किया उसने बिजली घर को बना दिया। एक्वेजीशन लाइन और ट्रांसमीशन लाइन की व्यवस्था हुई, उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन पारेषण नहीं कर पा रहे हैं।

इस सरकार ने जो 16 घन्टे बिजली आपूर्ति की बात कही है, इस सरकार को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की आदत हो रही है, कच्ची पक्की सरकार है, जिसका अस्तित्व दांव पर है यह जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं यह जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, 4 घन्टे से 5 ज्यादा बिजली यह नहीं दे सकते हैं चाहे लाख प्रयास कर लें नहीं दे सकते हैं। जनता के सामने जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें कि 4 घन्टे 5 घन्टे से ज्यादा बिजली नहीं दे सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि ये बतायें कि कितना बिजली का उत्पादन होता है और जितना उत्पादन होता है उसमें क्या 16 घन्टे बिजली दी जा सकती है आप उत्पादन और वितरण का विवरण बता दें ?

(व्यवधान)

(श्री मातवर सिंह कण्डारी व श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायें कोई न तो चर्चा हो रही और न भाषण हो रहा है । संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है ।

यह ग्राह्यता पर मैं सुन रहा हूं जिनके हस्ताक्षर हैं, आपके हस्ताक्षर नहीं है आप भी नोटिस दे दीजियेगा ।

* श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं कई सूचना दे चुका हूं । लेकिन हमारी सूचना नहीं ली जाती है ।

श्री अध्यक्ष–

जो शलाका में आयेगी, शलाका के आधार पर सूचना ली जाती हैं ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

हमारे उत्तरांचल की उपेक्षा होती है । मान्यवर, मैं सिर्फ दो मिनट आपका लूंगा । मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने उत्तरांचल जैसे पिछड़े क्षेत्र की बात सुनने के लिए टाइम दिया । कितना दुर्भाग्य है कि हम वैसे भी पिछड़े हुए हैं और हमारी बातों को सुना नहीं जाता है । हमारे यहां विद्युत सप्लाई दिन में 6 घंटे की जाती है लेकिन आप छानबीन करवा लें तो यह पायेंगे कि महीने में 6 दिन भी विद्युत सप्लाई नहीं की जाती है और उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है । उत्तरांचल के टिहरी जनपद में 77 ट्रांसफारमर चार साल से जले हुए हैं और उनको बदलने की हिम्मत किसी में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सरकार जिस समय थी उस समय नहीं बदला गया था ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां की जनता का शोषण न किया जाये और वहां के जो 77 जले हुए ट्रांसफारमर हैं उनको बदला जाये और कम से कम 6 घंटे बिजली दिन में जरूर दी जाये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, वैसे तो इस विषय में आपने वक्तव्य स्वीकार कर लिया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने स्वीकार नहीं किया है । मैं तो आग्रह कर रहा था यदि माननीय सदस्य उस समय सहमत हो जाते तो मैं स्वीकार कर लेता । लेकिन जब सब बोलने के लिए खड़े हो गये तो मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप तो वायदा देकर मुकर गये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, बड़े ही गंभीर विषय पर अभी विचार व्यक्त किये गये थे । अभी एक महत्वपूर्ण तथ्य श्री प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि यह सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे देखती है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सपना नहीं देखता है उसमें न तो उर्जा होती है और न प्राण शक्ति और न ही विकसित होने की संभावना होती है । श्रीमन्, इस देश को बड़ा और महान उन्हीं लोगों ने बनाया जो सपना देखा करते थे देश को महान और शक्तिशाली बनाने का । श्रीमन्, अगर यह सरकार सपना देखती है कि बिजली दे; तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए । इसके लिए जो विचार आये हैं उसका सरकार उपयोग करेगी । श्रीमन्, यह सही है कि जब किसी विद्युत की मांग उसकी उपलब्धता से ज्यादा बढ़ जाती है तो कठिनाई होती है और जैसे श्री प्रमोद तिवारी जी ने बताया कि इस समय बिजली की जितनी घोषणा की गयी थी उससे कम बिजली दी जा रही है । श्रीमन्, जुलाई माह के द्वितीय पखवाड़े में विद्युत की उपलब्धता मांग के सापेक्ष काफी कम रही । पर्याप्त वर्षा न होने के कारण विद्युत की मांग गत वर्ष की अपेक्षा 8-10 मिलियन यूनिट प्रतिदिन बढ़ गयी थी । अतः विद्युत मांग एवं उपलब्धता में आई कमी को पूरा करने हेतु सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की दिन एवं रात्रि में आपात कटौती करनी पड़ी । दिनांक 29-7-95 को कई तापीय इकाइयों के अचानक बंद होने से तापीय उत्पादन लगभग 100 मेगावाट तक चला गया जो कि सामान्य से 500-600 मेगावाट कम था अतः 29-7-95 को 17.3 मिलियन यूनिट की आपात कटौती करनी पड़ी थी जो कि सामान्यतः 6-7 मिलीयन यूनिट प्रतिदिन की होती है । इस कारण से उस दिन बस्ती नगर की ही नहीं वरन् प्रदेश के अन्य इसी स्तर के नगरों की रात्रि में भी कटौती करनी पड़ी ।

श्रीमन्, माननीय तिवारी जी, माननीय पाल जी, माननीय श्री किरनपाल सिंह जी और कई और माननीय वरिष्ठ सदस्यों के विचारणीय बिन्दु इसमें आये । विद्युत परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में जनता दल के श्री किरनपाल सिंह, श्री जगदम्बिका पाल जी और भारतीय जनता पार्टी के श्री घनश्याम शुक्ल ने कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु उठाये हैं । और वह अनेकों गंभीर तथ्यों के साथ उठाई गई है । मैं पहले भी कई बार इस आदरणीय सदन में कह चुका हूं कि इस सरकार की नीतियां पारदर्शी हैं, किसी भी अधिकारी पर यदि गंभीर आरोप होते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिये । किन्हीं आर० एम० पाण्डे जी के बारे में सवाल किया गया है और कहा गया है कि उनके ऊपर आरोप होने के बावजूद उनको किसी खास जगह रखा गया है, यह बात कार्यवाही में आ गई है, अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् के बारे में भी आरोप आये हैं, सरकार इन सबका संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से इसकी जांच करायेगी । उधर से यह भी कहा गया था कि अध्यक्ष, श्री माथुर का लड़का वहां

ठेकेदारी करता है, शासन को इसकी जानकारी नहीं है, अगर वह वहां ठेकेदारी करता होगा और वह नियम विरुद्ध है और उसे ठेके मिल गये हैं, वैसे इतने बड़े अधिकारी के पुत्र को ठेकेदारी नहीं देना चाहिये यदि ऐसा है तो सरकार के पारदर्शी होने का संकल्प पूरा नहीं होगा। इसलिये श्रीमन्, अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् के बारे में उत्तर प्रदेश शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जायेगी और अगर वह जांच अतिशीघ्र पूरी हो जाती है और सदन सत्र में हुआ, तो उसकी जांच के निष्कर्ष इस आदरणीय सदन में भी बताये जायेंगे। जो भी विचार आज आये हैं उनका सरकार स्वागत करती है और समय-समय पर विद्युत आपूर्ति में कैसे सुधार हो, जो हम सपना देखते हैं, उसको कैसे क्रियान्वित कर सकें, इस हेतु उन विचारों का उपयोग किया जायेगा, हम अवश्य इन विचारों का लाभ उठायेंगे। श्रीमन्, आपने कहा था कि वक्तव्य के लिये स्वीकार करते हैं, तब आपकी मंशा यह रही होगी कि आप समय दिलाना चाहते थे, लेकिन अब काफी माननीय सदस्यों की बात आ गई है और सरकार ने भी बहुत ईमानदारी से अपना पक्ष रख दिया है तथा सब को स्वीकार भी कर लिया है, अतः इस सूचना को निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं वक्तव्य स्वीकार नहीं कर रहा हूं और इस सूचना को अस्वीकार कर रहा हूं। अगली सूचना श्री बदन सिंह जी की है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, गोरखपुर में न्यायालय ने एक फैसला सुनाते हुये कहा है...

श्री अध्यक्ष–

शुक्ल जी, आप बैठें, मैंने बदन सिंह जी को बुलाया है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि इस व्यवस्था के रहते अंधेरेपन को दूर करने की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह किस अधिकारी के बावत कह रहे ?

श्रीमन् यह जिस अधिकारी की बावत कह रहे हों, हम उसकी भी जांच करा देंगे।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अभी 4 बजे हैं, शाम 5.00 बजे तक जो भी माननीय विधायक अपनी शिकायतें दे देंगे, हम सबकी शिकायतों को अधिकारियों को संदर्भित कर देंगे और आज की कार्यवाही से भी जुड़ा मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी शिकायतें लिखकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को दे दें, वह उसको देखकर कार्यवाही कर देंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं उनकी उस प्रकार जांच करवाऊंगा, जिस प्रकार विधान सभा आश्वासन की होती है, ठीक उसी के अनुरूप जांच कराऊंगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बदन सिंह जी से अनुरोध है कि अभी 4 सूचनायें और लेनी हैं, इसलिये मैं चाहूंगा कि संक्षेप में सभी बातों को कहें, ताकि और माननीय सदस्यों को भी मौका मिल सके । अभी दो विभागों का बजट भी होना है ।

* श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आज मैं अपने कार्य-स्थगन के माध्यम से इस महान सदन के सामने एक ऐसी घटना को लाना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश के लिये बड़े खतरे की साबित हो सकती है, उसके निवारण के लिये मैं शासन से मांग करता हूं । मान्यवर, फर्रुखाबाद जनपद में नवाबगंज, कमालगंज, छिबरामऊ के विकास खंडों में 28 जून से 18 जुलाई, तक कई गांवों में धरती फट गई ।

धरती फटने के समय पर यह जो घटना हुई, उस घटना में तीन सौ मीटर लंबी और आधा फीट से तीन फीट तक चौड़ी दरारें पड़ गयीं । नगला उमराव में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गये । मान्यवर, भूगर्भ वेत्ताओं द्वारा, भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार की आशंका पहले ही प्रकट कर दी गयी थी और वहां के जिला प्रशासन को यह बता दिया गया था कि यहां पर कुछ समय के पश्चात् धरती फटने की घटना घट सकती है, लेकिन वहां के जिला प्रशासन ने भूगर्भ वेत्ताओं की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और धरती फटने को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किये । मान्यवर, उन भू–वेत्ताओं की जो रिपोर्ट है वह यह है कि भूगर्भ निरन्तर गिरता ही चला जा रहा है और भूगर्भ जल का अन्धा-धुन्ध दोहन हो रहा है और पानी की निकासी बराबर होने के कारण, भूगर्भ जल का किसी प्रकार से कोई निर्माण नहीं हो रहा है, भूगर्भ में जल नहीं बन रहा है जिस कारण वह क्षेत्र डार्क होते जा रहे हैं । मान्यवर, 10 डार्क घोषित ब्लाकों के अन्दर यह घटना घटी है । इसी प्रकार डार्क ब्लाक पूरे उत्तर प्रदेश में 85 हैं और इस आशंका से उ० प्र० के 85 विकास खण्डों के निवासी चिन्तित हैं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यदि इस भूगर्भ जल के निरन्तर दोहन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह भूगर्भ किसी दिन प्रदेश के लिए अकाल भी ला सकता है । सन् 1989 में केन्द्रीय सरकार ने सभी ग्राम्य विकास सचिवों की एक मीटिंग की थी और उसमें यहां पर प्रत्येक राज्य सरकार को एक माडल ब्यू दिया था कि भूगर्भ जल को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियंत्रित करना चाहिए नहीं तो प्रदेश में अकाल पड़ने की नौबत आ जायेगी । इन शब्दों के साथ मान्यवर, सदन की आज की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड-नवाबगंज, कमाल गंज, छिबरामऊ में जो जमीन फटने की सूचना माननीय बदन सिंह ने नियम 56 के अन्तर्गत दी है और अपने विचार किये हैं, इस बारे में जब सूचना आयी थी तो हमारे शासन के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को फैक्स भेजकर यह अनुरोध किया था कि पूरी स्थिति की सूचना सरकार के पास भेंजे । श्रीमन्, अभी तक कोई सूचना इस बारे में प्राप्त नहीं हुई है । माननीय बदन सिंह जी ने जो प्रकरण उठाया है, एक तो उन ब्लाकों का उठाया है जहां धरती फट गयी है । दूसरा नीतिगत विषय भी उठाया है कि भूगर्भ जल के बारे में भू–वेत्ताओं की क्या राय है ? श्रीमन्, जहां-जहां भूगर्भ जल का दोहन हो गया है, वहां अब और ट्यूबवेल न लगाये जायें या और किसी माध्यम से वहां के जल का दोहन न किया जाये तो स्थिति ठीक हो सकती है, तो इस पर विस्तार से जानकारी की आवश्यकता होगी और इस समय हमारे पास इसकी कोई जानकारी जबकि यह प्रश्न उठा है, नहीं है ।..

जिस अधिकारी से आप कहें या जिस अधिकारी से माननीय सदस्य चाहें, हम उसी से पूरे प्रकरण को मंगवा लेंगे । इस पर चर्चा कराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, इस पर भूगर्भ विशेषज्ञों की एक टीम का गठन कर लिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट देगी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यदि आप चाहें तो इस पर वक्तव्य स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

* डा० रामबाबू हरित–

मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सम्पूर्ण देश में अपना सबसे ऊंचा स्थान रखता है परन्तु विकास के हर क्षेत्र में और जनता की समस्याओं के निराकरण करने के क्षेत्र में हमारे प्रदेश का ग्राफ नीचे होता जा रहा है । आदमी के शरीर में लगभग 70 प्रतिशत पानी होता है । जब पानी की मात्रा किसी वजह से कम हो जाती है, चाहे वह बीमारी से हो या पानी की उपलब्धता कम हो तो वह इस संसार से जाने के लिए मजबूर हो जाता है । हमारे प्रदेश में लगभग 23250 बस्तियां ऐसी हैं जहां आज तक शुद्ध पेयजल के श्रोत नहीं है । निर्धारित मापदण्ड के अनुसार लगभग 40 लीटर पानी की आवश्यकता प्रति दिन प्रति व्यक्ति को होती है परन्तु प्रदेश में लगभग इस समय एक लाख तेरह हजार ऐसी बस्तियां हैं, जिनमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मापदण्ड के अनुसार पानी नहीं मिल पा रहा है । जब कहीं पर पानी की मात्रा का एनालिसस किया जाता है तो पानी में कहीं पर फ्लोराइड की मात्रा कम है जिससे दांत वह हड्डियों का रोग हो जाता है और कहीं पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इससे मांसपेशियों व अन्य बीमारियों का रोग हो जाता है । आगरा में लगभग दो तिहाई पानी खारा है और पानी भारी है । जिससे नहाने, कपड़ा धोने तथा पीने पर अपच आदि पेट व शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं । जब जल संस्थान के लोगों से कहा जाता है तो वह अपना रोना रोने लगते हैं । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उन्हें 2-3 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है तो वह काम कैसे करें ? वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण जो प्लान्ट थे भी, वे जरजर हो गये हैं और कार्य नहीं कर रहे हैं । पानी का थोड़ा प्रेसर अगर कभी वह बढ़ाने का प्रयास करते भी हैं तो पाइप लाइनें फट जाती हैं । आज वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण, उसमें कार्यरत कर्मचारी सही इन्तजाम नहीं कर पा रहे हैं और वेतन न मिलने से काम भी नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करवाई जाय ।

श्री हृदय नरायण दीक्षित--

मान्यवर, श्री राम बाबू हरित जी ने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 23250 बस्तियों में शुद्ध पेयजल के अभाव का मामला यहां पर उठाया है । माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होगी कि अपने संसाधनों से और जो केन्द्र सरकार की तरफ से धन प्राप्त होता है, उन संसाधनों का समुचित प्रयोग, जहां कहीं भी शुद्ध पेयजल नहीं है, वहां पर किसी भी तरीके से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का सरकार प्रयास करती है । जल निगम के माध्यम से गांवों में, सामूहिक पेयजल की योजनायें चलाई जाती हैं । कई गांवों को समेकित करके एक टंकी बना दी जाती है, उससे पानी उपलब्ध करवाया जाता है । इण्डिया मार्का–टू के हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं और तमाम साधन शुद्ध पेयजल हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं । जहां-जहां से शिकायत आती है कि पानी में कोई ऐसा तत्व मिला है जिनसे कई रोग जैसे कैंसर, या दांत पीले हो रहे हैं तो उस पानी की जांच कराई जाती है । उस पानी के नमूने में कोई कमी पाई जाती है और मालूम होता है, वास्तव में कोई खराब तत्व मिला हुआ है वहां पर अलग से पानी की व्यवस्था की जाती है, बहुत गहराई से पानी निकाल कर व्यवस्था कराई जाती है । माननीय सदस्य ने एक निश्चित संख्या 23,250 बताई है जहां पानी में कमी है तो शुद्ध आंकड़े तो नहीं बता सकता है, लेकिन पेयजल की हम व्यवस्था कर रहे हैं । जहां-जहां से जानकारी मिल रही है, सरकार का संकल्प है कि शुद्ध पानी पीने के लिये लोगों को दिया जाय । माननीय सदस्य जानते हैं, यह सरकार लोगों की भावना से ही सत्ता में आई है । जहां पानी नहीं मिल रहा है या पानी में कमी है, लोगों की जहां उपेक्षा हो रही है, जहां पानी का अभाव है, वहां प्रमुखता के आधार पर, हमारा बजट आया है उसमें व्यवस्था होगी । पूरे उत्तर प्रदेश में संशोधनों के आधार पर पेयजल की उपलब्धता की व्यवस्था करेंगे और माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उस पर विचार करेंगे । मैं समझता हूं कि पूरे विन्दु स्पष्ट हो गये हैं इसलिये नियम 56 में यह आता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं । अगली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की है । माननीय चौधरी जी संक्षेप में अपनी बात रख दें ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है उस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

सदन के संचालन में क्या अव्यवस्था हो गयी, सदन सुचारु रूप से चल रहा है ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

जो मंत्री जी ने वक्तव्य दिया ठीक पानी न मिलने से तमाम बीमारियां फैल रही है, हैजा फैल रहा है, पानी सप्लाई ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

उस पर आप स्पष्टीकरण पूछ सकते थे। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, हैजे पर एक पूरे दिन चर्चा हो चुकी है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं एक गम्भीर समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नासिक रेलवे स्टेशन से मई महीने में बनारस स्थित कोषागार के लिये 4 पेटियां स्टैम्प पेपर बुक किये गये। अभी इस महीने जब बक्से आये उनकी डिलीवरी ली गयी तो कोषागार वालों को एक बक्सा कम मिला। अधिकारियों का कहना है कि उन बक्सों में एक-एक हजार रुपये मूल्य के स्टैम्प पेपर थे जो करीब दो करोड़ रुपये मूल्य के पेपर हैं वह चोरी चले गये। दुःख इस बात का है कि इतनी बड़ी चोरी हो गयी, उसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गयी उसकी जांच नहीं हो रही है। वहां इस मामले में राजकीय पुलिस और रेलवे सुरक्षाबल में कोई तारतम्य नहीं हो पा रहा है, वहां एक उहापोह की स्थिति हो गयी है। नासिक में जो स्टैम्प पेपर छपता है वहां से उत्तर प्रदेश के लिये रेलवे से बुक होता है। इसी प्रकार का मामला 1989 में भी करोड़ों रुपयों के स्टैम्प पेपर की चोरी की घटना का मैं सदन के संज्ञान में लाया था तत्कालीन संसदीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसकी सी० आई० डी० से जांच कराई जायेगी लेकिन आज तक इस प्रकार की कई घटनायें हो चुकी है, यह कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं में निश्चित रूप से रेलवे विभाग, जी० आर० पी० और रेलवे सुरक्षाबल की मिलीभगत के कारण ही चोरियां हो सकती है, इसमें कई प्रकार की क्षति होती है। एक ओर राजस्व की क्षति होती है और फिर यह जाली स्टाम्प पेपर जनता में बिकते है और सरकार को भी उनसे नुकसान होता है। जनता को भी यह पेपर खरीद कर पुलिस के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। तो यह सुनियोजित साजिश के तहत यह चोरियां की जाती है आप इस पर कोई व्यवस्था दें और मंत्री जी इस प्रकार की घोषणा करेंगे कि इस प्रकार की चोरियों में जो लोग भी लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी। इस भंयकर चोरी के पर्दाफाश करने के लिए उच्चस्तरीय जांच कराई जाये। ताकि मालूम हो सके कि कौन से लोग इनके पीछे है और दोषी लोगों को समुचित दण्ड मिल सकें। मैं इस लोक महत्व के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर अभी चर्चा करायी जाय।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय चौधरी ने जो बिन्दु उठाया है उस पर लम्बी बात कहने से कोई फायदा नहीं, सरकार उसको गम्भीरता से लेती है। इसमें करीब दो करोड़ रुपये के स्टाम्प चोरी हो जाने का जो मामला है इसे अपराध अनुसंधान विभाग को भेज कर जांच करा ली जायेगी और जिस पुराने मामले की चर्चा की है। उसमें जो सरकार ने कहा था, हम इसकी जांच सी० बी० सी० आई० डी०, से करायेंगे तो उसकी जांच के लिए सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध कर चुकी है। मैं समझता हूं अब इससे बड़ी कोई जांच हो नहीं सकती है। इसलिए इसको आप निरस्त करने की कृपा करें। ये विषय नियम 56 में आता नहीं और यह मामला गम्भीर है और इसकी गम्भीरता को मानकर दोनों को जांचों के लिए सन्दर्भित कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

इसको मैं निरस्त करता हूं।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बच्चों के प्रवेश संबंधी समस्याओं के संबंध में मुझे बोलने की अनुमति दी कल भी यह प्रकरण तारांकित प्रश्न के माध्यम से इस सदन में आया था, लेकिन उसमें समुचित उत्तर के अभाव में इसे कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना मुझे देनी पड़ी। आज यह ज्वलन्त समस्या है बच्चों के विद्यालयों में प्रवेश को लेकर। आज तक कक्षा 6, 9 और 11 में उनके प्रवेश को लेकर बड़ी गंभीर समस्या है उनके अभिभावक बहुत ही परेशान है। इसका एक कारण यह है कि जिस दर से यहां आबादी बढ़ी उस दर से यहां पर शिक्षा संस्थायें नहीं बढ़ी है इसलिये बच्चों को प्रवेश के लिए दर-दर की ठोकर खानी पड़ रही है अपना प्रवेश पाने के लिए अभी खड़े होकर मंत्री जी कह देंगे कि वित्तीय संकट है इसलिए हम नई शिक्षा संस्थायें नहीं खोल पायेंगे। वित्तीय संकट को देखते हुए इस समय इस समस्या का एक मात्र हल यह निकलता है कि विद्यालयों में डबल शिफ्ट चालू कर दी जायें। तो उसी स्टाफ, भवन और फर्नीचर से काम चल जायेगा और दुगने छात्र प्रवेश भी पा लेंगे। अगर प्रदेश के सभी विद्यालयों में आप डबल शिफ्ट लागू कर देंगे तो आज जो स्थिति पैदा हो गयी है। सारे के सारे विद्यालयों में जो शिक्षा संस्थायें अच्छी चल रही हैं उसी विद्यालय में लोग प्रवेश लेना चाहते है और उन विद्यालयों में प्रवेश के नाम पर दो से पांच हजार रुपया तक चन्दा लेकर प्रवेश दे दिया जाता है। इस समस्या के निदान के लिए जैसा कि अभी विद्युत संकट के संबंध में आया था और आपने विशेष रुचि ली, बहुत से सदस्यों को बोलने का मौका दिया और संसदीय कार्यमंत्री जी को इंगित किया कि वह इसमें विशेष व्यवस्था करें और इसमें सुधार करायें।

आज जुलाई और अगस्त के महीने में एकमात्र यही समस्या है। मैं समझता हूं कि जिन जनपदों में विद्यालयों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई, वहां बड़ी भयंकर समस्या है। मैं समझता हूं कि इस सदन की और कई माननीय सदस्यों की पीड़ा और वेदना को समझते हुए सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शीघ्र ही इस समस्या का निराकरण हो । यह कह देना काफी नहीं है कि डबल शिफ्ट का मामला शासन के विचाराधीन है । अभी माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिये खड़े होंगे तो कहेंगे कि 66 जनपद वाले प्रदेश में 25 विद्यालयों में डबल शिफ्ट योजना लागू करने का मामला शासन के विचाराधीन है । अगर यह 25 जनपदों में लागू किया गया तो मैं समझता हूं कि इससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा । मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर देखें । इसीलिए मैंने यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न उठाया है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जो विषय माननीय खन्ना जी ने उठाया है, उस पर श्रीमन्, उन्होंने जवाब भी हमारी ओर से पहले ही अपने भाषण में बता दिया कि सरकार कहेगी कि हम व्यवस्था कर रहे हैं । मान्यवर, यह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस बारे में व्यवस्था भी करेगी और चूंकि वह इस सरकार के महत्वपूर्ण घटक हैं । सरकार उनसे परामर्श लेकर व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी । कल ही इस पर विस्तार से सवाल जवाब हो गया है । नियम–56 में जो विषय लेते हैं । नियम 58 की उपधारा (5) में व्यवस्था है कि उस विषय को दोबारा नहीं दे सकते हैं जिस पर कल ही चर्चा हो चुकी है तो श्रीमन् माननीय सदस्यों के विचारों और सुझावों को धैर्य से कल माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सुना और उनको समेयेकित करके विचार कर लिया जायेगा । यह नियम–56 में नहीं आता है अतः इसे निरस्त किया जाय ।

(श्री सुरेश खन्ना के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

छठवीं सूचना श्री रमेशकान्त लवानियां की प्रदेश में पाक खुफिया एजेन्सी की घुसपैठ तथा विलुप्त संदिग्ध पाक नागरिकों के आई० एस० आई० एजेन्ट होने के संबंध में है, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । सातवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक निवासी छात्र अभनव कुमार के अपहरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री बी० के० गुप्त, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की सम्पूर्ण प्रदेश के नागरिक क्षेत्रों में अविवेकपूर्ण तरीके से भारी मात्रा में व्यवसाय कर आरोपित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । नवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह, श्री चरन सिंह, श्री प्रेम सिंह, श्री जगवीर सिंह की जिला मेरठ के थाना तरुरपुर निवासी श्री रविन्द्र गुणी की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । दसवीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा, श्री किरनपाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की जनपद मेरठ में ब्लाक सरधना के एस० डी० आई० श्री कल्याण सिंह को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में है, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष सारी सूचनाओं को अस्वीकृत करता हूं ।

(मद संख्या–11 पुकारे जाने पर)

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, मैंने नियम–56 में एक बड़ी प्रमुख समस्या की सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं ? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, मैं कितने दिनों से सूचना दे रहा हूं । हमें भी तो सुनने का मौका दें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में 10 सूचनाएं ली जाती हैं । आप 56 में कल सूचना दे दीजियेगा । लाटरी निकलती है, आपकी निकलेगी तो मैं सुन लूंगा । जो नियम है उसकी अवहेलना नहीं होगी ।

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग

* श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)–(श्री श्याम लाल यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,87,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(व्यवधान)

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,06,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

आप मेरे क्षेत्र की समस्या को नहीं सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अभी आगे तीसरा भी है इसको भी प्रस्तुत कर दें ।

श्री श्याम लाल यादव–

मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मेरे क्षेत्र की बहुत संवेदनशील घटना है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नवमान जी मैंने आपसे अनुरोध किया लाटरी निकाली जाती है । कल नियम 56 में सूचना दे दीजिए ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

आपके अधिकार असीमित हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों की स्थिति को देखकर इस पर विचार करने की सोच रहा हूं कि एक सूचना जो मैं चयनित करता हूं वह भी चयनित करूं या नहीं ? एक सूचना अपने विवेक से लेता हूं वह अपने विवेक से न लेकर लाटरी निकालूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी को बार-बार पीठ से निर्देशित करना पड़ रहा है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शोरगुल हो रहा था मैं कुछ कह रहा था ।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल यादव–

प्रदेश की 85 प्रतिशत..

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह पढ़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं पढ़ नहीं रहे हैं । (व्यवधान)

श्री श्यामलाल यादव–

वर्तमान समय में 112 चीनी मिलें स्थापित हैं—

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मंत्री जी भाषण दें।

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि वह सदन की उच्च मर्यादा को बनाए रखें।

श्री श्यामलाल यादव–

मान्यवर, विगत वर्ष उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। 1995-96 में हम इसे और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो लगभग 13 लाख 20 हजार टन तक होगा। इसको बढ़ाने हेतु उर्वरकों के वितरण हेतु गन्ना समितियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनको अंशदान दिया जा रहा है। ढुलाई में सुविधा के लिए अन्तर्ग्रामीण सम्पर्क मार्ग बनाए जा रहे हैं। अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने की योजना है। रिंचाई के साधन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक गन्ना पैदा किया जा सके। उर्वरकों को रखने के लिए गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 100 मीट्रिक टन क्षमता वाली 168 गोदामों का 250 मीट्रिक टन क्षमता वाली 86 गोदामों का निर्माण हो गया है। 1995-96 में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाली 300 गोदामों व 250 मीट्रिक टन क्षमता वाली 119 गोदामों का निर्माण प्रस्तावित है।

(इस समय 4 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलूराम पीठासीन हुए)

100 मीट्रिक टन क्षमता वाली 180 व 250 मीट्रिक टन क्षमता वाली 91 गोदामों की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रदेश में कुल 122 चीनी मिलें हैं और प्रदेश की समस्त गन्ना उत्पादन का 1/3 हिस्सा यह चीनी मिलें पेराई करती हैं। हम इसको बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना चाहते हैं। यह हमारा लक्ष्य है और वर्ष 1995-96 में 8 नई चीनी मिलों को प्रारम्भ करने की संभावना है। जो 2500 टी० सी० डी० क्षमता वाली होगी। अन्य 18 चीनी मिलों का प्रस्ताव है। जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को लिखा है। गन्ना उत्पादकों को अधिक लाभकारी मूल्य दिलाया जाएगा। अभी 9 रुपये से 10 रुपये तक गन्ना मूल्य बढ़ा है। इसको अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारा निर्धारित लक्ष्य है और हम चाहेंगे कि इसको मद्देनजर रखते हुए जो विधेयक हमने रखा है उसको पारित किया जाय।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, अभी तो मंत्री जी ने बजट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। बजट के समय तो परम्परा यह रही है कि इस पर मंत्री जी काफी समय तक बोलते रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने अपनी बात रख दी है उसके बाद जब वह जवाब देंगे तो सभी के बारे में बता देंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) एवं अनुदान सख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत सर्म्पूण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, इस सदन के इतिहास में कदाचित यह पहला अवसर होगा जिससे शायद आप भी सहमत होंगे और सभी सम्मानित सदस्यगण भी सहमत होंगे कि इतने कम समय में मत्री जी ने अपना भाषण समाप्त कर दिया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में आज 31 लाख परिवार प्रत्यक्ष रूप से गन्ने से मिलने वाली आय के ऊपर निर्भर रहते हैं । प्रदेश के करोड़ों लोगों के पास केवल गन्ना एक कैश क्राप के रूप में होता है । आजादी के इतने सालों बाद केवल कुछ जनपदों जैसे फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कानपुर जहां पर आलू कैश क्राप है, इन जनपदों को छोड़कर या एक आध जनपद जहां पर सूरजमुखी कैश क्राप है पूरे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर से लगाकर बलिया गाजीपुर देवरिया पडरौना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान गन्ने की फसल से सीधे जुड़े हैं और गन्ने से होने वाली आय से उनकी जीविका चलती है । गांव के लोग नौकरी नही करते हैं यदि उनको बेटे की फीस भरनी है तो जब तक गन्ने की परची का भुगतान नही होता है तब तक उनके बेटे की फीस नहीं जमा हो पाती है और उनके लड़कों का नाम कट जाता है । इसी तरह से गन्ना किसानों की बेटी की शादी अगर उनकी गन्ना पर्चियां भुन जाती हैं तो हो जाती है अगर गन्ना पर्चियों का भुगतान नही होता हैं तो किसानों की लड़कियों के हाथ पीले नहीं हो पाते हैं और शादियां स्थगित हो जाती हैं । गन्ना किसानों के लिये गन्ना पर्चियां ही उनकी आय का स्रोत हैं ।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी गोरखपुर से संबंध रखते हैं, तमाम किसान ऐसे हैं जिनके बूढ़े बाप का इलाज अगर पर्चियों का भुगतान नही हो पाता तो ऐसे बीमारों का इलाज वह नहीं करवा पाते हैं और तीमरदारी तथा इलाज के अभाव में ऐसे वृद्ध दरवाजे की दहलीज पर अपनी एड़िया रगड़-रगड़ कर मर जाते हैं । पी०जी०आई०, मेडिकल कालेज और दूसरे अस्पतालों में ऐसे बीमारों का इलाज पर्चियों का भुगतान न होने के कारण किसान नहीं करवा पाते हैं । वह गन्ने का प्रश्न प्रदेश के लाखों श्रमिकों से भी जुड़ा है । इस विभाग का बजट प्रस्तुत करने में आपने देखा होगा, आप सदन की लाइब्रेरी में चले जायं और देख लें कि यह पहला अवसर है कि बजट प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी ने केवल साढ़े 5 मिनट का भाषण दिया है आप इसी से समझ सकते हैं कि यह सरकार गन्ना किसानों के प्रति कितनी गम्भीर है ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत करने में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है । गन्ना विभाग की कौन-कौन से कार्यक्रम हैं इसके संबंध में कोई रूपरेखा उन्होंने नही प्रस्तुत की । इस विभाग की उपलब्धियां क्या हैं और विभाग के भविष्य के कार्यक्रम क्या हैं उनका उल्लेख करना मंत्री जी ने मुनासिब नही समझा और साढ़े 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दिया ? उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 153 करोड़ 2 लाख रुपया सरकार पर बकाया है उसके भुगतान की जिम्मेदारी मंत्री जी ने नहीं ली । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह एक इतना महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर माननीय मंत्री जी ने अपना बजट भाषण करते समय इसका कोई उल्लेख नहीं किया ।

मान्यवर, आज बहुत से माननीय सदस्यों ने चाहे जिस पक्ष के हों, सभी ने किसानों के प्रति अपनी प्रतिवद्धता दोहराई है । माननीय मंत्री जी श्रम के मंत्री हैं, और वह गन्ना का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं,

इसी से मालूम हो जाता है कि यह सरकार गन्ना किसानों के प्रति कितना सचेष्ट है ? राम लखन वर्मा जी नेता रहे हैं, बहन जी अब नेता हो गयी हैं और वह उप नेता हैं, वह जानते हैं कि यह विभाग कितना महत्वपूर्ण है हमारे प्रदेश में 112 चीनी मिलें हैं, उनकी रक्षा के लिये वह कौन सा कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया । पहले हमेशा इस विभाग की उपयोगिता को देखते हुये एक कैबिनेट मंत्री होता था, परन्तु आज इस विभाग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । एक ऐसे मंत्री से गन्ने का बजट प्रस्तुत कराया गया है, जो न इस सदन का सदस्य है और न ही उस सदन का सदस्य है, डेली वेजेज के व्यक्ति हैं, उनको कम से कम परिषद् का ही सदस्य बना दें, इसका रास्ता कोई बहन जी ही निकालेगी ।

मान्यवर, इस विभाग की स्थापना 1935 में हुई थी । इस सदन की सार्थकता तभी होती थी, जब कई-कई दिनों तक गन्ने पर चर्चा होती रहती थी । गेंदासिंह बाबू थे और चौधरी चरण सिंह थे जो किसानों की समस्याओं के प्रति सदैव सजग रहते थे और इस सदन में 75 प्रतिशत किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं से चर्चा होती थी, तभी इस सदन की उपयोगिता थी । अभी माननीय किरन पाल सिंह जी ने कहा और माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी और बोलेंगे, लेकिन माननीय मंत्री जी बैठ गये । माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि 50 प्रतिशत गन्ने की पेराई सुनिश्चित की जायेगी । मैं आपको बताना चाहता हूं कि 93 प्रतिशत महाराष्ट्र में, 92 प्रतिशत गुजरात में और 95 प्रतिशत तमिलनाडु में पेराई हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में 32 प्रतिशत हो रही है । उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला क्षेत्र है, जब और जगह पर गन्ने की खेती नहीं होती थी, तो उस समय भी गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में होती थी । आज गन्ना किसान की स्थिति यह है कि वह पर्चियां लिये घूमता रहता है और तहसील के लोग उसको कर्ज न अदा किये जाने पर बन्द कर रहे हैं, उसकी गन्ने की पर्चियों को भी समायोजित नहीं किया जाता है । मान्यवर, जिस किसान के पास जितनी खेती होगी, उस जमीन का जितना मूल्य होगा, उसका 75 प्रतिशत का एक फिक्सड डिपाजिट के रूप में पास बुक में मिलेगा, लेकिन बैंकों ने यह व्यवस्था कर दी है कि फिक्सड डिपाजिट में ओ० डी० 90 प्रतिशत तक ले सकते हैं । एक सेकेन्ड में बैंक में जांय और 75 हजार, 90 हजार रुपया लेकर जायं । किसान के पास 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख की जमीन है वह उसका मालिक है परन्तु फिर भी उसके पास कोई पास बुक नहीं है अगर वह उस जगह को प्लेज करके पैसा लेना चाहे तो उसके पास कोई पास बुक नहीं है तो इसमें उसके पास पासबुक होनी चाहिए । अगर उसको 75 प्रतिशत भी पासबुक से मिलेगा तो जब वह किसान बैंक में जायेगा तो अपनी पास बुक दिखाकर अपनी आवश्यकतानुसार 75 प्रतिशत तक तत्काल ले लेगा और अगर उत्पादन करके वह बैंक को पैसा नहीं चुकाता तो खेत का मालिक बैंक हो जायेगा यह होना चाहिए । मान्यवर, आज किसान असंगठित है उसकी कठिनाइयों को कोई देख नहीं सकता है । उत्तर प्रदेश के चीनी निगम के बारे में भी कोई बात इन्होंने नहीं कही है ।

मान्यवर, मुख्य मंत्री बहन मायावती ने कहा कि पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश की चीनी निगम की मिलों को बेचने का जो फैसला किया था करोड़ों की सम्पत्ति को औने-पौने दामों में उनके सारे जो टेण्डर हुए थे उसको कैंसिल करती है तो इस बात का न केवल सदन में स्वागत हुआ था बल्कि प्रदेश की करोड़ों जनता ने इसका स्वागत किया था । मान्यवर, पिछली सरकार में जो बरेली की नेकपुर, बस्ती की मुंडेरवा, मेरठ में मलियाना, देतालपुर, हुगली इसी तरह से तमाम जो चीनी मिलें हैं बिकने के लिए तय

हुई थीं इसमें जो जमीन है उसी की कीमत 10-10, 15-15 करोड़ रुपया होगी और आज नई मिल 35-40 करोड़ की लगती है लेकिन इन मिलों को दो करोड़, ढाई करोड़, पौने तीन करोड़ में दिया गया था। उसकी जमीन को बेचकर वह चाहता तो नई मिल दूसरी जगह स्थापित कर लेता। तो इस सरकार ने कहा कि हम सारे अनुबन्ध कैंसिल करते हैं लेकिन मान्यवर, फिर उसके बाद 16 चीनी मिलों को बेचने का विज्ञापन निकला 13 को पूर्ण रूप से और 3 को शेयर के रूप में तो इन 16 मिलों को बेचने के बारे में पारदर्शी नीति क्या होगी ? अगर पिछली सरकार ने बेचने का निर्णय लिया तो उस तरह से न करें पहले उस मिल का वैल्यूऐशन हो उसकी कीमत लगायी जाय किसी एजेन्सी के माध्यम से कि आज इन मिलों की वास्तव में कितनी कीमत है। तो पहले उसको एसेस कराइये फिर इन चीनी मिलों को बेचने का काम करें। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की चीनी निगम की मिलें शुरू से ही निगम की थीं या निजी समितियों की थीं मान्यवर, जब प्राइवेट मिल मालिक प्रदेश के किसानों का पैसा नहीं चुका रहे थे, श्रमिकों का वेतन नहीं दे रहे थे और गन्ने के किसानों के पैसे से अपनी थैलियां भर रहे थे और किसानों का श्रमिकों के हितों का शोषण हो रहा था तो उस समय उत्तर प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार जो थी उसने एक एक्ट बनाया और एक्ट बनाकर अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की। इस प्रदेश में इन मिलों को प्राइवेट मिलर के हाथों से, प्राइवेट उद्योग-पतियों के हाथों से लेकर कल्याणकारी राज्य की कल्पना से यह काम किया गया। तो जब किसानों के हितों के शोषण को रोकने के लिए हमने इन मिलों का अधिग्रहण किया तो आज आप फिर इन मिलों को निजी हाथों में बेचने जा रहे हैं। दो साल बाद क्या गारन्टी है कि यह मिलें किसानों का क्या शोषण नहीं करेंगी ? उत्तर प्रदेश चीनी निगम के अधिकारियों और श्रमिकों सबने इसका विरोध किया। अब एक साथ के बजाय अगर 2-4 चीनी मिल करके बेचते तो दाम भी ज्यादा मिलते। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एक सिंडिकेट बन गया है उसके जो सदस्य हुए उनकी जितनी संख्या हुई उतनी मिलों को चिन्हित कर दिया गया बेचने के लिए। 35 चीनी निगम की थी, अगर थोड़ी-थोड़ी करके करते तो 10 बोली बोलने वाले आते तो शायद हाईएस्ट जाता, सरकार ने जो बेचने का निर्णय लिया उसमें पारदर्शी नीति नहीं झलकती। चीनी निगम और सहकारी की जो मिलें हैं उसके अन्दर यह नहीं बताया कि उनके विस्तारीकरण की क्या योजना है ? जो पिछली सरकार थी शुगर विकास निधि से 2-3 मिलों का हर बार विस्तारीकरण हो रहा था। आप कहते हैं कि 2500 टी० डी० सी० की बनायेंगे। अब 2500 की वायेबिल्टी नहीं दी जा रही है, निजी क्षेत्र 5-5 हजार टन क्षमता की बनाने जा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 हजार टन का निर्माण होने जा रहा है। जब तक 2500 रहेगा विस्तारीकरण की बात चलती रहेगी। आपने कोई प्रयास नहीं किया है कि शुगर विकास निधि से पैसा मिल जाय, भारत सरकार में जो लम्बित है, आप उस सिलसिले में क्या प्रयास कर रहे हैं ? 95 प्रतिशत महाराष्ट्र में पेराई हुई, 93 प्रतिशत गुजरात में की जा रही है तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश की 61 प्रतिशत पेराई रही, तो कहना यह है कि जब तक आप नई चीनी मिल नहीं लगायेंगे उनका आधुनिकीकरण नहीं होगा तब तक पेराई की क्षमता यहां कैसे बढ़ेगी ?

गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इसका श्रेय सरकार को नहीं जाता है वह उन किसानों को जाता है जो दिन भर मेहनत करके एक केश काम के रूप में उसका उत्पादन कर रहे हैं लेकिन आप उनकी पेराई सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, यहां 1/3 गन्ने की पेराई सुनिश्चित हो पा रही है

66 प्रतिशत गन्ना कोल्हू में, खाण्डसारी में जा रहा है ईंधन के रूप में जलाया जा रहा है जो किसानों के पास एक केश क्राप के के रूप में है उसके बारे में सरकार कोई चीज सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि कैसे पेराई हो ? केन यूनियन की क्या स्थिति है ? पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक संस्कृति पैदा हो गयी है गन्ना माफिया पैदा हो गये हैं जिनके पास एक इंच भी गन्ने की भूमि नहीं है उनके पास कई-कई पर्चियां मिल जाती हैं वह दूसरे लोगों की औने-पौने दाम में खरीद कर उन पर्चियों के विरुद्ध सप्लाई करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे किसानों का शोषण हो रहा है, जो 4 बैलगाड़ी या 8 डनलप गाड़ी गन्ना होता है वह इसमें शोषित होता है। उस क्षेत्र में केन यूनियन के कुछ कर्मचारी उस गन्ना माफिया के लोगों के साथ मिलजुलकर वह गन्ना औने-पौने दामों में खरीद लिया जाता है और उनके नाम पर्ची बन जाती है, सट्टा बन जाता है। सट्टा नीति के बारे में कोई इसमें उल्लेख नहीं किया गया है जो पुरानी नीति चली आ रही है उसी पर हो रहा है हर साल क्यों नहीं सट्टा नीति बना सकते हैं। केन यूनियन पर ही क्यों है ? राजस्व विभाग शुगर मिल के कर्मचारियों के साथ गांव के प्रधान के साथ केन यूनियन डायरेक्टर के साथ बैठकर गन्ना की सट्टा नीति बनायें। मंत्री जी उसके विभाग के हैं नहीं कैसे सट्टा नीति बना सकते हैं न किसानों का शोषण रुकवा सकते हैं। मान्यवर, प्रदेश में जो 112 चीनी मिलें हैं, निजी क्षेत्र की 42, सहकारी क्षेत्र की 21, निगम की 35 और भारत सरकार की 4, इनका 153 करोड़ 2 लाख रुपया बकाया पड़ा हुआ है। निजी क्षेत्र का 59 करोड़ 68 लाख रुपया, सहकारी क्षेत्र का 10 करोड़ 71 लाख, निगम का 60 करोड़ 27 लाख रुपया और भारत सरकार के जो अधीन है, उसका 22 करोड़ 35 लाख रुपया बकाया पड़ा है। माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते समय एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। आज वे निजी क्षेत्र की चीनी मिल मालिकों के दबाव में हैं। अगर वे किसानों के हित में होते तो डेढ़ महीने की सरकार में, निजी मिल मालिकों को बकाया गन्ना भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, रिकवरी सार्टिफिकेट जारी कराते। क्या उन्होंने कोई सार्टीफिकेट जारी किया ? क्या उन्होंने कुर्की की कार्यवाही की ? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहां पर बैठे नहीं हैं। रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी बैठे हैं नवमान जी बैठे हैं बालियान जी बैठे हैं आप लोगों ने कहा था कि जब हमारी सरकार थी तो हमने उद्योगपतियों को बन्द किया था तो फिर आप इस सरकार का सहयोग क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं चाहूंगा कि जिनकी बदौलत यह सरकार चल रही है वे सुनें।

श्री अधिष्ठाता–

आप जो भी कहें पीठ को सम्बोधित करके कहें और दूसरा यह कि आप विषयान्तर न करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं विषयान्तर नहीं कर रहा हूं। मेरे कथन से मेरे इस वक्तव्य से हो सकता है कि इनमें आत्म-स्वाभिमान जाग जायेगा और यह किसानों के हित की बात सोचेंगे और कहेंगे, इसके लिए मैं उनका साधुवाद कहूंगा। इसलिए मैं इनका आत्म-स्वाभिमान जगा रहा हूं। आप कहते हैं कि हमने बिड़ला के दामाद को पकड़ लिया था, कई उद्योगपतियों को पकड़ लिया था।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, माननीय पाल जी किसान हैं और उन्होंने यही सोचा कि हमारे किसान साथी बैठे हैं किसानों की बात सोचेंगे तो उन्हें ललकार दो वे किसानों के हित में बोलेंगे। हमारे माननीय धामा जी, शिरोही जी आदि यहां पर बैठे हैं वे चौधरी चरण सिंह जी की पाठशाला के हैं। उनकी मजबूरी यह है कि माल खलियान से आढ़त में आ गया है व्यापारी के।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप जो भी बोलें अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करके ही बोलें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जिस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं मैं उन्हीं के क्षेत्र की मिलों की तरफ उनकी जो अद्यतन स्थिति है, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, पहली बार यह स्थिति है कि आज प्रदेश में किसानों का जो गन्ना मूल्य बाकी है, उसका लगभग 60 प्रतिशत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों का है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आज भी गरीब है, उसकी अपेक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सम्पन्न हैं, वहां का पूरा क्षेत्र सपन्न है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना मूल्य के भुगतान की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश से बेहतर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अविकसित क्षेत्र है, वहां पर गरीबी है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मा० रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी बैठे हैं, यह जानते होंगे कि 3-3.1/2 करोड़ रुपये की खातिर रामकोला में गोलियां चलीं थीं और लोग मारे गये थे। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलों में बकाये की जो अद्यतन स्थिति है, उसके बारे में बताना चाहूंगा-बलराममुर पर 2 करोड़ 27 लाख 20 हजार रु०, तुलसीपुर पर 76 लाख 26 हजार रुपया, बस्ती पर 2 करोड़ 50 लाख रुपया, सरदारनगर पर 8 करोड़ 80 लाख 60 हजार रुपया, रामकोला पर 3 करोड़ 15 लाख 28 हजार रुपया, कप्तानगंज पर 8 करोड़ 6 लाख 67 हजार रुपया बाकी है, और देवरिया के सदस्यों से कहना चाहूगा कि खूब इस बजट का समर्थन करिये, जरूर पारित कराइये।

सेवरही पर 7 करोड़ 18 लाख 72 हजार रुपया, बभनान पर 24 लाख 59 हजार रुपया आज बाकी है। इस तरह से केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 74 लाख 74 हजार रुपया निजी मिलों का बाकी है। ये निजी मिलें किसानों का पैसा क्यों नहीं दे रही हैं ? यह इसलिये नहीं दे रही है कि जब सरकार ही अपना भुगतान नहीं करेगी तो निजी मिल मालिकों पर दबाव कैसे बनायेगी ? मान्यवर, यह कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। पहली बार इस सरकार की इच्छा शक्ति में कमी आई है । किसान ने इस सरकार के पास अपना गन्ना दिया है तो यह उसका अधिकार बनता है कि वह अपना पैसा प्राप्त करे और पैसा देना सरकार की वचनबद्धता है, वह उसका भुगतान कराये। कल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यू०पी०-शुगर सप्लाई ऐक्ट है, उसके तहत 15 दिन के अन्दर भुगतान हो जाना चाहिये, अन्यथा ब्याज सहित पैसा देने का प्राविधान है। गन्ना आयुक्त के पास भी अधिकार हैं, उसमें शासन से पूछने

की आवश्यकता भी नहीं है। आज अगर यह मिल मालिक भुगतान नहीं कर रहे हैं तो आप रिकवरी सर्टीफिकेट जारी करायें, गिरफ्तारी करायें, कुर्की करायें लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 45 दिन से यह सरकार आई हुई है, पिछले ढाई साल से चाहे यह सरकार हो, चाहे मा० मुलायम सिंह की सरकार रही हो, किसी ने भी इन मिलों के खिलाफ रिकवरी सर्टीफिकेट जारी नहीं किये।

मान्यवर, पिछले दिनों जब 25 चीनी मिलों का लाइसेंस मिला तो एक लाइसेंस यू०पी० कोआपरेटिव फेडरेशन को भी मिला, मुरादाबाद में बहेड़ी बभनान में मिल का। मुरादाबाद में इसका स्थान तय हो गया। लेकिन जो मिल उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को मिला था, पिछली सरकार ने अपने सहकारी उपक्रम से लेकर इसे हिमाचल के एक उद्योगपति को दे दिया। जबकि सहकारी संघ की वहां चीनी मिलों की स्थिति अच्छी है, आज केवल उनका 11 करोड़ बकाया है, उसकी मिलें ठीक-ठाक चल रही हैं, केवल एक चीनी मिल सहकारी संघ को मिली थी, वह भी पिछली सरकार ने हिमांचल के उद्योगपति को दे दिया, बिना भारत सरकार की अनुमति के जबकि यह ऐसा कर नहीं सकते थे। आज आप यहां घोषणा करिये कि वह चीनी मिल हमारे उत्तर प्रदेश के सहकारी संघ के अतर्गत लगेगी, हम आपका आभार व्यक्त करेंगे। मान्यवर, पिछली सरकार ने बिना किसी टेण्डर के, बिना किसी नीति के, बिना किसी फैसले के इसको ज्वाइंट सेक्टर में दे दिया। साइट भी बदल दिया, भारत सरकार की बिना अनुमति के साइट नहीं बदली जा सकती। मान्यवर, आप ट्रान्सफर, स्वामित्व नहीं कर सकते, लेकिन यह पहली बार हुआ। पिछले दिनों भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री मा० अजीत सिंह ने पूछा तो मालूम हुआ कि इसका स्वामित्व और साइट बदल गया, मान्यवर, यह मेरे पड़ोसी जनपद जो कि मेरा ही जनपद था, जनपद सिद्धार्थनगर, वहां के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। जब सिद्धार्थनगर जनपद हुआ उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी थे, वहां पर एक चीनी मिल को लाइसेंस दिया गया लेकिन जैसे ही इसकी घोषणा हुई, इसी समय चुनाव हुए और हमारी सरकार बदल गयी, आपकी सरकार आयी, मा० मुलायम सिंह जी की सरकार आयी और आज आपकी सरकार आ गयी। फिर उस लाइसेंस को दूसरे को दे दिया गया। मान्यवर, आप गोरखपुर मंडल के रहने वाले हैं, मान्यवर, जब तक चर्चा चल रही है आप अधिकारियों से पता कर लीजिये सिद्धार्थनगर की चीनी मिल को कितने समय सीमा में लगा देंगे ? भारत सरकार किसी चीनी मिल को लाइसेंस देती है तो क्या कोई समय सीमा निर्धारित करती है, अगर उसका उल्लंघन हुआ है तो उसमें क्या कार्यवाही करेंगे या भविष्य में कौन-कौन सी कार्यवाहियां करेंगे, कम से कम इसके सबंध में बताने की कृपा करें ? यू० पी० गवर्नमेन्ट ने फाल्स सर्टीफिकेट साइट बदलने के लिए दे दिया। साइट बदलने के लिए 10 कि०मी० की सीमा है जबकि 15 कि०मी० है। और उसके साइट बदलने की अनुमति दे दी।

मान्यवर, आज जो हमारी इस प्रदेश में सबसे बड़ी चिन्ता है अपने गन्ना किसानों के बकाये मूल्य के भुगतान के बारे में। जैसा कि मैंने जिक्र किया उसके संबंध में कम से कम अपने उत्तर भाषण में स्पष्ट कर दें कि हम किसानों के गन्ना मूल्य को भुगतान कराने के संबंध में क्या उपाय सुनिश्चित करेंगे ? अगर मिल मालिक गन्ने का भुगतान नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे और 15 दिन के अन्दर गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता है तो क्या किसानों का ब्याज देंगे ?

मान्यवर, चीनी निगम पर 60 करोड़ रुपया बाकी है, विगत दिनों सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने 20 करोड़ रुपया देने की घोषणा की, यह उन्होंने किसानों पर कोई एहसान नहीं किया,

किसानों ने मेहनत करके, परिश्रम करके गन्ना उगाया और गन्ना मिल को दिया । मिल ने चीनी बनाकर अपनी आमदनी कर ली लेकिन किसानों को पैसा उपलब्ध नहीं होता, तो उसका कौन जिम्मेदार है, इस संबंध में माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें ? आप निजी मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे नहीं और उत्तर प्रदेश की सहकारी या चीनी निगम से किसानों के पैसे को देने की बचनबद्धता नहीं दोहरायेंगे तो किस तरह से पैसे का भुगतान होगा ? मान्यवर, लोग कह रहे होंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के गन्ना क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा है । आज उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है, यह सही है । आज स्थिति यह है कि गन्ने की पैदावार में पूरे देश की तुलना में हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 43.5 प्रतिशत है और इसलिए जहां 43.5 प्रतिशत गन्ने का क्षेत्रफल हो, लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्रफल में गन्ना बोया जाता हो और जिसमें सैकड़ों किसान व श्रमिक लगे हुए हैं परन्तु आज तक जिस तरह से किसानों के सामने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, उनके निराकरण के लिए आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । आपको हर मिल में एक कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें मैनेजमेन्ट साइड के लोग भी रहें और श्रमिक भी रहें ताकि हर मीटिंग में जो स्थानीय समस्यायें हैं, उनका समाधान उस कमेटी में हो जाया करेगा । इसलिए अनुरोध है कि स्थानीय स्तर पर एक कमेटी के गठन की घोषणा आप करें । अब गन्ना मूल्य के संबंध में मैं क्या कहना चाहता हूं कि गन्ने का जो उत्पादन लागत मूल्य है, अगर सरकार की बचनबद्धता है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिया जाय तो सरकार को इस ओर ठोस कार्यवाही करनी चाहिए और किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाया जाना चाहिए । केन कमिश्नर ऐज ए रजिस्ट्रार, केन सोसाइटी भी होता है अगर वह सक्षम है गन्ने के मूल्य के भुगतान के लिए तो फिर आज तक इस संबंध में कार्यवाही क्यों नही की गयी ? ऐसा लगता है कि शासन कहीं न कही निजी मिल मालिक के प्रति उदारवादी हो रही है । अगर शासन की इच्छा शक्ति हो जाय तो किसानों के भुगतान में कोई कठिनाई नहीं होगी । एक-एक मिल पर 8-8 व 9-9 करोड़ रुपये बकाया है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी कम है, माननीय मंत्री जी भी स्वयं इस बात से विज्ञ होंगे । आज लैंड एरियर व ऋणों की आज क्या स्थिति है । आज इन सारी चीजों के कारण किसान के सामने कठिनाइयां पैदा हो रही हैं । प्रदेश में जो छोटी-छोटी मिलें हैं, उनके विस्तारीकरण की बात है । शक्कर विशेष निधि में कितना पैसा आया है, कितने चीनी मिलों ने शक्कर विशेष निधि में पैसा रखा है और भारत सरकार से कितना मिलना है, इसके संबध में माननीय मंत्री जी बतायें ? स्योरोही गन्ना शोध संस्थान है, शाहजहांपुर में भी है । जब माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे तो उनकी मंशा थी कि हम इस स्योरोही गन्ना संस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनायें क्योंकि बगल में नेपाल पड़ता है । कोयम्बटूर से भी बड़ा इस संस्थान को बनाने की उनकी मंशा थी । परन्तु आज उसकी क्या स्थिति है ? आज उसकी हालत को देखने वाला कोई नहीं है । वहां पर कौन सी नई प्रजातियां निकल रही हैं और कितनी प्रदर्शनियां उन्होंने लगायीं ताकि किसानों को इस संस्थान से लाभ मिल सके । आज की विद्यमान परिस्थितियों में यह संस्थान शोषण का केन्द्र बन गया है । जो लाभ इस संस्थान से किसानों को मिलना चाहिए था, वह नही मिल पा रहा है । शक्कर विशेष निधि में भारत सरकार से जो पैसा मिलता है, उससे आखिर कितने काम होते हैं ? नये पौधशालाओं की स्थापना करना, अधिक चीनी प्राप्त करने वाली प्रजातियों को खोजना, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, पैड़ी गन्ने की व्यवस्था करना, सर्विस सेन्टर की स्थापना करना आदि तो क्या कोई चीनी मिल इनमें से कोई काम कर रही है ?

क्या कोई नई प्रजाति को प्रोत्साहित कर रही है ? सड़क व गोदाम बनाने की बात आप करते हैं। लेकिन मंत्री जी आप किसानों की व्यवहारिक कठिनाइयों को तो समझें। इस शक्कर विशेष निधि का किस तरह से सही इस्तेमाल हो, इसका समुचित उत्तर आप अपने उत्तर भाषण में देने की कृपा करें। 1988-89 में जब गन्ना मूल्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश का अलग-अलग था, उन सबको हमने एक किया। मान्यवर, कहीं ऊसर जमीन है तो कहीं पथरीली जमीन है कहीं जल प्लावन वाली जमीन है तो वहां किस तरह का गन्ना लगायें ? यह विभाग का काम है वह बताये कि किस गन्ने को प्रोत्साहन दिया जाय और कैसे चीनी उद्योग बढ़े और कैसे किसानों को फायदा हो इस पर शोध संस्थान विचार करें। मैं चाहता हूं कि आप सबके पहले जो आपका विभाग है उसका क्या उद्देश्य है और इस सरकार की गन्ना नीति क्या है इसकी घोषणा करें पिछली सरकार ने चीनी मिलों को बेचने का निर्णय ले लिया और आपने उसे कैंसिल कर दिया और फिर आप उसे बेचने जा रहे हैं तो इससे प्रदेश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं है आप स्पष्ट रूप से दिग्दर्शन करायें कि हमारे प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए आपकी क्या गन्ना नीति होगी यह हम बजट के माध्यम से जानना चाहते हैं ? आपकी इस संबंध में नीति मालूम हो जाय, आपकी जो गन्ना यूनियन्स हैं जिस तरह से वह पहले ऋण देते थे खाद देते थे बीज देते थे वह आज कुछ नहीं हो रहा है, केन यूनियन्स लायबेल्टीज बन रही है। गन्ने का भुगतान करने के लिए केन यूनियन्स को पैसा, गन्ना निगम से मिलता है ताकि किसानों को पैसा मिल सके लेकिन वह पैसा, किसानों को नही मिल पा रहा है केन यूनियन्स को जो मिलों से भुगतान होता है उसको वह अपनी तनख्वाह में खा जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

पाल साहब आज दो बजट हैं इसलिए समय का ध्यान रखें।

श्री जगदम्बिका पाल–

हमारी नवाबगंज चीनी मिल पिछले साल से नही चल रही है वहां का किसान परेशान है कहा जाता है कि वहां गन्ने की उपलब्धता नहीं है इसलिए मिल बन्द चल रही है जबकि वहां का गन्ना बस्ती, बभनान, रौजा को जाता है जहां उसकी पेराई होती है और वहां की मिल बन्द पड़ी है यह कहकर कि गन्ना नहीं मिल पाता है और वहां के आस-पास के इलाकों को जो गन्ना जा रहा है इसी तरह खलीलाबाद की चीनी मिल तीन साल से बन्द पड़ी है सरकार ने अनुमति दी कि अगले साल से चालू करेंगे, उसके लिए वहां लोगों ने संघर्ष भी किया सुगर डेवलपमेंट फन्ड से उसके नवीनीकरण के लिए पैसा भी दिया गया। बस्ती से एक मात्र सदस्य बो०एस०पी० के लालमणि जी हैं उनको लोग घेरे रहते हैं वह जवाब नहीं दे पा रहे हैं किसान वहां के बड़ी कठिनाई में हैं तो इनको आप मंत्री ही बना दें तो कुछ कल्याण वहां का कर सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

किसानों की स्थिति के बारे में एक शेर कहना चाहता हूं :–

"साहिल पर खड़े हैं राही हर डूबने वालों का,
अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते ।
न तड़फने की इजाजत है न फरियाद की है,
घुट घुट के मर जाऊं यह मर्जी मेरे सैयाद की है ॥"

श्री लालमणि प्रसाद–

मान्यवर, आपने मुझे गन्ने के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गन्ना किसानों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं और उससे सम्बन्धित यहां पर आये हैं हमारी सरकार उसके समाधान का प्रयास कर रही है । यह सबसे बड़ी खुशी की बात है । साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो किसानों की समस्या है, जिसके संबंध में अभी इशारा पाल जी ने किया है वह सही है, यह सुनिश्चित किया जाय कि जो किसान गन्ना पैदा कर रहे हैं उनके सारे गन्ने की पेराई हो और जो चीनी मिलें हैं उनको नियमित चलाने के लिए सरकार की ओर से निर्देशित किया जाये ताकि किसानों की समस्याओं का निदान हो सके, जिस तरह से हमारे विधान सभा क्षेत्र हैंसर बाजार जनपद बस्ती का बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, खलीलाबाद में चीनी मिल होने के बाद इधर उसका नवीनीकरण हो रहा है लेकिन किसानों को कितनी समस्याओं से झेलना पड़ता है इसको कोई देखने वाला नहीं है इधर उनका गन्ना दूर-दूर जाता है और दूर जाने की समस्या के कारण उनका इतना गन्ना सूख गया है कि उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है । फिर भी किसान का जीवन आधार गन्ना ही है जिससे उनकी समस्याओं का निदान होता है लेकिन यदि उनके गन्ने की खपत और पेराई सुनिश्चित नहीं होगी तो यह समस्यायें बरकरार रहेंगी । तो हम इस उम्मीद के साथ कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी सुनिश्चित करेंगे कि जो भी गन्ना पैदा होता है उसकी पेराई सुनिश्चित हो । मैं पुनः इस बजट के समर्थन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, (व्यवधान) माननीय रमापति शास्त्री जी ने अभी केवल गन्ने का फोटो देखा है, असली नहीं देखा है । गन्ने का किसान वह है जिसके हाथ मजबूत हों (व्यवधान) मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ने के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया और मंत्री जी के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करूंगा कि शायद उनकी पाल जी से बात हो गयी थी, कि जो बात वह नहीं कह पाये उसे पाल जी ने कह दिया । गन्ना हमारी नकदी फसल है जो लोग किसानी और किसान से संबंध रखते हैं उनमें से एक भी ऐसा सदस्य नहीं होगा जिसने पहले समय-समय पर यहां पर गन्ने के बारे में कुछ न कहा हो । हम पश्चिम के लोग मानते हैं कि वहां पर गन्ना ज्यादा होता है किन्तु गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और पड़रौना में भी गन्ना ज्यादा पैदा होता है । आज गन्ने के किसानों की हालत जो है उसके लिए में सुझाव के रूप में मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे भी उद्योग समझकर, उद्योग मानकर आवश्यक सुविधायें देने की सुस्पष्ट घोषणा आज कर दें । पहली बात किसानों के लिए, आप ही नहीं

करने जा रहे हैं समय-समय पर दोनों तरफ से आये हुए मंत्री ने यह घोषणा की है कि किसानों के गन्ना मूल्य बकाया पर यू० पी० शुगर ऐक्ट के तहत आपको 14 दिन के बाद ब्याज दिलाना होगा । या आप यह कहें कि यह सरकार का गन्ना विभाग जो प्रदेश में गन्ना परिवेक्षक से लेकर प्रमुख सचिव, गन्ना तंक जो बैठे हैं, यह मिल मालिकों के फायदे के लिए बैठे हैं किसानों से इनका कोई संबंध नहीं है । दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आप का नाम भी इतिहास में लिखा जायेगा, सरकार तो आती-जाती रहती है, आप घोषणा कर दें कि गन्ना किसान को ब्याज नहीं मिलेगा और उस किसान जिसने सरकार के भरोसे पर अपना गन्ना चाहे सरकारी या सहकारी मिलें हों अपना गन्ना बेचा है और पर्ची प्राप्त की हो तो उस पर्ची को चेक मानकर उसे किसान को दिया गया जिससे विभाग को फायदा होगा, उसको उसमें समायोजित किया जायेगा, ऐसी घोषणा आप कर दें । इससे कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा और निश्चित रूप से किसानों के आप मसीहा कहलायेंगे । आपको जो साहित्य है उस पर गांधी जी की तस्वीर देखकर आश्चर्य हुआ और आप उसमें तस्वीर के नीचे बैठे हैं । आप कह रहे हैं कि किसानों की उन्नति के लिए किसानों को अंशदान दिया जाय । जातीयता के आधार पर किसानों को जाति में मत बांटिये । वह तो वर्ग में बंटा है । भूखा है, नंगा है, प्यासा है । जून के महीने में फावड़ा लेकर खेत खोदता है तो उसकी जाति नहीं होती है, धर्म नहीं होता है । वह तो सिर्फ एक किसान होता है, किसान ही उसका धर्म होता है । इसे तो करेप्शन ही बढ़ेगा, जाति वर्ग के नाम पर । आप जोत के आधार पर सुविधा दें तो मैं समझता हूं कि अच्छा होगा । आप विचार कर लें । किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध करायें जायं । 12 गन्ना बीज शोध केन्द्र स्थापित हैं उन्हें वर्ष 95-96 में जो लिटरेचर मुझे मिला है उसके आधार पर बता रहा हूं कि 612.95 लाख का बजट है । यह शोध केन्द्र बस नाम के हैं सफेद हाथी बने हैं कोई नई वैराइटी नहीं निकालते हैं । कोई नई प्रजाति गन्ने की नहीं दी है । हमारे मिल क्षेत्र में सन् 35 से एक गन्ना बीज शोध केन्द्र है वह ऐश्वर्य और अय्याशी का अड्डा बना हुआ है । वहां पर 200 शीशम के पेड़ थे । गन्ना बीज शोध के डायेक्टर जी० पी० सिंह का जब नाम सुनता हूं तो याद आता है कि उन्होंने यह 200 शीशम के पेड़ कटवाकर 27 लाख रु० में बेंचे चार लाख रुपये में दिखाये शीशम बेच कर पैसा भी सब खा गये । आप इसमें भागीदार नहीं हैं लेकिन चूंकि आपने यह बजट रखा है इसलिए यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जांच करवायें आपके यहां रिपोर्ट दर्ज है । राजस्व विभाग में भी रिकार्ड में दर्ज है । इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि पता लगवायें कि वह शीशम के पेड़ कहां गये ?

तीन कृषि विश्वविद्यालय हैं, फैजाबाद, कानपुर और पन्तनगर में । इसमें फैजाबाद, कानपुर, पन्तनगर में आप आर्थिक सहायता कर दें एक-एक करोड़ रुपये दें । वे अच्छी शोध कार्य करेंगे कुछ ऐसे डिवीजन आप लें तो अच्छा होगा सड़कों की बात माननीय मंत्री जी ने कही । मैं माननीय मंत्री जी से बड़ी शालीनता के साथ और विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कृपया दिखवा लें सरकारी और निजी चीनी मिल मालिक को 25 प्रतिशत सड़क के विकास के लिए अनुदान देना था । आप उनसे यह अनुदान नहीं ले पाते । दो लाख रुपये यह देंगे, इस विषय में एक कानून बरसों-बरस पहले बना । हर साल अपने-अपने क्षेत्र के विकास के लिए चीनी मिल मालिक दो-दो लाख रुपया देंगे । पहले 50 हजार में खड़न्जा लग जाता था और एक लाख में सड़क बन जाती थी लेकिन अब 2 लाख 30 हजार में खड़न्जा लगता है और साढ़े चार लाख में तारकोल लगता है । इसके बाद भी वह आज जो दो लाख रुपया ही उनसे सड़क के विकास के लिए रखा गया है, नहीं देते हैं । वह दो लाख रुपये देने

के बजाय आपके अधिकारी को 20 हजार रुपया देता है और हम देखते रहते हैं। शक्कर निधि से स्वीकृति सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति के बाद भी निर्मित नहीं किया जा रहा है। माननीय पाल जी की इस बात से मैं सहमत हूं। मंत्री, मंत्री होता है चाहे राज्य का हो या कैबिनेट स्तर का हो, इच्छाशक्ति होनी चाहिए। आप उसकी पैंट ढीली करेंगे तो किसान को फायदा पहुंचेगा। इस सदन में ऐसे-ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने जरा भृकुटी तानकर दिखा दी तो सचिव ने फाइल फेंक दी। मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है यादव जी से कि अच्छी उत्पादन के लिए सरकार अच्छे बीज उपलब्ध करायें अच्छी फसल उत्पादन के लिए हर चीनी मिल क्षेत्र में 10-10 किसानों को सम्मानित करने का काम करें ताकि किसान प्रोत्साहित हों। मान्यवर, मैं अपनी बात दो-चार मिनट में खत्म कर रहा हूं। मेहनत से खेती की जाए इसके लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान सोसायटी की तरफ दिलाना चाहता हूं सहकारी चीनी मिल में चुनाव हुए चुनाव के बाद आज तक, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा जनप्रतिनिधि जिनको प्रबन्ध तंत्र सौंपने का विचार है लेकिन चुनाव कराए गए चेयरमैन उन्हें क्यों नहीं बना दिया ? कलेक्टर कलेक्टरी करें वाइस चेयरमैन हैं उनके आगे से बाइस हटा देना चाहिए उनको चेयरमैन रखें ताकि जिनका शेयर है उनको मिले। मान्यवर, कीटनाशक की बात कही इस प्रदेश की फेडरेशन जितना खाद और कीटनाशक खरीदते हैं सैम्पिलिंग उसकी कराई जानी चाहिए। सप्लायर होते हैं वह सही सामान फेडरेशन को नहीं देते हैं जो कीटनाशक और खाद बेचा जाए उसकी क्वालिटी की जांच कराई जानी चाहिए। फेडरेशन में खाद और कीटनाशक आदि खरीदने वाले जो अधिकारी रहे हैं उनकी चल अचल सम्पत्ति की जांच करा लें प्रदेश के 32 लाख किसान परिवार ऐसे हैं जिनकी संख्या चार करोड़ बैठती है। उनका शोषण कीटनाशक और कृषि यंत्रों के नाम पर खाद के नाम पर उर्वरक के नाम पर हो रहा है इसको बन्द होना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सहकारी गन्ना समितियों की सोसायटी के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं। कोआपरेटिव समितियों जो हैं वह 50 पैसा प्रतिशत उत्तम कमीशन देती हैं जब अतिरिक्त सट्टा होता है तो इसके लिए कोई नीति निर्धारित नहीं है इसमें नीति निर्धारित होनी चाहिए मेरा सुझाव है कि मैं लफ्फाजी नहीं कर रहा हूं। एक-एक बात कह रहा हूं। अतिरिक्त सट्टे के लिए कोई पालिसी बनाई जानी चाहिए। गन्ने की उपज और उस उत्पादक को 85 प्रतिशत का आधार मानकर सट्टे की बात करें ऐसे सट्टा नहीं होना चहिए। क्योंकि कोई दो रुपये कुन्तल कोई पांच रुपये कुन्तल ले रहा है। साफ-साफ कहें कि इतना गन्ना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे मुजफ्फरनगर में 6 मिलें हैं सातवीं चल रही है किसी मिल में ज्यादा गन्ना और किसी मिल में कम गन्ना गिरता है स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं और एक हमारा गन्ने का कानून है जो वहीं का वहीं है। एक मिल की क्षमता एक हजार की है और एक मिल की क्षमता दस हजार की है समितियां मिलों को पेराई क्षमता के आधार पर गन्ने का आरक्षण संरक्षण होना चाहिए कुल उपज का 85% इससे निश्चित रूप से किसान को फायदा होगा। मान्यवर, कुछ सहकारी चीनी मिल, सरकारी चीनी मिल हैं उनके प्रबन्धक पी०सी०एस० हैं। मौराना में अफसर बताते हैं कि दो लाख रुपये देकर आए हैं। गन्ना विभाग से उनको लेना-देना नहीं होता चार-पांच महीने के बाद हटा दिया जाता है। पांच-छः महीने रहने के बाद हटा दिए जाते हैं क्या वह अण्डर ट्रेनिंग में रहते हैं जो प्रबन्धक होकर वहां जाए उसे कुछ समय तक वहां रहना चाहिए। कम से कम 3 वर्ष का समय निश्चित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

अगर चीनी मिलों में नुकसान होगा तो हटा दिए जाएंगे। किसान को गन्ना आपूर्ति के हिसाब से चीनी कन्ट्रोल दाम पर दिलाई जाए और गन्ना मूल्य तत्काल उत्पादकर्ता मूल्य के आधार पर घोषित किया जाए। चूंकि सरकार न्यूनतम मूल्य तय करती है अधिकतम नहीं करती है यदि कोई चीनी मिल निर्धारित चीनी मूल्य से अधिक देना चाहे जैसा पूर्व में खतौली चीनी मिल ने दिया है तो उसको दंडित न करके प्रोत्साहित किया जाए। आज भी 65 फीसदी गन्ना क्रेशर पर जाता है परन्तु खांडसारी उद्योग जो शुगर मिल का प्रतियोगी था उसे टैक्स और इंसपेक्टर राज के तहत बर्बाद कर दिया जाता है। हम चाहते हैं कि इस उद्योग को भी फलने फूलने का मौका दिया जाए ताकि किसान के सामने मिल का विकल्प बचा रहे केवल चीनी मिल पर आश्रित न रहे। यह भी सुझाव है कि क्रेशर और कोल्हू पर बन्द कड़ाहों में रस पकाने की अनुमति दी जाए। नई चीनी मिलें लगा रहे हैं। अगौता कस्तूरी इन मिलों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इनमें भरती के लिए जो निर्देश हैं उन निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। यह जो बाहर से बिहार, हरियाणा व बंगाल से लोगों को लाकर इनमें भरती किया जा रहा है इसको बन्द किया जाना चाहिए व स्थानीय लोगों को इनमें भरती किया जाना चाहिये जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

श्री पाल साहब ने खाण्डसारी को समय के कारण शायद नहीं छुआ। खाण्डसारी एक उद्योग है। जिसमें 65 फीसदी गन्ने की पिराई होती है। चीनी मिल मालिक खाण्डसारी उद्योग को इन्सपेक्टर राज के जरिये बरबाद कर देना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात समाप्त करें। मैंने श्री रमापति शास्त्री को बुला लिया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

सहकारी चीनी मिल संघ भ्रष्टाचार की गंगोत्री बना हुआ है इससे किसानों को निजात दिलाई जाए। इस गन्ना विभाग को समाप्त कर दिया जाय और किसान को उसके रहम पर छोड़ दिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। इसके साथ ही मैं श्री जगदम्बिका पाल द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रमापति शास्त्री–

अधिष्ठाता महोदय, आपने गन्ना विभाग के बजट पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बजट का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। श्री पाल साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, तो बड़ा दुख होता कि अगर उन्होंने अपने किए हुए कारनामों को उजागर किया होता। मैं एक घटना के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सरकारी चीनी फैक्ट्री

नवाबगंज बड़े अच्छे ढंग से चल रही थी वह रिसीवरशिप से चल रही थी । उसको एक अनभिज्ञ व्यक्ति को तत्कालीन सरकार कांग्रेस के एक व्यक्ति जो कि इस समय हमारे बीच नहीं हैं स्व० बीरबहादुर सिंह जी ने अनभिज्ञ व्यक्ति जिसको इसके बारे में ए०बी०सी०डी० नहीं मालूम है आर०एन० अग्रवाल के हाथ सौंप दिया जिसके कारण लाखों किसानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी । सरकारी फैक्ट्री पिछले साल से बन्द है । जनपद के श्रमिक बेरोजगार हैं । किसानों का गन्ना अन्य फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है जिसके लिए उनको बाध्य किया जा रहा है । छोटे-छोटे किसान परेशान हैं । बड़े-बड़े किसान दलालों के हाथ अपने गन्ने को बेच रहे हैं । शायद इस बजट को गम्भीरता से नहीं लिया गया । शायद मंत्री जी के हाथ में गन्ना विकास का कोई कारभार है नहीं । मुख्य मंत्री जी इस सदन में मौजूद हैं नहीं । इनको केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए बजट प्रस्तुत करवा दिया गया है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

यह गन्ने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है । इसमें लाखों किसानों का भविष्य जुड़ा हुआ है । मैं पाल साहब की इस बात से सहमत हूं कि जिसके घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है । जिसके घर में कोई अलग से आमदनी नहीं होती है । उसके घर में लड़की की शादी करना हो, कोई मर गया हो, या लड़के के फीस की व्यवस्था करनी हो यह सब गन्ने से प्राप्त दाम से किया जाता है । उस किसान से पूछिये जो कड़कती धूप में ठिठुरती सर्दी में गन्ना पैदा कर अपने मूल्य का भुगतान करने जाता है । तो किसान से कहा जाता है कि उधार देना चाहते तो गन्ना दे दो इसके लिए उसे बाध्य किया जाता है ।

मान्यवर, गन्ना किसान, के साथ मिल मालिक और शुगर कारपोरेशन के लोग खिलवाड़ करते हैं आज गन्ना किसान की हालत सोचनीय है गन्ना किसान की हालत पर सरकार को गौर करना चाहिये । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शुगर फैक्ट्री नवाबगंज की हालत बहुत खराब है । पिछले साल वह मिल बन्द रही । नवाबगंज शुगर फैक्ट्री में घाटा हो गया इसकी चर्चा मंत्री जी करेंगे लेकिन यह घाटा क्यों हुआ और मिल क्यों नहीं चली इस पर मंत्री जी को विचार करना चाहिये । इस मिल को आप उच्चीकृत करके चलायें । मंत्री जी आप यहां पर बैठें हैं, तमाम वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं और अन्य मंत्रिगण भी बैठे हैं मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वहां के श्रमिकों की हालत बहुत खराब है और भुखमरी की स्थिति में पहुंच गये हैं । किसान असहाय हालत में है और कुछ की हालत बहुत खराब है 8-10 श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है । इस मिल के उच्चीकरण करने का लाइसेंस प्राप्त है इसलिये इस फैक्ट्री को उच्चीकृत करके चलवाने की कृपा करें तभी उस क्षेत्र का और किसानों तथा श्रमिकों का विकास हो सकता है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री अक्षयवर भारती का नाम पुकारे जाने पर और अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठ जायं जो लोग बोलना चाहेंगे उनको मैं मौका दूंगा ।

* श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और बजट का समर्थन करते हुये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां पर प्रमुख रूप से गन्ने की खेती होती है। वहां के हालत कुछ ऐसे बिगड़े कि हमारे क्षेत्र के किसानों ने गन्ना बोना छोड़ दिया। आज यह हालत गन्ना किसान की हो गयी है कि जब वह अपना गन्ना लेकर मिल को जाता है तो गन्ना ले जाने के लिये उसे ट्रक या ट्रेक्टर ट्राली किराये पर लेनी पड़ती है। मिल पर उसको 3–4 दिन लग जाते हैं और ट्रक या ट्रैक्टर खड़ा रहता है जिसका किराया किसान को देना पड़ता है। बेचारे किसान को वहां पर रात आग बार कर और तापकर गुजारनी पड़ती है। कभी-कभी तो किसान को मिल पर एक हफ्ता समय लग जाता है। मेरे यहां घोसी चीनी मिल पर किसानों की लम्बी लाइनें लगती हैं और जो पर्ची बंटती है बल्कि यह कहिये कि बिकती है उसको किसान को मजबूरी में खरीदना पड़ता है। हमारी बहन मायावती ने जब पद भार संभाला तो उसको सुधारने का काम उन्होंने किया और वहां के जी०एम० लालजी राय को वहां से हटा दिया। मैं वहां का एम०एल०ए० हूं मैंने वहां के भ्रष्टाचार के बारे में कई बार लिखा है। मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर एक आसवनी डिस्टलरी मिल के बगल में बन रही है। मिल से बगास के खोई के बंडलों को आसवनी में जाना दिखाया गया और आसवनी से उठाकर मिल में जाना दिखाया गया और इस तरह से 13 लाख रुपये का मिल को चूना लगाया गया। तो यह नमूना है। सरकारी चीनी मिलें घाटा दे रही हैं, आपने वहां पर पी० सी० एस० अधिकारी को मैनेजर बनाकर बैठा दिया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां पर उर्वरक जो बांटा गया वह कागजों पर बांट दिया गया, लेकिन किसानों को नहीं मिला। आपको आश्चर्य होगा मैंने इस संबंध में एक प्रश्न भी किया था और उसका उत्तर मुझे मिला था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जब एक माननीय सदस्य अपनी राय रख रहे हैं, तो उनको सुन लें।

श्री अक्षयवर भारती–

कांग्रेस के एक मंत्री हैं, जिनके पास 5 हेक्टेयर भूमि है और 10 हेक्टेयर में गन्ना बोते हैं और लाखों में उनको पेमेंट होता है। उनका नाम है कल्पनाथ राय। मान्यवर, मेरे पास रिकार्ड है, तो यह दशा है, तो इस तरह से भला करने वाले लोग हैं, लेकिन मान्यवर, जरा आप असलियत की ओर जायें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य को अपनी राय दे देने दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, मैं एक बार वहां पर कांटा चेक करने गया, कांटा शून्य पर फिक्स रहता है और सील्ड रहता है, लेकिन मैंने देखा कि नीचे एक बोल्ट ढीला था । एक दो सेन्टीमीटर इधर उधर कर देने से लगभग 10 कुन्तल का फर्क आ जाता है, तो इस प्रकार से वहां पर घटतौली होती है और उसकी बहुतसी शिकायतें आयीं । इन्हीं कारणों से मेरे क्षेत्र के लोग निराश हो गये और उन्होंने गन्ना बोना बन्द कर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे गन्ने के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में इससे अच्छा बजट और कोई हो ही नहीं सकता ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने सिरोही जी को बुला लिया है । सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, माननीय सदस्य बैठ जायें, समय मिलेगा ।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, कुल गन्ना क्षेत्रफल का उत्पादन 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है और जिसका कुल गन्ना उत्पादन का 44 प्रतिशत सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है । मान्यवर, गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में बहुत महत्व रखती है लाखों श्रमिक एवं किसान परिवार गन्ने की फसल से जुड़े हुए हैं मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य का भुगतान बैंक के द्वारा कराया गया था किसानों को लुटने से बचाने के लिए लेकिन इसको रोक दिया गया जो सिम्भावली समिति है या एक-दो और समिति होंगी जो बैंकों के माध्यम से गन्ना मूल्य का पेमेंट कर रही हैं । मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को लुटने से बचाने के लिए फिर से बैंक द्वारा गन्ने मूल्य भुगतान को कड़ाई से लागू करें । मान्यवर, आप किसी सोसाइटी में जाकर देख लीजिये तो आप पायेंगे कि गन्ना कीमत भुगतान के समय शाम को जितने भी भ्रष्ट बाबू होंगे, भ्रष्ट सेक्रेट्री होंगे सब शराब के नशे में धुत होंगे । मान्यवर, वर्ष 1991 और 92 में जब बैंक से भुगतान होना शुरू हुआ था तो शराब के ठेकेदारों ने ठेका उस स्थान से बन्द करना शुरू कर दिया था अब फिर उसी स्थान पर ठेका शुरू कर दिया है । मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान जो सोसाइटी से खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों आदि के लिए ऋण लेता है उसमें 30 दिन खत्म होते ही उस पर ब्याज शुरू हो जाता है लेकिन जो किसान के गन्ने का भुगतान शेष रह जाता है उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता है तो मेरी मांग है कि जो गन्ने का भुगतान रह जाय उस पर ब्याज दिलाया जाय

तथा सरकारी देयों पर किसान से ब्याज न लिया जाय । मान्यवर, हमारे यहां सिम्भावली समिति है इसी सिम्भावली गन्ना विकास समिति के तत्कालीन उप सभापति पवन वीर सिंह विगत 23, 24 और 25 जनवरी, 1995 को लखनऊ में गन्ना किसान संस्थान में प्रशिक्षण लेने आये थे वे सरकारी विभागीय कार्यक्रम में भाग लेने आये थे । लेकिन दोनों भवनों में रेलिंग और प्रकाश न होने के कारण वह छत से गिर गये और उनकी मृत्यु हो गयी लेकिन उनके परिवार को एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिला है इसीलिए मैं उनके लिए मुआवजे की मांग करता हूं । मान्यवर, उनके पिता जी की भी डेथ हो गयी उसके दादा जी की और उसके भाई की भी डेथ इसी एक वर्ष के अन्दर हुई है । मान्यवर, इनकी मृत्यु पिछली सरकार के समय में हुई थी लेकिन आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है । गन्ना आयुक्त भी नये आये हैं और गन्ना सचिव भी नये आये हैं माननीय मंत्री जी को भी मालूम है नहीं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसको 2 लाख रुपये का अनुदान शीघ्र दिया जाय ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में गन्ना पर्यवेक्षक और गन्ना ग्राम सेवक की नियुक्ति 15–20 साल पहले हुई थी और तभी से नियुक्ति बन्द है । गन्ने का क्षेत्र बढ़ा है, काम भी बढ़ा है, मान्यवर, अधिकारियों के पद तो बढ़ जाते हैं लेकिन इन कर्मचारियों के पद नहीं बढ़ते हैं और इनके प्रमोशन, रिटायरमेंट तथा मृत्यु से यह पद खाली होते रहते हैं और कर्मचारियों की कमी बनी रहती है । उक्त पदों के कम होने से सही सर्वे नहीं हो पाता है जिससे सरकार गन्ना सट्टे की नीति को सही ढंग से लागू नहीं कर पा रही है । गन्ना नीति अक्तूबर-नवम्बर में जब मिल चालू हो जाती है उसके पहले मीटिंग करते हैं तब लागू करते हैं इससे लागू में कठिनाई पड़ती है । यह नीति तुरन्त बनाकर घोषित कर देनी चाहिए जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 माह पहले बजट में ही गन्ना नीति घोषित कर दी थी । मान्यवर, गन्ना रिजर्वेशन की मीटिंग भी मिल चलने से 2 माह पहले ही हो जानी चाहिए जिससे कृषकों की समस्या विभाग की जानकारी में आ जाय और विभाग उनकी सही जांच करके समस्याओं को दूर कर सकें । माननीय जगदम्बिका पाल जी अभी कटौती का प्रस्ताव रखते समय सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे थे कि गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं जबकि भारत सरकार के उपक्रमों के अधीन चीनी मिलों पर 45.45 परसेन्ट भुगतान अभी शेष है पहले उन्हें इसका भुगतान तुरन्त केन्द्र सरकार से दिलाना चाहिए तभी वह इस सरकार के खिलाफ इस सदन में बोलने लायक हैं । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कुल गन्ने का 1/3 भाग ही मिलों में पेराई हो पाती है जिससे दो तिहाई गन्ना रह जाता है । मेरा सुझाव है इसके लिए और चीनी मिल लगायी जायं । मान्यवर, केन्द्र सरकार जब तक हमारी सरकार (भा०ज०पा०) रही तब तक चीनी (लेवी की) का मूल्य नहीं बढ़ाया गया जिससे हम और अधिक किसानों का लाभकारी मूल्य दिला सके ।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारी सरकार गयी राज्यपाल शासन आया उन्होंने लेवी की चीनी का मूल्य बढ़ाना शुरू कर दिया । पिछली सरकार में मुलायम सिंह जी की सरकार में तो इनकी मिलीभगत थी घोटाला जो करना चाहते थे वह एक साथ किया करते थे । मा० पाल साहब ने अपने भाषण में चीनी की कीमत का, गन्ने की कीमत का कहीं जिक्र नही किया । मान्यवर, केन्द्र सरकार से इनको गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए कहना चाहिए । मेरा तो सुझाव है कि इस साल गन्ने की कीमत 85 रुपये प्रति कुन्तल होनी चाहिए ताकि किसानों को उसकी लागत का कुछ मिल सके । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, मेरी पहली बात यह है कि गन्ने के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करायें, किसानों का एरिया बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें । गन्ने की सप्लाई में बहुत धांधलियां होती हैं उसमें एक व्यवस्था सुनिश्चित हों । धनी किसान, तिकड़मबाज किसान अपने क्षेत्रफल से चार-पांच गुना लिखवा लेता है सोसाइटी से और अपने गन्ने को बेचकर छोटे-छोटे किसानों से गन्ना खरीदता है और फिर उनको भी बेचता है और धनी बन जाता है । ये दलितों की छोटे किसानों की सरकार है । यह सुनिश्चित करायें कि छोटे किसानों का पूरा गन्ना मिल पर जाये और धनी किसानों का 50 फीसदी जाना चाहिए । छोटे, दलित और पिछड़े किसानों को बड़ी गन्ने की सोसाइटी से कोई लाभ नहीं होगा, यह भारी हानि हो रही है । हम लोगों ने पिछले वर्षों में इसमें आन्दोलन चलाया । जो चालाक किसान है गन्ने का क्षेत्रफल 4-5 गुना लिखवा लेते हैं और मुनाफा कमाते हैं इसमें व्यवस्था सुनिश्चित करें । मिलों को लाइसेंस देने पर विचार हो ताकि गन्ने की सप्लाई और पूरी पेराई सुनिश्चित हो सके । मिलों को बढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि सारा गन्ना पेरा जा सके जिससे चीनी का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को लाभ मिलेगा । सरकार से अनुरोध करता हूं कि व्यवस्था को ठीक करायें ।

श्री जगदम्बा सिंह–

गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति का अभी तक जो माननीय सदस्यों ने वर्णन किया सही बात यह है कि ये लोग अपना आराम देखते हैं गरीब किसानों की तरफ कम ध्यान है । चन्द लोग ऐसे हैं जो माफिया हैं कई अधिकारी गन्ना माफियाओं की मदद करते हैं । ये गन्ना माफिया प्राचीन काल से चले आ रहे हैं । मेरे क्षेत्र में ये लोग गन्ना किसानों के शोषण में लिप्त हैं । किसानों का जो सट्टा बनता है मेरे क्षेत्र में गन्ना समिति विक्रमजीत है 1992 में जब हमारी पार्टी की सरकार थी, 60 कि०मी० दूर लोगों की नवाबगंज पर्ची आदि लेने-देने के लिए आना-जाना पड़ता था । हमारी सरकार ने 23-10-92 को हमने अपनी समिति विक्रमजीत (बस्ती) को अलग किया, तीन वर्ष उस समिति को चलते हो गया । तीन सचिव आये थे । एक तो मोहम्मद उमर, दूसरे सन्तराम और तीसरे सूर्य नाथ प्रसाद । तीनों सचिवों ने मिल करके वहां गन्ना माफियाओं के साथ जिनके पास एक विसवा खेत भी नहीं था कोई साधन नहीं था उनको 100 गाड़ी का सट्टा बनाया गया तो मान्यवर, इस प्रकार के सट्टे में सुधार किया जाना चाहिए । दूसरा वर्ष 1992-93, 93-94 व 94-95 के तीन पेराई सत्र आज तक हो गये हैं और उसका आय-व्यय का कहीं पता नहीं है । उसमें लम्बा गबन हुआ है । गबन में श्री झिनकू सिंह, सामयिक लिपिक, श्री ओम प्रकाश सिंह, सामयिक लिपिक को गबन के आरोप में निलम्बित कर दिया गया था । यह नवम्बर, 1993 का मामला है । उन्हें फिर से 15-4-94 को बहाल कर दिया है और फिर से उन्ही पदों पर बैठा दिया गया है । मोहम्मद उमर को उस समय जो गन्ना आयुक्त थे, छोड़ दिया था । मान्यवर, आज यह हाल है कि कोई कर्मचारी नही मिलता है, गांव में बैठे रहते हैं या फिर अध्यक्ष के यहां बैठे होते हैं । कहां है आपका गन्ना कानून, क्यों नहीं गन्ना कानून का पालन किया जा रहा है ? जो जांच में दोषी पाये जाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ? अगर हिसाब-किताब नहीं किया जायेगा तो कुछ होने वाला नहीं है । कर्मचारी सट्टे की बुकलेट ले करके पर्चियां खुलेआम काटते थे काल्पनिक गांव बनाकर गन्ने की पर्चियां काटी गयीं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार में जब गन्ना समितियों के चुनाव चल रहे थे तो ऐसे अधिकारी भेजे

गये जिन्होंने धांधली करायी । श्री राम मिलन यादव, गन्ना आयुक्त को भेजकर उनकी देखरेख में समितियों का चुनाव पक्षपातपूर्ण तरीके से कराया गया इसलिए उनका स्थानान्तरण गोरखपुर किया गया । मान्यवर, इस तरह से किसानों का शोषण किया जा रहा है इससे वहां की जनता में घोर असंतोष व्याप्त हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया समाप्त करें । आपकी बहुत बात आ गयी है ।

श्री जगदम्बा सिंह–

मान्यवर, उन्होंने परिसीमन में काफी धांधली करायी थी । जिला गन्ना अधिकारी के पास नक्शा रखा हुआ है और वे काल्पनिक गांव चिन्हित कर देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया समाप्त करें । आपकी बात लिखी नहीं जा रही है ।

श्री जगदम्बा सिंह–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें । मैंने श्री हरिशंकर तिवारी जी को पुकार लिया है । आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं आपका भाषण नहीं लिखा जायेगा ।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । आपकी बात लिखी नहीं जा रही है ।

(हरि शंकर तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान हो गया)

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, इन लोगों को नियंत्रित करें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य बैठ जायें, मैंने तिवारी जी को बुला लिया है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, मुझे भी समय दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कोरी जी, आपको भी समय मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखें।

जो माननीय सदस्य बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, उनकी बात लिखी नहीं जायेगी।

(अत्यधिक शोर होने पर)

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, इन्हें नियंत्रित कीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

इनकी बात लिखी नहीं जा रही है, आप अपनी बात शुरू करें।

श्री हरि शंकर तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, गन्ना विकास विभाग के बजट पर जो कटौती प्रस्ताव रखा गया है, मैं उस पर बल देते हुये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कटौती के संबंध में जो भावनायें माननीय सदस्यों ने यहां रखी हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुये कुछ बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, कुल बजट में 72 प्रतिशत धनराशि ग्रामीण विकास के नाम पर खर्च करने की चर्चा की गई है और 154 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान होने को बाकी है और यह किसान गांव में रहते हैं, केवल 20 करोड़ रुपया इस सरकार ने देकर उस 72 प्रतिशत की राशि में अपने संवेदनशीलता का परिचय दिया है कि यह कितने संवेदनशील हैं। किसानों के हितों के संबंध में जो इस बजट पुस्तिका में दिखाया गया है, इसको मैंने देखा, बीज उपचार और भूमि उपचार के लिये 50 प्रतिशत धनराशि खर्च करने की बात बताई गई है, इस तरह की कोई भी योजना कभी संचालित नहीं होती और यदि होती भी है तो लूटखसोट की जाती है। मान्यवर, आप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या–7 पर भी देखने का कष्ट करें, इसमें सारी योजनायें पर्वतीय क्षेत्र के लिये दिखाई गई हैं। मैं बधाई देता यदि पर्वतीय क्षेत्र में विकास के और काम किये जायें, लेकिन हमारे नेता ने जैसा कोयम्बटूर के बारे में बताया था, उसी से प्रभावित होकर नारायण दत्त तिवारी जी ने पूर्वांचल में गेंदा सिंह शोध संस्थान की स्थापना की थी ताकि गन्ने की उत्तम प्रजातियों की खोज हो सके और इसके पीछे कुल मिलाकर यह मंशा थी कि पूरब का किसान जो गन्ना पैदा करता था, वह अच्छी प्रजाति का गन्ना पैदा करे, जिससे उसकी निर्धनता दूर हो सके। आज इस संस्थान में कोई निदेशक नहीं है। लखनऊ में मुख्यालय बनाकर निदेशक को यहां बैठा दिया गया है, वह यहां से बैठकर क्या संस्थान को संचालित करेगा, यह आप स्वयं समझ सकते हैं केवल कठपुतली का नाच ही नचायेगा। मान्यवर, आप स्वयं गन्ना किसान हैं, मैं बालियान साहब और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि किसान के प्रति जरा भी हमदर्दी हो तो पाल साहब द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव को समर्थन करें और सरकार से कहें कि 154 करोड़ जो बकाया है, उसका तत्काल भुगतान करें।

मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता है कि जब यह 72 प्रतिशत ग्रामीण विकास पर खर्च करने जा रहे हैं तो 154 करोड़ के भुगतान में क्या बाधा आ रही है ?

मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी नौजवान साथी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें । मंत्री पद बड़ा नहीं होता है, उसका काम बड़ा होता है, इस सदन में आप इस बजट के माध्यम से कहें कि गन्ना किसानों में जिनके पर्ची होगी, उनको कर्जे के लिए ट्रैक्टर आदि का नीलाम नहीं किया जायेगा । यदि यह काम करेंगे तो मैं भी इन्हें बधाई दूंगा । मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि गन्ना काश्तकारों के लिए हमारे पूर्वांचल में मिलों की घोषणा की गयी थी, अभी कुछ कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों के उन मिलों का अधिग्रहण किया था और अधिग्रहण के पीछे यह भावना थी कि दो दर्जन मिलें और पूंजीपति, किसानों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उसका भुगतान कराया जाये । 85 प्रतिशत राशि जो मिल मालिक बैंकों से आरक्षित के रूप में लेते हैं उस 85 प्रतिशत राशि को अगर किसानों को दे दी जाये तो सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान स्वतः हो जायेगा । 154 करोड़ रुपया गन्ने के भुगतान का मिल मालिकों पर है, प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार का नाम लेती है । मान्यवर, प्रदेश सरकार की फेडरेशन और कारपोरेशन की जो मिलें हैं, उनका भुगतान कराये और भारत सरकार के ऊपर जो किसानों का बकाया है, उसके लिए भी कार्यवाही करें तो सभी लोग इसका समर्थन करेंगे । लेकिन भारत सरकार की दुहाई देकर अपनी अकर्मण्यता छिपाने का प्रयास न करें । मैं पुनः माननीय जगदम्बिका पाल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह सरकार तत्काल किसानों का भुगतान करायेगी ।

* श्री मोलई–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ने के बजट पर बोलने का अवसर दिया । आज यह जो गन्ना विभाग का बजट पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । गन्ना निश्चित रूप से एक समस्या है । मान्यवर, मैं अपनी क्षेत्र की बात कह रहा हूं । हमारे क्षेत्र धुरियापार में एक सहकारी चीनी मिल निर्माणाधीन है, अभी उसमें मशीन की सप्लाई मात्र हुई है और 3 करोड़ रुपये की घाटे में चली गयी है । मान्यवर, इसकी जांच करायी जाये, इसमें जो मशीनों की सप्लाई की जा रही है वह अत्यन्त घटिया है, इसकी जांच करायी जाये साथ ही साथ जो निर्माणाधीन कार्य हो रहा है उसकी भी जांच करायी जाये । मिल को सुचारू रूप से पिछले साल चलाने का काम गर्वनमेंट ने सौंपा था, लेकिन आज तक नहीं चल पायी है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री महावीर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । माननीय मंत्री जी ने जो गन्ना विकास विभाग का बजट रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं उस पर बल देता हूं कुछ सुझाव देते हुए कुछ जानकारी उनसे चाहता हूं । मान्यवर, गन्ना विकास की चर्चा आपने की है, लेकिन अच्छा होता कि आप अपने भाषण में कौन-कौन सी गन्ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की नई किस्में पैदा की हैं, उसकी चर्चा करते ताकि हम लोग अपने क्षेत्र के किसानों को बता पाते कि ये नई-नई किस्में हैं, आप इनको बोइये तो अच्छी पैदावार होगी । गन्ने की पैदावार के लिए खाद की आवश्यकता होती है । आपकी जो गन्ना समितियां हैं, आप जानकारी प्राप्त कर लें, आज उन पर खाद उपलब्ध नहीं है, कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं । जो हैं भी वे घटिया किस्म की हैं । इस तरह से गन्ने का विकास कैसे हो सकता है ? आपने सड़कों के निर्माण की बात की है, ये सड़कें बहुत ही घटिया किस्म की बनती हैं । क्रय केन्द्रों से गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की बात कही गयी है जिन समितियों को ये सड़कें बनानी हैं, ये समितियां पहले से ही घाटे में जा रही हैं । अब घाटे में क्यों जा रही हैं, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार इसके लिए जिम्मेदार है । पूर्ववर्ती सरकार ने अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन तो बढ़ा दिये परन्तु समितियों का जो कमीशन बढ़ना चाहिए था, उसे घटा दिया गया, खाद जो इन समितियों में आती थी और जिनका कमीशन पहले सीधे इन समितियों के पास आता था, वह फेडरेशन को मिलना प्रारम्भ हो गया, जिस कारण ये समितियां घाटे में जाने लग गयीं । जब तक इस प्रकार चलता रहेगा तब तक कोई काम होने वाला नहीं है । मान्यवर, हमारे यहां एक स्योहरा सोसायटी, जिला बिजनौर में है, उसका एक सचिव है हसमतउल्ला । जो पहले वहां क्लर्क था । अब उसका वहीं पर प्रमोशन कर दिया गया है । उस पर कई गबन के आरोप हैं परन्तु आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही उसे हटाया जा रहा है । अब फर्जी सेक्टरों की चर्चा हो रही है ।

(श्री राम विशुन आजाद जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । आज पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल लगभग 50 प्रतिशत है और गन्ने का उत्पादन पूरे देश का 44 प्रतिशत उत्तर प्रदेश करता है । उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था गन्ना किसानों पर खड़ी हुई है । आज जो ये अधिकारी नीली बत्ती लगाकर घूमते हैं और ए० सी० में यहां बैठते हैं, यह सब उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की मेहनत की कमाई है, यह उनके पसीने की कमाई का पैसा है परन्तु इस सरकार ने यह नहीं कहा कि गन्ना किसानों का जो बकाया रह गया है उसे कब तक भुगतान कर दिया जायेगा । आज 154 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का बकाया है । इसलिए माननीय मंत्री जी बतायें कि कब तक गन्ना किसानों का भुगतान करा दिया जायेगा ? वह गन्ना किसान जो चिलचिलाती धूप में व कड़ाके की ठण्ड में कुदाल लेकर व फावड़ा लेकर खेत में जाता है तो यह आशा करता है कि हम गन्ना पैदा करेंगे और इसे जो आर्थिक लाभ होगा उसे हम अपनी लड़की की शादी करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तथा अपनी जो अन्य समस्यायें हैं, उनका समाधान करेंगे परन्तु गन्ना किसान का भुगतान नहीं होता है और विचौलिये लोग उनका शोषण कर देते हैं । जितने का सट्टा बनना चाहिए, उतने का सट्टा नहीं बनता है । मैं अब अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । सरकार ने 4 शुगर मिलों के विस्तारीकरण हेतु 1995-96 में 4.98 करोड़ रुपये दिये । मान्यवर, बदायूं, पुवायां, नानपारा और तिलहर चीनी मिलों के विस्तारीकरण के लिए आपने बजट रखा है लेकिन नवाबगंज के विस्तारीकरण के लिए बजट नहीं रखा है ।

नवाबगंज शुगर मिल के बन्द होने से वहां के श्रमिकों की और किसानों की स्थिति बड़ी नाजुक हो गयी है। 3 श्रमिक भुखमरी से मर चुके हैं। कहा जाता है कि वहां पर गन्ना किसानों के पास गन्ना नहीं है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं मनकापुर से आधे से ज्यादा गन्ना नवाबगंज को जाता था। नवाबगंज मिल को बेचने की एक साजिश है इसलिए उसके विस्तारीकरण की कोई योजना नहीं रखी। उस मिल को चलाया जाय, मिल को बन्द करने से वहां के किसानों की समस्या हल नहीं हो सकती है।

(इस समय 5 बजकर 57 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

बभनान शुगर मिल किसानों का शोषण करती है उत्तर प्रदेश की कोई शुगर मिल ऐसी नहीं है जो कम तौल कर किसानों का शोषण करे लेकिन यह बभनान शुगर मिल किसानों का गन्ना कम तौल कर शोषण कर रही है। गन्ना कम तौलने के लिए वह मशहूर है।

श्री अध्यक्ष–

अभी एक महत्वपूर्ण विभाग का बजट है माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद–

बभनान शुगर मिल कम तौलने वालों का माफिया है। यहां सबसे कम गन्ना तौला जाता है।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यहां शुगर मिल के गन्दे पानी से अनेक बीमारियां फैल रही हैं आप-पास के गांवों में पानी पीने लायक नहीं है। वहां का किसान गन्दा पानी पी रहा है जिससे वहां पेट की बीमारियां हो रही हैं। हैजा फैल रहा है। (व्यवधान) जो किसानों का 156 करोड़ रुपया बकाया है उसको शीघ्र दिलाया जाय। यहां पर माननीय मंत्री जी घोषणा करें कि 15 दिन के अन्दर जो मिल बकाये का भुगतान नहीं करेगी उसे 10 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री राम विशुन आजाद–

मिलों पर आर० सी० काटी जाय और जो 15 दिन के अन्दर भुगतान न करे उससे 10 प्रतिशत ब्याज लिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय पाल साहब के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि समय का ध्यान रखें अभी एक विभाग का और बजट है आप उस पर भी बोलना चाहेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग है, लेबर डिपार्टमेंट का बजट है इस समय जो समय

हुआ है वह आपके सामने है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर काफी समय हो गया है । करीब 10 सदस्यों ने अपने विचार रखें हैं, दो घण्टे से चर्चा चल रही है । (व्यवधान)

श्री राजाराम त्यागी–

एक-एक मिनट का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का सुझाव है कि एक-एक मिनट दे दें । तो ठीक है एक-एक मिनट बोल लें । मैं घड़ी देखकर एक मिनट दे रहा हूं ।

श्री राजाराम त्यागी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गन्ना बजट पर बोलने का अवसर दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, पूरे भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करता है । पूरे देश का 50 प्रतिशत गन्ना यहां होता है । मैं बताना चाहता हूं कि पिछली मरहूम सरकार ने गन्ना किसानों को कितनी यातना दी । अभी भी उसी सरकार की तरह की प्रवृत्ति पर हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं । मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं, कुल पूरे प्रदेश में 112 चीनी मिलें हैं, जिसमें 31 सहकारी और 25 सरकारी हैं तथा 46 निजी मिलें हैं । उसमें से रायबरेली जनपद में भी एक चीनी मिल है, पिछली सरकार में उसे भी बेचने का पूरी तरह से मन बना लिया गया था । लेकिन वहां के मजदूरों और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे तरीके से जोर लगाकर उसका विरोध किया इसलिए वह बेची नहीं जा सकी (व्यवधान) वहां के मजदूर भुखमरी के कगार पर न पहुंचें इसलिए मैं चाहता हूं वह इसे बेचने से बचायें..

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें आपका एक मिनट बहुत पहले हो गया है ...(व्यवधान) अब आप जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री स्वयंवर चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद और जो हमको बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं

श्री अध्यक्ष–

श्री राजाराम त्यागी जी बैठ जायं आपके कारण मैंने एक-एक मिनट का समय दिया है आप सब एक ही मिनट में बोलें, इसका ध्यान रखें ।

* श्री स्वयंवर चौधरी–

गन्ना किसानों की जो तमाम समस्यायें हैं, गन्ने की और उसके भुगतान की तथा बीज देने की मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं जनपद सिद्धार्थनगर से चुनकर आया हूं वहां पर पांच साल हो गये केन्द्रीय सरकार ने एक चीनी मिल वहां खोलने के लिए लाइसेंस जारी किया था। मैं बार-बार वह चीनी मिल लगवाने के लिए कोशिश कर रहा हूं लेकिन अभी वह हो नहीं पाया है। हमारे यहां किसान को अभी यह पता नहीं है हमारा गन्ना किस-किस मिल को दिया जायेगा ? बढ़नी में एक केन यूनियन अब बैठ चुकी है। वहां के किसानों की जो समस्यायें हैं इस तरह से उन्हें सुनने की कोई व्यवस्था नहीं है मैं चाहता हूं कि केन यूनियन बढ़नी को अनुदान दिया जाये जिससे वह सुदृढ़ हो सके और किसानों के लिए खाद व बीज की वह व्यवस्था करें।

*श्री राजबली यादव–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने समय दिया। किसान गर्मी की तपती लू में गन्ना पैदा करता है और जब उसे गन्ना देना पड़ता है तो उसके बाद उसे वहां एक-एक सप्ताह तक रहना पड़ता है और पैसा लेना होता है तो मई-जून के महीने तक उसे पैसा नहीं मिलता है। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि जल्दी उसका भुगतान मिल जाये। जगदम्बिका पाल जी अभी बोल रहे थे वह अपने दल की बड़ी-बड़ी बात करते हैं अभी जो उनके केन्द्रीय मंत्री से जिन पर नरसिम्हा राव जी का हाथ था उनके पास साढ़े बारह एकड़ खेती है। नाम है कल्पनाथ राय, गन्ना दिया उन्होंने और पैसा लिया 25 एकड़ का। ये अपने गिरेबान में हाथ डालकर देखें कि आप करते क्या हैं गरीबों के लिए गला बहुत फाड़ते हैं लेकिन उनके लिए आपको करना कुछ नहीं है। आपने कहा कि मंत्री जी ने 5 मिनट का भाषण दिया, वह ज्यादा बोल सकते हैं। आप वहां गरीबों का गला दबाते हैं। आप जिस तरह से गरीबों का खून पी रहे हैं, उसको भी जरा आप देखें। माननीय पाल जी, मेरी जानकारी है कि आपके जो लोग हैं, पर्ची लेने का मामला है, फर्जी तरीके से पर्ची लेते हैं। आपको भी पता होगा। मेरी इस सरकार से और माननीय गन्ना मंत्री जी से मांग है कि आप एक काम करके दिखाइये। कल्पनाथ राय जी का जो आचरण है, इसकी जांच करा लीजिये तो यह फर्जी पर्ची बनने का काम बन्द हो जायेगा और गरीब किसान जिसे पर्ची मिलनी है उस तक वास्तविक में मिल पायेगी। अगर कैश देते हैं तो इन्हें गड़बड़ी करने का मौका मिल जायेगा। चक को घर पर दीजिये तो यह गड़बड़ी नहीं कर पायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं।

इन्जी० राम कृष्ण वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं और उस पर बल देता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि पाल जी ने जो यह चार्ज लगाया कि हमारे मंत्री दैनिक वेतन वाले हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चार्ज उन्होंने लगाया है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको वापस लें । मैं यह बताना चाहता हूं कि इस समय जो किसानों का उत्पीड़न हो रहा है वह बहुत कम हो रहा है । जिस साल पाल साहब की सरकार थी उस समय तो 6-6. 8-8 महीने भुगतान बकाया होता था । अब यह 153 लाख रुपये का ही बकाया है और वह भी दो-तीन महीने का ही बकाया है । केन्द्र सरकार उसका पेराई से पहले ही यह हल हो सकता है । उसके बाद आप प्रदेश सरकार को दोषी बता सकते हैं कि भुगतान क्यों नहीं कर रही है ? आज सब जानते हैं कि गन्ने की 34 प्रतिशत पेराई होती है बाकी 66 प्रतिशत सल्फर प्लाण्ट और खड़े कोल्हू के माध्यम से पेराई होती है । 34 प्रतिशत में 10-11 प्रतिशत रिकवरी होती है और 66 प्रतिशत में सिर्फ 5 प्रतिशत ही रिकवरी होती है । इससे अधिक नुकसान होता है । सारा दायित्व केन्द्र सरकार पर है । केन्द्र सरकार बरसों तक गन्ना मिलों को लाइसेंस नहीं देती हैं । अगर पाल जी केन्द्र सरकार से लाइसेंस जल्दी दिलवा दें तो किसानों का बहुत भला हो जायेगा । बहुत तरह से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अब समाप्त करें ।

इन्जी० राम कृष्ण वर्मा–

नई तरह की कीट नाशक दवायें नहीं हैं । जो लिंक मार्ग बनाया जाता है गन्ना विभाग में, वह बहुत घटिया है । अगर ठीक तरह से बना दिया जाय तो अच्छा होगा । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गन्ने की बनी सड़कों की मेंटीनेंस नहीं होती है, हर तीसरे साल उनका पुनः निर्माण करना पड़ता है । अगर इनके मेन्टीनेंस के लिए फण्ड उपलब्ध हो तो अच्छा होगा या तो इन सड़कों को पी०डब्लू०डी० को ट्रान्सफर कर दिया जाय । अगर इस तरह का प्राविधान आप करेंगे तो करोड़ों रुपये की बचत होगी । यह सड़कें साल भर में टूट जाती हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

इन्जी० राम कृष्ण वर्मा–

मान्यवर, इन सड़कों के सुधार के लिए कोई योजना बनायी जाय तो यह सड़कें अच्छी दशा में रह सकती हैं और किसानों को गन्ना मिलों तक ले जाने में सुविधा होगी । समयाभाव के कारण ज्यादा नहीं कह सकता । समस्यायें तो बहुत हैं उनके निराकरण के लिए यदि बोला जाय तो आधा घण्टा भी कम है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं । मुझे उम्मीद थी कि आधा घण्टे का समय मिलेगा । उत्तर प्रदेश में गन्ना के मूल्यों का बकाया है । माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह 147 करोड़ है, इसका भुगतान किसानों के परिश्रम को देखते हुए अविलम्ब किया जाना चाहिए । दूसरी बात मान्यवर, पाल साहब ने कटौती रखी है जब इनकी सरकार थी और केन्द्र में भी इनकी सरकार थी तो यह कटौती करते रहे और आज जब किसानों के हित की बात आयी तो भी इन्होंने कटौती प्रस्तुत कर दी । इन्होंने बहुत सारी बातें कहीं । मान्यवर, मैं आपके

माध्यम से कहना चाहता हूं कि देवरिया जनपद में चीनी मिल वी०सी०टी० गौरी बाजार पड़रौना, कुटकमी हैं इन पर करोड़ों रुपया किसान का है। उसको केन्द्र सरकार से कहकर दिलवा दिया जाए। यह किसानों की रहनुमाई के नाते गिरफ्तारी देते हैं इस दोहरी चाल को इनको समाप्त करना चाहिए सरकार के पास पैसा है किसानों को बकाया दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

जो घपले चल रहे हैं उनकी जांच करायें। माननीय मंत्री जी के साहित्य में कुछ नई बातें, कुछ नई चीजें देखने को मिलीं। शिकायतों के लिए सेल बनाया गया है उसमें कहीं विवरण नहीं दिया है।

(व्यवधान)

1977 से आज तक चीनी मिलें ठीक तरह से नहीं चल पा रही हैं। उनको ठीक प्रकार से चलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। देवरिया में 14 मिलें हैं।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 1952 में जितना गन्ना उत्पादन होता था उसकी 80 प्रतिशत गन्ने की पेराई हुई थी। अब वह 34 प्रतिशत रह गयी है।

(व्यवधान)

उस समय दूसरे प्रान्तों में गन्ने की पेराई का प्रतिशत महाराष्ट्र में 13 प्रतिशत, पंजाब में 11 प्रतिशत था....व्यवधान

श्री अध्यक्ष–

मल्ल जी आप बैठ जाएं।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

वह अब बढ़कर महाराष्ट्र में 83 प्रतिशत, पंजाब में 63 प्रतिशत और गुजरात में 87 प्रतिशत, पेराई गन्ने की बढ़ी है। मान्यवर, 1992 से आज तक कहीं न कहीं प्रदेश पेराई में नीचे रहा है तथा वह तेजी से नीचे गिरा है। अब तक अधिकतर समय प्रान्त में कांग्रेस का शासन रहा है। पाल साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा उसमें अनेक प्रकार से आलोचना की है। केन्द्र सरकार द्वारा गन्ने की नीतियां प्रतिपादित होती हैं पिछले दिनों केन्द्र सरकार को भारतीय जनता पार्टी के जमाने में 50 चीनी मिलों का लेटर आफ इन्टेन्ट जारी करने का प्रस्ताव किया गया। सर्वाधिक प्रस्ताव किये गये उस समय मान्यवर, जो चीनी मिलों को अधिकार पत्र जारी किये गये हैं उन पर कहीं न कहीं रिट हैं, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। मंत्री जी को विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि उनकी गम्भीरता को लिया जाय एक नीति चीनी मिलों के लिए बदानी चाहिए ताकि चीनी मिलों के निर्माण को तेजी से चलाया जा सके। प्राइवेट चीनी मिलों को लाइसेंस देने की बात है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, थोड़ा समय चाहूंगा चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं निगम की चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं इनका परीक्षण करा लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

इसको गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है । गन्ना सेन्टर के किसानों से अधिभार लिया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह इस बात की घोषणा करें कि अधिभार न लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जो व्यापारी सामान खरीदते हैं किसानों से उनको घर से गेहूं, चावल आदि उसके अधिभार व्यापारी ही देता है ।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

यह विसंगति क्यों है ? गन्ना किसानों से शुल्क क्यों लिया जाता है ? इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । महाराष्ट्र में गन्ना मिलें किसानों का गन्ना खेत से खुद उठाते हैं इस पर विचार करें । जब यह हमारे भारत वर्ष में सम्भव है तो इस नीति की समीक्षा की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, कम से कम 50 प्रतिशत गन्ने की पेराई मिलों द्वारा होनी चाहिए । इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए । हमारा प्रदेश गन्ना बाहुल्य प्रदेश है । इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री मुरलीधर–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । सम्मानित मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मैं अपने जनपद के बारे में कुछ निवेदन आपके माध्यम से मंत्री जी से करना चाहता हूं । जनपद फतेहपुर की भूमि जितने में कृषि होती है उस पूरी कृषि योग्य भूमि के 40 फीसदी में केवल गन्ना उपजाया जाता है । वहां गन्ने की अच्छी पैदावार होती है और अच्छी किस्म का गन्ना पैदा किया जाता है । लेकिन हमारे जनपद में कोई चीनी मिल न होने के कारण जनपद का उपजाया हुआ गन्ना या तो रायबरेली मिल में पहुंचाया जाता है या औराई मिल बनारस में भेजा जाता है । जिससे सही समय पर भुगतान न होने के कारण किसानों को काफी निराशा पैदा हो रही है और सिंचाई की सही व्यवस्था न होने के कारण किसानों में निराशा पैदा हो रही है । जिससे किसान हताश हो रहे हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर में एक चीनी मिल की स्थापना की जाए । सिंचाई के लिए जरौली पम्प कैनाल योजना को शीघ्र पूरा कराया जाय ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

श्री घनश्याम शुक्ल–

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अभी तमामं माननीय सदस्य इस पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। मैं ध्यानपूर्वक उसको सुन रहा था। आज यह जो गन्ना किसानों का 153 करोड़ रुपया बकाया है जिसके बारे में पाल साहब काफी तेज-तेज बोल रहे थे। सबसे ज्यादा गन्ना किसानों का शोषण कांग्रेस के लोगों ने किया। 47 सालों तक इनका शासन रहा और सबसे ज्यादा शोषण इन्होंने किया। इन्होंने बन्धक के रूप में बनाये रखा। गन्ना किसानों का जो भी पैसा बकाया चला आ रहा है वह इन्हीं के कार्यकाल का है। यह केन्द्र सरकार द्वारा जो नीतियां निर्धारित की गयी हैं जो केन्द्र सरकार की देनदारी है वह न देकर और ज्यादा बकाया कर दिया है। अभी प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है। सरकार प्रयास कर रही है पैसा देने के लिये। मैं सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, चीनी के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन चीनी के दाम के साथ गन्ने के दाम को भी बढ़ाया जाय। किसानों का जो बकाया है उसको शीघ्र दिलाया जाय। मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, नवाबगंज शुगर फैक्ट्री को सरकार ने बेच दिया था किसी को। अब सरकार ने उसको वापस ले लिया है उसका स्वागत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नवाबगंज फैक्ट्री को उच्चीकृत करके उसको चलाया जाय। अभी तमाम श्रमिक उसमें मर गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री घनश्याम शुक्ला–

मान्यवर, यह मामला लाखों गन्ना किसानों से संबंधित है।नबाबगंज शुगर मिल के बंद होने से श्रमिकों और किसानों का नुकसान हो रहा है। वहां के लाखों किसानों को गन्ना कम दर पर बेचना पड़ रहा है और आज मिल बरबादी के कगार पर पहुंच गयी है। सरकार 13 चीनी मिलें उच्चीकृत करने जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप अब जो बोलेंगे वह लिखा नहीं जायगा।

श्री घनश्याम शुक्ला–

आप जो चीनी मिलें उच्चीकृत कर रहे हैं उसमें नवाबगंज शुगर फैक्टरी को भी शामिल किया जाय और किसानों का जो तमाम पैसा बकाया है उसको किसानों को देने की घोषणा की जाय इन शब्दों के साथ मैं माननीय गन्ना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी बुलन्दशहर में एक सहकारी चीनी मिल जहांगीरपुर लग रही है, इसको 6 वर्ष लगते हुए हो गये हैं। इस मिल को शुरु में धन दिया गया और बाद में धन मिलना बन्द हो गया जिससे मिल के बनने के काम बन्द हो गया है। इसमें आधी लागत लग चुकी है। जानकारी में यह आया है कि ठेकेदार 3-4 करोड़ रुपया लेकर भाग गये हैं। इसमें बिल्डिंग बन चुकी है और इसके इरेक्शन का

काम चालू था बीच में माननीय कल्याण सिंह जब आये तो इसका पैसा रोक दिया गया जिससे मिल का काम बन्द हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी न किसी तरह से इस मिल को धन उपलब्ध कराया जाय चाहे आप शक्कर निधि से पैसा दें या अन्य फण्ड से दें लेकिन इसके लिये धन की व्यवस्था जरूर करायी जाय अगर सरकार धन को उपलब्ध करने में अपने को असमर्थ पाती है तो जैसा कि सरकार की चीनी मिलों के बेचने की नीति है उस पारदर्शी नीति के अन्तर्गत बिक्री के लिये इस चीनी मिल को भी आप अन्य मिलों के साथ शामिल कर लें और इसमें जितना पैसा लग चुका है उसको लेकर इस मिल को किसी प्राइवेट मिल मालिक को बेच दें जिससे इस मिल का काम चालू हो सके और वहां के किसानों को राहत मिल सके।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं अपने उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर अपने बहुमूल्य सुझाव रखे हैं, श्री रमापति शास्त्री जी, श्री लालमणि जी,

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव के ऊपर अपने बहुमूल्य सुझाव रखे हैं यदि मैं उनका नाम न लूंगा तो मान्यवर यह उचित नहीं होगा। माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक, अक्षयवर भारती जी, कृष्णवीर सिंह सिरोही जी, रामस्वरूप सिंह जी, जगदम्बा सिंह जी, हरिशंकर तिवारी जी, मोलई प्रसाद जी, एम० बी० सिंह, रामविशुन आजाद जी, स्वयंवर चौधरी जी, आर० के० वर्मा जी, रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी, सुधीर कुमार बलियान जी, घनश्याम शुक्ल जी, माननीय सदस्य किरनपाल जी ने, मेरे द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर अपने सुझाव दिये हैं और मान्यवर, मैं जो सबके भाषण से संदर्भ ग्राह्य किया है, वह यह है कि सभी के मन में किसानों के प्रति पीड़ा है और सभी माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी पर दबाव डाला है कि उन्हें और उनकी सरकार को गन्ना किसानों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिये और जो गन्ने की पेराई की समस्या है, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिये और गन्ने के मूल्य के भुगतान को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये। कई माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार का दायित्व है कि जो शोध संस्थान हैं, उनसे यह अपेक्षा की जानी चाहिये कि वह गन्ने की नयी प्रजातियां निकालें, जिससे गन्ना किसानों को लाभ मिल सके। तो जो इस प्रकार के सुझाव आये हैं उनके बारे में माननीय मंत्री जी गौर करेंगे और उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे और जो गन्ना किसान दयनीय अवस्था में है, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिये कोई न कोई कारगर और ठोस प्रयास किया जाना चाहिये। मान्यवर, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूं और मेरा तो निरन्तर यही प्रयास रहता है कि गन्ना किसानों की समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करूं। आप प्रतिदिन किसी न किसी बहाने किसानों की समस्याओं पर सुनने का अवसर देते हैं, चाहे वह प्रश्नों के माध्यम से हो या कार्य स्थगन के माध्यम से और किसी दूसरे माध्यम से हो और इस सेवक का यह प्रयास रहता है कि प्रदेश के जो गन्ना किसान सुदूर झोपड़ियों में रहते हैं, जिनको और किसी से नहीं केवल जन प्रतिनिधियों से ही आशा रहती है कि वे उनकी समस्याओं को लेकर सरकार को अवगत करायेंगे। अगर केन यूनियन गन्ना किसानों के पैसे का भुगतान कर दे और उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाये तो हम लोगों का ध्यान सड़कों और नलकूपों की ओर जाये। जहां तक यह बात

कही गयी कि भारत सरकार की चार मिलें हैं और उनका 50 प्रतिशत भुगतान नहीं हुआ है, केन्द्र में मेरी सरकार है, यह मैं मानता हूं और स्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये पाल जी ने दबी जबान से कहा है।

श्री जगदम्बिका पाल–

कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि केन्द्र में पाल जी की सरकार है, वह गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान करायें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ....

(व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, साढ़े छः बज चुके हैं। उधर देखें, छपास की बीमारी है, वहां पर संख्या बहुत कम हो गयी है।

श्री अध्यक्ष–

आप पीठ को सम्बोधित करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

शुक्ला जी तो कई बार सरकार के भागीदार रह चुके हैं। बजट की चर्चा में कहीं किसी अखबार में कोई स्थान ही नहीं रहता है, इस समय जो मैं बोल रहा हूं वह किसानों के दर्द को बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं मैं केवल 2-4 सुझाव दूंगा दूसरी कटौती रामस्वरूप जी को रखना है वह बैठे हैं। 'मान्यवर ,प्रदेश का किसान जो उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों को देता है, निजी चीनी मिलों को देता है, निगम की चीनी मिलों को देता है और भारत सरकार के अधीन कपड़ा मंत्रालय की जो चीनी मिलें हैं उनको गन्ना देता है उसका जो मूल्य बनता है उसका 25 प्रतिशत टैग मनी होती है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह 25 प्रतिशत टैग मनी जो भारत सरकार का धन है। प्रदेश सरकार को यह देखना चाहिए केन्द्र सरकार के अधीन मिले हों या निजी मिलें हों इन मिलों के खिलाफ आर० सी० जारी करिये, कुर्की जारी करिये जो निगम की मिले हैं उनको आर० सी० जारी करें हम लोग तो किसानों के हित के लिए बैठे हैं न कि भारत सरकार और प्रदेश के लिए। जो आपकी मंशा है वही हमारी भी मंशा है। मान्यवर, शुगर मिल रिवाइवल की बात है। मैं आप के विभाग को कहना चाहता हूँ कि आप कुछ सुगर काम्पलेक्स बनाने की बात सोचिये। आम शुगर इंडस्ट्रीज को लाइसेंस देते हैं आप उनको सुगर काम्पलेक्स का भी लाइसेंस दें आप किसान के क्षेत्र का इजाफा करिये। कुछ इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज उनसे दिलवायें जिसको सुगर इंडस्ट्रीज का लाइसेंस देंगे, महाराष्ट्र पैटर्न पर। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि आप उत्तर प्रदेश में सुगर काम्पलेक्स की बात करिये, चीनी का उत्पादन बढ़ता जा रहा है तो उसके लिए चीनी निर्यात की बात करिये। मान्यवर, पूरे इस सदन के माननीय सदस्यों ने चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के सभी ने कहा कि किसानों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए अगर गन्ने की पर्चियां भुगतान नहीं हुई हैं तो या तो आज मंत्री जी सुनिश्चित रूप से कह दें कि फिर उसके खिलाफ किसी भी उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होगी उनको तहसील लाकअप में बन्द नहीं किया जायेगा उसके पम्पिंगसेट की कुर्की नहीं

होगी जब तक उसके गन्ने का मूल्य उसको नहीं मिल जाता उसका बकाया मिलों पर है तो उसका बकाया उसे मिल नहीं रहा है और उल्टे उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है । उसको समायोजित किया जाना चाहिए । मान्यवर, यह जो सरकार आई है यह किसानों की और दलितों के हित की बात करती है लेकिन फिर भी किसानों के हित की बात नहीं होगी तो किस तरह से होगा । चाहे हमारी सरकारी इंडस्ट्रीज हो, चाहे निगम की हो उनको कुछ न कुछ लगाना चाहिए । वह आसवनी लगाये भारत सरकार को कुछ लाइसेंस देने होते हैं । माननीया मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के मंत्री के साथ बैठकर बात करें वह कैटिलफील्ड के लिए कुछ कर सकें तो करें । मान्यवर, खाण्डसारी यूनिट जो 1443 हैं उसमें किसानों का शोषण हो रहा है और किसानों को औने-पौने मजबूर होकर बेचना पड़ रहा है तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि खाण्डसारी उद्योग से किसान के हितों की रक्षा की जा सके । मान्यवर, यह जो पीसीएस के लोग इसमें डेपुटेशन पर भेजे जाते हैं इनकी नियुक्तियों पर रोक लगनी चाहिए । ये लोग अपने बाहर के लोगों को लाकर नियुक्त कर देते हैं और स्थानीय लोगों को नियुक्ति नहीं दी उसके ऊपर तो लाइबिल्टीज डाल दी गयी और आज निगम पर जो घाटा है वह इसलिये है कि आपने जी० एम० को कभी व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं बनाया है ।

आप जबाबदेह बनाने की प्रक्रिया शुरू करें । जब निजी मिलों के मालिक अपने जी०एम० को जिम्मेदार बनाते हैं तो जो कारपोरेशन है फेडरेशन है तो उनके जी०एम० को जिम्मेदार जबाबदेह क्यों नहीं बनाया जा सकता है । प्रदेश का जो निगम है, दो महीने बीत गये गन्ने का पेराई सत्र शुरु हो जायेगा अभी तक रिपेयर का पैसा नही दिया गया । सभापति जी घनश्याम शुक्ल जी अभी मेरी आलोचना कर रहे थे इनके क्षेत्र की नबाबगंज चीनी मिल है वह मेरे क्षेत्र में नहीं है वहां के श्रमिकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मैं माननीया मुख्यमंत्री जी से मिला.....

श्री रमापति शास्त्री -

-म आलोचना नहीं कर रहा था यह कहा था कि यह प्रक्रिया आपने ही शुरु की थी ।

श्री जगदम्बिका पाल --

आपकी आलोचना मेरे लिये प्रेरणास्रोत होगी । नवावगंज मिल एक साल से बंद पड़ी है उसको अवश्य चलाया जाना चाहिये । मैं कारपोरेशन के चेयरमेन से मिला उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निगम की जितनी मिलें बंद हैं उनको वह चलाना चाहते हैं इच्छा शक्ति जाहिर की है लेकिन प्रदेश सरकार पैसा नहीं देगी तो किस तरह से रिपेयर का काम शुरू होगा । अगरे बेच भी रहे हैं तो बेचने की प्रक्रिया में समय लगेगा । प्रदेश चीनी निगम को पैसा भिजवा दें ताकि अक्टूबर के महीनों में चिमनी का धुंआ निकल सके ; बहन जी से निवेदन कीजिये कि किसानों के हित में तत्काल रिपेयर के लिये पैसा दीजिये । जो ग्रोथ की बात रही रिवाइवल की बात रही प्रदेश में गन्ना मिलें बैठ रही थी, कोलेप्स हो रही थी यह केन्द्र की नीति है जो मंत्री वहां है यहां के सदस्य नहीं हैं उनकी आलोचना हो रही थी, यह एक नई परम्परा पड़ रही है चीनी मिलों में साल भर से जो जीवन आया है तो पिछले दिनों जो नीति रही है चीनी नीति शीरे की नीति रही है अल्कोहल की नीति रही है फ्री सेल की नीति रही है । उसके मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं इन नीतियों ने उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को जान दी है फिर से उनका रिवाइल हुआ है । यह जो सुझाव दिये हैं इन सुझावों पर आशा है कि जो प्रक्रिया बनेगी किसान परक होंगी और किसानों मजदूरों के हितों में होगी ।

श्री श्यामलाल यादव

मान्यवर , सदन में अभी इस बजट प्रस्ताव पर जो माननीय सदन के माननीय सदस्यों के द्वारा सुझाव आये है उसमें गंभीरता से मने विचार किया है एक -एक को लिखने का प्रयास किया है और यह कोशिश की है कि जो सुझाव कार्य रूप में परिणित करने में व्यवधान न पैदा करते हों उन सुझावों को स्वीकार करते हुए उनके संबंध में कार्यवाही की जाय ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष

माननीय मंत्री जी संक्षेप में ही अपनी बात रखें ।

श्री श्याम लाल यादव –

मान्यवर , जब मैं पहले सादे पांच मिनट बोला तो उन्होंने यह कहा कि बस यह तो इतना ही बोले। मान्यवर मैं भी बाहर बहुत भाषण देता था । मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं मैं उसका दायित्व ,समझता हूं । यह काम करने वाली कुर्सी है । जो पीड़ा गन्ना किसानों के प्रति आप लोगों के हृदय में है वही पीड़ा मेरे दिल में भी है । मैं भी किसान परिवार में पैदा हुआ हूं । किसी ने यह भी कहा कि यह किसी सदन के सदस्य नहीं है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं देर से भले ही आया हूँ लेकिन किसी संवैधानिक संस्था के तहत आया हूं कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं आया हूं । मान्यवर गन्ना गरीब किसानों का आर्थिक स्रोत है और हम इससे परिचित है । जो पीड़ा उनके दिल में है वही पीड़ा हमारे दिल मे भी है । मान्यवर, सबसे पहले घोसी में घोला ब्लाक में मै उस ब्लाक का पहला किसान हूं जिसने गन्ने का बीज बोया था । जिसने गन्ने के बीज के लिए पैसे दिये थे और सुपरवाइजर नहीं आया था गन्ना बीज नहीं मिल पाया था तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि हमने श्यामलाल यादव के कहने पर पैसा दे दिया और यह हमारा पैसा डूब गया है । मान्यवर, वहां पर चीनी मिल लगी और गन्ना बोया गया । लेकिन मिल में पेराई न होने के कारण मेरा गन्ना चार दिन तक पड़ा रहा । तब मैंने अपने दरवाजे पर क्रेशर लगवाया आप जाकर देख सकते हैं और उस गन्ने की पेराई करवाई । जो चीनी मिल लगी थी वह माननीय कल्पनाथ जी की मिल मानी जाती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह बतायें कि उसका परता क्या मिला ?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, आज जो यह स्थिति हुई है यह 10 दिनों में नहीं बनी है या मेरे आने के बाद नहीं बनी है यह स्थिति 50 वर्षों में जानबूझकर बनायी गयी है । 141 करोड़ रुपया मूल्य का भुगतान रह गया है । जो इस समय आंकलन के बाद 127 करोड़ का रह गया है । जिसमें से 20 करोड़ रुपया भारत सरकार के उपक्रम के तहत चलायी जाने वाली चीनी मिलों का बकाया है । मान्यवर, हमने इस संदर्भ में अधिकारियों से परामर्श किया है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस सत्र के अन्त तक हम पेराई का एक-एक पैसे का भुगतान करा देंगे । आपका यह भी दायित्व बनता है कि आप इस संबंध में सुझाव दें । हम तो लिखा पढ़ी कर ही रहे हैं । महोदय, गन्ना भुगतान के लिये सिर्फ आप ही चिन्तित नहीं हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है । गन्ना इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग है, इस प्रदेश के लाखों परिवार इससे जुड़े हैं, यह आय का एक मजबूत संसाधन है, इससे सरकार को सहयोग मिलता है । एक बात और कहना चाहूंगा उस दिन मुझे जानकारी नहीं थी जिसमें पाल साहब आपने उस दिन गन्ना आयुक्त द्वारा आर० सी० इश्यू करने के संबंध में बात कही थी और प्रश्न उठाया था । मैं बताना चाहूंगा कि

आर० सी० इश्यू हो रही है लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि मंत्री जी बतायें । मैं पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि निजी क्षेत्र की चीनी मिलें पेराई सत्र प्रारम्भ होने से पहले गन्ने के बकाये मूल्य का भुगतान नहीं करती हैं तो उनके साथ उत्पीड़क कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यवर, जिस चीनी मिलों के निजीकरण किये जाने की बात की गयी, उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि जो चीनी मिलें निरन्तर घाटे में चल रही हैं, उनको चलाते रहना कोई सरकार के हित में नहीं है, न पूरे प्रदेश की जनता के हित में है, ऐसी चीनी मिलों को निजी क्षेत्र में दिये जाने का निर्णय पूर्व सरकार का है, उस पर हमने निर्णय लिया और जिन दो चीनी मिलों को बेचा जा रहा था, उसको हमने रोका है और यह प्रयास किया है कि हम और पारदर्शी स्थिति बनायेंगे ताकि इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों को ही नहीं, अपितु प्रदेश भर में अपने घरों में बैठे हुए एक-एक आदमी को यह एहसास हो कि इन मिलों को औने-पौने दामों में नहीं बेचा जा रहा है बल्कि वाजिब मूल्य लगाया जा रहा है, इसके लिये ख्यातिप्राप्त संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन कराया जा रहा है और जो मूल्यांकन हुआ है, उसके संबंध में भी पाल साहब ने कहा कि इतनी बड़ी मिल इतने करोड़ की बिक सकती थी, इतने एरिया की जमीन इतने की बिक सकती थी, उसको 10-5 करोड़ में बेचे दे रहे हैं, मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं और उनको भी आमंत्रित करता हूं कि आपके पास यदि ऐसे ग्राहक हैं, अभी टेन्डर की अवधि बाकी है, ऐसे ग्राहक लाइये, हम 10 करोड़ के बजाय 100 करोड़ में बेचने को तैयार हैं ।

मान्यवर, माननीय पाल जी ने अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से आर० सी० इश्यू करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाइयों इधर के सम्मानित विधायकों के स्वाभिमान को जगाने की बात कही और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आर० सी० इश्यू की गयी थी और आप समर्थन दे रहे हैं, इसलिये इस सरकार पर भी दबाव डालकर आर० सी० जारी करायें । मान्यवर, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि यदि यह वास्तव में किसानों के हितैषी हैं और इनके दिल में जरा भी किसानों के प्रति दर्द है तो इस बजट के पास होने के लिये अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लीजिये, इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी, आप अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,87,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,06,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम लाल यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग ((श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,90,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,10,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सार्वजनिक उद्यम का बजट नहीं रखा गया है ।

श्री अध्यक्ष–

बजट पहले ही रख दिया गया है और अब तो वह पास भी हो गया है, इसलिये व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता । श्रम विभाग का बजट प्रस्तुत हो चुका है, श्रम विभाग के माननीय मंत्री जी अपने विचार रखें ।

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, प्रदेश की वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता समता मूलक समाज की स्थापना के साथ ही प्रदेश की संतुलित आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर बल देना है इस हेतु जनता के जीवन, उसकी कमाई तथा स्वामित्व की सुरक्षा के भी महत्व को देखते हुए संगठित श्रमिक संगठन असंगठित श्रमिक की सुरक्षा का कार्य करती है । जो संगठित श्रमिक हैं या असंगठित हैं उनके हितों की रक्षा के लिये यह कार्यरत है । खेतों, खलिहानों से लेकर, मिलों तक जो श्रमिक लगे हैं, उनको श्रमिकों का शोषण किसी माध्यम से न हो सके इसके लिये व्यवस्था की गयी है और बाल श्रमिकों के नियोजन पर भी प्रतिबन्ध लगाया जायेगा । बाल श्रमिक एक समस्या बने हुए हैं । इधर कालीन उद्योग, चूड़ी उद्योग के क्षेत्र में जहां चूड़ी निर्माण होता है, इन जगहों पर बाल श्रमिकों का काफी नियोजन होता है । ऐसे जगहों पर बाल श्रमिकों का नियोजन न हो सके, इसके लिये श्रमिक संघों के माध्यम से हम कार्य करते हैं । औद्योगिक शान्ति बनी रहे और अच्छे उद्योगों का भविष्य उज्जवल हो इसके लिये हम श्रमिकों व सेवायोजकों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं । आवास की समस्या से संबंधित सवाल भी यहां आया, जो श्रमिक आवास पहले से बने हुए हैं, उन श्रमिक आवासों के बारे में हमने निर्णय लिया है कि निकट भविष्य में इन आवासों को बेचा जायेगा । ये आवास ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं और इस तरह के आभास भी मिल रहे हैं कि दूसरे लोग इन आवासों पर कब्जा किये बैठे हैं । ऐसे लोगों को हटाकर, जिन श्रमिकों के नाम से ये भवन आवंटित थे, उन्हीं लोगों को दिया जायेगा । यह निर्णय हमने किया है । श्रमिकों का किसी भी तरह से अहित न हो इसलिये ऐसे श्रमिक संघों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वह अपने हितों की रक्षा स्वयं कर सकें । प्रशिक्षण और सेवायोजन का भी हमारा काम है । इसके लिये तमाम आई० टी० आई० खुले हुए हैं । अभी सुबह ही एक प्रश्न था कि नये आई० टी० आई० खोले जायं ।

मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हमारा यह दृढ़ मत है कि जो आई० टी० आई० चल रहे हैं वह वास्तव में व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहे हैं या फिर जानबूझकर उनकी व्यवस्था को बिगाड़ा गया है । गोरखपुर में ही एक आई० टी० आई० की ऐसी ही समस्या है । वहां वेतन लेने के लिये प्रिंसिपल व इन्सट्रक्टर भी बैठे हुए हैं परन्तु ट्रेनिंग लेने वाले एक भी छात्र नहीं हैं । इसलिये ऐसे जगहों को हम पुनः व्यवस्थित व सुसज्जित करना चाहते हैं ताकि लड़कों को अच्छी जगह से ट्रेनिंग दी जा सके । प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार हो सके और ज्यादा ट्रेड खोले जा सकें इस पर हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं । अभी हमने नये आई० टी० आई० खोलने का विचार नहीं बनाया है । वैसे कोई प्रतिबन्ध भी नहीं है अगर कहीं आवश्यकता समझी गयी तो वहां पर आई० टी० आई० खोला जायेगा । महिलाओं के लिये आई० टी० आई० अभी खोले जा रहे हैं । जिनके लिये स्थानों का चयन कर लिया गया है ताकि महिलाओं को जो कम सुशिक्षित हैं और ट्रेनिंग के अभाव में स्व-रोजगार करने के लिये परेशान रहती हैं उनके लिये विशेषरूप से ये 9 आई० टी० आई० खोले जा रहे हैं। व्यावसायिक मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के तहत, जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें तथा उनके परिवार के लोगों को सुझाव दिये जायेंगे और बताया जायेगा कि उन्हें कौन से कार्य करना है । राज्य बीमा योजना हम चला रहे हैं । इसमें हमारे कुछ ऐसे हास्पिटल चल रहे हैं इसमें पहले काफी असुविधा होती रही है और डिस्पेन्सरीज में स्पेशलिस्ट नहीं होते थे । अब हमने इसमें परिवर्तन शुरू कर दिया है । वहां पर स्थानान्तरण करके ऐसे स्पेशलिस्ट चिकित्सकों को हम ले जा रहे हैं और यह व्यवस्था भी कर रहे हैं कि सप्ताह में एक या दो दिन उन अंचलों के अस्पतालों में वे स्पेशलिस्ट अवश्य जायें । हमारे श्रमिक संघ, ट्रेनिंग इम्पलायमेंट व स्व-रोजगार उपलब्ध कराना हमारे श्रम विभाग से जुड़े हुए हैं ताकि हमारे जो गरीब भाई हैं, अल्पसंख्यक

भाई हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं और पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके हितों की रक्षा हो सके । इसी उद्देश्य से हमने यह बजट प्रस्तुत किया है । धन्यवाद ।

(श्री राम स्वरूप का नाम पुकारने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, यह बाद में बोलेंगे ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो बजट रखा है इसमें अगर यह अच्छा काम करेंगे तो भविष्य में स्थायी मंत्री के रूप में कार्य करेंगे । हमें विश्वास है जैसा कि वह किसान परिवार से संबंध रखते हैं और 7 दिन वह खेत से गन्ना काटते हैं तो वह डिगनिटी आफ लेबर जानते हैं । श्रम क्या होता है, उसकी महत्ता क्या होती है उसके संबंध में अपने उत्तर भाषण में वह बतायेंगे । यह सरकार सर्वहारा वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है उनके कल्याण की बात यह करेंगे ।

माननीय मंत्री जी ने 3, 4 बिन्दुओं को अपने भाषण में लिया । एक तो उन्होंने बाल श्रमिकों के शोषण के संबंध में कहा जो कारपेट उद्योग में लगे हैं, चूड़ी उद्योग में फिरोजाबाद में, भदोही में लगे हैं उनके बारे में कहा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल साहब समय का भी ध्यान रखें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

दूसरा उन्होंने श्रमिक कालोनीज पर जोर दिया और कहा जो आवंटी हैं उनको मकान देंगे । तीसरा उन्होंने आई० टी० आई० के संबंध में कहा कि हम कोई नया आई० टी० आई० नहीं खोलेंगे । इससे पहले जो मंत्री बजट रखते थे भाषण में घोषणा करते थे कि इतने नये आई० टी० आई० खोलेंगे लेकिन यह पहले मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि नये नहीं खोलेंगे (व्यवधान) महिला आई० टी० आई० तो पहले से खुल चुके हैं यह 9 नये नहीं हैं इनके लिये स्थान का चयन हो चुका है । लड़कों के लिये कोई आई० टी० आई० नहीं खोल रहे हैं । उनके यह कहने पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, यह पहली बार है जो इस प्रकार की घोषणा हो रही है ।

एक बात कही गयी कि व्यावसायिक मार्ग दर्शन की व्यवस्था की गयी है । तो व्यावसायिक शिक्षा तमाम विभाग दे रहे हैं जैसे प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं उसमें कितने परिवारों को लाभ हो रहा है यह आप जानते हैं । आप भी इस योजना का जब मूल्यांकन करेंगे परिणाम शून्य पायेंगे ।

माननीय मंत्री जी ने जो तीन चार बातें अपने भाषण में कही हैं उन्हीं पर अपने कटौती प्रस्ताव में बल दूंगा और उनसे अपेक्षा करूंगा कि जब वह बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने की बात करेंगे तो बृजेन्द्र सहाय कमेटी की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखेंगे और उसका भी उल्लेख करेंगे । आज जितने

विभाग हैं जिनमें बाल श्रमिक लगे हैं उनका शोषण हो रहा है । उनको रोकने के संबंध में जो पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी उसने जो सुझाव बाल श्रमिकों के शोषण के लिये दिये हैं उनको लागू करने की घोषणा कर दें तो लगेगा कि वह इस मामले में संवेदनशील हैं लेकिन उन्होंने बृजेन्द्र सहाय कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में कुछ नहीं कहा । उनकी संस्तुतियों को ही यहां अवगत करा दें तो माननीय सदन अवगत हो जायेगा । तो वह अपने उत्तर भाषण में इस चीज को बता दें कि बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिये क्या उपाय करेंगे । श्री बृजेन्द्र सहाय ने अपनी संस्तुति में कहा था कि जिन जनपदों में बाल श्रमिक ज्यादा होंगे, वहां पर जिला चिकित्सालयों में एक अलग से रेडियोलाजिस्ट और एक पैथोलाजिस्ट की व्यवस्था की जायेगी और एक बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होगी किन्तु अभी तक कहीं भी यह कार्य रूप में परिणित नहीं हुआ है । यदि आपके मन में वास्तव में श्रमिकों के स्वास्थ्य, उनके भविष्य और उनके हितों के बारे में किंचित मात्र भी चिन्ता हो तो मैं समझता हूं कि आप अपने उत्तर में यह जरूर कहेंगे कि हम उन संस्तुतियों को लागू करने जा रहे हैं ।

श्रमिक आवास के बारे में कहा गया है कि हम उनको उन श्रमिकों को बेचेंगे । वह बात बहुत अच्छी है और उसका स्वागत है । मान्यवर, उन्होंने कहा कि जो श्रमिक कालोनियां हैं, उनके श्रमिकों को बेचेंगे और जो गैर लोग रह रहे हैं उनको निकालकर बेचेंगे । उन श्रमिकों की कालोनियां जिनको आप बेचेंगे जो आवंटी हैं या जिनको बेचने जा रहे हैं उसके संबंध में आपने यह नहीं कहा कि जो कालोनी 20–30 साल पहले बनी थी, उनको उसी समय के रेट पर बेचेगे या वर्तमान दर पर बेचेंगे । आप अपनी चीनी मिल तो सबसे सब्सीडाइज्ड रेट पर, बुक-वैल्यू से भी कम पर बेचते हैं और श्रमिकों के मकानों को वर्तमान दर पर बेचने की बात सोचते हैं, जैसा कि पूर्व सरकार ने भी एक बार कहा था । पूंजीपतियों को 100 करोड़ की चीज 2 करोड़ में बेचते हैं और श्रमिकों के लिये मकान वर्तमान रेट पर बेचते हैं । आप घोषणा करिये कि जिन मकानों को भी बेचेंगे उनके फ्लैट को हम उनके निर्माण के समय की लागत पर बेचेंगे । होना तो यह चाहिए था कि उसमें से भी डिप्रेशन के चार्ज को कम करके दिया जाये । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे आप बाहर से आ गये हैं उसी तरह से आप चले भी जायेंगे और आपका कोई पता नहीं होगा । जैसे श्रमिकों के भविष्य निधि का कोई पता नहीं चलता है । वैसे ही आपका पता नहीं चलेगा । विश्व बैंक ने श्रमिकों के संबंध में क्या सुझाव दिया आप ये बतायें आप किसान परिवार के हैं और गरीबों और मजदूरों के बहुत बड़े हित चिन्तक हैं तो आप यह बतायें कि आपने उन श्रमिकों के लिये क्या किया संगठित श्रमिकों के लिये तो आपने कुछ घोषणायें की हैं और सरकारें करती रहती हैं लेकिन आपने उस खेतिहर मजदूरों के लिये भी कोई जिक्र अपनी भाषण में किया जो गैर संगठित हों । जो गैर संगठित मजदूर हैं उनको निर्धारित मजदूरी नहीं मिल रही है तो गैर संगठित मजदूरों के हितों के लिये भी आप कोई निर्णय लें । आप उनको निर्देशित करें संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तो यूनियन होती है वह अपने हक के लिये लड़ाई लड़ लेते हैं, लेकिन जो खेतिहर मजदूर खेतों में लगे हुए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से शोषण का शिकार है । जिस व्यवस्था की आप बात करते रहते हैं, उसके लिये कम से कम उन खेतिहर मजदूर और गैर संगठित श्रमिकों के संबंध में आप कोई स्पष्ट घोषणायें करें । आप उनके संबंध में नीतियों पर विचार करें और उसकी घोषणा करें । मान्यवर, सेन्ट्रल की भी कुछ मिलें हैं । हम पहले ही कह दें नहीं तो कुछ सदस्य बाद में कहेंगे.....

श्री अध्यक्ष–

पाल जी जरा संक्षेप में कटौती का प्रस्ताव रखें । अभी और सदस्य भी बोलना चाहेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अभी तो मैंने कटौती का प्रस्ताव शुरू ही किया है। रामस्वरूप जी का बेटा हूं, उनके दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, देखिये जायदाद के लिये बेटा बन रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

देख लें मान्यवर, जहां जायदाद की बात आयी फौरन खड़े हो गये। मैं राम स्वरूप जी से कहना चाहता हूं कि आप इन्हें गोद ले लें। लेकिन इन्हें घाटा उठाना पड़ेगा।

(हंसी)

मान्यवर, हमारी कानपुर में जो डी० आई० सी० टैफ्को की मिलें हैं, सब बन्द पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के विद्युत बोर्ड ने उनका पावर कनेक्शन काट दिया है। आप श्रमिकों के बड़े हितैषी बनते हैं, आप उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को निर्देशित करें कि वह उनके कनेक्शन जोड़ दें। जो बकाया उन मिलों पर है उसको किश्तों में करके वसूल करें। यदि आप श्रमिकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको यह काम करना चाहिए। लाल इमली, टैफ्को जैसे मिलें बन्द हैं। जूता बनाने के काम में दलित मजदूर लगे हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्यवाही की जाय तो हम समझेंगे कि आप श्रमिकों के हितैषी हैं। इसी तरह से रोजगार कार्यालय के बारे में आपने कुछ नहीं कहा है। कितने पढ़े लिखे नौजवान उत्तर प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण कराते हैं। आप कितनों को रोजगार दे रहे हैं यह तो आपको 45 दिन में जानकारी हो जानी चाहिए थी। हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप 45 साल का ठेका लें लेकिन जितनी जिम्मेदारी आपकी है वह तो बतायें। आज स्थिति क्या है ? कितने रोजगार कार्यालय रोजगार दे पाने में सक्षम हो रहे हैं। आज रोजगार कार्यालय से जो नाम जाते हैं उन पर विचार नहीं होता है। बस्ती चिकित्सालय में बिना कोई विज्ञापन रोजगार का कराये हुए, सरकार द्वारा रोक लगे होने के बावजूद भी 16 नियुक्तियां 60-60 हजार रुपये लेकर कर ली गयीं। कानपुर में लाला लाजपत राय अस्पताल में 10 वार्ड ब्वाय और चपरासी की नियुक्तिं बिना कोई विज्ञापन दिये हो गयी। रोजगार कार्यालय से नाम जाता है, उन पर विचार नहीं किया जाता है। डायरेक्ट नियुक्तियां हो रही हैं। मिर्जापुर, भदोही और देवरिया में सदस्यगण बता रहे हैं कि इसी तरह से नियुक्तियां हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

पाल जी अब आप समाप्त करें। उत्तर भाषण में भी आपके अमूल्य सुझाव आयेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उसको तो हम बाद में देंगे ही लेकिन आप कहते हैं तो मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कटौतीं का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे श्रम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह श्रम विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है इसमें बेरोजगार नौजवान की आशा की निगाहें विभाग की ओर लगी रहती हैं। नौजवान को यह विभाग प्रशिक्षण देता है कि योग्य प्रशिक्षण पाकर वह किसी योग्य बनते हैं। उसके बाद उनका पंजीकरण रोजगार कार्यालय में

होता है । रोजगार कार्यालय द्वारा उसको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है रोजगार उपलब्ध कराने के बाद श्रम विभाग की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है पहले श्रम विभाग नौकरी पा जाने के बाद कर्तव्यों के प्रति सजग करता है साथ ही उसके अधिकारों को संरक्षण देता है उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करता है मैं बड़ा आभारी हूं सरकार ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, परन्तु पिछली सरकार ने जो अनियमिततायें की, नियमों की परवाह न करते हुए जिसने अपनी इच्छा का दास सारे प्रदेश को बना दिया, नियमों को तोड़-फोड़ डाला.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय नवमान जी, आप वर्तमान बजट पर बोल रहे हैं ? आप बीते वित्तीय वर्ष को याद न करें?

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

रोजगार दफ्तर की आवश्यकता उन्होंने समाप्त कर दी उसके आधार पर नियुक्तियां हो जाती थीं । जो 1973 से व्यवस्था लागू थी उसको खराब कर दिया । रोजगार कार्यालय से सूची जाती थी जिलाधिकारी उसका अध्यक्ष होता था रोजगार दफ्तर का अधिकारी सचिव होता था उसके द्वारा नियुक्तियों के लिये वरिष्ठता तथा गुणवत्ता के आधार पर सूची जाती थी । उसको समाप्त कर दिया गया। मेरा सुझाव है कि वर्तमान श्रम हितैषी सरकार उस पद्धति को पुनः लागू करे । बेरोजगारों के लिये उचित अधिकार प्रदान करे ।

(व्यवधान)

(श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया का नाम पुकारे जाने पर)

(समय 7 बजकर 20 मिनट)

चिकित्सालयों का जिक्र किया गया वह इस तरह चल रहे हैं कि वहां चिकित्सक नहीं हैं । उचित चिकित्सकों के अभाव में कर्मचारी और भवन बेकार पड़े हैं उनकी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिये सरकार को चाहिए कि चिकित्सकों की व्यवस्था की जाए । सब जगह चिकित्सकों की व्यवस्था कराई जाये।

श्री नरेन्द्र सिह सिसौदिया–

श्रम विभाग के बजट पर मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिये आपका आभारी हूं मान्यवर, मैं उस औद्योगिक नगरी से विधायक चुना गया हूं जिसको 1932 में राय बहादुर सेठ गूजरमल मोदी ने बसाया । श्रम विभाग द्वारा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाती है, पर देखा जाए ।

(व्यवधान)

(श्री कृष्ण कुमार नवमान के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

नवमान जी आप बैठ जायें ।

श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

श्रमिकों और सेवायोजकों के बीच मधुर संबंध बनाये रखकर उत्पादन क्रिया बाधित न होने देना, श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिये उनके न्यूनतम वेतन को निर्धारित किया जाना चाहिए । श्रमिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में कहना चाहता हूं कि 4 अगस्त, 1992 को मोदीनगर मोदी सोप

इन्डस्ट्रीज का मोदियों ने आवेदन किया बन्दी के लिये सरकार ने बन्दी को अवैध करार दे दिया । इसके बाद 105 श्रमिकों को वेतन नहीं मिला । श्रमिकों और सेवायोजकों के बीच मधुर संबंध बनाये रखकर उत्पादन क्रिया बाधित न होने देना श्रम विभाग द्वारा विपरीत कार्य पूर्ति दिग्दर्शिका पढ़ी उसमें दर्शाया है कि वह श्रमिक व उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं । मोदीनगर में एक मोदी थ्रेड मिल है उसके ढाई हजार मजदूर बेरोजगारी के कगार पर हैं । उसका कारण यह है कि मोदियों ने उस फैक्ट्री को बन्द करने का आपके यहां प्रार्थना-पत्र दिया है । मेरा निवेदन यह है कि उस बन्दी को अवैध घोषित किया जाय । इस बन्दी का कारण केवल कच्चे माल का न मिलना है । एक बात यह है कि उन्होने उस मोदी थ्रेड का नाम बदल कर मोदी टेलीफाइबर कर दिया है । उस मोदी टेली फाइबर के 11 करोड़ के शेयर बेच दिये गये तथा सरकार द्वारा करोड़ों का ऋण लेने का प्रयास किया जा रहा है । इस प्रकार सरकार तथा मजदूरों को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है ।

आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वैलेन्स सीट तो थ्रेंड की नाम टेलीफाइवर करने का प्रयास करना इसी प्रकार एक मोदी डिस्टलरी है उसमें एक नया प्रबन्धक लाया गया है जिसने तीन मिलों को बन्द करने का कार्य किया है । तथा जो श्रमिक प्रजातांत्रिक तरीके से आन्दोलन करते हैं उन्हें पुलिस के इन्सपेक्टरों द्वारा पैसा देकर दबाया जाता है । इस संबंध में कठोर से कठोर कदम उठाये जाने चाहिये । तथा श्रमिकों के कल्याण के लिये कदम उठाये जाने चाहिये ।इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री सफदर रजा खां–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं तथा सरकार एवं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । चूंकि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में एक आई० टी० आई० जो खोला गया है वह मेरे जनपद सुल्तानपुर में खोला गया है । मान्यवर, मैं एक सुझाव आपके माध्यम से श्रम विभाग से संबंधित मंत्री जी को देना चाहता हूं । अथवा छोटे बच्चे जो होते हैं वह राष्ट्र की धरोहर होते हैं । हमारे देश में यह जो बाल मजदूरी की कुप्रथा है । मैं समझता हूं कि मानवीय आधार पर यह बहुत खराब व्यवस्था है । यह पूरे देश में व्याप्त है । चाहिये तो था केन्द्र सरकार को कि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर कोई भारी कार्यक्रम बनाये । यह जो समाज के छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनमें देश की भावी विभूतियां भी हो सकती हैं जिनको बचपन में ही रोजी रोटी के लिये कालीन के उद्योग में लगाना पड़ता है, होटलों में लगा दिया जाता है व कुछ पूंजीपतियों के घरों में भी लगा दिया जाता है । हो सकता है इन बच्चों में ऐसी प्रतिभायें, ऐसी विभूतियां हों जो आने वाले समय में डा० भीमराव अम्बेदकर बन सकते हैं । शाहू जी महाराज ने अम्बेडकर को बचपन में पढ़ाया बाद में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया । यह जो हमारे देश में बाल मजदूरी की व्यवस्था है इस व्यवस्था के विरोध में विदेशों में भी इस देश की बदनामी हुई है । अगर यह व्यवस्था पूरे देश की ठीक नहीं हो सकती है तो केन्द्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है । तो कम से कम ऐसा नियम कानून हमको बनाना चाहिये सरकार को बनाना चाहिये जिससे प्रदेश में छोटे-छोटे बच्चों से मजदूरी न कराई जाय । मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि अगर बाल मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने के लिये दण्डनीय अपराध घोषित किया जाय तो उचित होगा । लेकिन इसी के साथ सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिये कि इन छोटे-छोटे बच्चों के लिये रोजी रोटी से जोड़ा जा सके उनको अच्छी शिक्षा दी जा सके खाना व कपड़ा मिल सके जिससे उनका विकास हो सके और आगे चलकर शिक्षा हासिल करके अपने देश का नाम रोशन हो । मान्यवर, समयाभाव के कारण मैं अपनी बात को रोकता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे विचार रखने का समय दिया ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर आपने मुझे इस श्रम विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया जिसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं पर्वतीय क्षेत्र में जो श्रमिक हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। हमारे अल्मोड़ा में एक अल्मोड़ा मैगनेसाइट कम्पनी है इसमें लगभग 1 हजार श्रमिक काम करते हैं। इसमें मैगनेसाइट का खनन झिरौली गांव में होता है और वहां पर दलितों के अनेक परिवार रहते हैं। इस कम्पनी में 51 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार का है और 49 प्रतिशत हिस्सा टाटा का है। आज जुलाई का महीना खत्म हो गया है और स्कूल खुल गये हैं। वहां के मजदूरों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। श्रमिकों के बच्चों को कापियां और किताबें नहीं मिल पा रही हैं और उनका प्रवेश स्कूलों में नहीं हो पा रहा है क्योंकि श्रमिकों को वेतन नहीं मिला है। कम्पनी में कोई हड़ताल भी नहीं है और खनन का काम हो रहा है और पूरा उत्पादन हो रहा है लेकिन 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है जिधर सरकार को ध्यान देना चाहिये। वहां का मैगनेसाइट तमाम स्टील प्लान्ट को जाता है,तमाम ब्लास्ट फरनेस में जाता है और इस पत्थर को निकालने का काम करने वाले मजदूरों, दलित परिवारों का यह गांव तबाह हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां के मजदूरों को श्रम विभाग द्वारा संरक्षण दिया जाय और उनके वेतन के भुगतान की व्यवस्था करायी जाय और कम्पनी को भी राहत धन देने की व्यवस्था की जाय। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां लीसा निकालने के काम में बहुत से श्रमिक लगे हुए हैं। चीड़ के पेड़ से लीसा निकालते हैं लेकिन इन मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलती है। श्रम विभाग को इन मजदूरों की तरफ ध्यान देकर इनको संरक्षण देना चाहिये। इन मजदूरों को बाघ, शेर और जंगली जानवरों से खतरा बना रहता है और अनके मजदूरों को जंगली जानवर खा जाते हैं लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई राहत नहीं मिलती है। बागेश्वर में बेरोजगारों को पंजीकृत करने हेतु सेवायोजन कार्यालय की शाखा खोलने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में अभी तक कोई आई० टी० आई० नहीं खोला गया है। बागेश्वर जिला मुख्यालय है जहां पर मजदूर, शिल्प कलाओं के श्रमिक रहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य भाषण समाप्त करें। अब आप जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जायगा।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मेरे यहां देवलधार सोमेश्वर, कपकोट आई० टी० आई० तथा गरुड़ में पालीटेक्निक खोलने की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे श्रम विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, अखाड़ा छोटा है और पहलवान ज्यादा हैं। समय कम है और वक्ता अधिक हैं। मुझे मालूम है कि जब तक मैं अपनी बात पर आऊंगा तब तक आप लाल बत्ती जला देंगे। इसके पहले मैं केवल दो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिन्दुओं पर अपने सुझाव देना चाहूंगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सेवायोजक हैं और जिनके प्रतिष्ठानों में श्रमिक काम करते हैं उनमें जितना श्रमिक भविष्य निधि में पैसा कटायेगे उतना ही सेवायोजक को अपनी तरफ से भविष्य निधि खाते में पैसा जमा करना होता है ताकि जब वह वृद्ध हो जायें या विकलांग हो जायें तो उनकी सिक्योरिटी हो सके और श्रम मंत्रालय को ऐसा कानून बनाना चाहिये, जिससे उनको पैसा आसानी से मिल सके, लेकिन 90 प्रतिशत संस्थान ऐसे हैं, जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, खास तौर से देहात में जहां पर श्रमिकों का शोषण होता है । जो प्राइवेट संस्थान हैं, उनमें सेवायोजक भविष्य निधि खाते में श्रमिकों का अंशदान नहीं करते हैं, क्योंकि भविष्य निधि निरीक्षकों को वह रकम देकर पटा लेते हैं और अपने संस्थान को भविष्य निधि कवरेज से बचाये रखते हैं । जब श्रमिक किसी दुर्घटना में विकलांग हो जाता है, तो उसे धन नहीं मिल पाता है, क्योंकि भविष्य निधि में संचय न होने के कारण उसे पैसा नहीं मिलता है, जो बहुत ही दोषपूर्ण है । माननीय श्रम मंत्री जी को चाहिये कि प्रत्येक संस्थान में प्राविडेंट फण्ड अनिवार्य रूप से रखा जाये और जो कवरेज न करें, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।दूसरी बात यह है कि सेवायोजक विकलांगों को नियुक्त करने में आनाकानी करते हैं, मेरा अनुरोध है कि उनको ऐसे निर्देश दिये जाने चाहिये कि वह विकलांगों की खपत करें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री जगरनाथ चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान में रखकर उनकी चिकित्सा सुविधाओं या अन्य प्रकार की जो समस्यायें हैं, जिनके निवारण के संबंध में माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानीनय मंत्री जी उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये चिंतित हैं और इस कारण मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का स्वागत करता हूं । मान्यवर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान में रखते हुए वर्ष 1975 में जिला स्तर पर एक चयन समिति बनायी गयी थी जिसके अध्यक्ष और सचिव क्रमशः जिलाधिकारी और सेवायोजन अधिकारी हुआ करते थे जो 1979 में भंग कर दी गयी और नियुक्तियां करने का अधिकार विभागीय चयन समिति को दे दिया गया, इससे बहुत गड़बड़ी होने लगी है और विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के साथ बहुत अन्याय होने लगा है । वर्ष 1985 में शासन द्वारा पुनः 1975 में बनायी गयी चयन समिति के आधार पर व्यवस्था को पुनर्जीवित कर जिला चयन समितियों का गठन किया गया उक्त के अनुसार 1985 तक समस्त नियुक्तियां सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया गया किन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्ष 1986 में शासन द्वारा पुनः जिला चयन समितियों को भंग कर विभागीय चयन समिति का गठन किया गया । चयन समिति भंग हो जाने के बाद आरक्षित रिक्तियों को भरने में बहुत ज्यादा गड़बड़ी की गयी है, तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उस जिला स्तर की चयन समिति को फिर से कायम किया जाये, जिससे आरक्षित वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके । पूरे प्रदेश में इस पर मात्र (एक लाख) 100000/- रु० खर्च होने का अनुमान है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री ऊदल–

माननीय जगदम्बिका पाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, श्रम विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और उसके द्वारा संगठित और असंगठित मजदूरों की सेवा की जाती है और इसके साथ ही साथ बाल श्रमिकों के बारे में यह विभाग काम करता है, लेकिन

दुख इस बात का है कि आज श्रमिकों की हालत अच्छी नहीं है । कानपुर में बहुत ज्यादा श्रमिक रहा करते थे, आज वहां की मिलें बन्द हैं, उसमें सेवायोजकों का बहुत बड़ा हाथ है और श्रम विभाग ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा है । बहुत जगह आपको मालूम होगा आपने पढ़ा भी होगा कि आजकल भदोही में बाल श्रमिकों के बारे में बहुत बड़ा आन्दोलन छिड़ा हुआ है और इतना ही नहीं कुछ लोगों ने विदेशों में जाकर आन्दोलन चलाया और फिल्म भी दिखा रहे हैं । और आज यह हो रहा है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज जो काटेज इंडस्ट्रीज है जिससे करोड़ों-करोड़ों डालर इस देश को प्राप्त होता है आज जर्मनी में, अमेरिका में यह कहा जाता है कि यह बाल श्रमिकों के खून से बनी हुई कालीनें न ली जायं अब सुना है कि यह हो रहा है कि उनको प्रमाण-पत्र लेना होगा कि यह बाल श्रमिकों के द्वारा नहीं बनायी गयी हैं तो कुछ आर्डर उनको मिल रहा है । अभी माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया था कि श्रमिकों की कुछ कालोनियां बनी हुई हैं उसको बेचने का चूंकि उसमें बाहर के लोग रहते हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि कानपुर के किदवई नगर में हजारों मकान बने हुए हैं और उसमें बाहर के लोग रहते हैं उसको कोई सरकार नहीं बेच पायी यहां तक कि सम्पूर्णानन्द जी भी नहीं बेच पाये । बनारस में नाटी इमली में श्रमिक कालोनी बनी हुई है उसमें भी बाहर के लोग रहते हैं वह मिलीभगत है, किसी कालोनी को आप नहीं बेच पायेंगे यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री ऊदल–

आप हुक्म दें तो अभी बैठ जाऊंगा । आपने आई० टी० आई० खोलने की बात कही है महिलाओं की, यह एक बहुत अच्छा कदम है । मैं स्वागत करता हूं लेकिन पुरानी आई० टी० आई० की मशीनें खराब हो गयी हैं उनको सुदृढ़ करने की व्यवस्था करें जितना धन है उसके हिसाब से तो मैं समझता हूं कि कुशल कारीगर उससे पैदा होंगे ।

मान्यवर, जो आपका बीमा अस्पताल है उनकी हालत बहुत दयनीय है वहां न दवा है और न डाक्टर उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए जो बीमा में पैसा कटता है उसके 3 हिस्से होते हैं सरकार का मजदूरों का और सेवायोजकों का । कहीं भी बीमा योजना का पैसा ठीक से नहीं जमा हो रहा है वहीं भविष्यनिधि का मामला है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार अगर सचमुच में श्रमिकों के प्रति चिन्तित है तो सरकार को इन छोटी-छोटी बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय जगदम्बिका पाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मुझे 2 मिनट लेना है वैसे समय होता तो मैं विस्तार से अपनी बात रखता । मान्यवर, लेबर डिपार्टमेन्ट आज मजदूरों के हितों को संरक्षण देने में विफल हो गया है इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है ।

मान्यवर, श्री मुलायम सिंह जी ने एक घोषणा की थी कि जो फैक्ट्रीज सरकार के आरक्षण नीति को लागू करेंगी उन्हें वह सुविधाएं देंगे मान्यवर, सरकार की जो आरक्षण नीति है उससे मेरा विरोध नहीं है विरोध एक बात से है लेकिन यह बोलने की नहीं है । अगर आरक्षण नीति को परिवर्तित करके कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

10 प्रतिशत मुसलमानों को दे दिया जाय तो मैं विरोध करता लेकिन वह विषय नहीं है । मान्यवर, फैक्ट्रीज को सुविधा दी जाय क्या सुविधा दी जाय उनको फ्री लोन दे दिया जाय, जमीन फ्री दे दी जाय, विद्युत फ्री दे दी जाय लेकिन मजदूरों के पेट पर लात मारने का कोई अधिनियम बनाया जायेगा तो मैं और मेरी पार्टी उसका विरोध करेगी । मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है सही बात माननीय मंत्री जी बतायेंगे । मान्यवर, आज मजदूरों का प्रोटेक्शन कहां से है मिनिमम वेजेज ऐक्ट है, बोनस है ओवर टाइम है, उनके द्वारा यह कहा गया कि जो फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज ऐक्ट में रजिस्टर्ड हैं अगर वे आरक्षण नीति का पालन करेगी उस आरक्षण नीति का पालन करने वाली फैक्ट्रीज लेबर ऐक्ट की सुविधाओं से, जो बंधन हैं, मुक्त कर दी जायेगी । इस तरह से अगर वह ओवर टाइम करेगी तो पैसा नहीं पायेगा, बोनस का पैसा नहीं पायेगा उन पर मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं होगा अगर मात्र घोषणा है लफ्फाजी है तो आपत्ति नहीं है । लेकिन इस घोषणा के पहले लेबर डिपार्टमेन्ट की सहमति ली गयी होगी मंत्री जी उनको देख लें उस पर पुनर्विचार करने की कृपा करें । अभी आर्गनाइज्ड और अनआर्गनाइज्ड सेक्टर की बात हुई । एक नयी व्यवस्था चल रही है मिनिमम वेजेज ऐक्ट को इनएफेक्टिव कर दिया जा रहा है । सीतापुर में प्लाईवुड फैक्ट्री है वहां 35 रु० मजदूरी है, तो ठेकेदारों से उसमें काम लिया जाता है, मजदूर ठेकेदारों से कम मजदूरी पाते हैं । गन्ना मिल में बगास लगनी है 35 रु० मिलता है ठेकेदार को दे दिया वह 20 रु० देता है, जो अधिनियम है फैक्ट्रीज का, उसमें उनको भी वही सुविधायें जो फैक्ट्रीज के मजदूरों को प्राप्त है । मैं बाल लेबर की बात नहीं कर रहा हूं आई० टी० आई० की बात नहीं करता हूं । अगर मजदूरों के लिये दिल में दर्द है तो इस ठेकेदारी प्रथा को कड़ाई से समाप्त कर दीजिये । यह व्यवस्था कर दीजिये कि फार्म 12 के अलावा किसी दूसरे फार्म पर पगार पर नहीं रखा जायेगा यह सुनिश्चित किया जाय कि वह मिनिमम वेज पायेगा क्योंकि जो अधिनियम है वह फैक्ट्री कीतरह अन्य मजदूरों पर भी लागू होता है। मान्यवर, जो मिनिमम वेजेज को पुनरीक्षित करने का काम है उसकी निधारित अवधि है इसमें बीसों उदाहरण हैं आपने पुनरीक्षण की अवधि बीत जाने के बाद भी वेजेज का पुनरीक्षण नहीं किया । मैंने श्रम सचिव को टेलीफोन किया था उनको बताया था कि सीतापुर में प्लाईवुड की फैक्ट्री है उसकी पत्रावली पड़ी हुई है उसको देखकर रिवाइज्ड कीजिये ।

श्री रामजीत भारद्वाज–

मान्यवर, कदाचित संविधान निर्माता बाबा भीम राव अम्बेदकर जी की मंशा रही होगी ।

"टु क्रियेट हारमोनियस टेकेवेलिटी इन दि सोसाइटी, दिअर शुड बी इन एडाप्शन आफ इकवेलिटी, लिबर्टी, फेटरनिटी इन दि इंडियन सोसाइटी" । तब इसे देश का उद्धार होगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि श्रम की कीमत इस समाज के लोग भारतवर्ष के लोग, श्रम की जो वेल्यू है, एक्सप्लायटेशन आफ दि लेबर, पूंजी का सेन्टरलाइजेशन होता है, जिससे सरप्लस वेल्यू आफ दि मनी क्रियेट होती और नतीज़ा यह होता है कि पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में, आज जो अमीरों गरीबों की बात करते हैं, बाल श्रमिकों की बात करते हैं, कष्ट के साथ कहना पड़ता है, मैं माननीय जगदम्बिका पाल जी से कहना चाहता हूं कि जरा अपने सीने पर हाथ रखकर पूछियें कि आपके घर में जो चरवाहे हलवाहे हैं उनको नौकरी चाकरी किसने दी, वह मजदूरी के लिये मजबूर करते हैं ।

मान्यवर, अभी तो बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, हर माता पिता बच्चे को पढ़ाना चाहते है ताकि वह किसी के घर में जाकर मजदूरी न करे । लेकिन साधन सम्पन्न लोग उन्हें किस तरह से पकड़ते हैं, उसमें क्या स्थिति है और नतीजा यह हुआ कि आज हमारे यहां बाल श्रमिक पैदा हो गये । लेकिन लेबर मिनिस्टर जी आपने बलबलाते हुए ऊंट को पहाड़ के नीचे लाकर बांध दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रामजीत भारद्वाज–

मान्यवर, यह तो वही कहावत हुई कि चलनी कहे सुई से तेरे पेट में छेद । यह जो दागदार लोग बैठे हुएं हैं यह इस सरकार को दागदार कह रहे हैं ।

मान्यवर,

"हर सपना आग नहीं होता,
सभी तटों में झाग नहीं होता,
दुनियां भर में धूल उड़ाने वाले,
हर आंचल में दाग नहीं होता।"

मान्यवर, हमाने मुगलसराय में सेवायोजन का एक कार्यालय था उसे बनारस में ट्रांसफर कर दिया गया है मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसे फिर से वहां पर लाया जाये।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। मैंने माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक जी को बुला लिया है।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, माननीय पाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो तीन घोषणाएं करवाना चाहता हूं। मान्यवर, आज संगठित औरअसंगठित किसी भी क्षेत्र में श्रम कानून नहीं लगता है। आज मजदूरों का शोषण हो रहा है। आज उ० प्र० की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कानपुर में वहां के मजदूरों का शोषण तालाबन्दी करके किया जा रहा है। रामपुर में औद्योगिक मिलें बन्द पड़ी हैं, टेक्सटाइल मिलें बन्द पड़ी है और उसके जो मजदूर हैं वह भिक्षाटन कर रहे हैं। मान्यवर, आप किसी भी फैक्टरी में चले जायें और यह साबित करें कि श्रम कानून जो विधान मण्डल में पारित किया गया है उसका अनुपालन किया जा रहा है। अगर उसका अनुपालन किया जा रहा है तो मैं पाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें। मान्यवर, ईंट भट्ठे में मजदूरों का शोषण हो रहा है। गुप्ता जी ने अभी एक बात कही थी कि ठेके पर काम कराये जाते हैं। मजदूरों का जो खून पसीना है उसके बीच में भी ठेकेदारी पैदा कर दी जाती है।आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आपके प्रदेश व देश में आ रही है। आपने आरक्षण लागू कर दिया। यह समय प्रतियोगिता का है आप नयी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करें उसका दमन न करें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, चीनी मिलें हमारे यहां सबसे ज्यादा हैं वहां पर मजदूरों का शोषण हो रहा है। मैं अपने क्षेत्र तिताबी का उदाहरण देना चाहता हूं। आप वहां जांच करवा लें एक भी मजदूर को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है ठेकेदारी पर काम हो रहा है, ऊपर सब पैसा दे देते हैं। मान्यवर, वहां पर सेवायोजन में अगर किसी का नाम निकलवाना हो तो पांच सौ रुपया देकर नाम निकाला जाता है वहां पर कोई रजिस्टर भी मेनटेन नहीं किया जाता है। आई० टी० आई० में एप्रेन्टिस करने के लिये दो हजार रुपये का रेट है। मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां पर सेवायोजन कार्यालय की व्यवस्था ठीक की जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, इसी के साथ मैं माननीय पाल जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

श्रीमन्, श्रम जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी की उस घोषणा का भी स्वागत करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बाल श्रमिकों का शोषण नहीं होने देंगे साथ ही जहां पर आवश्यकता है, वहां पर नये आई० टी० आई० खोले जायेंगे। हालांकि पाल साहब ने आई० टी० आई० न खोलने की बात सुनी, दूसरी लाइन वहं नहीं सुन पाये, दूसरा सेन्टेन्स मंत्री जी ने यही बोला था।

मान्यवर, मैं 3-4 बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, रोजगार कार्यालय की जो व्यवस्था है, उसमें ट्रांसपेरेसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेसी इन दि सेंस, रोजगार कार्यालय इसलिये स्थापित किये गये थे कि लोगों को रोजगार मिले और उसमें किसी तरह का व्यवधान न हो। लेकिन देखा यह गया है कि जो भी सेवायोजन अधिकारी हैं, उनके पास किसी कार्यालय से वान्ट्स आती हैं तो वह अपने लोगों को, अपने गृह जनपद के लोगों को, जिन लोगों को वह चाहते हैं, को बुला-बुलाकर तुरन्त पंजीकृत करते हैं और उन्हीं लोगों के नाम उन कार्यालय को भेज दिये जाते हैं। मेरा इस संबंध में आपके माध्यम से सुझाव है कि इसके लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि सीनियारिटी के आधार पर इन बेरोजगारों का नाम भेजा जाय, जिन लोगों को वास्तव में इसकी आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि चाहे इधर के बैठे हुए माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों, सभी इस बात से सहमत होंगे कि इसमें ट्रांसपेरेसी होनी चाहिए। मान्यवर, फर्स्ट कम फर्स्ट वाली व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय खन्ना जी, अब समाप्त करें, आगे के बिजनेस को भी देखें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, केवल दो और सुझाव देना चाहूंगा। जो आई० टी० आई० की व्यवस्था है, उसमें नये ट्रेड्स को आमंत्रित किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने गृह जनपद शाहजहांपुर की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, वहां एशिया की सबसे बड़ी आर्डिनेन्स क्लोदिंग फैक्टरी है, वहां पर क्लोदिंग के ट्रेड में सम्भावनायें बढ़ाई जायेंगी तो बहुत लोगों को लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, अब समाप्त करें। मैं दूसरे सदस्य को बुला रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक सुझाव और दूंगा। मैं कह रहा था कि जो क्लोदिगं फैक्टरी है, उसमें आई० टी० आई० में केवल क्लोदिंग ट्रेड के लोगों कोही अवसर मिले, ऐसे लोगों को सेवा का अवसर दिलाने के लिये आवश्यक है कि उस ट्रेड के लोगों को ज्यादा स्थान दिया जाय और कक्षायें बढ़ाई जायें।

मान्यवर, अन्तिम सुझाव है कि जो आई० टी० आई० हैं, उनमें टाइम बाउन्ड प्रमोशन हो। वहां पर वर्षों से प्रमोशन नहीं हुए हैं। एक-एक प्रधानाचार्य 2-2, 3-3 जगह का काम देख रहे हैं। फोरमैन को प्रमोट करके प्रधानाचार्य बनाते हैं, उसमें आरक्षण लागू नहीं है। अन्तिम बात कह रहा हूं कि जो निदेशक रहे हैं, इस सेवायोजन के,श्री के० एल० मीना, उनके ऊपर कई अनियमितताओं के संबंध में शासन का ध्यान कई बार आकर्षित किया जा चुका है। लखनऊ, फैजाबाद, लखीमपुर, रायबरेली में कर्मचारी की अवैधानिक रूप से उन्होंने नियुक्ति की है और टेलीविजन, वी० सी० आर० की खरीद में

भारी घोटाला किया है, उनके कार्यकलापों की जांच होनी चाहिए । इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूंऔर माननीय जगदम्बिकापाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, श्रमिकों की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है । मैं केवल दो सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा । मेरे क्षेत्र में टेलीफोन की एशिया की जानी-मानी नं० 1 की फैक्टरी मनकापुर में है, वहां पर श्रमिकों का शोषण ठेकेदारी प्रथा से किया जाता है । जैसा कि माननीय राजेन्द्र गुप्त जीने कहा कि ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगनी चाहिए, मैं भी इससे सहमत हूं ।आज जितनी मजदूरी एक मजदूर को दी जानी चाहिए, वह नहीं दी जाती है तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो मजदूरी मिलनी चाहिए वह श्रमिकों को मजदूरी मिले । आज हमारे जनपद गोण्डा में जिला सेवायोजन कार्यालय है वहां पर घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है । मान्यवर, लखनऊ के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय भ्रष्टाचार और दलाली का अड्डा बन गया है और इस क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के आने के बाद से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है । वहां के अनेक अधिकारी/कर्मचारी अनेकानेक वर्षों से वहीं पर कार्यरत हैं और उनके स्थानान्तरण नहीं हुए हैं । कार्यालय परिसर के अन्दर वैकेन्सी फार्म बेचने की दुकानें लगी हुई हैं और क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी उनसे पैसा वसूलता है । मान्यवर, आज ही विधान सभा में रमेश पोखरियाल निशंक का अतारांकित प्रश्न संख्या 156 लगा था जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लखनऊ के कार्यालय कक्षों के लिये क्रय किये गये कूलरों का उपयोग कतिपय अधिकारियों के आवासों पर हो रहा है ? इसका उत्तर दिया गया है कि उक्त क्रय किये गये कूलरों का प्रयोग कार्यालय में हो रहा है जबकि इनका उपयोग अधिकारियों के आवासों पर हो रहा है । यह मेरी निश्चित जानकारी है कि इन कूलरों का उपयोग क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी तथा सहायक निदेशक जो इसी दफ्तर के परिसर में रहते हैं, के आवासों पर हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मानीनय सदस्य अब अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, जिसने भी प्रश्न का गलत उत्तर दिया है, उनके खिलाफ तथा जिसके घरों पर सरकारी पैसे का कूलर लगा है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायी जाये । अन्त में पुनः कहना चाहता हूं कि यहां के सभी पुराने अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण तत्काल किया जाये ताकि हो रही दलाली तथा भ्रष्टाचार समाप्त हो । मैं माननीय पाल जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं । यह बहुत ही अच्छा बजट है । मान्यवर, कुछ सुझाव मैं चन्द शब्दों में देना चाहता हूं । जितने भी आई० टी० आई० प्रदेश में चल रहे हैं, उसमें अनुदेशक, फोरमैन एवं प्रधानाचार्य नहीं हैं । मेरा सुझाव है कि प्रत्येक आई० टी० आई० में प्रधानाचार्य, अनुदेशक एवं फोरमैन की नियुक्ति होनी चाहिये, तभी पठन-पाठन सही होगा । प्रदेश में 14 जी० आई० टी० आई० हैं, उसमें हाईस्कूल टेक्निकल चलाया जाता था, मगर 1992 के बाद हाईस्कूल टेक्निकल बन्द कर दिया गया, यह बहुत अच्छी योजना थी । हाईस्कूल पढ़ने के साथ-साथ छात्र छात्राओं को बुनाई एवं काष्ठ कला जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था, उसका प्रशिक्षण दिया जाता था । इन हाईस्कूल टेक्निकल को ऐसे स्थानों

पर खोला जाये जहां पर ये चल सकते हैं। मान्यवर, मेरा जनपद टेहरी गढ़वाल है, यहां ढालखाला और मुनि की रेती इण्डिस्ट्रियल एरिया हैं यहां पर श्रमिकों के आवास की कोई व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, मेरा सुझाव है कि श्रमिकों की चिकित्सा के लिये अस्पताल खोला जाये। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री भगेलू राम–

मान्यवर, यह जो बजट माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा यहां पर पेश किया गया है, यह वास्तव में बहुत अच्छा बजट है, इससे प्रदेश की जनता को लाभ होगा। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, वर्ष 1994-95 में एक मात्र आई० टी० आई० सैफई में खोली गयी थी और 1995-96 में हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक आई० टी० आई० खोली जा रही है। आई० टी० आई० में प्रवेश के बारे में सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि अभी तक जो 4-5 साल से व्यवस्था है उसके पहले जो व्यवस्था थी कि आई० टी० आई० में प्रवेश में ज्यादातर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या जो प्रवेश लेने के इच्छुक होते थे उनकी सिफारिश के माध्यम से प्रवेश होते थे। 4-5 साल से अब यह व्यवस्था हो गयी है कि कम्पटीशन के माध्यम से प्रवेश हो रहा है, जो बन्द होना चाहिये क्योंकि कम्पटीशन के माध्यम से आई० टी० आई० में जो प्रवेश हो जाते हैं अन्त में होता यह है कि बच्चा किसी दूसरे कम्पटीशन में आ जाता है और वह आई० टी० आई० छोड़ देता है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसमें जनप्रतिनिधियों की भी राय ली जाये। इसके साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अगर माननीय मंत्री जी ने अपने इस विभाग से भ्रष्टाचार को हटा दिया तो बहुत बड़ा काम होगा। श्रम विभाग में जो आई० टी० आई० हैं, सेवायोजन कार्यालय हैं, ये सब भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं। सरकार आज मालिकों की हो गई है और मालिकों को मजदूरों से कोई लेना-देना नहीं है। हमारे यहां एक लैम्प कैम्प फैक्ट्री है जिसमें मजदूर 50 दिन तक आन्दोलन में रहे। मिल मालिक, कमिश्नर, लेबर व एस० डी-० एम० के बीच में एक समझौता हुआ। परन्तु आज तक उस समझौते को लागू नहीं किया गया। इसके मालिक श्री अवधेश कुमार, चौधरी तेजपाल सिंह जो राज्य मंत्री हैं, के बहनोई हैं। इन दोनों की साझे में यह फैक्ट्री है। मजदूरों को दैनिक वेतन नहीं दिया गया है, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी गयी है और 70 मजदूरों को निकाल दिया गया है। मजदूरों के नेता श्री के० वी० भूषण को 4 महीने पहले ही एक कातिलाना हमले में मार दिया गया। मजदूरों ने दो लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब पुलिस ने उनकी पिटाई की तो उन्होंने बता दिया कि हमें श्री तेजपाल सिंह जी ने इतने रुपये देकर भेजा है। एक पैड भी उनका मिला था। आज मजदूर अपने वेतन व मजदूरी को लेने के लिये वहां पर सहमे हुए हैं। इसलिये मांग करता हूं कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलवाई जाय और विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाय।

*डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, भदोही और मिर्जापुर में जो कालीन के मजदूर हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। एक मंत्री पर आरोप लगाये गये हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यहां पर आज तक न्यूनतम मजदूरी कानून को लागू नहीं किया गया है। सरकार ने एक समिति बनायी है। ऐसे लोग जो कालीन व दरी के बारे में शून्य ज्ञान रखते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि मजदूरी के क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर नेता है और जन प्रतिनिधि हैं, उन्हें इस समिति में शामिल किया जाय। दूसरी चिन्ता की बात यह है कि बाल मजदूर व बंधुवा मजदूरों के पुनर्वासन हेतु केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों काम करते हैं और इसके लिये करोड़ों रुपये की धनराशि इस प्रकार के पुनर्वासन के लिये जाती है। इसमें सबसे बड़ा घपला यह है कि कुछ स्वयं सेवी सस्थाओं के माध्यम से इस धन को बांट दिया जाता है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि पिछली सरकार में इस प्रकार की फर्जी संस्थायें बनायी गयी और जिनके माध्यम से करोड़ों रुपये इन फर्जी संस्थाओं में बांट दिया गया। इसलिये मेरी मांग है कि इस प्रकार की संस्थाओं की जांच की जाय तभी पुनर्वासन हेतु पैसा वितरित किया जाय। आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। एक दो सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां आवश्यकता होगी वहां आई० टी० आई० खोले जायेंगे। हमारे बांदा जिले में एक आई० टी० आई० है और कर्वी इससे 80 किलोमीटर दूर है और कर्वी का जो बार्डर है वह 180 किलोमीटर के करीब है। इसलिये मेरी मांग है कि यहां पर एक आई० टी० आई० खोला जाय। सेवायोजन कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है मेरा सुझाव है कि प्रत्येक सेवायोजन कार्यालय में एक कम्पयूटर की व्यवस्था कर दी जाय। हमारा बांदा जिला उद्योग शून्य जिला है। उद्योग शून्य के नाम पर जो सुविधायें मिलती हैं व्यापार कर आदि में उसका फायदा उद्योगपति ले लेते हैं परन्तु वहां के मजदूर उस फैक्ट्री में नहीं लगाये जाते हैं। इसलिये इसमें ऐसा प्रतिबन्ध लगाया जाय कि जो उद्योगपति व्यापार कर आदि चीजों में छूट लेते हैं, वे वहीं के मजदूरों को उस फैक्ट्री में लगाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री स्वयंवर चौधरी–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं एक ही सुझाव अपने सिद्धार्थनगर में आई टी० आई० खोलने के बारे में देना चाहता हूं। सिद्धार्थनगर में मेरे विधान सभा क्षेत्र चेंड़ा में खोलने के लिये था वह बस्ती जनपद में चल रहा है। हमारा जनपद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है वहां कोई उद्योग नहीं है जहां लोगों को रोजगार मिल सके, मजदूरी मिल सके और न वहां पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिये, कोई व्यवस्था है जिससे लोग कुछ सीख कर अपनी रोजी चला सकें। मैं चाहता हूं कि वहां का जो आई० टी० आई० स्थानान्तरित किया गया है उसे वहीं स्थापित किया जाय।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैं मजदूर संगठनों से जुड़ा हुआ हूं इसलिये मैं चाहता हूं कि आप घड़ी देख कर मना न करें।

मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करता हूं और जो इनकी नीति है वह भी ठीक है और जो इनकी नीयत है वह भी ठीक है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं उन बिन्दुओं को ही लूंगा जिनको माननीय सदस्यों द्वारा टच नहीं किया गया है उसमें एक बिन्दु है लेबर आफिस का तो जो

लेबर आफिस हैं वह भ्रष्टाचार के केन्द्र हैं। जितने भी श्रम कार्यालय हैं चाहे वह लखनऊ का हो या कानपुर का यहां पर इन्सपेक्टर से लेकर ऊपर अधिकारी तक वसूली करते हैं। जो पैसा देता है उसके खिलाफ कुछ नहीं करते हैं और जो पैसा नहीं देता है उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो इन पर आप कन्ट्रोल करें।

दूसरी बात यह देखी गयी है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती हैं उनमें जब श्रमिकों का शोषण होता है तो उसके खिलाफ जब आवाज उठाई जाती है तो उनमें तालाबांदी कर दी जाती है। लेकिन उसी मालिक की दूसरी जगह फैक्ट्री खुल कर चालू हो जाती है। तो इस प्रकार के भुक्त भोगी जो श्रमिक हैं वह दसियों साल से दौड़ रहे हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है न तो उसको पैसा मिलता है और न श्रम मिलता है।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, हमारे पूर्वांचल से मजदूर बाहर के प्रदेशों में पलायन करते हैं ताकि वहीं उनको कुछ रोजगार मिल जाय। वहां उनका शोषण होता है। यहां से वह पंजाब जाने के लिये मजबूर हो जाते हैं क्योंकि यहां कोई मजदूरी उनको नहीं मिलती है। इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी संक्षेप में अपनी बात रखें। अभी काफी काम बचा है। मद संख्या 19, 20 में आधे घंटे की दो चर्चायें हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरे कटौती प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। माननीय नवमान जी, माननीय नरेन्द्र सिंह सिसौदिया जी, माननीय सफदर रजा जी, माननीय राम प्रसाद टम्टा जी, माननीय अमर जीत सिह जनसेवक जी, माननीय जगरनाथ चौधरी जी, माननीय ऊदल जी, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, माननीय राम जीत भारद्वाज, माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक जी, माननीय खन्ना जी, माननीय राम विशुन आजाद जी, माननीय मातवर सिंह कण्डारी जी, माननीय भगेलू राम जी, माननीय राम स्वरूप जी, माननीय डंग जी, माननीय भैरो प्रसाद मिश्र जी, माननीय स्वयंवर चौधरी जी और माननीय राम कुमार शुक्ल जी ने जो सुझाव दिये उसके लिये मैं आभारी हूं सभी ने मेरी बात का समर्थन किया। चाहे वह संगठित मजदूर हो या असंगठित खेतिहर मजदूर हों ; सबने उनकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाया और उनकी स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की सभी ने माना कि इस वर्ग का शोषण हो रहा है। सब की मंशा है कि माननीय मंत्री जी श्रमिकों के हित में बात रखेंगे। हमारे साथी राम जीत भारद्वाज अकेले व्यक्ति हैं जो योग्य हैं जिनको राम लखन वर्मा जी ने मंत्री नहीं बनाया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं अन्त में एक शेर कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि समय कम है –

"फूल तो दो दिन खिले और जा-बजा खिल गये,
हसरत तो इन मुर्दों पर है जो बिन खिले मुरझा गये।"

मैं आशा करता हूं कि माननीय वर्मा जी ध्यान देंगे । तो मैं केवल दो तीन की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक तो श्रमिकों के हितों की रक्षा करना जरूरी है । मिल मालिक जो तालाबंदी करते हैं जैसा माननीय सदस्य ने कहा वह दूसरी जगह मिल चलाने लगते हैं तो उस पर पाबंदी होनी चाहिए बिना सरकार की अनुमति के ऐसा नहीं होना चाहिए । अगर ऐसा करते हैं तो उसमें उन श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा जाय और उसके मालिक के प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही की जाय ।

इसके अलावा जो श्रम हितकारी केन्द्र हैं जिनमें सरकार का पैसा लगा हुआ है उनकी व्यवस्था ठीक हो । ई० एस० आई० चिकित्सालय में बहुत रुपया लगा हुआ है उसको देखते हुए श्रमिकों के हित में वह काम करें यह व्यवस्था होनी चाहिए । उन श्रम हितकारी केन्द्रों की उपयोगिता आज क्या है, इसको वह अवश्य बतायेंगे । आज यहां पर केवल आवारा जानवर रहते होंगे या शौचालयों के रूप में लोग उनका इस्तेमाल कर रहे होंगे । उनकी सार्थकता आप सिद्ध कर सकें मजदूरों के हित में तो मंत्री जी उसे सुनिश्चित करने का कष्ट करें । ई० एस० आई० में आज न तो कोई दवा है न पट्टी है और उपचार की अन्य कोई व्यवस्था ही है । वह अब केवल 50 रुपया से लेकर 100 तक में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट देने का अस्पताल रह गया है । उनका जो उद्देश्य था कि उन श्रमिकों और उनके परिवार वालों के स्वास्थ्य रक्षा और बीमारी के उपचार के प्रति उत्तरदायी हो सकेंगे, उसके विपरीत आज उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है । एक बात मैं पूंजीपतियों के बारे में कहना चाहता हूं जो पूंजीपति हैं और जिन्होंने नगरों में अपने प्रतिष्ठानों और फैक्ट्रियों के श्रमिकों के लिये कालोनी निर्माण के नाम पर बहुत सस्ते दर पर जमीनें ली हैं और उन्होंने उन पर कालोनियां बनाने के बजाय अफसरों की कालोनियां बना दी या दूसरे उपयोग में ला रहे हैं तो क्या मंत्री जी ऐसे पूंजीपतियों के बारे में कोई कार्यवाही करेंगे । श्रमिकों के आवासों की भी बहुत दुर्दशा है । वहां पर आज पेयजल की व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है । जो यह कम्पनियां हैं उन कम्पनियों के बारे में तो आप यू० पी० रिलीज अन्डरटेकिंग एक्ट को मंगवा लीजियेगा और उसके तहत कम्पनियों को सहायता दिलाने की व्यवस्था करें । मैं आपसे अपेक्षा और अनुरोध करूंगा कि कम से कम बजट पारित होने के बाद अपने विभाग को भविष्य में मजदूरों के हित में चलायेंगे और उसके सुधार की दिशा में काम करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अब मंत्री ज़ी और आप केवल अनुरोध कर लें, समय बहुत हो गया है !

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, एक सीधा व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर आरोप है । उसका तो मैं स्पष्टीकरण कर ही दूं । सभी सम्मानित सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनका मैं समर्थन और स्वागत करता हूं और वे हमें शिरोधार्य ही हैं । मैं समझता हूं एक-एक चीज व्यक्तिगत जो कही गयी है कि उद्योग से संबंधित मैं भी हूं और मैं भी शोषण करता हूं, तो आज से 6 साल पहले सम्भवतः 8-9 जून को मैं अपने भट्ठे पर था....

श्री अध्यक्ष–

जो सदस्य बताये थे वह हैं नहीं ।

श्री श्यामलाल यादव–

राम स्वरूप जी हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, राम स्वरूप जी ने एक अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य पर आरोप लगाया है। इस सदन में मंत्रिमंडल के सदस्य पर स्पष्ट आरोप लगाया जाता है तो निश्चित तौर से उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन्, आरोप लगाने की एक विधि है, उस विधि के अनुसार आरोप लगाया जाय तो जवाब दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो प्रोसीजर है आरोप लगाने का उसके तहत कहा जाय तो जवाब देते। पाल साहब आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ? अब मैं प्रश्न रखता हूं।

(कोई उत्तर न आने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,90,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,10,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1995

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश था कि पूरे देश में मुन्सिफ और सिविल जजों के न्यायिक सेवाओं में सबके नाम एक जैसे होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए संशोधन कर दिया गया है। अब मुन्सिफ का नाम सिविल जज, जूनियर डिवीजन और सिविल जज, सीनियर डिवीजन कर दिया गया है। यह पहले का अध्यादेश है और इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि यह विधान परिषद् से पारित हो चुका है। इसे पारित किया जाय।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसे तो पारित करेंगे ही। अच्छा विधेयक है लेकिन उसके साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। क्योंकि विधेयक को माननीय मंत्री जी ने बड़ी मासूमियत से पेश किया है लेकिन जिस संबंध में विधेयक है वह पूरे प्रदेश की न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आज प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका अगर कहीं ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो न्याय पालिका के प्रति जवाबदेही होती है। जब कहीं पर कार्यपालिका ठीक ढंग से कार्य नहीं करती है तो उसके संबंध में उस पर न्यायपालिका होती है इसलिये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रति सरकार की और हम लोगों की वचनबद्धता होती है। देश के दूसरे राज्यों में मुन्सिफ का नाम बदल कर सिविल जज रखा है तो जिस तरह से आपने भी नाम बदल दिया है उसके साथ ही साथ दूसरे राज्यों में सिविल जज को जो सुविधायें प्राप्त हैं,उनकी तरफ भी ध्यान रखा है।

(समय 8 बजकर 20 मिनट)

आज मान्यवर, कार्यपालिका के बी० डी० ओ० स्तर के व्यक्ति को जीप उपलब्ध है लेकिन न्यायपालिका से जुड़े लोगों को कितनी कठिनाई है इसको देखने की आवश्यकता है। न्यायपालिका के लोग आन्दोलन नहीं कर सकते हैं न्यायपालिका से जुड़े जज सड़कों पर नहीं जा सकते हैं। तमाम विसंगतियां हैं चाहे वेतन के संबंध में हों चाहे किसी सुविधा के संबंध में हों। न्याय पालिका की गरिमा प्रदेश में कितनी है। मान्यवर, लाखों मुकदमें लम्बित हैं। तहसील मुख्यालय पर सिविल जज को जाने के आदेश हुए हैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय के वादकारी को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। उन वादकारियों की रक्षा करनी है। तहसील स्तर पर उनको भेजा जायेगा। लेकिन उनके रहने का कोई स्थान नहीं है। इन सब चीजों के संबंध में माननीय मंत्री जी अवश्य देखें तभी वादकारियों को सुविधा होगी।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, एक अध्यादेश है यह विधान परिषद् से पहले ही पारित हो चुका है। इसलिये मैंने आपके माध्यम से यह प्रार्थना की है। इसे जिस रूप में रखा है उसी रूप में पारित किया जाए। जगदम्बिका पाल जी का संशोधन नहीं था, इस पर उन्होंने विचार व्यक्त कर लिये। जहां तक न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, उनकी सुविधा का प्रश्न है, इसपर विचार चल रहा है इस विधेयक को पेश किया है। इस संबंध में आपसे प्रार्थना है कि जो बिन्दु उठाये गये हैं उस पर अलग से विचार चल रहा है, तो जिस रूप में यह पेश किया है उसी रूप में पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय

(उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1995

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) 1995 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 13 जनवरी, 1995को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

अधिनियम संख्या 12 सन् 1887 का संशोधन

2–बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है,—

(क) धारा 3, 4, 6, 10, 11, 13, 18, 21, 22, 23, 24 और 25 में शब्द "सिविल न्यायाधीश" और "सिविल न्यायाधीशों" के, जहां कहीं भी आये हों, स्थान पर क्रमशः शब्द "सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)" और "सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन)" रख दिये जायेंगे ।

(ख) धारा 3, 4, 13, 19, 21, 22, 23, 24 और 25 में, शब्द "मुंसिफ" और "मुंसिफों" के, जहां कहीं भी आये हों, स्थान पर क्रमशः शब्द "सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)" और "सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन)" रख दिये जायेंगे ।

(ग) नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ–1 में दर्शायी गयी धाराओं के वर्तमान पार्श्व-शीर्षकों के स्थान पर उसके स्तम्भ-2में दर्शाये गये पार्श्व-शीर्षक रख दिये जायेंगे,अर्थात् :–

सारिणी

धारायें	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पार्श्व-शीर्षक
1	2
4	जिला न्यायाधीशों, सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन) और सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) की संख्या
6	जिला या सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन) के पदों में रिक्तियां
11	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की पद रिक्ति होने पर कार्यवाहियों का अन्तरण
18	जिला या सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की आरम्भिक अविकारिता का विस्तार
19	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) की अधिकारिता का विस्तार
21	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) और सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) से अपील
22	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) से अपीलों का सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) को अन्तरण की शक्ति
23	कतिपय कार्यवाहियों में जिला न्यायालय की अधिकारिता का सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) या सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) द्वारा प्रयोग
25	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) और सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) में लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता विनिहित करने की शक्ति

अनुपूरक उपबन्ध

3–बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) (द्वितीय)अधिनियम, 1995के प्रारम्भ होने पर,––

(क) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम ;

(ख) ऐसे विषयों से सम्बन्धित किसी केन्द्रीय अधिनियम, जिनके सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डल को विधि बनाने की शक्ति है ;

(ग) खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन जारी किये गये या बनाई गई किसी अधिसूचना, आदेश, योजना, नियम, विनियम, या उपविधि ; या

(घ) संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये किसी नियम,

में सिविल न्यायाधीश या मुन्सिफ के प्रति किसी निर्देश को, यथास्थिति सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) या सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के प्रति निर्देश समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 1995

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1995

निरसन और अपवाद

4–(1) बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) अध्यादेश, 1995 यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अं; माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 1-8-95 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री भैरो प्रसाद मिश्र की है इन्होंने ग्रेनाइट पत्थर की पहाड़ियां न नीलाम होने से बन्द हो रहे स्पेन क्रेशर उद्योग एवं बेकार हो रहे हजारों मजदूरों के संबंध में सूचना दी है । इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । दूसरी सूचना श्री राम कुमार शुक्ल की है इन्होंने लखनऊ महानगर के गुडम्बा थाना अन्तर्गत एक सब्जी व्यवसायी का अपहरण किये जाने तथा नगर की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसको वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । तीसरी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की है इन्होंने भदोही जनपद में ज्ञानपुर नहर तथा उससे निकली सिखड़ रजवाहा में अधिगृहीत किसानों की भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । चौथी सूचना श्री रमेश कान्त लवानियां की है इन्होंने आगरा मण्डल में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर फर्जी फार्म तथा दोषी अधिकारियों को बचाये जाने के संबंध में सूचना दी है इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है ।

पांचवीं सूचना श्री धनराज यादव की जिला संयुक्त चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में पागल कुत्ते के काटने की दवा न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

छठी सूचना श्री राज कुमार शिवहरे की बांदानगर एवं बांदा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है । शेष सभी सूचनाएं अस्वीकृत की जाती हैं।

दिनांक 2 जून, 1995 को हुए राज्य अतिथि गृह (लखनऊ) काण्ड की निष्पक्ष जांच प्रभावित होने विषयक श्री रमेश कान्त लवानियां द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

दिनांक 2-6-1995 को.....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[राज्य अतिथि गृह, लखनऊ में हुई घटना देश एवं प्रदेश के जनतंत्र के इतिहास में एक अभूतपूर्व रूप से अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण एवं प्रजातंत्र पर एक कलंक थी। घटना की गम्भीरता को देखते हुए ही इस मामले की विवेचना तत्काल, प्रभाव से अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी थी ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विवेचना हो तथा वास्तविक रूप से दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हो सके।

2–सरकार इस वक्तव्य के माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करती है कि इस प्रकरण की विवेचना में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई नहीं बरती जा रही है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इस मामले की विवेचना तीव्र गति के साथ-साथ पूर्णतया निष्पक्ष रूप से हो। विवेचना के फलस्वरूप जो भी व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

3–यह सत्य नहीं है कि इस मामले में उच्चाधिकारियों को बचाने के लिये निचले व मध्यम दर्जे के पुलिस कर्मियों को बलि का बकारा बनाया जा रहा है। जहां तक हाल में हुए पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग के स्थानान्तरण का प्रश्न है, यह स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरणों का एक अंश है। माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में जो अन्य बिन्दु उठाये गये हैं, उनके विषय में अभी कोई विवरण देना या उन पर टिप्पणी करना विवेचना के हित में नहीं होगा। इन बिन्दुओं के विषय में वास्तविक स्थिति विवेचना के उपरान्त ही स्पष्ट हो सकेगी।

नोट –[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4– सरकार एक बार पुनः इस सदन को आश्वस्त करती है कि विवेचना के फलस्वरूप जो भी व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे वे चाहे किसी भी स्तर के हों, उनके विरुद्ध विधि एवं विधान के अनुसार कार्यवाही होगी ।]

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, इस संबंध में जो घटनास्थल पर मौजूद डी० आई० जी०, आई० जी० या जो घटनास्थल पर मौजूद पुलिस महानिदेशक थे उनके क्या औपचारिक बयान लिये गये हैं ?

दूसरा प्रश्न तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने राज्य अतिथि गृह में सुरक्षा बलों की तैनाती के लिये क्या निर्देश दिये ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह वक्तव्य में स्पष्ट है । अभी विवेचना चल रही है । यह मामला अति संवेदनशील है । सारे प्रदेश की इस पर निगाहें हैं । इसमें कई बड़े अधिकारी आरोपित हैं । काफी गम्भीर मामला है । विवेचना अभी चल रही है । विवेचना के बीच के हिस्सों को कहना उचित नहीं होगा । इससे विवेचना पर फर्क पड़ सकता है ।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या शासन सुनिश्चित करेगा कि बड़े अधिकारियों के औपचारिक बयान हों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इसमें विवेचना के दौरान जिस किसी भी अधिकारी के बयान की जरूरत होगी उनके बयान लिये जायेंगे । चाहे वह कितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाल ही में हुए पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान का स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरण के तहत किया गया है तो इनकी तैनाती के कितने वर्ष हुए थे ? किन परिस्थितियों में उनका स्थानान्तरण किया गया ? यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ? सामान्य स्थानान्तरण तीन वर्ष में होना चाहिए ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सामान्य स्थानान्तरण का तात्पर्य यह है कि उनका स्थानान्तरण इस घटना को लेकर नहीं हुआ है । स्थानान्तरण की जहां तक बात है वह एक महीने, 2 महीने पहले में हो जाते हैं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, वक्तव्य की प्रतियां नहीं मिली हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इसकी प्रतियां वितरित करायी गयी हैं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मुझे नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों को नहीं मिली है उनको दे दी जाय वैसे इसकी प्रतियां वितरित करायी गयी हैं।

मेरठ शहर के मोहल्ला मोहनपुरी में बालक वरुण गुप्ता का अपहरण करके उसकी हत्या किये जाने के संबंध में श्री अमित अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

दिनांक 14-7-95 को सुशील कुमार गुप्ता.....

एक सदस्य–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[निवासी 30. विकास बिहार, मोहनपुरी, मेरठ का भतीजा साढ़े छः वर्षीय वरुण कुमार गुप्ता पुत्र श्री राकेश कुमार गुप्ता, सेन्ट थामस स्कूल से पढ़कर लगभग 11.55 बजे रिक्शे से अपने घर आ रहा था। जब रिक्शा पवनसुत गैस गोदाम के पीछे पहुंचा तो एक सफेद रंग की अम्बेसडर कार,जो पूर्व से ही वहीं खड़ी थी, में से दो व्यक्तियों ने बालक वरुण को उक्त रिक्शे से बलपूर्वक खींच कर कार में डाल दिया और अपहरण कर कार को लेकर भाग गये। उक्त सूचना पर थाना सिविल लाइन पर अप० सं०-295/95 धारा 364 भा० दं० वि० का अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक को सुपुर्द की गयी।

दिनांक 18-7-95 को प्रातःकाल नौचन्दी ग्राउन्ड के शौचालय के पास अपहृत वरुण गुप्ता का शव मिला, जिसको वरुण गुप्ता के परिवारजनों ने शिनाख्त किया। वरुण गुप्ता के शव का तत्काल पोस्टमार्टम कराया गया। शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गयी। बिसरा सुरक्षित रख लिया गया, जिसे परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा भेजा जा चुका है तथा अभियोग में धारा 302/201 भा० दं० वि० की बढ़ोत्तरी की गयी।

अब तक विवेचना एवं साक्ष्य से अपहरण का उद्देश्य ज्ञात नहीं हो सका है। वादी श्री सुशील कुमार गुप्ता एवं वरुण के पिता श्री राकेश कुमार गुप्ता का रेडीमेड वस्त्रों का कारोबार है,जिसमें लगभग 100 व्यक्ति काम करते हैं। बादी का अपने कर्मचारीगण से व्यवहार ठीक न होने के कारण कर्मचारी द्वारा अपहरण किया जाना भी सम्भव हो सकता है।

अभियोग अनावरित कर अभियुक्तगण का पता लगाने एवं उन्हें गिरफ्तार करने तथा अपहरण का सही उद्देश्य ज्ञात करने हेतु विवेचक को कड़े निर्देश दिये गये हैं। दिनांक 18-7-95 को अपहृत वरुण का शव नौचन्दी ग्राउन्ड के शौचालय के पास बरामद होने के बाद अपराधियों के पतारसी व गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष सिविल लाइन्स के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शहर में पुनः इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये गश्त व पिकेट की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त सभी स्कूल, कालेजों (बच्चों) के खुलने तथा बन्द होने के समय पुलिस की गश्त करायी जा रही है।

मोहल्ला मोहनपुरी में वादी के मकान के पास सुरक्षा की दृष्टि से पी० ए० सी० की पिकेट लगा दी गयी है तथा एक पुलिस चौकी उसी मोहल्ले में स्थापित कर दी गयी है। अपराधियों का पता लगाये जाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।।

* श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि किसी कर्मचारी द्वारा अपहरण किया जाना भी सम्भव हो सकता है। 18 दिन इस घटना को हो गये हैं और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि विवेचना अधिकारी कितनी बार बदले गये हैं। अपहरण के बाद दो बार इस परिवार में आयी हुई महिलाओं के साथ चेन स्नेचिंग हुई। कितनी पिकेट्स और कितनी गाड़ियां स्कूली बालकों के अपहरण को रोकने के लिये लगायी गयी हैं यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, वक्तव्य के चौथे पैरा में स्पष्ट कहा गया है कि अभियुक्तों का पता लगाने एवं उन्हें गिरफ्तार करने तथा अपहरण का सही उद्देश्य ज्ञात करने हेतु विवेचक को कड़े निर्देश दिये गये हैं और इस विवेचना में यह भी कहा गया है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष सिविल लाइन्स के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। श्रीमन्, सरकार इस पर कड़ी कार्यवाही कर रही है और इस प्रकार की घटनायें न हों इसलिये पिकेटिंग की व्यवस्था की जा रही है। श्रीमन्, सरकार इस पर सतर्क है।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, 18 दिन हो गये हैं, वह एक 4 वर्ष का बालक था। अपहरणकर्ता पकड़े नहीं गये हैं और दो बार थानाध्यक्ष का तबादला हो चुका है। मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं आ रहा है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, थानाध्यक्ष का बदला जाना इस बात का सबूत है कि सरकार सतर्क है। माननीय सदस्य यदि किसी अन्य अधिकारी से जांच कराना चाहते हैं या अन्य किसी अधिकारी से इसका पर्यवेक्षण कराना चाहते हैं तो सरकार माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार तैयार है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर,घटना की गम्भीरता किसी से छिपी नहीं है । माननीय सदस्य ने जो नोटिस दिया है, उसमें जो बिन्दु उठाये गये हैं उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर एक बिन्दु यह है कि उनके घर के किसी नौकर ने ऐसा किया होगा । अब तक किसी नौकर को इस मामले में पकड़ा नहीं गया है । जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि पिकेटिंग की जा रही है तो मेरठ जैसे शहर में एक-दो और पिकेट्स लग जाने से समस्या का समाधान नहीं होता है । इस मामले में किसी को पकड़ा गया है, किसी के बयान लिये गये हैं या किसी को पूछताछ के लिये बुलाया गया है और पुलिस कस्टडी में जांच हो रही है तो अलग बात है । अगर शिथिलता है तो सरकार कोई निर्देश जारी करेगी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

कितने लोगों से पूछताछ की गयी है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, परन्तु हम स्वीकार करते हैं कि यह घटना गम्भीर है और इसमें अलग से निर्देश जारी कर दिये जायेंगे कि अभियुक्तों का पता लगाया जाये ।

उत्तरांचल के आठों जनपदों के राजकीय इंटर कालेजों एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं के रिक्त पद होने विषयक श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

* माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

उत्तरांचल के.....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री सुखदेव राजभर–

[आठों जनपदों में राजकीय इण्टर कालेजों तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं तथा सहायक अध्यापकों के पद कई वर्षों से खाली पड़े हैं। राजकीय इण्टर कालेजों में सी० टी० ग्रेड के अध्यापक तक प्रभारी प्रधानाचार्य बने हुए हैं। विज्ञान एवं गणित जैसे कठिन विषयों के प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों के पद वर्षों से खाली पड़े हैं। इस प्रकार छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में बाधा पड़ रही है। अतः उत्तरांचल में राजकीय इण्टर कालेजों एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति तत्काल की जाय ताकि छात्र एवं छात्राओं की पढ़ाई सही ढंग से हो सके।

उत्तराखण्ड क्षेत्र में विभिन्न वेतनक्रमों में निम्नलिखित पद रिक्त हैं :–

पदनाम		स्वीकृत पद	रिक्त पद
प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या		475	374
प्रधानाध्यापक	(पुरुष)	408	071
	(महिला)	056	017
प्रवक्ता	(पुरुष)	4041	1477
	(महिला)	0504	0282
सहायक अध्यापक	(पुरुष)	5617	2688
	(महिला)	0788	0223
योग :		11889	05132

2–प्रधानाचार्य के पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरने हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के चयन का प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्राप्त हुआ है किन्तु मा० उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय चयन समिति के माध्यम से नियमित प्रोन्नति पर रोक लगा दिये जाने के फलस्वरूप चयन की कार्यवाही सम्भव नहीं हो पायी। सीधी भर्ती के कोटे के राजकीय इण्टर कोलेजों के प्रधनाध्यापकों के पदों को भरने के लिए चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध होने पर यथा समय नियुक्तियां की जायेंगी।

3–प्रधानाध्यापक (पुरुष) में सीधी भर्ती के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग से चयनित 63 अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के उपरान्त लगभग सभी नियुक्तियां प्रदान की गयी हैं। प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत शेष रिक्तियों को भरने हेतु विभागीय चयन की कार्यवाही गतिमान है। चयन के बाद पदोन्नतियां कर दी जायेंगी। प्राप्त सूचना के अनुसार ५ ग्रानाध्यापिकाओं के 17 पद रिक्त हैं। विभागीय चयन समिति द्वारा इन पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है।

4–प्रवक्ता (पुरुष) में सीधी भर्ती के रिक्त 1311 पदों के प्रति अभियाचन वर्ष 1992 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जा चुका है तथा विज्ञापन भी हो चुका है। अधियाचित 1311 पदों के प्रति 937 प्रवक्ता तदर्थ रूप से कार्यरत हैं। शेष 166 पदोन्नति के रिक्त पदों के प्रति

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभागीय चयन हेतु कार्यवाही गतिमान है । प्रवक्ता (महिला) की 282 रिक्तियों के प्रति 140 तदर्थ रूप से कार्यरत हैं । इस प्रकार भौतिक रूप से 142 रिक्तियां हैं । प्रवक्ता वेतनक्रम की 163 सीधी भर्ती के पदों हेतु अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है । शेष उक्त पदों के संबंध में विभागीय चयन की कार्यवाही गतिमान है ।

5–सहायक अध्यापक एल० टी० के 2688 पदों के प्रति 969 अध्यापक तदर्थ रूप से कार्यरत हैं तथा 1719 पद भौतिक रूप से रिक्त हैं । इन 2688 पदों में से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेल चयन आयोग से प्राप्त 1900 चयनित अभ्यर्थियों की सूची मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, पौड़ी/नैनीताल को भेजी जा चुकी है । उनके द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है । शेष पदों के प्रति अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के नाम आने पर एवं पदोन्नति के पदों पर विभागीय चयन करवाकर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी । सहायक अध्यापक (महिला) में सीधी भर्ती के 223 पदों में से 122 रिक्तियां पूर्व में ही लोक सेवा आयोग को अधियाचित की गयी थीं तथा शेष 101 पदों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है । इनमें से विज्ञान, गणित, जीव-विज्ञान एवं सामान्य विषयों की 35 चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग से प्राप्त होने के उपरान्त अधिमान्यता अनुसार मण्डलीय अधिकारियों को नियुक्ति हेतु प्रेषित की जा चुकी है । इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग से प्राप्त होने पर रिक्त पदों की पूर्ति कर उन्हें भरने का प्रयास किया जायेगा ।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर बछपिया विकास खण्डों में भयंकर कालरा रोग फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

* चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री प्रवीण सिंह ऐरन)–

प्रत्येक वर्ष.....

एक सदस्य–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

[अप्रैल से सितम्बर तक संक्रामक रोग प्रदेश में अपना प्रकोप दिखाते हैं । वर्षा ऋतु में इनका प्रभाव बढ़ जाता है । संक्रामक रोग जल, वायु और भोज्य पदार्थ के माध्यम से फैलते हैं । इनमें आंत्रशोध (गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस) और पीलिया मुख्य होते हैं ।

संक्रामक रोगों का नियंत्रण तथा शुद्ध जल की उपलब्धता एक-दूसरे के पर्याय हैं । इसके लिए नगरों की जल सम्पूर्ति व्यवस्था में नगर विकास विभाग क्लोरिनेशन का कार्य करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग ब्लीचिंग पाउडर कुओं के जल की शुद्धता और घरेलू उपयोग के जल के लिए क्लोरीन टैबलेट उपलब्ध कराता है ।

गोण्डा जिले के स्वास्थ्य केन्द्र मसकनवा और मनकापुर में हैजा (कालरा) से किसी की मृत्यु की सूचना नहीं है । उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यक औषधियां उपलब्ध है । मुख्यालय से गोण्डा को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

50 बैग ब्लीचिंग पाउडर 5.25 लाख क्लोरिन टैबलेट, 10,265 ओ० आर० एस० के पैकेट, 836 बोतल आई० बी० फ्लूड, 30,000 टैबलेट फ्लूराजोलिडिन, 66,000 टेट्रासाइक्लिन कैपसूल तथा अन्य सभी की औषधियां समुचित मात्रा में प्रदान की गई हैं ।

अपर निदेशक, फैजाबाद ने भी 19 जुलाई, 1995 को मनकापुर और मसकनवा स्वास्थ्य केन्द्रों का भ्रमण किया और चिकित्साधिकारियों को इन रोगों की रोकथाम तथा मरीजों के उपचार के संबंध में निर्देश दिये ।

विकास खण्ड छपिया में बभनान सुगर मिल का प्लान्ट वर्षों पूर्व लगा है । मिल मई के अन्तिम सप्ताह से बन्द है। जून के प्रथम सप्ताह से मिल का कोई इफ्लूएन्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ है । मिल के चालू रहने पर इफ्लूएन्ट, ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के पश्चात् बभनी ग्राम स्थित ताल में जाता है । इस ताल के किनारे एक दूसरा गांव महरागौरा भी है । ताल तक पानी जाने में कोई अवरोध नहीं है तथा ताल का पानी सिंचाई में प्रयुक्त होता है ।

मुख्य चिकित्साधिकारियों, गोण्डा ने 20 मार्च, 1995 को इस क्षेत्र से पानी का नमूना लिया जो प्रदूषित नहीं पाया गया । इस क्षेत्र और पूरे जिले में संक्रामक रोगों की स्थिति नियंत्रण में है एवं साभान्य है । रोगों की रोकथाम एवं रोगियों के उपचार की कार्यवाही प्रभावशाली ढंग से की जा रही है ।]

(श्री राम बिशुन आजाद के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा । आप संगत नियमों के आधार पर लिखकर दे दें, मैं उसको दिखवा लूंगा, मैं उस पर विचार कर लूंगा ।

''पूर्वांचल विकास निधि'' योजना का धन केवल विधायकों के प्रस्ताव पर खर्च किये जाने विषयक श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल आदि की सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार की है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, विधायकों के क्षेत्रों में जो भी विकास कार्य होते हैं उनकी जिम्मेदारी विधायकों की होती है । उस क्षेत्र की जनता उनसे यह अपेक्षा करती है कि वह विकास के कार्य करायेंगे, लेकिन विधायकों को किसी भी प्रकार का कोई काम कराने का अधिकार नहीं है । पहले पूर्वांचल विकास निधि थी, उसका पैसा विधायकों की परामर्श पर खर्च किया जाता था । उसका 1995-96 का जो बजट है, उसको 48 करोड़ से बढ़ाकर 56 करोड़ रुपये कर दिया गया है, इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है । मान्यवर, मेरा कहना यह है कि उसका पैसा विधायकों के प्रस्ताव पर खर्च होना चाहिये, क्योंकि सांसद को तो अलग से धन मिलता है और जो विधान परिषद् का सदस्य होता है, उसको जनता की जवाबदेही नहीं होती है, तो उसका पैसा विधायक के प्रस्ताव पर खर्च किया जाना चाहिये ।

श्री अमरनाथ यादव–

मान्यवर, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया ।

सदन संचालन प्रक्रिया नियमावली से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप नियम 49 के उपखण्ड 5 को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । "सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव न होगा और न मत लिये जायेंगे । जिस सदस्य ने सूचना दी है । वह एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा उस विषय का पुरःस्थापन करेंगे । संबद्ध मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे । तत्पश्चात् अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी तथ्य विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे । विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिए दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी" । तो मान्यवर, माननीय सदस्य ने विषय प्रस्तुत कर दिया और अब नियमावली के तहत माननीय मंत्री जी उत्तर दें, फिर बाकी सदस्य प्रश्न पूछ स्पष्टीकरण लें तो इससे बाकी सदस्यों को भी मौका मिलेगा ।

डा० सरजीत सिह डंग–

मान्यवर, चर्चा में जिन लोगों का नाम है उनको दो-दो मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

अब माननीय संसदीय कार्यमंत्री उत्तर दे दें और माननीय सदस्य जो भी सवाल पूछना चाहते हैं एक-एक करके पूछ लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, चर्चा में, मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा में तो तमाम माननीय सदस्यों के नाम हैं परन्तु एक माननीय सदस्य की तरफ से उसको पुनर्स्थापित कर दिया गया अब जब आप स्पष्टीकरण पूछेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मुझे मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी नियमावली के नियम 49 के सबक्लाज 5 को देखें तो आपको स्पष्ट हो जायेगा ।

"पूर्वांचल विकास निधि" योजना का धन केवल विधायकों के प्रस्ताव पर खर्च किये जाने विषयक नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

संसदीय कार्य एवं पंचायती राजमंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग जो इस समय प्राविधान है उसमें से 50 प्रतिशत धनराशि जिला स्तर पर माननीय इस सदन के सदस्यों, विधान परिषद् के सदस्यों और माननीय सांसदों के परामर्श से योजना बनाकर खर्च किया जाता है और शेष 50 प्रतिशत धन का व्यय राज्य स्तर से बड़ी योजना के लिए किया जाता है । इसमें कुछ और भी माननीय सदस्यों ने मिलकर अलग से भी कहा है उनकी इच्छा है और सुझाव है कि जिला स्तर पर जो धनराशि खर्च की जाती है योजना बनाकर जिलाधिकारी के साथ बैठकर उसमें विधान परिषद् के सदस्यों और संसद के सदस्यों के सुझावों को महत्व न देकर केवल इस आदरणीय सदन के सदस्यों को महत्व दिया जाय । श्रीमन्, इसके

लिए जो नियमावली बनी हुई है उसमें ऐसा प्राविधान नहीं है। अब इसके आगे अगर विचार करना है तो मैं आपके माध्यम से सरकार की तरफ से यह कहूंगा कि किसी अन्य कार्यदिवस में इस सदन के बाहर इस नियोजन विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ पूर्वांचल क्षेत्र के सभी विधायकों के साथ बैठकर बुन्देलखण्ड की बात भी आ रही है वह भी निधि है, तो इसके लिये अलग से नियमावली पर विचार कर लिया जाय और जैसा आवश्यक हो संशोधन कर लिया जाय।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मान्यवर, डी० आर० डी० ए० और जवाहर रोजगार योजना यह धन केन्द्र से भी आता है इसलिए सांसदों का तो इसमें होता है अब जो नई स्थिति आने वाली है पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं, जिला पचायतों का गठन हो चुका है और उनको भी कुछ न कुछ हिस्सा आपको अपनी जिला योजना में से और अन्य योजनाओं में से देना ही पड़ेगा। मान्यवर, राज्य सेक्टर की जहां 50 प्रतिशत कटौती की बात है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि लो० नि० विभाग सिंचाई विभाग और अन्य विभाग वहां भी दो प्रकार की योजनायें हैं उनमें भी राज्य सेक्टर से पैसा जाता है जोकि बड़ी योजनाओं का होता है। पूर्वांचल विकास निधि में प्राविधान करना किसी दृष्टि से उचित नहीं है।

केन्द्र की सरकार अपने सांसदों को एक करोड़ रु० अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करने के लिये दे सकती है तो प्रदेश सरकार के अपने राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों को कम से कम पूर्वांचल विकास निधि का पैसा खर्च करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। (मेजों की थपथपाहट) एक कठिनाई नगर क्षेत्र के विधायकों के समक्ष आती है। डी० आर० डी० ए० या अन्य जिले की जो योजनायें हैं, चाहे 10 लाख कूप योजना हो, जवाहर रोजगार योजना है, इसमें सारी की सारी धनराशि, जनप्रतिनिधि इसके लिये बाध्य हैं कि वह ग्रामीण क्षेत्र में ही खर्च करें। मैं मानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास बहुत जरूरी है वहां किसान मजदूर दलित बसता है लेकिन वह जनप्रतिनिधि जो नगरीय क्षेत्र से चुनकर आता है छोटी छोटी गलियों में खड़ंजे का काम है, नालियां हैं, उसके पास कोई धनराशि किसी मद में नहीं है। वहां कोई मद नहीं रखी गयी है कि नगरीय क्षेत्र का विधायक अपने मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिये पांच पैसा भी खर्च कर सके। पूर्वांचल विकास निधि ऐसी है जहां छोटे छोटे काम नगरीय क्षेत्र में करा सकते हैं नगर पंचायतें, नगर परिषदें दिवालिया हो चुकी हैं। अगर कोई काम नगरपालिका क्षेत्र में है तो नहीं कर पायेंगे।

यह 50 प्रतिशत की जो राज्य स्तर की बात है यह कटौती बन्द की जाय और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को इस निधि में पूरा पूरा खर्च करने की छूट दी जानी चाहिये।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, एक सुझाव यह आया है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी माननीय विधायक और पूर्वांचल के सभी माननीय विधायक और इस निधि से जुड़े उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण हम सब लोग किसी दिन बैठ लेंगे और विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, जब सब सदस्य यहां एकमत हैं तो हाउस के अलावा और कौन सा फोरम हो सकता है बेहतर ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, जितने माननीय सदस्य खड़े हुए थे यह आधे घंटे की चर्चा है 15 मिनट बीत चुके हैं अब 15 मिनट में ही 1-1 मिनट भी दिया जाय तो जितने माननीय सदस्य खड़े हुए थे सबके हिस्से में 1-1 मिनट भी नहीं आयेगा संसदीय कार्य मंत्री जी का यह सुझाव था कि जितने माननीय सदस्य यह पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत पूर्वांचल के हैं जितने बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के हैं उनको बुला लिया जायेगा और इससे संबंधित जो अधिकारीगण हैं एक दिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी भी रहेंगे, अलग से बैठकर के पूरे दिन इस पर चर्चा हो जायेगी । इसका एक अच्छा हल निकाल कर उस पर निर्णय लें तो मैं समझता हूं कि उसमें आप सभी के ज्यादा विचार आ जायेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ बातें कहीं । मान्यवर, जब भी डी० आर० डी० ए० की पूर्वांचल विकास निधि की बात आती है तो वह कहते हैं कि विधायकों का उसमें हिस्सा नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं तो अब भी आपके माध्यम से यह रहा हूं कि उसमें विधायकों का हिस्सा नहीं होता है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को शायद पता नहीं है । अभी मार्च, 95 में इस नियम में परिवर्तन करके अधिकारियों ने इसे अपने अनुरूप कर दिया है । आप कहते हैं कि अधिकारियों के साथ बैठकर वार्ता कर लेंगे । मान्यवर, कक्ष में बैठने के बावजूद भी अधिकारी संसदीय कार्यमंत्री जी की बात को नहीं मानते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

दूसरे विषय में आपको बोलने की इजाजत नहीं है ।आप कृपया बैठ जायें ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, किसी विषय पर कोई घोषणा करने से पूर्व सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचार-विमर्श आवश्यक होता है । मैं मानीनय सदस्यों की भावनाओं को समझ गया हूं लेकिन इतनी जल्दी पांच दस मिनट में कोई बात कहना ठीक न होगा । वह शायद यह चाहते हैं कि विधान परिषद्/सांसदों के तत्काल नाम काट दिये जायें । शायद यही आप लोगों की भावना है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

इस पर मतदान करा लिया जाय ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं बार-बार बोलने के लिये खड़ा होता हूं, आप लोग बोलने नहीं देते । श्रीमन् मेरे पास एक आदेश है, दिनांक 28 मार्च, 95 का । मैं श्रीमन् बार-बार पुस्तिका पढ़ रहा हूं, यह कौन सी परम्परा है, यह बोलने नहीं देते ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, शान्त रहें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था और कोशिश यह कर रहा था कि आदरणीय सदन का समय बरबाद न हो । मैं तो आप लोगों का सहयोगी हूं । आप लोग बोलते हैं, मैं धैर्य से सुनता हूं, मैं बोलने के लिये खड़ा हूं, आप मुझे सुनिये । ऐसी कोई संसदीय परम्परा नहीं है कि जब कोई मंत्री जवाब देने के लिये खड़ा हो तो आप उसे बोलने ही न दें, यदि कोई ऐसा नियम है तो मुझे बता दें, मैं रात ही में उसे पढ़ डालूंगा ।

श्रीमन् मैं कोई और घोषणा नहीं कर सकता । मेरे पास दिनांक 28 मार्च, 1995 का आदेश है और इस आदेश के तहत यह संचालित क्षेत्रीय विकास पूर्वांचल नियमावली में संशोधन हुआ था । मैं इस आदेश को निरस्त करने की घोषणा करता हूं और पूर्व स्थिति बहाल करता हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, पूर्व स्थिति से काम नहीं चलेगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं आपके माध्यम से जानकारी दे दूं । पूर्व स्थिति में वह सब अधिकार मिल जाते हैं, जो पहले थे ।

श्री अध्यक्ष–

पूर्वांचल विकास निधि पर हो रही चर्चा समाप्त हुई । मद संख्या–2 पर रमापति शास्त्री जी चर्चा प्रारम्भ करें ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, यह विधायकों के स्वाभिमान का मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

पूर्व आदेश वापस होने के बाद पहले जो स्थिति है, वह आ गई, जो विधायकों के अधिकार थे, वह मिल गये ।

(कई सदस्यों द्वारा पुनः खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अपनी किसी रूलिंग पर पुनर्विचार कर सकता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह–

मान्यवर, केन्द्र सरकार अपने सांसदों को एक करोड़ रुपया अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करने के लिये दे सकती है तो प्रदेश सरकार को अपने राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों को कम से कम पूर्वांचल विकास निधि का पैसा खर्च करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

डंग जी अब इसको समाप्त करें। मैं मद संख्या 20 ले रहा हूं। श्री रमापति शास्त्री जी चर्चा प्रारम्भ करें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यदि केन्द्र सरकार देती है तो प्रदेश सरकार को भी कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, इस पर मतदान करा लें।

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय डंग जी एवं शुक्ल जी नियम 49 पढ़ लें। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण इसको बखूबी पढ़ें हैं। इसमें नियम 49 का खण्ड–5 देखें तो न तो इसमें कोई मतदान की व्यवस्था नहीं है। नियमावली की जो व्यवस्था है उसके तहत ही ये चर्चा चल रही थी। यह आधे घण्टे की चर्चा थी और आधे घण्टे से ज्यादा समय हो गया है। इस नियमावली से परे हटकर कोई कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रमापति शास्त्री जी एवं घनश्याम शुक्ल जी चर्चा आरम्भ करें। यदि आप लोग चर्चा आरम्भ नहीं करते हैं तो मैं इस चर्चा को समाप्त कर दूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय सदस्यगण से मेरा अनुरोध है कि मैंने माननीय सदस्यों की जो भावनायें देखी है, उनकी भावनाओं से अवगत हूं। मानीनय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि आज इसमें जो चर्चा चली हैं, उससे सहमत नहीं हैं तो संगत नियमों के अन्तर्गत लिखकर दे दें। नियमावली के तहत जो व्यवंस्था हो सकती है, मैं पूरा का पूरा समय दूंगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, नियम 49 चर्चा के लिये है, बौद्धिक कसरत के लिये नहीं कि किसी निर्णय पर न पहुंचे और उसको समाप्त कर दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय डंग जी बहुत पढ़ते हैं लेकिन नियम 49 अपनी बात मनवाने के लिये भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैं मद संख्या 20 ले रहा हूं। श्री रमापति शास्त्री जी चर्चा प्रारम्भ करें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।आप मेरी बात पूरी सुन लें। आपका जो आदेश होगा, वह शिरोधार्य होगा।

(व्यवधान)

पूर्वांचल निधि में उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा है तो इसमें सांसदों के हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता है ? चर्चा का मतलब होता है तर्क। संसद सदस्यों को जो एक करोड़ रुपये मिलता है उसमें हमारा कोई

हस्तक्षेप नहीं होता है और न ही हमारे कोई सुझाव लिये जाते हैं तो फिर हमारे पैसे में उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता क्या है ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री डंग जी, मैंने आदरणीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए कहा कि आप संगत नियमों में इसे लिखकर दे दें, मैं उस पर विचार कर लूंगा । नियम–49 की सीमा को मैं पढ़कर सुना देता हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, नियम–49 के बाद फिर कौन सी सीमा बच जाती है ? अब कौन सा नियम है, जिस पर आप विचार करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

नियम 103 बचा है नियम 52 बचा है ।

श्री अध्यक्ष–

आप मोशन ला सकते हैं और रेजोल्यूशन ला सकते हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत हो गये हैं तो फिर निर्णय देने में क्या कठिनाई है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब इस पर अनुदान मांगें आयेंगी तो आप चर्चा के दौरान अपनी बात को कह सकते हैं । आप मोशन ला सकते हैं और रेजोल्यूशन ला सकते हैं ।

(डा० सरजीत सिंह डंग खड़े होकर अपनी बात कहते रहे । (व्यवधान)

जनपद गोण्डा के नवाबगंज शुगर फैक्ट्री के बन्द होने विषयक श्री रमापति शास्त्री द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (संबंधित सदस्य द्वारा चर्चा आरम्भ नहीं की गयी)

(व्यवधान)

(श्री रमापति शास्त्री का नाम पुकारने पर श्री सरजीत सिंह डंग के न बैठने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

इसके बाद सदन रात्रि 9 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ,
दिनांक 1 अगस्त, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 10 का उत्तर पीछे पृ० 10 पर)

संलग्नक "एक"

क्रमांक	पंजीकृत औद्योगिक इकाई का नाम व पता
1	मे० प्रिया इन्टर प्रीमियर प्राइजेज, जमालपुर, मिर्जापुर
2	मे० कोहनूर फ्यूल, रामबाग रोड, बहरामगंज, चुनार मिर्जापुर
3	मे० राजदीप इन्टरप्राइजेज, मंगरहा, मिर्जापुर
4	मे० मुन्ना इन्टरप्राइजेज, कमालपुर, मिर्जापुर
5	मे० प्रेम कोल बिकेट्स, सिकरा, जमालपुर, मिर्जापुर
6	मे० प्रकाश इन्टरप्राइजेज, जमुई, चुनार, मिर्जापुर
7	मे० राहुल कोल बिकेट्स, पुरुषोत्तमपुर, चुनार, मिर्जापुर
8	मे० चन्द्र कोल बिकेट्स, सिकरा, बरईपुर, मिर्जापुर
9	मे० प्रशान्त इन्टर प्राइजेज, जमालपुर, मिर्जापुर
10	मे० रिलायन्स इन्टरप्राइजेज, जमालपुर, मिर्जापुर
11	मे० द्विवेदी कोल ब्रिकेट्स, शेरपुर, मिर्जापुर
12	मे० सोनी कोल ब्रिकेट्स, शेरपुर, मिर्जापुर ।

उत्तर प्रदेश राजपत्र असाधारण

नत्थी 'क'

संलग्नक "दो"

चुनार तहसील जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत कोल ब्रिकेट्स बनाने वाली पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की सूचना

क्रमांक	औद्योगिक इकाई का नाम व पता	कार्यरत इकाई	1-1-94 से 31-12-94 तक के संस्तुति की मात्रा
1–	मे० प्रिया इन्टर प्रीमियर प्राइजेज, जमालपुर, मिर्जापुर	कार्यरत	29.858 मै० टन
2–	मे० कोहनूर फ्यूल, रामबाग रोड, बहरामगंज, चुनार मिर्जापुर	,,	28.089 ,,
3–	मे० राजदीप इन्टरप्राइजेज, मंगरहा, मिर्जापुर	,,	12.425 ,,
4–	मे० मुन्ना इन्टरप्राइजेज, कमालपुर, मिर्जापुर	,,	28.089 ,,
5–	मे० प्रेम कोल ब्रिकेट्स, सिकरा, जमालपुर, मिर्जापुर	,,	13.104 ,,
6–	मे० प्रकाश इन्टरप्राइजेज, जमुई, चुनार, मिर्जापुर	,,	8.340 ,,
7–	मे० राहुल कोल ब्रिकेट्स, पुरुषोत्तमपुर, चुनार, मिर्जापुर	,,	2.400 ,,
8–	मे० चन्द्र कोल ब्रिकेट्स, सिकरा, बरईपुर, मिर्जापुर	,,	739 वाक्स बैगन
9–	मे० प्रशान्त इन्टर प्राइजेज, जमालपुर, मिर्जापुर	,,	310 ,,
10–	मे० रिलायन्स इन्टरप्राइजेज, जमालपुर, मिर्जापुर	,,	287 ,,
11–	मे० द्विवेदी कोल ब्रिकेट्स, शेरपुर, मिर्जापुर	,,	135 ,,
12–	मे० सोनी कोल ब्रिकेट्स, शेरपुर, मिर्जापुर।	,,	135 ,,

उत्तर प्रदेश सरकार सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–22 का उत्तर पिछले पृष्ठ 20 पर)

अनुलग्नक–1

दिनांक 1-1-94 से 30-4-95 तक का अपराध विवरण (बाराबंकी)

क०सं०	नाम थाना	चोरी	डकैती	हत्या	अफीम स्मैक	दलित उत्पीड़न
1	कोतवाली	129	4	20	27	46
2	देवां	26	2	15	2	32
3	सफदरगंज	18	1	9	18	9
4	जहांगीराबाद	13	1	5	–	11
5	जैदपुर	8	–	7	47	17
6	कोठी	15	1	6	29	20
7	सतरिख	11	1	12	16	21
8	हैदरगढ़	15	–	5	5	14
9	लोनी कटरा	9	–	9	5	17
10	असन्द्रा	11	1	3	9	23
11	सुबेहा	12	–	5	6	17
12	राम सनेही घाट	20	1	6	11	34
13	पटरंगा	17	–	13	1	26
14	मवई	3	–	5	2	26
15	रूदौली	20	–	8	–	20
16	रामनगर	14	2	9	7	36
17	बदोसराय	5	–	3	1	19
18	टिकैतनगर	3	–	2	2	13
19	दरियाबाद	5	1	4	2	22
20	मसौली	14	2	12	18	9
21	फतेहपुर	33	2	11	2	12
22	मोम्मदपुर	12	1	6	4	9
23	बड्डपुर	5	–	6	–	11
24	घुंघतेर	3	–	–	1	8
25	कुर्सी	–	–	3	2	–
		421	20	184	216	504

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 110 का उत्तर पिछले पृष्ठ 52 पर)

इलाहाबाद जनपद विधान सभा/विधान परिषद् सदस्यों को प्रदान किये गये शैडो/गनर का विरण

नाम सदस्य	शैडो	गनर
1–श्री आर० के० चौधरी, मा० स्वास्थ्य मंत्री	–	2
2–श्री नजमुद्दीन, मा० राज्य मंत्री राजस्व	–	2
3–श्री नन्द लाल पटेल, मा० परिवहन मंत्री	–	2
4–श्री हीरा मणि पटेल, मा० राज्य मंत्री, होमगार्ड्स	–	2
5–श्री जोखू लाल, मा० विधायक	–	1 का०
6–श्री राम सजीवन निर्मल, मा० विधायक	–	1 हे०का०
7–श्री जवाहर लाल दिवाकर, मा० विधायक	–	1 का०
8–श्री हीरा मणि पटेल, मा० विधायक	–	1 का०
9–श्री राजबली जैसल, मा० विधायक	2	1 का०
10–श्री जवाहर यादव उर्फ पंडित, मा० विधायक	–	1 का०
11–श्री अतीक अहमद, मा० विधायक	–	1 हे०का०
12–श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, मा० विधायक	1 का०	1 हे०का०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम सदस्य	शैडो	गनर
13–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, मा० विधायक	–	1 हे०का०
14–श्री शिवदानी, मा० विधायक	1 हे०का०	–
15–श्री हरि प्रताप सिंह यादव, मा० विधायक	1 हे०का०	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी–एल० 250 विधान सभा (741)–1995–572 (डी० टी० पी०) ।